बड़ौदा डायनामाइट षड्यंत्र

विद्रोह का अधिकार

बड़ौदा डायनामाइट षड्यत्र

वि द्रो ह का अ धि का र

सी० जी० के० रेड्डी

अनुवाद गिरधर राठी

मूल्य बीस रुपये (20 00)

प्रथम संस्करण 1977
BARODA DYNAMITE CONSPIRACY VIDROH KA ADHIKAR
(Hindi version of Baroda Dynamite Conspiracy The Right to Rebel)
by C G K Reddy

पत्नी विमला को

जिसके साहस और धय न मुझे
जेल से जीवित न निकल पान की सभावना का
शांति और प्रसन्नता के साथ
सामना करन का बल दिया

आभार

मन्न तथा उदार आर चद्रचूड़न का मैं ऋणी हू जिन्होंने अतिम रूप से प्रूफ इत्यादि देखे इस कहानी में वह भी शरीक थे। दिल्ली मे वह जार्ज फर्नांडीस के मेज़बान थे जिसके कारण उन्हे अपना पद खोना पडा।

मीना शर्मा एम श्रीनिवासन और डोरीन मेनेजोज धन्यवाद के पात्र हैं जिन्हाने बहुत दक्षता से मेरा डिक्टेशन लिपिबद्ध किया।

दो शब्द

खुद को जन्मजात विद्रोही कहूं या नहीं पर जहां तक मुझे याद पड़ता है मैं हमेशा रीति रिवाज परंपरा धर्म और सत्ता के खिलाफ रहा हूं। मूर्तिभंजन में मुझे हमेशा आनंद और संतोष मिला है और तथाकथित महापुरुषों या नायकों का खोखलापन टटोलने की मेरी आदत भी रही है। बचपन में इन प्रवृत्तियों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल सका था। लीक से हटने में जोखिम था। खुली बगावत की कल्पना असंभव थी। परिवार में सबसे छोटा था, लिहाजा अपने भाई बहनों पर भी अपने मन के राज नहीं खोल सकता था। उस उम्र में मेरी बातें समझने वाला कोई दोस्त भी मुझे नहीं मिला।

किशोर अवस्था में प्रवेश से पहले ही ईश्वर में मेरी आस्था खत्म हो चुकी थी। उन्हीं दिनों मैं ब्रिटिश विरोधी हो गया, और निरंकुशता के हर रूप—मां बाप शिक्षक या सरकार—का विरोधी भी। सन '40 के आसपास जब मैं प्रशिक्षण जहाज डफरिन में कैडेट बना, ब्रिटिश सरकार के प्रति मेरा रोष इतना बढ़ गया था कि मैं बड़ी झंझट में पड़ गया। 1938 में नौसेना में मेरा चयन सर्वश्रेष्ठ कैडेट के रूप में होना चाहिए था, पर जब वैसा नहीं हुआ, तो मुझे घोर निराशा और हैरत हुई। आजादी मिलने के बाद जब भारतीय अफसर प्रशिक्षण जहाजों के कर्त्ताधर्ता बने तब इसका भेद खुला। ब्रिटिश कप्तान सुपरिंटेंडेंट ने अपनी गोपनीय रिपोर्ट में लिख दिया था कि मैं गांधीवादी हूं— भरोसे के लायक नहीं।' यह टिप्पणी न केवल मेरे नौसेना में प्रवेश पर निषेध के लिए बल्कि मेरा करियर चौपट करने के लिए भी काफी थी। बहरहाल उन्होंने मुझे प्रशिक्षण लेकर कलकत्ता में अप्रेंटिस बन जाने दिया जिसके बाद मैं उन दिनों की प्रसिद्ध ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेवीगेशन कंपनी में जूनियर इंजीनियर बन गया।

कलकत्ता में ही 1938 40 के बीच राजनीति में मेरी सक्रियता और प्रतिबद्धता की शुरुआत हुई। उन दिनों जैसा कि आज भी कुछ हद तक है बंगाल एक महान राजनीतिक विद्यालय जैसा था, खासकर संवेदनशील नवयुवकों के लिए। बंगाल के क्रांतिकारियों के सहवास में उन्हीं दिनों मैं भारत की आजादी और समाजवाद के प्रति प्रतिबद्ध हो गया। एलेनबाय रोड पर हमारी 'चमरा' (बासा) और एल्गिन रोड पर सुभाषचंद्र बोस का घर बिलकुल एक दूसरे के पीछे थे। अन्य युवकों की तरह मैं भी वैचारिक रूप से उनके करीब था और भौतिक रूप से भी नजदीक रह रहा था। इस कारण मैं एकाधिक बार उनके संपर्क में आया। मेरे कहने पर कुछ सहकर्मी भूतपूर्व कैडेट मेरे साथ उनके पास गए और

युवा नौसैनिक अफसरो की भूमिका पर उनकी राय हमन दरयाफ्त की। उसके बाद उनसे कोई सपक नही हुआ पर जब वह देश स पलायन कर गए तो कलकत्ता की पुलिस ने मुझे गिरफ्तारी का सम्मान दिया—उनका खयाल था कि बोस के भागने मे मेरा भी हाथ था!

पर नताजी से मेरा सबध वही खत्म नही हो गया। अप्रेंटिस रहन के बाद मैं जब जहाजी इजीनियर के रूप म काम कर रहा था मेरे जहाज चिलका को माच 1942 म जापानी पनडुब्बियो न हिन्द महासागर म डुबा दिया। नौ दिनो तक एक लाइफबोट म भयानक यात्रा के बाद मैं सुमात्रा के तट के पास एक छोटे से द्वीप नियास तक जा पहुचा जहा मुझे पता लगा कि जापानी उस पूरे भूभाग पर कब्जा कर चुके है जहा आज इडोनेशिया है।

भारत छोडने से पहले मुझे पता था कि सुभाष बाबू जमनी गए है। सुमात्रा म मैंने सुना कि वह दक्षिण-पूर्व एशिया म बसे भारतीयो को अग्रेजो के खिलाफ सगठित करने आ रहे हैं। उनके आने से पहले ही आजाद हिन्द फौज गठित हो चुकी थी और इडियन इडिपेंडेंस लीग ऐसे युवको की तलाश म थी जिन्हे प्रशिक्षण देकर भारत मे अग्रजो के खिलाफ प्रतिरोध सगठित करन भेजा जा सके जो विदेशों से मदद प्राप्त करें तथा तालमेल कायम करें। मेरी शिक्षा-दीक्षा और सुभाष बाबू स मेरे मामूली से सपक के कारण बीस युवको के पहले दस्ते म मुझे भारत भेज दिया गया। सितबर 1942 म बर्मा की सीमा पर चिटगाव जिले के टेकनाफ गाव म मैंने प्रवश किया। उसस पहल मेरे कुछ साथी पश्चिमी तट पर पनडुब्बियों से आ चुके थे और कुछ अय इम्फाल के रास्ते देश मे आए थे। जसा कि इन परिस्थितियो मे होता है, उनम से एक गिरफ्तार हो गया और सरकार स जा मिला। पुलिस को मेरे आन का पता चल चुका था इसलिए जब मैं कलकत्त के रास्त म था मुझे पकड लिया गया।

हममे स 19 लोगों को लालकिला दिल्ली मे और मद्रास की कालकोठरिया मे रखा गया। हम पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेडने और शत्रुदूत अधिनियम' के अतगत मुकदमा चला। सशन जज श्री ई० मक न, जो बाद म मद्रास हाईकोट के जज बने फसला सुनाया। कानून की भाषा मे हम सभी अपराधी थ पर शायद जज को 19 नौजवानो को फासी पर लटकाने म हिचक हुई अत चार को फासी दी एक को पाच साल की कद और बाकी को छोड दिया। मैं दिसबर 1945 तक नजरबद रहा।

9 अगस्त 1943, भारत छोडो आदोलन की पहली सालगिरह के दिन, भोर म चार नवयुवक मद्रास म कालकोठरियों से मौत की ओर चल पडे। उन्हे घसीटना नही पडा न रास्ता दिखाना पडा। गव स उनके सिर उठे हुए थ और भारत माता की जय' 'महात्मा गाधी की जय के नारे लगाते हुए वे चले जा रहे थ।

केरल के अब्दुल कादिर बगाल के सतीश वधन, पजाब के फौजा सिंह और केरल के ही आनदन—य चारा जवान गव और बहादुरी के साथ मौत स जा मिले। चलत समय उन्हान हमे साहस रखन और उनपर नाज करन का सदश दिया। जब उनक गले म फन्दा पडा और पैरो के नीचे स कुए का दरवाजा हटाया गया उनके होठों पर ये आखिरी शब्द थे, 'भारत माता की जय'। उस सुबह मैं आसू नही रोक सका, और मौत का डर बिलकुल खत्म हो गया। इन चार साथियो शहीदो की मौत से मुझे विश्वास हो गया कि जीवन का तब तक कोई अथ नही है कोई मूल्य नही है जब तक कि वह सम्मान और सकल्प के साथ न जिया जाए।

तीन साल से अधिक के जेल प्रवास म मेरा मस्तिष्क प्रौढ हुआ, और मेरे सकल्प दढतर। उस समय तक मुझमे जो युवा सुलभ वामपथी रुझान मात्र था, वह अब समाजवाद के प्रति सुचिंतित आस्था म बदल गया। मैंने अपनी आखों काग्रेसी नताओ का असली रूप भी देख लिया। कहते हैं शराब से ढोग की झीनी परत घुल जाती है। उसी तरह जेल मे भी मनुष्य का असली स्वभाव सामने आ जाता है। पहली पात के नेताओ को दखने का अवसर मुझे नही मिला, लेकिन दूसरी पात तो पूरी सामने थी। घणित स्वाथपरता, कमीनापन, बेईमानी, ढोग और निम्नतम प्रवत्तिया सबके सामने उजागर थी। तभी से हमारे आज़ादी के आदोलन के 'महाबलियो' पर स मेरी आस्था उठने लगी। जेल से बाहर आने पर मैं आराम से काग्रेस पार्टी म शामिल हो सकता था। जल्दी ही प्रतिष्ठा और सत्ता के ऊचे पदा पर पहुचने की योग्यता और क्षमता भी मुझमे थी। पर उसका अथ होता अपनी मान्यताओं को एक ध्येय के प्रति समपणभाव को तिलाजलि देना। इसीलिए मैंन कमोबेश स्थाई रूप से विद्राही की भूमिका अपनाई।

इसी मनोदशा म सौभाग्य से मेरी मुलाकात कलकत्ता म डाक्टर राममनोहर लाहिया से हो गई जो अप्रैल 1946 म जेल से छूटे थे। तब स लेकर 1967 मे उनकी मृत्यु तक हमारे बीच एक घनिष्ठ सबध बना और कायम रहा—मेर मन मे उनके लिए श्रद्धा थी, और उनके मन म स्नेह और विश्वास। डाक्टर लोहिया से ही मैंने राजनीतिक सूझबूझ जिज्ञासा और खोजबीन की भावना और बिना समझे-बूझे किसी चीज़ को स्वीकार न करने की आदत सीखी। अन्याय और असत् से लडने की सकल्पशक्ति भी मैंन उन्ही स पाई। गाधीजी क बाद देश मे पैदा हुए वह सबसे बडे राजनीतिक विचारक थ, और उन सबस अधिक मानवीय, जिन्ह मैंने अब तक जाना है या जानूगा।

डाक्टर लोहिया ने ही मुझे जवाहरलाल नेहरू की बेइमानी और छल को समझने लायक बनाया, जिन्ह कि तब तक और उनकी मृत्यु तक भी देश को गौरव दिलान वाले महान पुरुष के रूप म पूजा जाता था। अब जाकर, उन दोनो की मृत्यु

के वरसों वाद आज देश इस मिथक को छोडने को तैयार हो रहा है कि नहरू एक महान जनवादी समाजवादी और मुक्तिदाता थ और देश अब उस व्यक्ति के दभ, क्षुद्रता और कूटनीतिज्ञता को समझने लगा है। नेहरू पूजा के दौर म, जिसम समाजवादी भी शामिल थ अकले लोहिया ने नहरू के रूप म मूत्त बुराई को समझा था। समाजवादी नेतत्व क निचल तवका म जिन कुछ लागा न लोहिया द्वारा किए गए नेहरू तथा उनकी सरकार के मूल्याकन का स्वीकार किया उनम से एक मैं भी था। पहली लोकसभा म दोनो सदनो म अकले मैंने नहरू तथा उनकी नीतियो पर प्रहार किया। मुझ अच्छी तरह याद है कि उनकी विदेशनीति जिस तब चारो ओर स अत्यत नैतिक और प्रभावशाली बताया जा रहा था उस जब मैंने बजर और निरथक निरूपित किया तो सदन म चेहरे देखने लायक थे — और सदस्यो की तिरस्कार भरी चीख पुकार भी।

डॉक्टर लोहिया से ही मैंने गाधीजी की महानता उनका एतिहासिक महत्त्व तथा प्रासगिकता को पुन समझा 1940 म जब भारत क नौजवान सुभाप के व्यक्तित्व से आकृष्ट थ तथा उन्ह काग्रेस स निष्कासित-सा करने के लिए महात्मा को कोस रहे थे मैं भी गाधी को तिलाजलि दे चुका था। लोहिया के कारण ही मैं मार्क्सवाद पर अधविश्वास स बच गया और अविकसित देशों म विकेन्द्रीकरण तथा आत्मनिर्भरता का महत्त्व समझ सका। विदेश नीति क मामल म भी मैंन देखा कि लोहिया की तीसरी दुनिया—तीसरे शिविर की परिकल्पना ही कुछ महत्त्व रखती है। उनके अन्य सभी विचारो की तरह ही पहले तो इसका मजाक उडाया गया फिर उसकी नकल की गई और अतत उसे भोडा बनाकर छोड दिया गया। नेहरू की गुटनिरपेक्षता एक विरूपण मात्र था—निरथक बजर देशहित से रहित।

सोशलिस्ट पार्टी म भी मैं पूरी तरह से लोहिया के साथ था और उनके साथ तत्कालीन राष्ट्रीय नेतत्व की दृष्टि क छिछलेपन पूवग्रह और सिद्धातहीन तिकडमो का भडाफोड करता रहा। 1953 म बतूल म जहा नहरू से गठबधन करने की जे० पी० की नीति एव अशोक मेहता की अविकसित देशो की राज नीतिक विवशताओ वाली थीसिस पर हमल हुए मैं आग आगे था और मुझ पर जिम्मेदार लोहियावादी करार दिया गया। वही से चलकर नागपुर म 1954 म हमने केरल की पट्टम थाणु पिल्ल सरकार की पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने पर उसके इस्तीफे की माग उठाई जिसम कुछ वोटा स हम हार गए और अतत हैदराबाद म 1956 म समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई।

तब तक मैं सक्रिय राजनीति स विदा ले चुका था। 21 वप की आयु से 14 वप तक मैंने कुल मिलाकर बमुश्किल दो साल जीविका अर्जित की होगी। 1954 म जब मैं राज्य सभा से रिटायर हुआ मेरी आर्थिक स्थिति विकट हो

चुकी थी, और एक परिवार का भार मुझ पर था। मैं यह भी बर्दाश्त कर लेता पर जब मैंने देखा कि पार्टी के भीतर लोहियावादी तक, जो सैद्धांतिक रूप से अडिग और जुझारू दीखते हैं अनुशासन या कठोर मेहनत की आदत या क्षमता से सर्वथा वंचित हैं तो मुझे सख्त निराशा और वितृष्णा हुई। सत्ता हथियाने में वे भी प्रसोपा के उन्हीं नेताओं की तरह जल्दबाज समझौते करने को तैयार दीखते थे जो अंततः कांग्रेस की शरण में ऊंचे पदों पर जा बैठे। लोहिया को मेरे निर्णय से दुख हुआ पर उन्होंने मेरी स्थिति को समझा। मुझे इसका अफसोस हमेशा रहेगा कि मैं उनकी स्नेहपूर्ण प्रत्याशा के बावजूद जनता और सोशलिस्ट पार्टी को दृष्टि कर्म तथा उपलब्धियों के पथ पर लाने की—**फावड़ा जेल और वोट की**—संघर्षपूर्ण राजनीति में उनका सहयोग देने वापस नहीं आया।

लोहिया की मृत्यु के बाद, राजनीति में सक्रिय हिस्सा न सही, पर सक्रिय रुचि के लिए भी मुझपर जो थोड़ा-बहुत दबाव था वह भी नहीं रहा। तेजी से मैं ऐशो-आराम और अर्थहीन जीवन की गिरफ्त में फंसता गया। शराब और जुए से मैं अपनी शर्म और ग्लानि छिपाता रहा। अपने पेशे में मुझे जो नेतृत्व की स्थिति मिल गई और देश विदेश में समाचारपत्रों के संचालन-कौशल में जो सम्मान मिला, उसने आत्मा में कभी कभी उठने वाली कसक भी शांत कर दी। और मैं उसी जीवन में बंधा रहा। राजनीतिक समझौतों से विमुख लेकिन निजी समझौतों में लिप्त। शायद कई लोग इस स्थिति को बहुत बड़ी नियामत मानते हैं। अधःपतन अपने लिए बहाना खुद खोज लेता है।

26 जून 1975 ने मेरी और मेरे जीवन की स्वार्थपरता निर्ममता और अर्थहीनता मोड़ दी और समर्पण ध्येय साहस तथा निष्ठा के जीवन में मेरा कायाकल्प कर दिया। मैं श्रीमती गांधी का आभार मानता हूं कि उन्होंने मेरे भीतर वे भावनाएं पुनः जागृत कर दीं जो मुझमें बचपन में ही जाग चुकी थी मगर आगे चलकर खो गई थीं। मैं जार्ज फर्नांडीस का भी आभारी हूं जिन्होंने मुझे आत्मोद्धार का अवसर दिया।

के बरसो बाद आज देश इस मिथक को छोडने को तैयार हो रहा है कि नेहरू एक महान जनवादी समाजवादी और मुक्तिदाता थे और देश अब उस व्यक्ति के दभ क्षुद्रता और कूटनीतिकता को समझने लगा है। नेहरू पूजा के दौर म, जिसम समाजवादी भी शामिल थ अकेले लोहिया ने नेहरू के रूप म मूर्त बुराई को समझा था। समाजवादी नतत्व के निचले तबको म जिन कुछ लोगो ने लोहिया द्वारा किए गए नेहरू तथा उनकी सरकार के मूल्याकन को स्वीकार किया उनम से एक मैं भी था। पहली लोकसभा म दोना सदना म अकेले मैंने नेहरू तथा उनकी नीतियो पर प्रहार किया। मुझ अच्छी तरह याद है कि उनकी विदेशनीति जिस तब चारो ओर से अत्यत नतिक और प्रभावशाली बताया जा रहा था उसे जब मैंने बजर और निरथक निरूपित किया तो सदन म चेहरे देखने लायक थे—और सदस्यो की तिरस्कार भरी चीख पुकार भी।

डाक्टर लोहिया से ही मैंने गाधीजी की महानता उनका ऐतिहासिक महत्त्व तथा प्रासगिकता को पुन समझा 1940 म जब भारत के नौजवान सुभाष के यक्तित्व से आकृष्ट थे तथा उन्ह काग्रेस स निष्कासित-सा करने के लिए महात्मा को कोस रहे थे मैं भी गाधी को तिलाजलि दे चुका था। लोहिया के कारण ही मैं मार्क्सवाद पर अधविश्वास स बच गया और अविकसित देशो म विकेन्द्रीकरण तथा आत्मनिर्भरता का महत्त्व समझ सका। विदेश नीति के मामले म भी मैंने देखा कि लोहिया की तीसरा दुनिया—तीसरे शिविर की परिकल्पना ही कुछ महत्त्व रखती है। उनके अन्य सभी विचारो की तरह ही पहले तो इसका मजाक उडाया गया फिर उसकी नकल की गई और अतत उसे भोडा बनाकर छोड दिया गया। नेहरू की गुटनिरपेक्षता एक विरूपण मात्र था—निरथक बजर देशहित से रहित।

सोशलिस्ट पार्टी म भी मैं पूरी तरह से लोहिया के साथ था और उनके साथ तत्कालीन राष्ट्रीय नेतत्व की दृष्टि के छिछलेपन पूवग्रह और सिद्धातहीन तिकडमो का भडाफोड करता रहा। 1953 म बतूल म जहा नहरू स गठबधन करने की जे० पी० की नीति एव अशोक मेहता की अविकसित देशा की राज नीतिक विवशताओ वाली थीसिस पर हमले हुए मैं आग आगे था और मुझ पर जिम्मेदार लोहियावादी करार दिया गया। वही से चलकर नागपुर म 1954 म हमने केरल की पट्टम थाणु पिल्ल सरकार की पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने पर उसके इस्तीफे की माग उठाइ जिसम कुछ वोटो से हम हार गए और अतत हैदराबाद म, 1956 म समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई।

तब तक मैं सक्रिय राजनीति से विदा ले चुका था। 21 वष की आयु से 14 वष तक मैंने कुल मिलाकर बमुश्किल दो साल जीविका अर्जित की होगी। 1954 म जब मैं राज्य सभा स रिटायर हुआ मेरी आर्थिक स्थिति विकट हो

चुकी थी और एक परिवार का भार मुझ पर था। मैं यह भी बर्दाश्त कर लेता, पर जब मैंने देखा कि पार्टी के भीतर लोहियावादी तत्व, जो सैद्धांतिक रूप से अडिग और जुझारू दीखते हैं अनुशासन या कठोर मेहनत की आदत या क्षमता से सर्वथा वंचित हैं तो मुझे गम्भीर निराशा और वितृष्णा हुई। सत्ता हथियाने में वे भी प्रसोपा के उन्हीं नेताओं की तरह जल्दबाज, समझौते करने को तैयार दीखते थे जो अंततः कांग्रेस की शरण में ऊंचे पदों पर जा बैठे। लोहिया को मेरे निर्णय से दुख हुआ पर उन्होंने मेरी स्थिति को समझा। मुझे इसका अफसोस हमेशा रहेगा कि मैं उनकी स्नेहपूर्ण प्रत्याशा के बावजूद जनता और सोशलिस्ट पार्टी को दृष्टि, कर्म तथा उपलब्धियों के पथ पर लाने की—**फावड़ा जेल और वोट की**—संघर्षपूर्ण राजनीति में उनको सहयोग देने वापस नहीं आया।

लोहिया की मृत्यु के बाद राजनीति में सक्रिय हिस्सा न सही पर सक्रिय रुचि के लिए भी मुझपर जो थोड़ा बहुत दबाव था वह भी नहीं रहा। तेजी से मैं ऐशो-आराम और अर्थहीन जीवन की गिरफ्त में फंसता गया। शराब और जुए से मैं अपनी शर्म और ग्लानि छिपाता रहा। अपने पेशे में मुझे जो नेतृत्व की स्थिति मिल गई और देश विदेश में समाचारपत्रों के संचालन कौशल से जो सम्मान मिला उसने आत्मा में कभी कभी उठने वाली कसक भी शांत कर दी। और मैं उसी जीवन में बंधा रहा। राजनीतिक समझौतों से विमुख लेकिन निजी समझौतों में लिप्त। शायद कई लोग इस स्थिति को बहुत बड़ी नियामत मानते हैं। अधःपतन अपने लिए बहाने खुद खोज देता है!

26 जून 1975 ने मेरी और मेरे जीवन की स्वार्थपरता निर्ममता और अर्थहीनता मोड़ दी और समर्पण ध्येय साहस तथा निष्ठा के जीवन में मेरा कायाकल्प कर दिया। मैं श्रीमती गांधी का आभार मानता हूं कि उन्होंने मेरे भीतर वे भावनाएं पुनः जागृत कर दीं जो मुझमें बचपन में ही जाग चुकी थी मगर आगे चलकर खो गई थी। मैं जार्ज फर्नांडीस का भी आभारी हूं जिन्होंने मुझे आत्मोद्धार का अवसर दिया।

चित्र

अनुक्रम

परिशिष्ट

1
जजीरों में जकड़ा राष्ट्र

26 जून, 1975 को सुबह उठने पर उसी रात और सुबह देश म हुई भयानक घटनाओ की खबरो ने झकझोर दिया। किसी न कल्पना न की थी कि हमारे देश म ऐसी चीजें होगी और हम अपने यहा तानाशाही का दिन देखना पड़ेगा। हम तो इस गुमान म जी रह थे कि हमने आज़ादी की लम्बी लडाई लडी है और सोचत थे कि लोकतान्त्रिक परम्पराओ की जडें हमन बहुत मज़बूत कर दी है इसलिए कोई एक व्यक्ति या समूह देश पर क जा करके जनत त्र नष्ट कर दे यह बिलकुल असम्भव है।

मुझे यकीन नही हो रहा था कि जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, मधु लिमय और अशोक मेहता जसे लोगो को प्रतिपक्ष की समूची नेतत्व मण्डली को, सैकडा छात्रा शिक्षको वकीला का हजारो अ य लोगों के साथ देश भर म गिरफ्तार करके जेला म ठूसा जा सकता है। मुझे यकीन था कि श्रीमती गाधी ने जो कदम उठाया है वह उन्हें नष्ट कर देगा, और जनता तानाशाही के इस नग्न प्रयत्न को चुपचाप बर्दाश्त नही करेगी। नई और पुरानी दिल्ली का चक्कर लगाते हुए मैं आशा कर रहा था कि बस अभी भीड की भीड आएगी, उत्तेजित और क्रुद्ध और उस प्रधानम त्री को हटाकर दम लेगी जिसने जाहिरा तौर पर सिफ अपनी और अपने पद की रक्षा क लिए यह कारवाई की है।

मुझ अपनी आशा पर शक होन लगा जब मैंन पाया कि कही विरोध का कोई निशान नही है सडका पर लोगा के हुजूम तक नही है जो दश पर आई इस विपत्ति पर बहस कर रह हो उत्तेजित हा। कही मैं ही ता मुगालत म नही हू ? यह दिन और दिना जसा ही था। लोग दफ्तर जा रह थे, काम धधे म लगे थे। कारोबार पहल जैसा चल रहा था। मैंने सोचा कि अभी शायद सदमे की हालत है। यो ज्या दिन चढेगा उन लाखा लोगा म से कुछ ता जरूर सगठित होकर इस खुली तानाशाही का विराध करन निकलेंगे जा अभी कल रात हा जे० पी० की सभा म उस प्रधानम त्री को हटाने का सकल्प कर रह थे जिस यायालय ने पदच्युत कर दिया है! दिन ढल गया पर मरी आशा प्रत्याशा धरी रह गइ।

बहरहाल मैं घूमघूमकर किसी एस व्यक्ति की तलाश म लगा रहा जो मेरी तरह विचलित हो और जनता को सघष म प्रवृत्त करन क लिए कुछ करने को तयार हो। चूकि मैं सक्रिय राजनीति से अलग था इसलिए मेरे सपकसूत्र केवल सोशलिस्ट पार्टी और अ य पार्टियों क वरिष्ठ सहयोगियों मे ही थे जो सबके सब पकड और जल म डाले जा चुके थ। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति सूझ नही रहा था

जो मेरे साथ मिलकर कुछ प्रतिरोध सगठित करने को तयार हो। दिल्ली मे जितने लोगो को जानता था उनम से सिफ एक को मैं पा सका जो सरकार की आलोचना मे मुखर और दढ था।

तीसरे पहर मैं उससे सपक साध पाया, वह अपने घर म गहरी नींद सो रहा था! उस भयानक दिन कोई उस जैसा आदमी जिसे मैं प्रबल जुझारू मानता था, सो सकता है यह देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे यह पता लगाते देर नही लगी कि उसका सारा गजन तजन सतह तक सीमित था और वह ज़रा सा भी जोखिम उठाने को तयार न था! वह मुझे उन लोगो से मिलान को भी तयार नही हुआ जो शायद शिकंजे से बच गए हो और प्रतिरोध सगठित करने मे यथा शक्ति लगे हो तथा जिन्ह वह जानता रहा होगा। वह इतना भयभीत था कि मुझ जसे आदमी स बात भी नही करना चाहता था जो कि उस स्थिति को कबूल नही करना चाहता था और कुछ न कुछ करना चाहता था। तो यह हालत थी। उसी की तरह लोग वाग निरे भयभीत थे।

उनम से अधिकाश लोग जो कुछ घण्टे पहले तक बडे बहादुर और दढसकल्प दीख रहे थे श्रीमती गाधी को हटाने की कसम खा रहे थ और आखिरी दम तक सिद्धात पर लडने को आमादा दीखते थे—उनका यह हाल था। यह समझने म मुझे ज्यादा दिन नही लगे कि आतक और भय इतना गहरे पैठ गया है कि जनतत्र को थोडा बहुत वापस लाने के लिए सोचने तक को बहुत कम लाग तयार है। मैंने पाया कि तथाकथित बुद्धिजीवी और राजनेता सबसे ज्यादा डरपोक निकल और व उस स्थिति म रहने को तैयार हैं। जो यह ढोग रच रहे थे कि उनके आत्मा है व खुद को और मुझको अपनी निष्क्रियता के कारण बताने लगे। वे खुद को उस दिन के लिए बचाकर रखना चाहत थ जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। व इतन बेशकीमती थे और देश को उनकी इतनी बडी ज़रूरत थी कि उनका बलिदान मूर्खता होती!

आपातकाल क पहल कुछ दिनो का अनुभव दो तरह से चोट पहुचा रहा था। पहला तो इस बात का सदमा था कि श्रीमती गाधी ने इतनी धष्टता के साथ सारे जनतात्रिक अधिकार खत्म कर दिए और जनता के जीवन और स्वातत्र्य पर अपना निरकुश अधिकार जमा लिया। दूसरा इस बात का कि जनता न इस सबको स्वीकार कर लिया—बिना किसी विरोध क चू तक नही की!

बीस साल पहले मैंने राजनीतिज्ञो खासकर प्रतिपक्ष के राजनीतिज्ञों के तौर तरीको स खिन्न और हताश होकर राजनीति छोडी थी क्योकि व वतमान बुराई के खिलाफ अनवरत लडाई करन के बजाय सिफ वाक युद्ध म तल्लीन दीखते थे। डाक्टर लोहिया की मृत्यु के बाद विपक्षी नेता जिस तरह व्यवहार कर रह थे उस एक बाहरी व्यक्ति के नात देखकर मुझे गुस्सा आता था। मुझे यह कल्पना भी

न थी कि देश म प्रतिपक्ष अपना सारा पौरुष खो चुका है और उसमे अब कोई जान नही है। जे० पी० आन्दोलन से देश की राजनीति म एक नई खूबी पैदा होगी जनता अत्याचार और बुराई के खिलाफ लडन मे अधिक साहस और सकल्प जगाएगी मेरी यह आशा और कल्पना उस समय छिन्न भिन्न हो गई जब मैंने यह देखा कि श्रीमती गाधी की कार्रवाई उन्होंने चुपचाप स्वीकार कर ली है। क्या नेहरू वश के राज ने जनता की, खासकर प्रतिपक्ष की यह गति कर दी थी ?

देश म चाहे जो स्थिति रही हो और तब तक के अगुआ प्रतिपक्षी चाहे जितने कायर निकले हों मैंने तय कर लिया था कि मैं उसे कबूल नही करूगा। मैं इस स्थिति में नही जी सकता था। पर मैंने देखा कि मेरे तो कोई सपर्क ही नहीं हैं और इसलिए कुछ भी महत्त्वपूर्ण काम करना असम्भव है। मैंने तय किया कि अगर मैं कुछ भी न कर सका तो कम से कम जेल जरूर जाऊगा। जेल जाने के लिए कोई बडी कोशिश करनी नही थी। बस, मुह खोलने की देर थी। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा करने का निर्णय नही लिया, क्योकि उससे मुझे क्षणिक मानसिक सन्तोष तो हो जाता पर उसका कोई अर्थ नही निकलता। इस निश्चय म मुझे मेरी पत्नी ने प्रभावित किया जो ऐसे मामलो मे हमेशा सूझ बूझ से काम लेती हैं और जिन्होंने मुझे हडबडी म मूर्खतापूर्ण कदम उठाने से हमेशा रोका है। मेरी मनोदशा पर वह भी स्वभावत व्याकुल थी पर उन्होने मुझे सलाह दी कि मैं मात्र मानसिक सन्तोष की खातिर जेल जाने का विचार छोड दू।

2
भूमिगत संपर्क की शुरुआत

जून के अन्त म मैंन सुना कि जाज फर्नाडीस गिरफ्तारी से बच निकल हैं और भूमिगत होकर काय कर रहे है। पर समस्या थी कि उनस सपक कसे हो। मेरे सपकसूत्र जसाकि मैंने बताया पकड़े जाकर जल म ब द थ। नय लोगो को मैं लगभग नही जानता था। यदि मैं उनक जरिए सपक करना चाहता तो सबसे पहले उन्हे खोजना होता जिनका जाज से सपक था अपना परिचय देना पडता और उन्हे अपनी प्रामाणिकता का विश्वास दिलाना हाता। गुप्तचर सेवा के असख्य लोग जाज क पीछे पड होगे और किसी को क्या पता कि मैं भी उ ही म से एक पुलिस एजेण्ट हू या कोई और। श्रीमती गाधी के असख्य भूतपूव विरोधी राता रात उनके कट्टर समथक बन गए थे और वे आपातकाल के शुरू के दिनो म अपनी वफादारी का सबूत दने की जी तोड कोशिश कर रह थ। उनम ऐसे लागो की भी कमी नही थी जो अपने दोस्ता और सहयोगियो को बेचने तक को तयार थे।

मेरे स्थायी सम्पक, जिन्हे मुझपर भरोसा हो सकता था बगलौर म थे जो मेरी राजनीतिक गतिविधि का के द्र रहा था। जाज न जिनसे सपक किया होगा ऐसे लोगो में वेंकटराम—सोशलिस्ट पार्टी के भूतपूव सयुक्त सचिव और स्नहलता तथा उसके पति पट्टाभि डा० लोहिया के पुराने मित्र की सर्वाधिक सभावना थी।

आपातकाल लागू हाने के कुछ दिन बाद मैं बगलौर जा पहुचा। पर यह यात्रा बेकार गई क्योकि न वकटराम को न पट्टाभि दम्पति को जाज का कोई अता पता था। पर मैं अपना नाम छोड आया और मुझ विश्वास दिलाया गया कि यदि जाज ने सपक किया तो मुझे अवश्य बता दिया जाएगा।

बगलौर स लौटकर मैंने अपने पत्रकार मित्रो के सहयोग स एक भूमिगत समाचार बुलटिन निकालने का प्रयत्न किया। पर एक छापाखाना या कोई और पुनमुद्रण यवस्था की तलाश एक समस्या थी। उससे भी बडी समस्या थी उसके वितरण के लिए किसी सगठन या तरीके की खाज। इन समस्याओ के रहत वह बुलटिन नही निकल पाई। पर जुलाई के पहले हफ्ते म मुझे ऐस लोग मिल गए जो यही करना चाहत थे। उनके लिए मैंने थोडा बहुत लिखा और उनके जरिये तमिलनाडु के द्रविड मुनेत्र कषगम के प्रस्ताव करुणानिधि क भाषण वगरह वितरित कराये तथा इस प्रकार उत्तर के लोगो को दक्षिण की घटनाओ से अवगत कराने का कुछ काम किया।

उन दिनो द्रमुक और उसकी सरकार का दृढ रवया मनोबल को बहुत बढ़ा

रहा था। यद्यपि समाचारपत्रों मे उनके प्रस्ताव या वक्तव्य नहीं छप सकते थे पर द्रमुक हजारो प्रतियां छापता था जो किसी तरह दूसरे राज्यों मे दूर-दूर तक पहुच जाते थे। यह दुर्भाग्य ही है कि द्रमुक के नेताओ से हमारी अनेक मुलाकातो और उनके वादो के बावजूद द्रमुक नेताओ ने तमिलनाडु की जनता को सगठित करने, उसे श्रीमती गाधी के प्रतिरोध के लिए तयार करने के लिए कुछ नही किया। अपने मुख्यमन्त्रित्व के अंतिम दिनो मे करुणानिधि घटनाक्रम को समझने मे बिलकुल नाकाम रहे और जब श्रीमती गाधी ने उन्हे बरखास्त कर दिया तो उन्होंने समर्पण कर दिया—आपातकाल मे एक चतुर राजनीतिज्ञ की मूर्खता और कायरता की ये जबरदस्त मिसालें हैं।

जुलाई के तीसरे सप्ताह मे स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का एक प्रतिनिधिमण्डल रूस से कागज के आयात का सौदा करने मास्को जा रहा था। रूस के साथ व्यापारिक सौदा वार्ता प्राय निरर्थक होती है। पहले मैं ऐसे प्रतिनिधिमण्डलो मे कई बार जा चुका था इसलिए दौरे पर जाने की मेरी कतई इच्छा नही थी और मैंने मनाही कर ही दी होती। पर तभी मैंने सोचा कि विदेशो मे मित्रो से सपर्क करने और विदेशो मे श्रीमती गाधी तथा उनकी तानाशाही के खिलाफ सगठन करने का यह सुनहरी मौका होगा। अत मैंने प्रतिनिधिमण्डल का लाभ उठाया। और जब मास्को मे काम पूरा हो गया तो शेष प्रतिनिधिमण्डल के साथ घर लौटने के बजाय मैं लदन चला गया और वहा से अमरीका जापान तथा दक्षिण पूर्व एशिया होता हुआ दिल्ली आया। इस यात्रा मे मैं अपने साथ जे० पी० का टेप किया हुआ भाषण ले गया जो उन्होंने 25 जून की शाम को रामलीला मदान, दिल्ली मे दिया था। हिन्दी का उनका यह भाषण विदेशो मे कई सभाओ मे सुनाया गया और उसका अग्रेजी अनुवाद भारी सख्या मे बाटा गया। श्रीमती गाधी के एजेण्ट जे० पी० के खिलाफ जो झूठा गदा प्रचार कर रहे थे उसका खण्डन करने मे इससे काफी मदद मिली।

लन्दन मे भारतीय आप्रवासियो का एक दल, जिनमे से अधिकतर समाजवादी थे और जिन्हे मैं बरसो से जानता था फ्री जे० पी० कमिटी (जे० पी० मुक्ति अभियान समिति) के नाम से सगठित होकर सक्रिय थे। यह उत्साहजनक था। कमेटी सारी दुनिया को भारत की घटनाओ से अवगत कराने मे लगी हुई थी। उन्होने भारत के बारे मे समाचार देने तथा उसकी यथासभव अधिक प्रतियां भारत मे चोरी छिपे भिजवाने के लिए एक पत्रिका भी शुरू की थी। स्वराज नामक इस प्रकाशन ने न केवल विदेशो मे, बल्कि भारत मे भी भारतीय घटनाओ के बारे मे व्यापक जानकारी दी। देश मे भयानक सेंसरशिप थी इसलिए स्वराज सूचना सदेश का एक विश्वसनीय वाहक बन गया। भारत मे इसकी 1000 प्रतियां पहुचती होगी, और विदेशो मे भी इसका काफी प्रचार था। मुहजुबानी

बात की रफ्तार तेज और मार दूर दूर तक होती है। मेरे प्रवास के समय फ्री जे० पी० कमिटी टाइम्स (लंदन) में एक पूरे पृष्ठ पर राजनीतिक बंदियों की रिहाई की महत्त्वपूर्ण विश्व-नागरिकों द्वारा अपील का विज्ञापन छपाने की कोशिश में थी। विज्ञापन का खर्च खुद हस्ताक्षरकर्त्ताओं के चंदे से पूरा करना था। अंत में जब 15 अगस्त को वह छह कालम में प्रकाशित हुआ उसमें सारी दुनिया के 700 लोगों के हस्ताक्षर थे। उस सूची में विश्व भर के सभी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के महत्त्वपूर्ण लोगों के नाम मिल जाएंगे खुद ब्रिटेन के 70 संसद सदस्य शामिल थे।

स्वराज के आयोजन और **टाइम्स** में विज्ञापन के प्रकाशन में मैंने भी थोड़ा बहुत योगदान किया। भारत में **स्वराज** मुख्यतः बंद लिफाफों में भेजा जाता था। *हालांकि हवाई डाक का खर्च बहुत अधिक था पर इस तरीके से यह प्रकाशन* काफी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाता था और बहुत समय तक तो यही जानकारी का एकमात्र साधन था। **स्वराज** का प्रकाशन आपातकाल के अंत तक होता रहा। हालांकि यह अपेक्षा के अनुरूप नियमित और तत्पर नहीं हो सका पर इसमें लगे—सभी स्वेच्छा से सक्रिय—लोगों ने उल्लेखनीय काम किया है।

भारत सरकार चाहे जो निराधार और ऊलजलूल प्रचार करती रही हो पर **फ्री जे० पी० कमिटी** को किसी भी संदिग्ध संगठन से कोई पैसा नहीं मिला। प्रायः सारा धन व्यक्तिगत छोटे छोटे चन्दों से जमा होता था। यही कारण है कि कमेटी अपेक्षित मुस्तैदी या कारगर ढंग से काम नहीं कर पाती थी। अपनी यात्रा के दौरान मैंने कमेटी तथा अन्य संगठनों अखबारों और लोगों से सम्पर्क किया।

उन्होंने भारत में भूमिगत आंदोलन की बहुत मदद पहुंचाई और हमारा मनोबल बनाए रखा। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के नेता और भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के भूतपूर्व सदस्य **सहुल होडा** उस कमेटी के सचिव थे और उसकी गतिविधियों के प्रवर्तक और प्राण थे। कमेटी के सक्रिय सदस्यों में मेरे पुराने सोशलिस्ट मित्र एस० के० सक्सेना और धर्मपाल भी थे।

अमरीका में एक और संगठन बन गया था तथा अमरीका में भारतीय दूतावास के सामने कई प्रदर्शन हो चुके थे। इस आयोजन में मुख्य रूप से भारतीय विद्यार्थी शिक्षक और अन्य बुद्धिजीवी पेशों के लोग थे। बाद में ये अधिकांश संगठन इण्डियन फार डेमोक्रेसी के अंतर्गत एक हो गए। ये अखबार भी छापते थे और श्रीमती गांधी की तानाशाही के विरुद्ध कारगर प्रचार करते थे। इन प्रयत्नों में प्रमुख योगदान करनेवालों तथा जिनके साथ हम लोग भारत से संपर्क रखते थे में श्री *कुमार पोद्दार तथा एस० आर० हिरेमठ उल्लेख्य हैं।*

जापान और दक्षिणपूर्व एशिया में ऐसे कोई संगठन नहीं बने थे न ही मैं कोई संगठन बनवा सका। फिर भी मैं समाचारपत्र संस्थानों और सहानुभूतिशील संगठनों से संपर्क करने में सफल रहा जिन्होंने पूरी शक्ति से भारत में तानाशाही

के समथकों के खिलाफ जबदस्त प्रचार अभियान जारी रखा।

अगस्त के मध्य म मैं दुबारा बगलौर गया, जॉज फर्नांडीस से सपक करन, जिनकी गश्ती चिट्ठिया (सकुलर) तब तक बटने लगी थी और मालूम होता था कि सार देश म वह घूम रहे ह। वहा से मैं ऐसी आशा और विश्वास लेकर लौटा कि ज्यो ही जाज दक्षिण पहुचेंगे और ज्यो ही वे मिलेंगे, मुझे सूचना दे दी जाएगी।

22 अगस्त को मुझे वेंकटराम का सन्देश मिला जो तब मद्रास म थे। उन्होंने मुझे 'जल्दी म तय हुई शादी म शामिल होन' का सदेश दिया। मुझे अगले विमान से मद्रास पहुचकर विवाह के इन्तजाम की चौकसी करनी थी।' जॉज फर्नांडीस से मिलने की यह पूवनिर्धारित सकेत भाषा थी। मैं लन्दन की फ्री जे० पी० कमिटी के प्रमुख सदस्य एस० के० सक्सेना के साथ वहा पहुचा जो सयोग से उन दिनो दिल्ली म थे। तब से लगाकर 28 माच, 1976 को मेरी गिरफ्तारी होने तक मैं और जाज लगातार घनिष्ठ सपक म रहे। मैंने इस अवधि मे प्राय सभी विचार विमर्शों म भाग लिया और इन दिनो अमल मे आई सभी योजनाए बनान म योगदान किया।

3
'हटाओ उस औरत को

जाज फर्नांडीस के नेतत्व म हुए भूमिगत आन्दोलन का, जिसम मेरी प्रत्यक्ष भूमिका रही उद्देश्य वही था जो श्रीमती गाधी और उनके छोटे से गिरोह के खिलाफ जारी अय आदोलनो का था। इसका सीधा सा उद्देश्य था इस गिरोह के निरकुश मनमाने सवशक्तिमान और तानाशाही शासन का अत करना। जसा कि जाज कहते थे इसका सिफ एक-सूत्री कायक्रम था हटाओ उस औरत को लेकिन इस आदोलन की भूमिका और दशन अय सगठनों स खासकर लोक सघष समिति से बिल्कुल अलग थ गो कि वे भी उसी उद्देश्य से काम कर रह थ।

जे० पी० द्वारा सगठित लोक सघष समिति म माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा जिसने कि शामिल हुए बिना अपना समथन दिया था विपक्ष की सभी पार्टिया थी। विपक्ष की सभी पार्टियो की प्रथम पक्ति की पूरी नेतत्व मडली और दूसरी पक्ति की भी प्राय समूची नेतत्व मडली के गिरफ्तार हो जाने से समिति काफी कमजोर हो गई थी। सरकार और श्रीमती गाधी सार देश म जिस तरह की जकडन और आतक फलाने म सफल हो गई थी उस कारण भी समिति की गति विधियों म बाधा आती थी। इसके बावजूद समिति सक्रिय थी और उसने योजना बनान एव उनपर अमल करने के लिए कई बठकें की। उसकी मुख्य पनाहगाह गुजरात था जहा काग्रेस विरोधी जनता मोर्चा सत्तारूढ था। तमिलनाडु म द्रमुक की सरकार हाने से वहा भी समिति को काफी समथन तथा निरापद सक्रियता का अवसर मिला। इसकी गतिविधि का केद्र एक समाचार बुलेटिन था जिसम खबरो के अलावा सघष के लिए अपील और प्रतिरोध सगठन के लिए निर्देश छापे जाते थ। 15 अक्टूबर 1975 स जनवरी 1976 के मध्य तक इसने सत्याग्रह आयोजित किया जिसम सारे देश म 30 000 से अधिक लोग सत्याग्रह करके जेल गए।

लकिन जेल जाने के काम से मनोबल को बहुत थोडा सहारा मिलता था तथा सरकार को जरा भी विचलित नही किया जा सका। आन्दोलन के लिए आवश्यक जन आधार नही बन सका। सरकार के लिए किसी तरह की खास समस्या पदा नही हुई। समिति के क्रियाकलाप स वह कारगर ढग से निबट लेती थी, क्योंकि समिति के फसले गुप्त नही रह पाते थ और गतिविधिया तो बिल्कुल भी नही। सत्याग्रही समूह किसी निश्चित जगह पहुचता उससे पहले ही पुलिस उन्हे धर पकडती थी और जो किसी तरह वहा तक पहुच जात उन्हे इतजार करती हुई पुलिस वहा मिलती। नारा लगान या झडा हिलाने का अवसर भी नहा

मिल पाता था।

सत्याग्रह की पुरानी पद्धति की विफलता का कारण यह था कि उसका पर्याप्त प्रचार नहीं हो पाता था। प्रेस पर पूरी सेंसरशिप थी खबरों पर पक्का नियंत्रण था इसलिए समिति का आंदोलन प्राय अनदेखा रह गया। लोग जानते थे कि दसियों हजार लोग जेलों में बंद हैं, पर बहुत नजदीकी रिश्तेदार और दोस्तों के अलावा शायद ही किसी को पता लगता था कि किसने या कितने लोगों ने श्रीमती गांधी की अवज्ञा का साहस दिखाया है। पुलिस किसी प्रदर्शन या विरोध सभा में बबरता बरतती लेकिन किसी को, बगल के मोहल्ले या गली तक को उसका पता न चलता। जहां समाचार का फैलाव नगण्य हो, वहां यह आंदोलन क्या असर करता?

जेलों में एक समय तो डेढ़ लाख से भी अधिक लोग **मीसा या डी०आई०आर०** में नजरबंद थे या फिर ताजीरात हिंद की मनमानी धाराओं के तहत गिरफ्तार थे। अगर हम यह गौर करें कि 1942 के आंदोलन के चरमोत्कर्ष के समय जेलों में सिर्फ 40 000 लोग बंद थे, तो आपातकाल के दौरान उससे कई गुना लोगों की गिरफ्तारी से तो सरकार की जड़ें हिल जानी चाहिए थीं। लेकिन अब इतने सारे लोगों को जेल भेजने में कामयाब आंदोलन भी कोई खास असर नहीं डाल सका।

इन परिस्थितियों में जार्ज और उनके साथियों को किसी ऐसी युक्ति की तलाश थी जो अधिक कारगर हो और जिसकी सफलता की अधिक संभावना हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लोक संघर्ष समिति की नीति या तरीके के विरुद्ध थे। इसके विपरीत, समिति को हमारा पूरा-पूरा समर्थन मिला और हमारा भी प्रयत्न था कि उस आंदोलन में अधिक से अधिक व्यक्ति भाग लें। लेकिन हमने तय किया कि समिति जो कर रही है उसके अलावा हमें कुछ करना, ताकि जनता को अधिक सफलता से जागृत किया जा सके।

हालांकि लोक संघर्ष समिति के और हमारे लक्ष्य एक ही थे अर्थात श्रीमती गांधी तथा उनकी सरकार को जल्दी से जल्दी उलटना, पर हम शुरू से पता था कि सत्याग्रह की पुरानी विधि निहायत निर्मम तानाशाही में सफल नहीं हो सकती। यदि जेलों में बहुत ही बड़ी संख्या में लोग बंद होते तो उसका निश्चय ही असर होता। पर मौजूदा परिस्थितियों में उस काम के लिए लंबा समय, शायद कई बरस लग जाते। और ज्यों-ज्यों बरस बीतते जाते तानाशाह अपनी स्थिति को दृढ़तर करती जाती जिससे उसे उलटना अधिकाधिक कठिन होता जाता। और वैसी स्थिति आ जाने पर शारीरिक रूप से उसे खत्म कर देना ही एकमात्र विकल्प बचता—जो कि अवांछनीय विधि थी। तब हम श्रीमती गांधी को कैसे हटाएं और जनतांत्रिक अधिकार कैसे कायम करें?

हत्या सीधी और आसान है। हरेक तानाशाही राज म इसका इस्तेमाल या प्रयत्न हुआ है। कोई भी एक दृढ़सकल्प दस्ता श्रीमती गाधी को, और उनके साथ साथ उनके उन नजदीकी लोगा को जिन्हें हटाए बिना उस हुकूमत का अत न होता इस दुनिया स रफा कर सकता था। लेकिन हमारी पक्की राय थी कि हत्या समस्या का समाधान नही होगी। उसम किमी व्यक्ति को हटाया जा सकता है लेकिन उस व्यवस्था को नही जिससे कि वह औरत और उसके चद लोगा का गिरोह निरकुश सत्ता हथियाने म कामयाब हुए थे। हत्या से आततायी म भय भी पदा किया जा सकता है पर इसकी कोई गारटी नहीं थी कि तानाशाही किसी अ य रूप म जारी नही रहेगी तथा परवर्ती हुकूमत मौजूदा तानाशाही से भी बदतर व्यवस्था वाली नही होगी। सफल हत्या के बाद सनिक शासन क आ जाने की साफ सभावना दीखती थी। इसलिए हमने इस तरीके को अस्वीकार कर दिया क्योकि हम साफ दीख रहा था कि अपक्षाकृत आसान होने के बावजूद इसस रोग घटने के बजाय बढ़ता ही। कम स कम तानाशाही प्रवत्तियो का थोडे समय के लिए अत हो जाता यह भी इससे सभव नही था।

हत्या को अवाछनीय और अनावश्यक मानने के पीछे हम इसके नतिक पक्ष की भी चिंता था। जॉज और मैं, दानों डाक्टर लोहिया के घनिष्ठ रह हैं। उनसे हमने जो अनेक विचार ग्रहण किए उनम से एक यह भी था—तात्कालिक औचित्य। साध्य के लिए साधन के औचित्य और वधता पर विचार करना यही डाक्टर लोहिया के गढे इस शब्द का अथ था। वह कोई दिखाऊ शाकाहारी या आडबरी गाधीवादी नही थे। फिर भी वह गाधीवादी सिद्धातो के शायद सबसे बडे अनुयायी थे न केवल आस्था रखनेवाले बल्कि उन पर आचरण करने वाले भी। जीवन के प्रति उनका आदरभाव भावुकता के कारण नही सुचिंतित बौद्धिक मा यता के साथ था। वह हत्या से घृणा करते थे—चाहे सरकार करे, या आततायी से लडती जनता। बरसो के साहचय म उन्होने हमारे मन म यह बात बठा दी थी कि हम कभी किसी मानवीय जीवन को समाप्त करने की न सोचें, भले ही वह व्यक्ति दुष्टतम क्या न हो। इसलिए हम केवल कायनीति के लिहाज से हत्या और शारीरिक हमले के विरुद्ध थ ऐसा नही है हम सिद्धातत उसक विरोधी थ।

सबस पहला और आवश्यक काम था जनता क मन से वह भय दूर करना जो उसके मन म सफलतापूवक बठा दिया गया था और जिसस वह पगु हो गई थी। भय दूर करने का सबस अच्छा और कारगर तरीका था सत्ताधारी गिरोह क मन मे भय पदा कर देना। धौंस जमाने वाल दादा लोग आसानी से डर जात हैं, इसलिए तानाशाह और उसके गुर्गे भी अगर जान जाए कि कोई साहसी और सकल्पशील सगठन मौजूद है तो वे भयभीत हो जाएगे। तानाशाही के तिरस्कार

के काम तथा इन कार्यों को समथन जनता की पूरी जानकारी म, उसके सामने प्रदर्शित करना था। ऐसे सभी चमत्कृत करन वाले काम हिंसा की श्रेणी म रखे जा सकत हैं। पर प्रस्तावित कार्यों म न किसी को मारना था, न चोट पहुचानी थी, इन कार्यों से हिंसा विरोधी सवेदना या परपरागत हिंसा विरोध को कोई चोट नही पहुचती। आखिरकार 1942 का आदोलन मुख्यत एक हिंसक आदोलन था। उस आदोलन ने न केवल ब्रिटिश सरकार को विचलित कर दिया था बल्कि जनता म एक नयी स्फूर्ति ला दी थी। वसा ही आन्दोलन सवथा उचित था और उसके तौर-तरीक आपातकाल मे मौजूद स्थिति म उपयुक्त थ।

हमारे आदोलन को शुरू करने और जारी रखन के लिए जरूरी था कि वह कारगर हो और लोकप्रिय भी, उसे न केवल हत्या तथा हमले से दूर रहना था बल्कि आदोलन क निशाने चुनने तथा हिंसा की प्रयोज्य माला के बारे म भी सावधान रहना था। तोडफोड करना एक लक्ष्य निश्चित रूप स था, पर वह ऊलजलूल नही हानी चाहिए उसके कारण जनता पर गभीर दिक्कतें भी नही आनी चाहिए क्योकि उससे वह कारवाई अलोकप्रिय हो जाएगी। माटे तौर पर हमारा उद्देश्य ऐसे खुले काम करने का था जिससे जनता चमत्कृत हो उठे और यह भी स्पष्ट जान ले कि यह भूमिगत आदोलन की करतूत है। यदि रल व्यवस्था भग करनी है तो ऐसे करनी है कि एक भी जान न जाए किसी को चोट न लगे। इस प्रक्रिया म अगर रल क पुल या अन्य सस्थान बारूद से उडान पड़ें या क्षत विक्षत करन पडें तो ऐसी जगहो मे किए जाए जहा लोग खुद दख सकें कि भूमिगत आदोलन ने क्या किया है, और साथ ही कोई मृत्यु भी न हो किसी को चोट न लगे। रेल व्यवस्था म विघ्न डालने के अलावा टलीफोन एक्सचेंज जक्शन बाक्स छाटे बिजली घर तथा ऐसे अन्य निशाने भी तय किए गए थ।

वस्तुत जुलाई 1975 म ही अर्थात् जॉज से मैंन सपक किया उसस एक माह पहले ही, वह तय कर चुके थे कि जबदस्त असर डालन वाला वारदातें डायनामाइट के इस्तमाल से ही हो सकती है। डायनामाइट के इस्तमाल म अगर कोई बहुत बडा विध्वस न करना हो और जो कि हमारी मशा भी नही थी खास हुनर की जरूरत नही हाती। यदि न्यूनतम नुकसान करके अवज्ञा के प्रदशन मात्र करने हैं, तो डायनामाइट के इस्तेमाल म लग लोगा का उसकी सीधी सादी विधि बता देना पर्याप्त है।

पत्थर की खदाना के मालिक सारे देश म डायनामाइट का उपयोग करत हैं और हमारी जरूरत भर का डायनामाइट प्राप्त करना कठिन नही था। गुजरात म एक खदान मालिक स जो अतत हमार मुकदमे म मुखबिर बन गया, हमन काफी माला म डायनामाइट खरीदा। देश क विभिन्न भागो से इस स्टाक म इजाफा करना भी कठिन नहीं रहा। हालाकि हमने बडौदा म खरीद इस माल को अन्य

राज्यो म भिजवाया था पर आगे वह जरूरी नही रह गया, क्योंकि हमने देखा कि अपन कायस्थल के पास ही हम मनचाही मात्रा म यह मिल सक्ता है।

हालाकि बहुत हुनरमदी जरूरी नही थी लक्नि इसका इस्तेमाल करनवालो को थोडा बहुत प्रशिक्षण या कि इसके सुरक्षित तथा कारगर इस्तेमाल के ढग का प्रदशन जरूरी था। पहल कुछ महीनों म बडौदा म तथा आगे देश के अ य भागो म ऐसे प्रदशन आयोजित हुए। जो लाग इसका इस्तेमाल करत उ ह बडौदा या अन्यत्र ले जाया जाता और सही तरीका दिखाया जाता। कुछेक प्रदशनों से सीमित जानकारी दिला देना पर्याप्त साबित हुआ। डायनामाइट लगान के हमारे प्रयत्नों म से बहुत कम बेकार गए। मैं कह सक्ता हू कि 90 प्रतिशत तक हमे सफलता मिली।

बारह महीने जिसम जाज ने भूमिगत काय किया आर उनकी गिरफ्तारी के बाद भी उनकी भूमिगत गतिविधियो के वचारिक आधार तथा तौर तरीको पर गरमागरम बहस चलती रही। सोशलिस्ट पार्टी पर भी जिसक कि वह अध्यक्ष थे यह बहस छा गई। देखने को यह बहस अहिंसा के सिद्धात को लेकर चल रही थी। कुछेक आलोचक ऐसे थे जो ईमानदारी से अहिंसक थे। पर ऐसे लोग अपवाद स्वरूप थ। उनके अधिकाश आलोचक और विरोधी लोग अपनी निष्क्रियता तथा भीरुता छिपाने की खातिर ऊचे ऊचे सिद्धाता की आड ल रहे थे जसा कि अक्सर भारतीय राजनीति म होता है। एक समय ऐसा भी आया कि इस विवाद से सोशलिस्ट पार्टी के विभाजन का खतरा पदा हो गया।

4

भूमिगत आदोलन का गठन

हमारे भूमिगत आदोलन के लक्ष्य मोटे तौर पर तीन थे (1) भारतीय जनता को यह जतलाना कि श्रीमती गाधी का वास्तविक और व्यापक विरोध हो रहा है तथा उसे तानाशाही के खिलाफ सन्नद्ध करना, (2) विदेशो मे व्यक्तियो और सगठनो से निरतर सपर्क बनाए रखना, श्रीमती गाधी पर लगातार आलोचनात्मक प्रहार जारी रखना और व्यक्तियो तथा सगठनो की सहानुभूति हासिल करना और (3) यह प्रमाणित करने के लिए कि श्रीमती गाधी तथा उनकी सरकार को विचलित किए रखने तथा अतत उसे उलटने के उद्देश्य से एक जीवत भूमिगत आन्दोलन जारी है सरकार की अवज्ञा मे जनता को चमत्कृत कर देने वाली कारवाई करना। अतएव आन्दोलन केवल पुलो और अन्य सस्थानो को डायनामाइट से उडा देने तोड फोड करने तक सीमित नही था जसा कि आपात काल मे आम तौर पर माना जाता था और अभी भी काफी लोग यही मानते दीखते है।

जनता को जानकारी देना, खबर देना यह ऐसा काम था जिसका महत्त्व चमत्कारी कृत्यो के आयोजन से भी अधिक था। सेंसर और रखल प्रचारतत्र के जरिए सरकार के तीव्र प्रचार अभियान का मुकाबला करना जरूरी था। लोगों को यह दिखाना था कि श्रीमती गाधी को जो दयालु शासक बताया जा रहा है वह झूठ है उनकी नीयत और दावो का पर्दाफाश करना था। जाज तथा उनके साथी इसी काम मे लग गए इसीलिए शुरू से हम भूमिगत प्रचार साहित्य के प्रकाशन की व्यवस्था पर सोच रहे थे। मुख्यत छपी या साइक्लोस्टाइल की हुई बुलेटिनो के रूप मे यह साहित्य छापा गया। जॉज ने अधिक नियमित रूप से निजी अपीलें और पत्र खद अपने दस्तखतों से भेजना जारी रखा, और इनका प्रसार तथा प्रभाव अधिक व्यापक रहा।

ऐसी साइक्लोस्टाइल की हुई अपीलें और चिट्ठिया देश भर मे एक हजार से अधिक पतो पर तथा मुख्य नगरो मे विश्वसनीय दलो द्वारा व्यापक वितरण के लिए भेजी जाती थी। जनता को मिलने वाली सूचनाओ मे ऐसे पत्र तथा अपीलें जिनमे से अनेक खुद जाज की लिखी होती थी, सबसे अधिक प्रभावशाली भूमिगत सामग्री थी, तथा विदेशो को भी इनसे पता लगा कि यहा एक दृढसकल्प तथा कारगर भूमिगत आदोलन सक्रिय है। पहले ही पत्र का विदेशो मे व्यापक प्रसार हुआ तथा जुलाई 1975 के तीसरे सप्ताह मे टाइम्स (लदन) के पहले पृष्ठ पर वह प्रकाशित हो गया। इन गश्तीपत्रों मे सरकार के इस दावे को खोखला साबित

किया गया कि देश म जन जीवन निर्विघ्न चल रहा है और जनता ने श्रीमती गांधी की तानाशाही को मजूर कर लिया है दूसरी ओर अपीला क माध्यम से जनता को सगठित होने का आह्वान किया जाता था और इस हेतु निश्चित सुझाव दिए जात थ। ये सभी अपील कारगर हुइ इसका प्रमाण यह तथ्य है कि 1975 के अन्त तक ऐसे लोगो स सपर्क करना तथा सहयोग पाना आसान हो गया जो भूमिगत आदोलन म भाग लेन को तयार थे।

हम जानते थ कि विदेशो म हमारे प्रचार का सीमित प्रभाव ही होगा और उसमे अधिकतर मनोबल बढ़ने का ही काम अजाम होगा। फिर भी हमने उस काम म कोताही नही की। विदेशो से हमे जो कुछ समर्थन-सहयोग मिला उसके लिए मुख्य रूप से हमारे द्वारा कुछ सगठनो तथा व्यक्तियो को निरतर सूचना भेजे जाने तथा समर्थन हासिल करन के प्रयत्न ही उत्तरदायी है। 1976 के आरभ म जब सुब्रह्मण्यम स्वामी विदेशो म सक्रिय हुए उसके बाद भी जाज के नेतत्व म जारी भूमिगत आदोलन ही था जो कारगर ढग से विदेशो मे बसे भारतीयो तथा भारतीय स्थिति म रुचि रखने वाले दुनिया के मान्य नागरिको और सगठनो से समर्थन हासिल करता रहा।

आन्दोलन द्वारा प्रकाशित भूमिगत साहित्य बहुत मुस्तद और नियमित तो हो नही सकता था न ही प्रकाशित साहित्य को वितरित करन की कोइ बहुत कारगर व्यवस्था बन पायी पर हमारे द्वारा प्रकाशित बुलेटिनो का काफी प्रचार प्रसार होता था। जेलों म भी वे पहुच जाते थी। नवम्बर 1975 म हम क्रूसेडर नाम से प्रस्तावित पाक्षिक निकालने म कामयाब हो गए। विभिन्न राज्यो म सवाददाता दल बनाना और खबरो को इकट्ठा करके प्रकाशित करन के लिए सपादकीय दल बनान क अलावा एक एस विश्वसनीय छापाखाने की भी समस्या थी जो उसे छापता। भूमिगत होने से इस तरह क काम म जो कठिनाइया आती है और इतने बडे देश म खबरें जुटाने और वितरित करन की जो समस्याए है उन्ह देखते हुए इसम आश्चर्य नही होना चाहिए कि हम इस नियमित और मुस्तद नहा बना सके। इसके बावजूद नवबर 75 और जनवरी 76 क बीच इस पाक्षिक के तीन अक निकले। कहा और कसे यह पत्र प्रकाशित होता था यह बताना मौजूदा परिस्थितियो म भी बुद्धिमानी का काम नही होगा। जहा तक सपादकीय पक्ष का सबध था वह दिल्ली स हो रहा था और मैं खुद उस काम की देखरेख कर रहा था। जाज आल इडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के अध्यक्ष थ अत उनके अनेक विश्वस्त रेलकर्मचारी थ जो इसकी प्रतियो के वितरण म सहयोग देते थे। इस पत्र को डाक स भेजने तथा वितरण करन म सहयोग देन क अलावा इन प्रतिश्रुत रेलकर्मचारियो ने देश भर म सदेशवाहको का भी महत्त्वपूर्ण काम किया है। जनवरी 1976 म पत्र बद हो गया क्योकि देश के कुछ भागो म अचानक

राजनीतिक स्थिति बदल गयी। मुख्य समत आदोलन म शामिल अनेक लोग माच म गिरफ्तार हो गए जिसस पत्र के पुनर्जीवन का सवाल ही खत्म हो गया। लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद हमन देश के भीतर और बाहर अपने सपक बनाए रखे तथा खबरो का आदान प्रदान करत रह।

भूमिगत आन्दोलन के गठन मे कई कठिनाइया आती है जो मुख्यत इस कारण होती है कि गोपनीयता रखते हुए भी सगठन को कारगर बनाना पडता है। य कठिनाइया देश भर म प्राय सभी नात राजनीतिक कायकर्त्ताओ की खासकर सरकार के लिए तकलीफदेह साबित हो सकने वालो की, भारी सख्या म गिरफ्तारी के कारण और भी दुरूह हो गइ। जो लोग किसी तरह इस गिरफ्त से बच निकल थे वे भावी परिणामो स भयभीत थे, अत आदोलन म भर्ती नही होना चाहत थे।

जिस तरह मुझे जाज फर्नांडीस स सपक करने म दो महीने का समय लग गया, उसी तरह गिरफ्तारी स बचे और सघष क इच्छुक इन लोगो स सपक करन मे भी काफी समय लगा। अधिकतर सपक हम व्यक्तिगत सदेशवाहको क जरिए ही कर सके, जो कि एक खर्चीला और समय लेने वाला तरीका था। तिस पर हमे गोपनीयता बरतनी थी तथा सदेशवाहको और सभावित समथको की नक्नीयती की जाच पडताल भी करनी थी जिससे यह काम और भी जटिल हो गया। क्योकि इसकी पूण सभावना थी कि हम जिनस सपक करना चाहते हैं व श्रीमती गाधी के समथक निकल आयें और हमारा भेद खोलने लग। लगभग सभी लोगो ने जिनसे हम सपक करने म कामयाब हुए थे खुद जाज फर्नाडीस से मिलन और उन्ही से निर्देश लने का आग्रह किया। यह बहुत खतरनाक प्रक्रिया थी क्योकि दशभर मे सरकार जॉज फर्नांडीस को सबसे अधिक तलाश कर रही थी।

यद्यपि जॉज ने खुद दूर दूर तक सफर किया था, पर वह भर्ती होन वाले सभी लोगो स नही मिल सकत थे। एक साथ दो या तीन से अधिक लोगो के साथ मुलाकात करन म जोखिम था। सपक करन या सभावित रगरूटो की जाच पडताल करने म बहुत ज्यादा सतकता जरूरी थी पर जरूरत से ज्यादा सतकता का मतलब होता विलब, तथा बहुत ही कम लोग भर्ती किए जा पात। थोडा बहुत जोखिम उठाना ही था और हमारे भूमिगत आदोलन क प्रमुख लोगो स्वय जॉज की गिरफ्तारी म पुलिस सफल हो गई उसका कारण शुरु क चरणो म उठाई गई जोखिम म खोजा जा सकता है। जाज समेत सभी लोग पूण सतकता गोपनीयता तथा इस बात की जरूरत से पूरी तरह आगाह थे कि सपक शृखला की निचली कडिया वही ऊपर तक और खुद जाज तक न पहुच पाए पर कुछ खतरे तो अपरिहाय थ। यदि भूमिगत सगठन क सारे ज्ञात सिद्धातो का पालन किया जाता तो आपातकाल म एलान के बाद तीन महीनो के भीतर जितना बडा सगठन

बन गया वह शायद एक वर्ष म भी न बन पाता। परिस्थितियो की बाध्यता म जिसम कि जल्दी स जल्दी कारवाई की दरकार थी, सारे खतर उठाए गए, ऐस खतरे भी जो अब सोचन पर लगता है कि टाल जा सकते थे।

अपनी पहली सावदेशिक यात्रा म जाज ओडिसा के गोपालपुर-आन सी गाव स रवाना हुए जहा वह 26 जून 1975 की सुबह ठहरे हुए थ और वहा स चलकर कलकत्ता पटना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान के कुछ हिस्सो म होत हुए गुजरात म अहमदाबाद तथा बडोदा पहुचे। इस यात्रा म वह एसे विश्वसनीय लोगो से सपक करते गए जो कि भूमिगत आदोलन क लिए अ य लोगो का पता लगाकर उ हे भर्ती कर सकत थे। गुप्तचर सवा यदि चाहती तो उनके यात्रापथ का आसानी स पीछा कर सकती थी पर जाज का सौभाग्य था कि तब तक विभि न राज्यो म केवल पुलिस को सतक किया गया था और उनम आपस म कोई तालमेल नही था।

बबई म जाज आसानी स सपक और भर्ती कर सकते थे पर बबई म उनका खुद जाना बहुत खतरनाक होता क्योकि वह तुरत प्रचारित हो जाता जहा उ ह बहुत लाग जानते और पहचानत हैं। भूमिगत कारवाई के पूरे एक वष म वह बबई सिफ दो बार गए।

अगस्त के तीसरे हफ्ते म वह बडौदा से हैदराबाद और बगलौर होत हुए मद्रास पहुचे। मद्रास तथा पूरा तमिलनाडु यो तो सुरक्षित माना जा सकता था पर खतरा यह था कि उनका अपहरण करके कर्नाटक या आध्रप्रदेश ले जाया जा सकता था जहा राज्य सरकारें उ ह कोई सरक्षण नही देती। इसलिए तमिलनाडु म भी उनकी गतिविधिया उतनी ही गोपनीय रखनी थी जितनी कि अ य स्थानो पर।

दक्षिण म हमारे दो सबस महत्वपूण सपकसूत्र बगलौर म स्नेहलता रेड्डी तथा उनका परिवार और मद्रास म एम० एम० अप्पाराव तथा उनकी बेटी अमुक्ता थी।

मैं जित ी महिलाओ स मिला हू या कभी मिलूगा उनम स्नेहा सबसे निष्ठावान ईमानदार और स्नेहमयी स्त्रियो म से एक थी। वह जनतत्र और समाजवाद क प्रति प्रतिबद्ध भी थी और उनकी मानवीयता उनके आराध्य डाक्टर लोहिया जसी गहन थी। रगमच काव्य और कलाओ म उनकी गहरी रुचि थी सौम्य और गभीर पट्टाभि उनके पति तेलुगु कवि और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है। उनकी फिल्म सस्कार को जिसम खुद स्नेहा न अभिनय किया है अतर्राष्टीय ख्याति मिली थी। उनकी पुत्री नदना म मा बाप क सारे गुण है और शिशु अवस्था म ही उसकी काव्यात्मक रुझान प्रकट हो गई थी। आज वह फिल्म जगत म एक व्यस्त और कुशल पदाधिकारी है।

पट्टाभि परिवार राजनीति म कभी सक्रिय नही रहा, लेकिन हमेशा समाजवाद

के लिए प्रतिश्रुत रहा है। डॉक्टर लाहिया से उन्हे गहरा लगाव था और उन्हे इस परिवार से असीम स्नेह था। पट्टाभि और स्नेहा को मैं तीस बरस से जानता हू और जाज छठे दशक के अत म सोशलिस्ट के रूप म प्रसिद्ध होन के समय से उन्हे जानते हैं।

अत इसम आश्चय नही कि 26 जून 1975 तथा बाद की घटनाओ स पट्टाभि परिवार को गहरा सदमा लगा और परिणाम की चिंता किए बगैर उन्होने श्रीमती गाधी क खिलाफ लडने का व्रत ल लिया। अगस्त 75 म जब जाज गुप्तरूप से बगलौर पहुच तो उन्होन पट्टाभि परिवार से ही सपक किया। भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के भूतपूव सयुक्त सचिव वेंकटराम के साथ साथ वे बगलौर मे जाज के भूमिगत आदोलन क प्रमुख सपकसूत्र थे। अक्तूबर मे वेंकटराम के गिरफ्तार हो जान पर स्नेहा को दक्षिण म हमारी गतिविधियों की देखरेख तथा खबर दन का काम सौंपा गया तथा उन्हे हम लोग देश विदेश म अपनी गतिविधियो से निरतर अवगत करात रहत थे। उन्होने दक्षिण म हुइ सभी गुप्त बठको म भाग लिया और उन्हे हमारी सारी योजनाए मालूम थी। उनकी पुत्री नदना ने एक युवादल सगठित किया जिसन कर्नाटक म अनक कारवाइया की।

जब 1 मई 1976 को स्नेहा को पकड लिया गया पुलिस का यह सदह जायज था कि उसका भूमिगत आदोलन म गहरा हाथ है पर पुलिस पट्टाभि तथा नदना की भूमिका से अपरिचित प्रतीत होती है। स्नेहा न पुलिस दबाव के बावजूद असीम साहस और वफादारी दिखाई। उनसे पुलिस को कुछ भी मालूम न हो सका, और उन्होने उन सकडो लागो का सुराग न लगन दिया जो उनके कारण पकडे जा सकते थे। शायद यही कारण है कि पुलिस न बदले की भावना स उनस अत्यत अमानवीय बर्ताव किया जिससे अतत वह मौत की शिकार हुइ। उनका जीवन उदारता निष्ठा और अनोख साहस स भरपूर था। पट्टाभि, नदना, बटे कोणाक और सैकडो मित्रों को अपने स्नेह, प्रेम और औदाय स वचित कर वह शहीद हो गइ।

एम० एस० अप्पाराव 1942 म एक अग्रणा छात्र नेता थे और आज़ादी के बाद से वह सोशलिस्ट रह है। गहरी प्रतिबद्धता होत हुए भी उन्होने कभी पद या प्रतिष्ठा की कामना नही की। वह उन दुलभ निष्ठावान उदार, विनम्र लोगो मे से है जिनसे हमेशा सहायता और सहयोग की आशा की जा सकती है। जब कभी सकट आए वे उन लोगो म स हैं जो साहस और सकल्प क साथ आग आत रह हैं। जाज को यह पता था और इसलिए अगस्त 75 म मद्रास पहुचत ही वह सीधे उनके यहा पहुचे। तभी से एम० एस० हमारे लिए शक्तिस्रोत हो गए और उनके यहा हम बेहिचक किसी को भी छिपा सकत थे, सपक कर सकत थ तथा दक्षिण म कायक्रम सुचारु रूप से आगे बढेगा यह भरोसा रख सकत थे। उन्हे जो भी

काम सौंपा गया उन्होंने स्वीकार किया। उनकी बेटी अमुक्ता एक अमूल्य सपर्क सूत्र थी और उसने प्रतिबद्ध नौजवानों का एक दल बनाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। दोनों ही गिरफ्तार हुए और एम० एम० को जनवरी 77 तक नज़रबंद रखा गया। पर पुलिस ने उन्हें हमारे साथ षडयंत्र में क्यों नहीं शामिल किया यह रहस्य ही है।

5
बहुरूपिया जॉर्ज

26 जून, 1975 को गोपालपुर-आन सी मे गिरफ्तारी से बचकर निकलने के साथ ही जार्ज ने दाढी बढाना शुरू कर दिया। उनकी खुशकिस्मती कि दाढी बढती भी तेजी से थी जिससे दो माह से कम वक्त म उनका चेहरा बदल गया। उससे भी बडी खुशकिस्मती यह कि दाढी म पके बाल काफी निकल आए जिससे वह अपनी उम्र से अधिक के दीखने लगे। चश्मे का फ्रेम बदलकर उन्होने एक अत्याधुनिक बडा धातु का फ्रेम ले लिया। दाढी और चश्मे ने उनका रूप रग इस कदर बदल दिया था कि पुलिस से बचकर निकलने के दो माह बाद, अगस्त 1975 म जब मैंने उन्हे देखा, तो मैं भी न पहचान पाता अगर उस दिन उनसे मिलना निश्चित न रहा होता।

जो लोग उन्हे अच्छी तरह जानते थे और उनके सान्निध्य म काम करने का दावा करते थे वे भी उन्हे इस छद्मवेश म पहचान नही सकते थे। नवम्बर म मैंने एक वरिष्ठ तथा सहानुभूतिशील वकील के साथ जॉर्ज की मुलाकात का प्रबन्ध किया। वह मुलाकात उस प्रसिद्ध वकील के कनिष्ठ सहयोगी के घर हुई। कनिष्ठ वकील को पता था कि बैठक गोपनीय है और उसका सम्बन्ध प्रतिरोध से सबधित योजनाओं से है लेकिन तब भी बैठक खत्म होने के बाद उस कनिष्ठ वकील ने यह कहकर अपना परिचय दिया कि वह सोशलिस्ट पार्टी म काम कर चुका है तथा जार्ज को अच्छी तरह जानता है। और यह कहते समय जार्ज उसकी बगल मे बैठे थे! इससे मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मैं कुर्सी से गिरते गिरते बचा—जरा सी चूक होती और मैं भेद खोल चुका होता!

तो अगस्त मे उनकी दाढी इतनी बढ चुकी थी कि वह सिख बनकर घूम सकते थे। नवम्बर महीने तक जब वह सूट पहने सिख के रूप म आते, तो खास जगह तलाश करने आया व्यक्ति भी उन्हे नही पहचान सकता था। सिख का बाना धारण करना आसान था सिवाय एक पगडी के जो कि उनके लिए बनवानी पडती थी। वेशभूषा की यह चीज इतनी अहम थी कि उसे ठीक हालत म रखने के लिए खास इतजाम करना पडता था। हम कोई बार बार अपने सिख दोस्तो से यह तो नही कह सकते थे कि हम नाटक के लिए एक पगडी बना दीजिए। हमने एक विनेप हैट बाक्स खरीदकर उसम पगडी रखी।

सिख के इसी छद्मवेश म वह एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। सन्देह से बचने के लिए वह लगभग हमेशा किसी महिला के साथ यात्रा करते थे। छद्मभूषा पहनने और उतारने का काम वहा नही किया जाता जहा वह ठहरे होते या ठहरने

जा रहे होत। शायद यह बात बहुत सीधी सी जान पड़े लेकिन इसे अंजाम देना बड़ा पेचीदा काम था क्योंकि उनकी छद्मभूषा—पगड़ी कभी दाढ़ी की जाली और कड़ा—को छिपाना एक समस्या होती थी। उनके साथ यात्रा करने वाला को छोड़ कर शायद ही किसीको पता रहा हो कि वह किस रूप म यात्रा करते थे और यही शायद कारण है कि अब तक गुप्तचर विभाग के लोग यह भी तय नहीं कर सके कि वह कैसे और किस रूप में सफर करते हैं। उनको घूम फिर कर यात्रा करनी पड़ती था। वह शायद कभी भी निश्चित गंतव्य की ओर सीधे विमान से या मोटर से नहीं गए।

जाज जब एक शहर से दूसरे म जाते तभी सिख का बाना पहनते। शहर के भीतर वह भगवा कुर्ता और लुंगी पहनकर साधु के रूप म घूमते रहते। उस समय उनकी दाढ़ी बिखरी हुई और राजपूतों जैसी फावड़े-सी चौड़ी ठोडी के पास बीचो बीच बटी हुई होती। सिख वेश के बारे म बहुत कम लोगों को पता था। हवाई अड्डा पर उनकी अगवानी उस नगर म हमारा परम विश्वस्त व्यक्ति करता था और वहां से उन्हें ऐसी जगह ले जाया जाता जहां वह कुर्ता लुंगी पहन लेते और सिख के सारे श्रृंगार हटा देते। ठहरने की जगह पर साधु के वेश म आने से पहले उन्हें अपने बालों और दाढ़ी में बाल चिपकाने वाली गोंद धोकर साफ करनी पड़ती। इस तरीके से उनका यात्री छद्मरूप लगभग अंतिम क्षण तक गुप्त रहा आया। पुलिस साधु पादरी या अधिकतर किसी दाढ़ीदार आदमी की तलाश म भटकती रह जाती थी। रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर जो लोग ऐसे किसी व्यक्ति के दिखाई देने की बात कहते उनपर पुलिस नजर रखती और पूछताछ करती। लेकिन सिख जाज पर किसीको कभी कोई संदेह नहीं हुआ।

यह तरीका बिलकुल सुरक्षित था लेकिन कभी कभी कठिनाइयां आ जाती थीं। एक बार मद्रास म उनके छद्मवेश का साज सामान इतनी गोपनीयता से रख दिया गया कि आखिरी क्षण तक वह नहीं मिला! और जब मिला भी, तब भी हम बाल चिपकाने की गोंद (जो मद्रास म यों भी दुलभ है) तथा लोहे का कड़ा खरीदकर मंगाना पड़ा।

हमारी अपनी गुप्तचर सेवा की खूबी इस तथ्य से परखी जा सकती है कि हमने कितने ही खतरे उठाए लेकिन जाज के पकड़े जाने का अंदेशा कभी नहीं पैदा हुआ। बंगलौर म एक बार वह एक दोस्त की कम्पनी के गेस्ट हाउस म ठहरे हुए थे। जब वह नाश्ता कर रहे थे तभी एक बहुत बड़े दस्ते ने वहां छापा मारकर हर चीज उलट पुलटकर देखना शुरू कर दिया। जब यह सब हो रहा था जाज मजे से अपना टोस्ट कुतरते रहे और तमाशा देखते रहे! उस समय जो मित्र उनसे मिलने आए थे जान बचाकर भागे क्योंकि बाहर पुलिस की जीपों और ट्रकों का काफिला खड़ा था। बाद म पता लगा कि सेल्स टैक्स विभाग के लोगों ने छापा

मारा था क्योंकि उन्हें एक प्रतिद्वन्द्वी कम्पनी ने इशारा दिया था ।

व्यग्रता और भय के भी अनेक क्षण आए। एक बार वह कलकत्ता से आ रहे थे और मुझे उन्हें लिवाने के लिए पालम हवाई अड्डे जाना था। यह तय हुआ था कि ज्योंही हम एक दूसरे को देखें, मैं आगन्तुक यात्रियों के लाउंज से चलकर कार पार्क चला जाऊं, और कुछ दूरी पर जार्ज मेरे पीछे-पीछे वहां तक आएं। इस दफा जार्ज के पीछे कोई और भी आ रहा था और ज्योंही हमने कार स्टार्ट की वह भी एक दूसरी कार में हमारे पीछे पीछे आ गया। बस ते बिहार तक वह हमारे पीछे लगा रहा। ज्योंही मैं जॉर्ज से यह कहने को था कि वे कार से कूदकर अपना रास्ता नापें त्योंही पीछे वाली कार मोती बाग की तरफ मुड़ गई—स्टीयरिंग व्हील पर मेरे हाथ पसीज रहे थे।

सबसे भयानक अनुभव हमें तब हुआ जब जार्ज स्नेहा पट्टाभि और मैं अनंतपुर से बंगलौर लौट रहे थे जहां हम दक्षिण में प्रतिरोध आन्दोलन की अगुवाई के लिए संजीव रेड्डी को राजी कराने गए हुए थे।

1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में और 1971 में लोकसभा चुनाव में हार जाने के बाद संजीव रेड्डी ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी थी और वह सारा समय खेती-बाड़ी में लगा रहे थे। लेकिन ज्योंही आपातकाल की घोषणा हुई वह मानो एक नये जोश के साथ मैदान में कूद पड़े। प्रमुख राजनीतिज्ञों में वही अकेले थे जिन्होंने आन्ध्रप्रदेश में घूमकर प्रतिरोध संगठित करने की कोशिश की। सरकार ने उन्हें सभा करने से रोककर उन्हें निष्प्रभाव कर दिया। जब भी वह सभा करने पहुंचते उन्हें पुलिस के पहरे में वापस घर पहुंचा दिया जाता। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया पर जो लोग सभा आयोजित करते उन्हें पकड़ लिया जाता। अक्तूबर 1975 में जब हम उनसे मिलने पहुंचे वह तिलमिला रहे थे। जार्ज का विचार था कि दक्षिण में प्रतिरोध के संगठन और नेतृत्व के लिए वह सबसे स्वीकार्य व्यक्ति होंगे।

हमने हर तरह की सावधानी बरती। पट्टाभि स्नेहा और मुझपर तब तक सन्देह नहीं किया जाता था। अनंतपुर और बंगलौर के बीच सड़क पर भारी आवाजाही होती रहती थी। अनंतपुर पहुंचते ही पट्टाभि और मैं संजीव रेड्डी से मिलने तथा यह पता लगाने चल गए कि वह जार्ज से मिलने को तैयार है या नहीं। वह तैयार थे और उन्होंने कहा कि आधा घंटे में वह हमारे डेरे पर आ जाएंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि उस समय उनपर निगरानी नहीं है और हमें भी यकीन हो गया कि हमारा पीछा नहीं हो रहा है। जार्ज और संजीव रेड्डी की मुलाकात निर्विघ्न संपन्न हो गई हालांकि बरामदे से मैं सतर्क निगाह रखे हुए था और सड़क पर हर हरकत संदेह से देख रहा था। आशा के अनुसार संजीव रेड्डी सक्रिय नेतृत्व के लिए तैयार थे और उन्होंने मद्रास आने का वादा किया, जहां वह दक्षिण के प्रमुख लोगों की बैठक कराना चाहते थे। दरअसल वह प्रस्तावित

भटक हो नहीं सकी जिसका कारण करुणानिधि का ढुलमुलपन था।

हमारी बंगलौर वापसी निर्विघ्न थी लेकिन बंगलौर की बाहरी सीमा पर पहुंचने पर हमने कारों का एक लम्बा काफिला देखा। पुलिस हरेक गाड़ी और उसके यात्रियों की जांच पड़ताल कर रही थी। हमें लगा मानो हम जाल में फंस गए हैं। क्या उन्होंने अनन्तपुर में जॉर्ज को पहचान लिया था? या कि उन्होंने सजीव रेड्डी को हमारे यहां आना देख लिया था और सोच लिया था कि हम वहां से निकल आए? उनका जो भी विचार या योजना रही हो, अब बचने का कोई रास्ता नहीं दीखता था क्योंकि चारों तरफ पुलिस ही पुलिस थी। हम इंतजार करते रहे और अपने अपने जवाब सोचने लगे। पट्टाभि स्नेहा और मेरा अनन्तपुर जाना बिलकुल स्वाभाविक था। वहां रेड्डी परिवारों की भरमार है जिनमें से आधे हमारे ही रिश्तेदार होंगे। क्या हम जॉर्ज को अपने परिवार के स्वामी जी बताकर बच सकते हैं? लेकिन वह तो जॉर्ज को स्वामी जी के रूप में ही खोज रहे होंगे! उनके बारे में तब हम क्या कहें?

एक एक मिनट सांसत में बीत रहा था तभी ऐंटी-क्लाइमेक्स आ गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने हमपर पूरी नजर डाले बिना ही आगे बढ़ने का संकेत दे दिया। शायद वे किसी तस्कर या जाने-माने अपराधी की तलाश में थे!

जॉर्ज के कई मेजबान ऐसे थे जिन्हें यह पता नहीं चला कि वह कौन हैं। जॉर्ज जहां ठहरते वहां आने वाले लोग और नौकर उन्हें साधु समझते थे उनमें से कुछेक ने जरूर सोचा होगा कि यह भी कोई ढोंगी साधु ही है! कई बार बड़ी अटपटी हालत हो जाती। मैंने मद्रास के एक दोस्त से नगर के एकांत में उसका गेस्ट हाउस उधार मांगा। ऐसे स्थान प्रायः मौजमस्ती के काम आते हैं और मेरे दोस्त ने भी सोचा कि मैंने कोई चिड़िया फंसा ली है और मस्ती में हूं। चूंकि वह अच्छा मेजबान था इसलिए एक दिन वहां यह देखने भी आ गया कि सुविधाएं पूरी हैं या नहीं और उसने देखा कि बेडरूम में एक आकर्षक महिला फुर्ती से चली जा रही है! उसे पता नहीं था न ही वह मानने को तैयार हुआ कि जॉर्ज की यात्रा को स्वाभाविक दिखाने के लिए ही वह उनके साथ साथ आई है। जब मैं जेल से छूटकर आया तब जाकर उसने मेरे किस्से पर विश्वास किया।

जॉर्ज कई बार मेरे घर रात्रिभोज या काफी पर लोगों से मिलने आते थे। वे अवसर प्रायः उत्सव जैसे स्वाभाविक मेलजोल के अवसर मालूम होते थे पर मेरे यहां एक चालाक नौकर था जो घर में होनेवाली हर बात पर नजर रखता था। जब बड़ौदा में गिरफ्तारियां हुईं तो मैंने उसे बंगलौर में एक अच्छी सी नौकरी पर भेज दिया। पर पुलिस ने वहां जाकर उसका पता लगा लिया और यदि उससे कोई नयी जानकारी न भी मिली हो तो उन्हें जितना पता था उसकी पुष्टि शायद उसने कर दी।

इसी दौर मे जार्ज या भूमिगत आदोलन के अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तियो की जिनके पीछे पुलिस पडी थी, बैठक ऐसे स्थानो पर और समय पर करानी होती थी जो सुरक्षित हो। यह हमेशा आसान नही होता था। अनुभव से हमने जाना कि पार्क या सडक किनारे जैसे स्थान सबसे सुरक्षित होते हैं। तरीका यह था कि मिलने आनेवाले व्यक्ति को नियत समय और स्थान बता दिया जाता था। उसे वहा से कार मे बैठाकर एक अन्य जगह ले जाया जाता, जहा से फिर कोई आदमी उसे दूसरी जगह ले जाता, और अगर वह व्यक्ति शहर मे अजनबी होता तो उसे गलियो और आडे टेढे रास्तो से जार्ज के पास पहुचाया जाता। कई बार हमने देखा कि सबसे बेलौस तरीका ही सबसे सुरक्षित भी है। मैं जार्ज को सीधे ही सम्बद्ध व्यक्ति के यहा ले गया या सपर्कसूत्र को बताए बिना कि हम कहा जा रहे है उसे ले जाकर जार्ज के पास खडा कर दिया। पर ऐसे मौको पर भी सतर्क रहना पडता था। इन सतर्कताओं का नतीजा यह होता था कि आवश्यक सख्या मे मुलाकातें नही हो पाती थी और बिलकुल निश्चित कार्यक्रम नही बनाया जा सकता था। कभी-कभी कुछ नगरो मे आमन्त्रित लोगो को जार्ज से मिलने के लिए दो-दो तीन-तीन दिन इतजार करना पडता था, या फिर उन्हे बिना मिले ही लौटा देना पडता था। फिर भी जार्ज प्राय उन सभी से मिलने मे कामयाब रहे जिनसे वह मिलना चाहते थे भले ही पूर्वनिर्धारित दिन या निर्धारित नगरो मे मुलाकात सभव न हुई हो।

इन परिस्थितियो मे जार्ज या उनका कोई भी महत्त्वपूर्ण सहयोगी औपचारिक बैठको मे शामिल नही हो सकता था। इस रुकावट को दूर करने के लिए अलग से उन्हे लोगो से मिलवाया जाता था। ये मुलाकातें प्राय औपचारिक बैठको के स्थान से दूर किसी अन्य जगह होती या फिर उसी शहर मे कही दूर स्थान पर। उदाहरण के लिए हम लोगो ने लोक सघर्ष समिति के सभी सदस्यो से बैठक के दौरान तथा बाद मे मुलाकात कर ली जो अहमदाबाद मे अक्तूबर 1975 मे एक बैठक मे आए थे। कोयम्बटूर मे सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसके सदस्य उनसे मद्रास जाकर मिल लिए।

हम यात्रा मे सुरक्षा और गोपनीयता का तो पूरा ध्यान रखना ही था उनके साथ जाने और ठहरने के लिए कम से कम दो लोग जरूरी थे। अकेले उन्होने शायद ही कभी सफर किया हो। ऐसे अवसरो पर हमेशा यह भय बना रहता था कि उनके बगल मे कोई सरदार आकर बैठ जाएगा और पजाबी मे बात छेड देगा, जबकि जार्ज पजाबी मे एक शब्द भी नही बोल सकते। यात्रा मे एक साथी रखने के अलावा उनके साथ भी एक दो लोग ठहरें यह जरूरी था। यह न केवल उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता था बल्कि सदेश लाने-ले जाने के लिए भी जरूरी था। जार्ज खुद किसी से सपर्क करे यह अस्वाभाविक होता। एक साल के भूमिगत

निवास म जाज ने एक बार भी फोन पर बात नही की। उनकी तस्वीर भी नहा खीचन दी गई। कई विदेशी पत्रकार निराश लौट गए पर व जाज की छद्म वेश भूषा और तौर-तरीकों की गोपनीयता का महत्त्व समझते थे।

यात्रा म और ठहरने के स्थान पर साथियों का होना जरूरी था, जोकि महगा और मुश्किल काम था। पर ये खच अपरिहाय थ। उनक अपन खर्चों क अलावा उनके सदेशवाहक या सामानवाहक लोगों का भी साथियो क साथ चलना जरूरी था। अगर भूमिगत का कोई बजट होता है तो हमारे बजट म लोगों और चीजों क आन-जान पर भारी खच उठाना पड़ता था।

मुझ जस लोगो के लिए जो भूमिगत काम तो कर रहे थे पर ऊपरी तौर स सामान्य जीवन बिता रहे थे एसी सावधानियाँ आवश्यक थीं। मेरा मामला अपन आप म अनोखा था क्योंकि राजनीति छोडन क बाद के 20 वर्षों की मेरी जीवन शैली न मुझे पक्का आवरणछन्न दे रखा था। मेरे कई घनिष्ठ मित्र आपात स्थिति तथा तानाशाही के बारे म मेरे विचार जरूर जानते थ पर एकाध को ही हल्का सा आभास था कि मैं क्या कर रहा हूं। किसीको रत्तीभर भी स न्देह नही था कि मेरा जाज फर्नांडीस स सम्पक है जिसक पीछे सरकार हाथ धोकर पड़ी है। मेरी स्वतंत्र जिन्दगी न मुझे कवच द रखा था।

चूंकि हिन्दू दनिक स मेरा सम्पक रहा था और अखबारी दुनिया म मैं जाना माना था इसलिए सरकार क उच्चतम हलको म मेरे सपक थ। आपातस्थिति क दौरान उच्चपदस्थ अधिकारियों से मुलाकात और बातचीत स हम बहुत मूल्यवान सूचनाएं मिल जाती थी। मुझ तानाशाही की अन्दरूनी कायविधि की जानकारी मिल जाती थी और किस समय कौन डिक्टेटर के नजदीक है यह पता लग जाता था। प्रतिबंधित विदेशी पत्र-पत्रिकाएं मुझ मिल जाती थी जिनस दुनिया की राय का झुकाव किस ओर है यह मालूम हो जाता था। समाचारपत्रों क संवाददाताओं से भी खबरें मिलती थी पर वे हमेशा विश्वसनीय नहीं होती थी, लेकिन कई स्रोतो की खबरो का मिलान करने पर हम तानाशाही की अन्दरूनी हरकतों का काफी सही सही अन्दाजा हो जाता था।

सामान्य खबरो क अलावा मुझ यह पता लगाने की व्यग्रता रहती थी कि गुप्तचर विभाग जाज को पकड़ने क लिए क्या चाल चल रहा है। यह जानकर सहसा विश्वास नही होता था कि उनके पास कोई सुराग तक नहीं है न ही जाल फलाने का कोई तरीका उन्हें सूझ रहा है। 1975 क अन्तिम दिनो म खुद श्रीमती गांधी ने पुलिस को फटकारा। जब उन्ह कोई सुराग नही मिला तो उन्होंने यह किस्सा फला दिया कि जाज देश छोड़कर भाग गए हैं। ऊंचे पुलिस अफसरों क मुह स यह सुनना कि वह नेपाल पश्चिम जमनी या पाकिस्तान म देख गए हैं काफी मनोरंजक था। इस खबर को निर्विकार भाव स सुन पाना मुझे बहुत कठिन

लगता था क्योंकि शायद घंटे भर पहले मैंने जार्ज को देखा हुआ होता था। इनमें से कई अफसर मेरे भले के लिए चिंतित थे, और मुझे चेतावनी देते थे कि मैं जार्ज से कोई वास्ता न रखूं। मैं हमेशा यही जवाब देता कि मैं तो 20 साल पहले राजनीति छोड़ चुका हूं और जार्ज को तो मैं एक दुस्साहसी समझता हूं। विदेश से लौटते समय हर बार मैं तोकियो में अपने एक दोस्त के माफत पता लगा लेता था कि कहीं सरकार को विदेशों में मेरी हरकतों का कोई आभास तो नहीं है।

मेरी एक कसौटी मुरहरि थे उस समय राज्य सभा के उपसभापति, भूतपूर्व समाजवादी जो भगोड़े बने तो इतने कि श्रीमती गांधी के प्रवक्ता बन गए। वह अपने को श्रीमती गांधी का विश्वासपात्र भी बताते थे। मैं अक्सर उनके यहां चला जाता और उनको चने के झाड़ पर चढ़ा देता। उनके साथ मेरी सबसे मनोरंजक मुलाकात मद्रास में एम० एस० अप्पाराव के साथ लंच करते समय हुई। मैं घुमाकर बातचीत जार्ज की तरफ ले आया और मुरहरि से पूछा कि क्या जार्ज सचमुच भूमिगत आंदोलन का सफलता से आयोजन करने में लग गए हैं? एक जानकार की मुस्कान फेंकते हुए मुरहरि ने सारे एकत्र लोगों को बताया कि जॉर्ज तो अक्तूबर में ही बम्बई में पुलिस के जाल से भाग निकले मद्रास आए जहां द्रमुक सरकार ने उन्हें सिंगापुर भागने में मदद दी, और वहां से वह पश्चिम जर्मनी चले गए हैं। जबकि जार्ज ठीक उसी दिन दिल्ली में सुरक्षित और सक्रिय थे।

मेरा काम कुछ इस किस्म का था कि समय के बारे में मैं अपना मालिक था, और अचानक ही देश विदेश की यात्रा पर चला जा सकता था। दैनिक हिन्दू के साथ होने के कारण, गोकि मैं मात्र परामर्शदाता था मेरी मद्रास यात्रा पर सन्देह नहीं उठ सकता था, क्योंकि आपातकाल से पहले भी मैं अक्सर जाता रहता था। इण्डियन ऐंड ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति की बैठकें जिसका मैं एक प्रमुख सदस्य था देश भर के मुख्य नगरों में मेरी यात्रा का आसान बहाना था। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मेरा संपर्क और राज्य व्यापार निगम के अखबारी कागज़ के प्रतिनिधि मंडलों की सदस्यता के नाते देश से बाहर मेरा आना जाना भी संदेह पैदा नहीं कर सकता था। जैसाकि मैंने गिरफ्तारी पर पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारियों से बताया था, मेरी गिरफ्तारी उनकी खुफियागिरी के कारण नहीं हुई थी बल्कि संयोग मात्र थी। 9 मार्च, 75 को बड़ौदा में जो गिरफ्तार हुए थे उन्होंने मेरा नाम भी नहीं सुना था। उसी तरह विभिन्न नगरों में सक्रिय भूमिगत लोगों में से कोई मुझे नहीं जानता था, और अगर वे जानते भी तो जॉर्ज से मुझे जोड़ने का कोई कारण नहीं था।

निवास में जॉर्ज ने एक बार भी फोन पर बात नहीं की। उनकी तस्वीर भी नहीं खींचने दी गई। कई विदेशी पत्रकार निराश लौट गए पर वे जार्ज की छद्म वेश भूषा और तौर-तरीकों की गोपनीयता का महत्त्व समझते थे।

यात्रा में और ठहरने के स्थान पर साथियों का होना जरूरी था जोकि महंगा और मुश्किल काम था, पर ये खर्च अपरिहार्य थे। उनके अपने खर्चों के अलावा उनके संदेशवाहक या सामानवाहक लोगों को भी साथियों के साथ चलना पड़ता था। अगर भूमिगत का कोई बजट होता है तो हमारे बजट में लोगों और पार्सलों के आने जाने पर भारी खर्च उठाना पड़ता था।

मुझ जैसे लोगों के लिए जो भूमिगत काम तो कर रहे थे पर ऊपरी तौर से सामान्य जीवन बिता रहे थे ऐसी सावधानियां अनावश्यक थीं। मेरा मामला अपने आप में अनोखा था क्योंकि राजनीति छोड़ने के बाद के 20 वर्षों की मेरी जीवन शैली ने मुझे पक्का आवरणछन्न दे रखा था। मेरे कई घनिष्ठ मित्र आपात स्थिति तथा तानाशाही के बारे में मेरे विचार जरूर जानते थे पर एकाध को ही हल्का सा आभास था कि मैं क्या कर रहा हूं। किसीको रत्तीभर भी सन्देह नहीं था कि मेरा जार्ज फर्नांडीस से सम्पर्क है जिसके पीछे सरकार हाथ धोकर पड़ी है। मेरी इज्जतदार जिन्दगी ने मुझे कवच दे रखा था।

चूंकि हिन्दू दनिक से मेरा सम्पर्क रहा था और अखबारी दुनिया में मैं जाना माना था इसलिए सरकार के उच्चतम हलकों में मेरे संपर्क थे। आपातस्थिति के दौरान उच्चपदस्थ अधिकारियों से मुलाकात और बातचीत से हमें बहुत मूल्यवान सूचनाएं मिल जाती थीं। मुझे तानाशाही की अन्दरूनी कार्यविधि की जानकारी मिल जाती थी और किस समय कौन डिक्टेटर के नजदीक है यह पता लग जाता था। प्रतिबंधित विदेशी पत्र पत्रिकाएं मुझे मिल जाती थीं जिनसे दुनिया की राय का झुकाव किस ओर है यह मालूम हो जाता था। *समाचारपत्रों के संवाददाताओं* से भी खबरें मिलती थीं पर वे हमेशा विश्वसनीय नहीं होती थीं लेकिन कई स्रोतों की खबरों का मिलान करने पर हमें तानाशाही की अन्दरूनी हरकतों का काफी सही सही अन्दाजा हो जाता था।

सामान्य खबरों के अलावा मुझे यह पता लगाने की व्यग्रता रहती थी कि गुप्तचर विभाग जार्ज को पकड़ने के लिए क्या चाल चल रहा है। यह जानकर सहसा विश्वास नहीं होता था कि उनके पास कोई सुराग तक नहीं है न ही जाल फैलाने का कोई तरीका उन्हें सूझ रहा है। 1975 के अंतिम दिनों में खुद श्रीमती गांधी ने पुलिस को फटकारा। जब उन्हें कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने यह किस्सा फैला दिया कि जॉर्ज देश छोड़कर भाग गए हैं। ऊंचे पुलिस अफसरों के मुंह से यह सुनना कि वह नेपाल पश्चिम जर्मनी या पाकिस्तान में देखे गए हैं काफी मनोरंजक था। इस खबर को निर्विकार भाव से सुन पाना मुझे बहुत कठिन

लगता था क्योंकि शायद घंटे भर पहले मैंने जार्ज को देखा हुआ होता था। इनमें से कई अफसर मेरे भले के लिए चिंतित थे और मुझे चेतावनी देते थे कि मैं जॉर्ज से कोई वास्ता न रखूं। मैं हमेशा यही जवाब देता कि मैं तो 20 साल पहले राजनीति छोड़ चुका हूं, और जार्ज को तो मैं एक दुस्साहसी समझता हूं। विदेश से लौटते समय हर बार मैं तोक्यो में अपने एक दोस्त के माफत पता लगा लेता था कि कहीं सरकार को विदेशों में मेरी हरकतों का कोई आभास तो नहीं है।

मेरी एक कसौटी मुरहरि थे उस समय राज्य सभा के उपसभापति भूतपूर्व समाजवादी जो भगोड़े बने तो इतने कि श्रीमती गांधी के प्रवक्ता बन गए। वह अपने को श्रीमती गांधी का विश्वासपात्र भी बताते थे। मैं अक्सर उनके यहां चला जाता और उनको चने के झाड़ पर चढ़ा देता। उनके साथ मेरी सबसे मनोरंजक मुलाकात मद्रास में एम० एस० अप्पाराव के साथ लंच करते समय हुई। मैं घुमाकर बातचीत जार्ज की तरफ ले आया और मुरहरि से पूछा कि क्या जार्ज सचमुच भूमिगत आंदोलन को सफलता से आयोजन करने में लग गए हैं ? एक जानकार की मुस्कान फेंकते हुए मुरहरि ने सारे एकत्र लोगों को बताया कि जार्ज तो अक्तूबर में ही बम्बई में पुलिस के जाल से भाग निकले मद्रास आए, जहां द्रमुक सरकार ने उन्हें सिंगापुर भागने में मदद दी, और वहां से वह पश्चिम जर्मनी चले गए हैं। जबकि जार्ज ठीक उसी दिन दिल्ली में सुरक्षित और सक्रिय थे।

मेरा काम कुछ इस किस्म का था कि समय के बारे में मैं अपना मालिक था और अचानक ही देश विदेश की यात्रा पर चला जा सकता था। दैनिक हिन्दू के साथ होने के कारण गोकि मैं मात्र परामर्शदाता था मेरी मद्रास यात्रा पर सन्देह नहीं उठ सकता था, क्योंकि आपातकाल से पहले भी मैं अक्सर जाता रहता था। इण्डियन एंड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति की बैठकें, जिसका मैं एक प्रमुख सदस्य था, देश भर के मुख्य नगरों में मेरी यात्रा का आसान बहाना था। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मेरा संपर्क और राज्य व्यापार निगम के अखबारी कागज के प्रतिनिधि मंडल की सदस्यता के नाते देश से बाहर मेरा आना जाना भी सन्देह पैदा नहीं कर सकता था। जैसाकि मैंने गिरफ्तारी पर पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारियों से बताया था, मेरी गिरफ्तारी उनकी खुफियागिरी के कारण नहीं हुई थी बल्कि संयोग मात्र थी। 9 मार्च 75 को बड़ौदा में जो गिरफ्तार हुए थे उन्होंने मेरा नाम भी नहीं सुना था। उसी तरह विभिन्न नगरों में सक्रिय भूमिगत लोगों में से कोई मुझे नहीं जानता था और अगर वे जानते भी तो जार्ज से मुझे जोड़ने का कोई कारण नहीं था।

ऐसे ही अनेक अन्य लोग थे जिनमें प्रमुख वीरेन जे० शाह मुकन्द आयरन एंड स्टील कम्पनी के चेयरमन थे। वह अगर जरा भी अधिक सतर्क रहते और कई मामलों में उलझन से बचे रहते तो बड़ौदा की गिरफ्तारियों के बाद जाल में नहीं फंसते। मेरी तरह वह भी एक उभयनिष्ठ संपर्क सूत्र के कारण पकड़े गए—भरत पटेल जो हमारे मुकद्दमे में मुखबिर बन गया।

6
भूमिगत सूचनातंत्र

आपातस्थिति क दौरान अनेक भूमिगत समाचारपत्र बट रह थे। प्राय हर शहर म अपनी कोई बुलेटिन निकलती थी। उनम आपसी तालमेल नही था न ही देश भर म विभिन्न समूहो के मध्य ऐसा तालमल सभव था, जो अपनी-अपनी बुलेटिन निकाल रहे थे। बडे पमाने पर तीन प्रयत्न हुए जो हम निकाल रहे थे अग्रेजी म **रेसिस्टेंस** हिन्दी म **प्रतिरोध** दोनो दिल्ली से, और व्यापक प्रसार वाला **क्रूसेडर** जिसके केवल तीन अक निकल सके। अनेक बुलेटिनो से मनोबल जा भी बढा हो, तालमेल न होने के कारण व विश्वसनीय नही बन सकी। अक्सर ही इन बुलेटिनो क प्रकाशक रिपोर्ट की सत्यता की जाच परख न तो कर पाते थ न करना चाहत थे। कइ बार ऐसा होता था कि अफवाहो को सच मान लिया जाना था, और कभी-कभी उन्ह भी अतिरजित कर दिया जाता था।

यदि तालमेल और अच्छी वितरण प्रणाली बन जाती तब भी भूमिगत समाचारपत्र उतन कारगर नही हो सकते थे जितना कि हम चाहत थे। वस्तुत वे कारगर नही थे। वे सभी बहुत सीमित पाठको के पास पहुचते थे जो अधिकतर बडे शहरो म होत थे।

रेडियो से बहुत व्यापक प्रसार सभव था। इसके अलावा इससे हमारे सूचना तत्र म एक नया आयाम जुड जाता। आरम्भ स ही हम एक गुप्त रेडियो पाने और कायम करने की फिराक म थ। अगस्त 1975 के अन्त मे लन्दन म हमारे दोस्तो ने खबर दी कि उन्ह एक ट्रासमीटर मिल गया है जिसका यूनान म, और बाद म सिप्रस म यूनानी दल ने सफल उपयोग किया था। हम उसे जहा लगाना चाहे वहा उसे भजने को वे तयार थे। उस ट्रासमीटर की रूपरेखा और आवश्यक बिजली की जानकारी मिलने पर हमने पाया कि वह ट्रासमीटर प्राय पूरे देश के लिए पर्याप्त है। पर वह भारी था उसम बहुत बिजली लगती और लम्बे चौडे प्रसारण ग्रहण के तार लगाने पडते। उसे प्राय स्थाई रूप से लगाना पडता। जहा बगावत की स्थिति हो और कोई इलाका भूमिगत सेना के कब्जे म हो वहा तो वह आदर्श होता। पर भारत म जल्दी ही ऐसी स्थिति की कोइ सभावना नही थी। हम लोग देश के किसी भाग पर भूमिगत अधिकार की चेष्टा भी नही कर रहे थे।

विकल्प म यह सुझाया गया कि हम पडोस के किसी देश म ट्रासमीटर लगा लें जहा से प्रसारण हो सके। उसका मतलब होता पाकिस्तान नेपाल या बगला देश से मिलकर व्यवस्था करना। नेपाल हमारी ऐसी कोइ बात सुनेगा इसम शक था। व कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओ का मामूली सी राजनीतिक कारवाई की भी

इजाजत नही दे रह थ जो कुछ न्नि वहा रह भी । बगला देश या पाकिस्तान अपने देश स भूमिगत रेडियो प्रसारण क लिए शायन तयार हो जात । पर उसक बदले म कुछ देना भी पन्ता । यन्ि तत्काल राजनीतिक भुगतान न भी मागा जाता तो भी इस इ्तजाम का जन विरोध हाता। पाकिस्तान या बगला देश क प्रति देश म इतनी शत्रुता थी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त है' वानी कहावत को भी लोग मजूर न करत । भूमिगत आदोलन म लगे अन्य गुट हमारी स्थिति नाजुक कर देत । यो भी ईर्ष्या इतनी फली हुई थी जाज फर्नांडीस उन्ह वन्त प्रिय नही थे । जरा भी चूक होती तो वह बहुत मुश्किल हालात म जा पडते ।

अत हमने प्रस्तावित ट्रासमीटर के उपयोग का विचार मन मारकर छोड न्यिा । पर उस विकल्प के रूप म हमशा ध्यान म रखा आपातन्थिति के अन्त तक ।

तब हमने भारत म टासमीटर बनाने पर विचार किया । हम ऐसा ट्रासमीटर चाहिए था जिसम बहुत थोडी बिजली लगे उसे चलान म ज्यादा झझट न हो यहा वहा ल जाया जा सके और इस तरह खतरे से मुक्त हो। एक अनुभवी रेडियो टेक्नीशियन ने हमारे लिए चलता फिरता और कारगर ट्रासमीटर बनाने का प्रस्ताव रखा । वह मीडियम वव का 30 किलोमीटर घेरे के लायक सूखी बटरियों से चलने वाला होता । उसका उपयोग आकाशवाणी क प्रसारण मीटरो पर किया जाता । सबसे कारगर तरीका होता आकाशवाणी की समाचार बुलेटिनो मे विघ्न डालकर छाटे छोटे किन्तु जोरन्गर नारे गुजा न्एि जाए। स्वतन्त्र प्रसारण भी किए जा सकते थे ।

वह सेट जनवरी 1976 म उपयोग के लिए तयार हो गया और उसकी आजमाइश भी कर ली गई । फरवरी म वह दिल्ली लाया जाता पर उसका वाहक 10 माच तक लापता रहा जब बडौन्ा म धरपकड शुरू हो गई जिससे हम सब तितर बितर हो गए और तब उसका तत्काल उपयोग खतरनाक हो गया ।

नवम्बर दिसम्बर 1975 म मेरे विश्व भ्रमण के समय मेरा एक लक्ष्य उपयुक्त चलते फिरत ट्रासमीटरो का पता लगाना भी था । जापान म मुझे वे मिल गए । मुझ सलाह न्ी गई कि हम सानियो कम्पनी के 5-वाट शक्ति वाल ट्रासमीटर लें । वह टाजिस्टर युक्त थे तथा 6 चनलो पर काम कर सकत थ। दस कलम के आकार की बटरियो से उसकी बिजली की पूर्ति हो जाती था । वजन बमुश्किल 8 पौड था और आकार भी बडा नही । कुल मिलाकर ऐसी चीज जिसकी हम दरकार थी। और कीमत भी आकषक थी—कवल 80 अमरीकी डालर । मैंने शुरू मे 25 नग खरीदने का इन्तजाम किया और उनका उपयाग कारगर हाने पर 25 और ।

हमने बडे नगरो तथा शहरो म टासमीटर भिजवाने का विचार किया जिनका सचालन एक एक व्यक्ति ही करता । नारे बनात थे और उनका प्रमुख भाषाओं मे

अनुवाद करना था। आकाशवाणी की रोजाना बुलेटिनों के दौरान ये नारे बीच में प्रसारित करवाने थे। सारे देश में उनका एक साथ प्रसारण सारी स्थिति को चमत्कृत कर देता। अकेले उसीसे भूमिगत आन्दोलन का गिरता मनोबल बल्लियों ऊपर आ जाता, और श्रीमती गांधी के विरोध तथा तिरस्कार का सबसे खुला प्रदर्शन बन जाता।

लेकिन उन्हें देश में मंगाना टेढ़ी खीर था। सामान्य आयात के रास्ते उन्हें नहीं मंगाया जा सकता था। एक एक करके उन्हें देश में गुप्त रूप से लाने का अर्थ यह होता कि कई लोगों को भेद मालूम हो जाता। सबसे अच्छा तरीका यही था कि इस धंधे में माहिर किसी आदमी को खोजा जाए। इसके लिए भरत पटेल से बेहतर कौन मिल सकता था जिसका कारोबार दुबाई में चलता था और जाहिर है ऐसे लोगों को जानता था जो इन्हें देश में तस्करी कर ले आते। पटेल से सम्पर्क किया गया और 31 जनवरी को दिल्ली में उससे मिलना तय हुआ। मार्च 1976 में, जब वह मुझे और जार्ज को पुलिस के हाथों पकड़वाने आया उससे पहले यही पहला और आखिरी अवसर था कि मैं उससे मिला। उस समय पटेल ने ट्रांसमीटर देश में लाने की संभावना की तहकीकात करने का बहाना किया, और बाद में समुद्री तार से बताया कि वह इंतजाम नहीं कर सकेगा। जनवरी में उसके साथ मेरी मुलाकात और वह समुद्री तार जो उसने मुझे भेजा, मेरे और जार्ज के लिए घातक साबित हुए। यदि हम उससे न मिलते और ट्रांसमीटर के आयात में उसपर निर्भर न करते तो मैं और जार्ज दोनों आपातकाल के अन्त तक भी गिरफ्तार न हो पाते।

हालांकि पटेल ने हमें दगा दिया, पर हमने बम्बई में एक आदमी खोज लिया जो जापान से ट्रांसमीटर लाकर देने को तैयार था। यह फरवरी के अंतिम दिनों की बात है। हमें सिर्फ अपने जापानी मित्रों को 25 सेट हासिल करने के लिए सूचित करना था। हम बम्बई वाले उस आदमी से पूरी बात तय कर पाते उससे पहले ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, और जार्ज को छिप जाना पड़ा।

हम गुप्त रेडियो चलाने में विफल रहे यह दुर्भाग्य की बात है। मुझे पक्का विश्वास है कि इससे भूमिगत आन्दोलन को एक नया आयाम मिलता और श्रीमती गांधी तथा उनकी खुफिया सेवा अपने सिर के बाल नोचने लगते।

जाज से मिलन क बाद शुरू स ही हम विदशो स समथन हासिल करने और विदेशा म उदार विचारा वालो तक यहा की खबरें पहुचाने की काई व्यवस्था करने पर विचार कर रह थ । सबस पहली जरूरत यह थी कि हम विदेशा म अपन मौजूदा सम्पकसूत्रा तक भारत क घटनाक्रम की तथा जनमत की जानकारी पहुचाए तथा निरतर पहुचाते रह । श्रीमती गाधी ने अपन दूतावासो तथा अय स्रोता क जरिए जो जबरदस्त अभियान चला रखा था उसका जवाब देना भी जरूरी था। असख्य प्रतिनिधि मडल विदशो म भारतीय प्रतिपक्ष की भत्सना और आपात स्थिति की तारीफ करने भेज जा रहे थ । हमने यह भी महसूस किया कि अपने सम्पक के दायरे हम विस्तत करन होंगे तथा हम अपन विदेशी प्रचार अभियान म मददगार हो सकने वाले यक्तियो और सगठनो को चुनकर अपनी तरफ सगठित करना पडेगा।

यह काम ऐसा कोई व्यक्ति खुद वहा जाकर ही कर सकता था जिसका पहले से विदेशा स सम्पक हो और जो हमारा पक्ष प्रभावशाली ढग स पश कर सके तथा विदेशी जनमत का हमारे पक्ष म मोड सके। जुलाई 1975 म अपने विश्व भ्रमण क दौरान मैं ऐस लागा तथा सगठना से विचार विमश कर चुका था । लकिन ट्रेड यूनियन क्षेत्र म किसी महत्त्वपूण व्यक्ति स या जाज को निजी रूप स जानने वाले तथा हमारे सभावित सहायक सभी लोगो से मैं नही मिल पाया था । तय किया गया कि मैं दुबारा दुनिया का दौरा करू और उन सभी स घनिष्ठ सम्पक कायम करू जो हम मदद कर सकत है । लकिन समस्या यह थी कि मेरे दौरे क लिए कोई ऐसा वहाना खाजा जाए जिसस मरा असली उद्देश्य गुप्त रह सके। सबसे अच्छा तरीका यह होता कि मैं किसी औद्योगिक कम्पनी स सम्बध कायम कर लू जिसका विदेशा म व्यापार हा और जा मुझे प्रकट रूप म अपने यापारिक उद्देश्य से भेज सके ।

चूकि मैं यापार और अतराष्ट्रीय सम्मेलनो क सिलसिले म अक्सर विदेश जाता रहता था इसलिए निर्यात म लगी किसी कम्पनी के सलाहकार क रूप म मेरे बाहर जाने पर सदेह उठन या ध्यान जान की भी सभावना नही थी। हालाकि कुछेक उद्योगपति हम जानते थे और हमारे भूमिगत काय म मदद भी कर रहे थे, पर मुझे विदेशयात्रा के लिए काई वहाना दन म व हिचक रहे थे। तब हमने भरत पटेल स मिलने का विचार किया जो हमस सम्बद्ध था ही दुबाई म भी उसका कारोबार था ताकि वह मुझे अपना प्रतिनिधि बना ल और मरी यात्रा तथा खच

का इतजाम कर दे।

पर भारत पटल नही मिल सका क्योकि अगस्त के अत से दो महीने तक वह भारत नही आया था। अगस्त के अतिम दिना म जब वह देश आया था हम उससे सम्पक नही कर सके। हम उसकी अगली स्वदेश यात्रा तक प्रतीक्षा नही कर सकत थे क्योकि मेरी यात्रा अत्यावश्यक हो गई थी वह इसलिए कि श्रीमती गाधी आपातस्थिति की घोषणा और हजारा लोगो को जेल म डालने की अपनी कारवाई का औचित्य विदशो के उदार विचार वाला को कुछ हद तक समझाने म सफल हो रही थी। सविधान म जबदस्त सशोधनो प्रेस पर सेंसरशिप न्यायपालिका म हस्तक्षेप ससद का कठपुतली बनाने ट्रेड युनियन अधिकारो को कुचलन और ऐसे अनक कामा का भी कुछ हद तक जायज ठहराने म सफल होती दीखती थी जो उन्होने अपनी स्थिति अकाटय बनान और सत्ता स हटाया जाना असभव कर देन की गरज से किए थ। हमने अनुभव किया कि यदि तत्काल उनके असली उद्देश्यो और लक्ष्यो के बारे म सच्ची और समुचित जानकारी विदेशो म न पहुची तो विदेशी जनमत भारत म एक दयालु तानाशाह की अनिवायता स्वीकार कर लगा।

यह पोची दलील भी अधिकाधिक स्वीकाय होती जा रही थी कि सशक्त तथा गहरी जनतात्रिक परम्पराओ के बावजूद अब भारत को विकास की खातिर उनका बलिदान करना पडेगा। इन हालात म विदेशो मे बस भारतीयो द्वारा स्थापित समितियो के वक्तव्य पत्र और सीमित प्रचार अभियान स काम नही चल सकता था। इन कमटियो का प्रभाव श्रीमती गाधी के बनाए जबदस्त प्रचार तत्र के सामन फीका पडता जा रहा था। श्रीमती गाधी क असीम ससाधनो वाल अभियान का मुकाबला करन क लिए व्यक्तिगत रूप से सम्पक करना और जानकारी दना परम आवश्यक था। भूमिगत आन्दोलन क किसी व्यक्ति की यात्रा प्रभावशाली होती तथा श्रीमती गाधी के अधाधुध प्रचार क लिए जा रहे एजेंटो के दस्तों का जवाब देना और जनमत आकृष्ट करना सभव होता।

अस्तु मैंने हागकाग की एक प्रकाशन-जनसम्पक कम्पनी से यह इतजाम करा लिया कि वह मुझे ब्रिटन अमरीका और जापान म अपन कारोबार को बढान का काम सौंप दे। इस हेतु उसकी तरफ स मुझे लिखित आमत्रण भजा जाना था जिसम मुझे विदेशा की व्यापक सैर करते हुए उनका काम करना था। नवम्बर क तीसरे हफ्त म मुझे वह पत्र तथा दुनिया भर की सैर की टिकट भेज दी गई। उस पत्र क आधार पर रिजव बक स अनुमति मिलना आसान था और 26 नवम्बर को मैं सन्दन क लिए रवाना हो गया तथा दूसरे दिन वहा पहुच गया।

मर वहा पहुचन पर मरे मित्र जो सी० जी० पी० कमेटी क प्रमुख सदस्य थ मिल और मुझे बताया कि उसी रात मुझ ब्रसेल्स पहुचना है जहा सोशलिस्ट इन्टर

नेशनल के ब्यूरो की बठक हाने वाली है। भारत स चलत समय मुझे इस बठक की जानकारी नही थी और मरा सौभाग्य ही था कि यह सयोग हो गया। 28 29 और 30 नवम्बर को ब्यूरो की बठक के दौरान मैं ब्रसल्स म था। ब्यूरो की प्रस्तावित विषय सूची म भारत का नाम भी नहीं था। भारतीय सोशलिस्ट पार्टी सोशलिस्ट इण्टरनशनल की सदस्य तक नही थी क्योकि दो साल पहले उसका नाम बदलने पर कुछ तकनीकी आपत्ति उठ गई थी। दुबारा सदस्यता के लिए उसका आवेदनपत्र विचाराधीन था और ब्यूरो के भीतर एक ताकतवर गुट उसम अडगा लगा रहा था क्योकि श्रीमती गाधी ने काग्रस पार्टी को इण्टरनेशनल का सदस्य बनाने के लिए दावा पेश किया था।

एस हालात म मुझे जरा भी आशा नही थी कि इण्टरनशनल अनौपचारिक रूप स भी श्रीमती गाधी का विरोध करेगा या कि जाज फर्नांडीस के भूमिगत आन्दोलन को स्पष्ट समथन देगा। मैंने सोचा था कि इस अवसर पर मैं दुनिया की अधिक स अधिक सोशलिस्ट पार्टियो के प्रतिनिधियो स मिलकर उन्हे देश की परिस्थिति स अवगत कराऊगा और उनका समथन सहयोग मागूगा। लकिन अतत न कवल भारतीय स्थिति पर बहस हुई, वरन मुझे ब्यूरो म भाषण करन के लिए बुलाया गया। मुझे बेल्जियम की सोशलिस्ट पार्टी का अतिथि माना गया और उन्होन ही ब्रसेल्स म मेरे यात्राव्यय तथा ठहरन का इन्तजाम किया।

और यह सब सोशलिस्ट इण्टरनेशनल के महासचिव हास यानिस्तेक के सशक्त हस्तक्षप स ही सभव हुआ।

आपातकाल घोषित होते ही हांस विश्नेस्की म श्रीमती गाधी के विरुद्ध पक्का रुख अपनान वाली अनक समितियो तथा आन्दोलनो क एक आधारस्तभ बन गए थे। सोशलिस्ट इण्टरनेशनल के वे पहले महासचिव थे जो इण्टरनशनल तथा उसकी विभिन्न गतिविधियो को कोई सार्थक दिशा तथा अथवत्ता दन म सफल हुए थ। उनके महासचिव बनन स पहले तक इण्टरनेशनल एक समन्वय एजसी स अधिक कुछ नही था जिस इण्टरनेशनल के निकम्म बमानी फसलो और प्रस्तावो पर अमल करन की भी जरूरत महसूस नही होती थी। कभी भी विश्व की समस्याओ का अध्ययन नहीं किया गया था। इण्टरनेशनल का कार्यालय ल दन म था। उसक महासचिव खुद को भूमिका डाकघर स अधिक नही समझत थे। लकिन हास के आते ही इण्टरनेशनल की गतिविधियो म सार्थकता आ गई और उनकी निश्चित दिशा तय हो गई। दुनिया के मामलो म इण्टरनेशनल का अस्तित्व महसूस किया जान लगा तथा वह विभिन्न देशो म प्रभावशाली सोशलिस्ट पार्टिया तथा यूरोप की सोशलिस्ट सरकारो को प्रेरित कर सक्रिय बनान म सफल हो गए।

उन्हीकी पहल पर इण्टरनेशनल ने अपना रगभेद सवाद और उपनिवशवाद

तथा नग्न निरकुशता के विरुद्ध जन आदोलनो का हर तरह का समथन-सहयोग दना शुरु किया। चाह चिली हो पुतगाल हो या बगला देश हो इण्टरनेशनल की नीतिया और दप्टिकोण साफ तथा साथक हो गए। हास न बगला देश के लिए अपार काम किया था और सोशलिस्ट इण्टरनशनल बगला देश सकट के समय शेख मुजीबुर रहमान तथा भारतीय दष्टिकोण का अडिग समथक था। हास 1970 क भारत पाक युद्ध क तुर त पहल भारत आए थे और बाद म उ होने बगला देश की जनता तथा भारत सरकार क पक्ष म विश्वमत का मोडन म महत्वपूण भूमिका निभाई थी। अपनी उसी यात्रा म उन्होन भारतीय सोशलिस्ट पार्टी स सम्पक पुन कायम किए तथा सोशलिस्ट पार्टी और भारत स उनका रागात्मक सम्ब ध हो गया। जाज फर्नांडीस और हास यानिरशेक का व्यक्तिगत सम्बन्ध स्नह की सीमा छूने लगा।

इस पृष्ठभूमि म हास का राल इण्टरनेशनल क ब्यूरो की बठक म तथा उसक बाद पूरी तरह हमारे पक्ष म रहा। भारत की वास्तविक स्थिति को समझान और दुनिया के जनमत को श्रीमती गाधी के विरुद्ध भारतीय प्रतिपक्ष के पक्ष म मोडन म अगर सबस अहम भूमिका वाले किसी व्यक्ति की तलाश की जाए तो वह हास यानिरशेक ही होग। हास यानिरशेक ने ही बेल्जियम की साशलिस्ट पार्टी स मुझे निमन्त्रण दिलान तथा ब्यूरो म भाषण कराने की योजना सफल बनाई। उन्होने आरभिक काय भी पर्याप्त मात्रा म कर दिया था जिसस कि ब्यूरो एव दुनिया भर की सोशलिस्ट पार्टिया मेरी बात सुनन को तत्पर हो गई थी।

हास न सोशलिस्ट इण्टरनेशनल के मुखपत्र सोशलिस्ट अफेयस क जरिए भारतीय आपातकाल पर तथा श्रीमती गाधी के विभिन्न निरकुश कदमो क प्रभावा एव लक्ष्यो पर एक प्रभावशाली रिपोट छपवाई थी। सोशलिस्ट अफेयस के जुलाई अक म प्रथम पृष्ठ पर जाज फनाडीस की वह अपील छापी गई थी जिसम उन्होने दुनिया की सरकारा तथा सोशलिस्ट पार्टियो स कहा था कि वे श्रीमती गाधी के कृत्यो का स्पष्ट विराध करती हैं यह कहे और उनसे सभी राजबदियों की रिहाई जनतान्त्रिक अधिकारा की पुन स्थापना की माग कर। उसी लख म जाज न इण्टरनेशनल की सदस्य पार्टियो का भारत क घटनाक्रम की जानकारी दी था और भविष्यवाणी की थी कि श्रीमती गाधी ज्यादा दिना तक अपनी तानाशाही नही चला सकेंगी।

ब्यूरो न सभवत मेर लिए सिफ 15 मिनट तय किए थ लकिन पूरे दो घण्टे यानी कि सुबह का प्राय पूरा सत्र मेरी बात सुनन और विचार विमश म लगा दिए। यही नही भारत जोकि विषय सूची म भी नही था उस उसम शामिल ही नही किया बल्कि ब्यूरा क विचाराथ प्रथम स्थान दिया गया।

लन्दन क लिए रवाना हान से पहल मैंने इंदिराज इण्डिया एनटमी आफ ए—

डिक्टेटरशिप' नाम से एक पुस्तिका तयार कर ली थी। इस दस्तावेज मे श्रीमती गाधी द्वारा आपातस्थिति की घोषणा का मूल उत्स और सविधान म विभिन्न सशोधनो विपक्ष को खत्म करने के लिए एक गुलाम बनी ससद द्वारा पास कानूनो तथा श्रीमती गाधी के विभिन्न कानूनी गैरकानूनी कार्यों का लेखा जोखा था जो उन्होंने आपातकाल लगाने के बाद किए थे। उसम नये आतक राज का और मन मानी कारवाइया का भी ब्यौरा था। पुस्तिका म अपने जनतान्त्रिक अधिकारा से वचित भारत की तस्वीर दी गई थी। श्रीमती गाधी के बडे बडे दावो का खोखलापन और विपक्ष के विरुद्ध उनके प्रचार अभियान का झूठ भी मैंने उस पुस्तिका म अनावत किया था। पहल तो मैंने सोचा कि खुद उस पाडुलिपि को ले जान स बहतर यह होगा कि किसी अत्यन्त विश्वसनीय व्यक्ति के हाथो उस मेरे ल दन पहुचन क समय ही वहा भेजने की व्यवस्था कर लेकिन मुझे खुशी है कि अंतिम क्षण मैंन अपन साथ ही वह पाडलिपि ल जाने का निश्चय किया, यदि मैं वसा न करता तो सोशलिस्ट इण्टरनेशनल के ब्यूरो के सदस्या एव उन लागा को वह पुस्तिका न दी जा सकती जिनमे मैं यूरोपीय राजधानियो म उन दिनो जाकर मिला था।

हास यानित्शेक ने हमार पक्ष को आगे बढान म जबरदस्त पहल की थी। ब्रसल्स पहुचने म पहले लन्दन म कुछ ही घण्टा के भीतर उन्होंने उस पुस्तिका की अनक प्रतिलिपिया तयार करा दी। बाद म ब्यूरो की बठक के बाद कुछ हा दिनो म पुस्तिका छपकर तयार हा गई। उसका अनुवाद जमन फ्रेंच इतालवी और जापानी भाषा म कराया गया। दुनिया भर म उसकी हजारा प्रतिया वितरित की गई तथा आगे फ्री जे०पी० कमिटी न उसम नवीनतम सशोधन परिवधन भी किया। श्रीमती गाधी क धुआधार प्रचार अभियान का निरस्त करन म यह पुस्तिका बहुत काम आई। विश्व का उदार जनमन भारत की घटनाओ पर श्रीमती गाधी के दावो को अन्त तक मानन म हिचकता रहा और उस पुस्तिका की एक प्रामाणिक एव विश्वसनीय दस्तावेज के रूप म स्वीकृति इसका एक बडा कारण थी। इस पुस्तिका न ब्यूरो क सदस्या की कई शकाए दूर करने म मदद की और उन्ह विश्वास हा गया कि श्रीमती गाधी ने कितना भयानक कृत्य कर दिया है तथा यह भी कि श्रीमती गाधी दश की तानाशाह बन बठी है। मरी बात सुनने क बाद ब्यूरो ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया

सोशलिस्ट इटरनेशनल क ब्यूरो को भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जाज फर्नांडीस स एक रिपाट प्राप्त हुई और उनके दूत से कुछ और स्पष्टीकरण भी ब्यूरा को यह जानकर चिता है कि अभी हाल म नजरब दी स पगेल पर रिहा हुए जयप्रकाश नारायण का स्वास्थ्य मुख्यत उनकी नजरबदी के दौरान इस हद तक गिर गया है कि उनका जीवन खतरे म है हालाकि भारत सरकार इसके

व

विपरीत दावे कर रही है

ब्यूरो को चिता है कि

(i) दसियो हजार राजनीतिक कायकर्त्ता ट्रेड यूनियन कायकर्त्ता नेता, ससद तथा राज्यो की विधायिकाओ के सदस्य पत्रकार विद्यार्थी और बुद्धिजीवी गिरफ्तार किये गय है और अभी भी जेलो म है तथा अभी भी रोजाना नई-नई गिरफ्तारिया हो रही हैं,

(ii) राजनीतिक बदियो म से अधिकाश लोगा को अमानवीय परिस्थितियो म कद रखा गया है तथा उ ह किसी भी अदालत म जान का अधिकार नही है,

(iii) हालाकि विरोधी दलो पर प्रतिबध नहीं है पर उन्हे पूरी तरह निष्क्रिय बना दिया गया है।

(iv) समाचार माध्यमो पर न केवल कडी सेंसरशिप है बल्कि सरकार उन्हें ऐसी रिपोट तथा बयान छापन पर विवश करती है जिनकी सामग्री हमेशा तथ्य परक नही होती,

(v) रबड की मोहर जसी ससद न जिसके सभी मुखर प्रतिपक्षी सदस्यो को जल म डाल दिया गया है जनता को मौलिक अधिकारो से वचित करने वाले दमनकारी अनेक कदम उठाने हेतु सविधान और कानून का सशोधन कर दिया है,

(vi) मजदूरो का सगठित हाने, सगठन बनाने और हडताल के अधिकार से वचित कर दिया गया है तथा ट्रेड यूनियन आन्दोलन को सरकार का गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है

(ब्यूरो) नागरिक आज़ादियो और मौलिक अधिकारो के उपयुक्त हनन की भत्सना करता है

भारत सरकार से माग करता है कि वह आपातस्थिति समाप्त करे प्रेस पर से सेंसरशिप हटाये, बिना मुकद्दमे के कद राजनीतिक और ट्रेड यूनियन बन्दियो को रिहा करे तथा भारत की जनता के जनतात्रिक अधिकार पुन कायम करे,

भारत म जनतत्र एव समाजवाद के लिए सघष रत सोशलिस्ट पार्टी तथा अन्य सगठनो के प्रति अपनी एकजुटता प्रकट करता है, और

सभी सदस्य पार्टियो का आह्वान करता है कि वे भारतीय सोशलिस्ट पार्टी को हर तरह का समथन और सहयोग दें।

ब्यूरो के इतिहास म यह एक सबसे जबदस्त प्रस्ताव था तथा इसस सोशलिस्ट इटरनेशनल और सदस्य पार्टिया जिनम स कुछेक सरकारें चला रही थी हमारे पक्ष म वचनबद्ध हो गयी। हमारे पक्ष स ब्यूरो के इस स्पष्ट रवय क कारण लदन की फ्री जे०पी० कमिटी को विभिन्न सोशलिस्ट पार्टियों स आर्थिक मदद पान म भी सहूलियत मिली। लदन की इस कमेटी न यह बुद्धिमानी की थी कि वह छोटे छोटे

निजी चदो पर निभर थी, लेकिन श्रीमती गाधी के जबदस्त प्रचार का मुकाबला करना मुख्य उद्देश्य था जिसम बहुत दिक्कत पेश आ रही थी। कमेटी को सोशलिस्ट पार्टियो ट्रेड यूनियनो तथा अन्य सगठनो से आगे चलकर जो आर्थिक मदद मिली वह आरभिक आशा से बहुत कम थी फिर भी वह सभव हुई इसका श्रेय ब्रसेल्स म ब्यूरो के उसी प्रस्ताव को मिलना चाहिए।

ब्यूरो क इस प्रस्ताव से लदन की कमेटी को एक समथक सस्था मिल गयी इसके अलावा ब्रसेल्स म आए सोशलिस्ट पार्टियो के प्रतिनिधियो के माध्यम से अनेक लोगो से सपक करने म मदद भी मिली। इन सपर्कों से हमारे मनावल को सहारा मिला और देश म भारी दिक्कतों के बावजूद लडते रहने का सकल्प दृढ हुआ। ब्रसेल्स म बने सपर्कों के कारण मुझे ब्रिटेन यूरोप उत्तरी अमरीका तथा जापान म उच्च सोशलिस्ट नेताओ स विचार विमश करने म आसानी रही। पुन इन्ही सपर्कों के कारण मुझे दुनिया के प्रमुख समाचारपत्रो के मुख्य सपादकीय अधिकारियो का विश्वास सुलभ हुआ तथा भारत म अपन आन्दोलन की विश्वस नीयता स्थापित हो सकी। आपातकाल के अत तक विदेशों क समाचार माध्यम और मत प्रवत्तक व्यक्ति श्रीमती गाधी के प्रचार के बावजूद हमारे पक्ष म रहे।

ब्रसेल्स की बठक के बाद सन्दन जाने स पहले मैंने स्वीडन फिनलड पश्चिम जमनी आस्टिया स्विटजरलड इटली और फ्रास का दौरा किया। इन सभी देशो म मैंने न सिफ प्रमुख सोशलिस्ट तथा ट्रेड यूनियन नेताओ स बल्कि समाचारपत्रो के सपादको और प्रभावशाली व्यक्तियों से भी मुलाकात की। ये सभी सपक एक अच्छे ध्येय के लिए मन्द पान और श्रीमती गाधी के खिलाफ विश्वमत कायम रखन और मजबूत करने की दष्टि से व्यक्तिगत आधार पर किए गए।

छह हफ्तो क इस विश्वव्यापी भ्रमण का कुल खच सिफ 3800 अमरीकी डालर आया 2100 डालर दुनिया भर की हवाई टिकट पर 700 डालर यूरोपीय दौरे पर और 1000 डालर होटल यातायात टेलीफोन तथा अय छिटपुट मदों पर। यह सही है कि मुझे कई जगह मित्रों और सगठनो का आतिथ्य मिला था, फिर भी सारी दुनिया म 20 से अधिक नगरो का दौरा सो भी छह हफ्तो तक इतन कम खच म हुआ कि शायद यह सबस सस्ता दौरा रहा होगा। हमारे राज नयिक अधिकारियों तथा सरकारी प्रतिनिधिमडलो को इससे कई गुना अधिक सुविधाए मिलती हैं उनके काम का आरभिक बन्दोबस्त और सपक काय पहले ही हो चुका होता है फिर भी उनका खच तथा समय इससे अधिक और उपलब्धि बहुत कम हो पाती है। श्रीमती गाधी के जो दूत उन्हा दिनो विदेश जात थ बहुत ज्यादा खच करत थे पर उसका फल नगण्य था। प्रतिबद्धता और समपण भाव पसों की कमी को पूरा कर देते हैं। काश हमारे प्रतिनिधिमडल और राजनयिक अधिकारी पसों और सुविधाओ के अभाव का रोना छोडकर अपनी पूरी कोशिश से देशसेवा करना सीख जात।

8

विश्वव्यापी प्रतिरोध का संगठन

पूरे यूरोप का दौरा करके मैं लंदन वापस पहुंचा। लंदन में फ्री जे० पी० कमिटी अपनी गतिविधि का विस्तार देने के लिए सोशलिस्ट पार्टियों और ट्रेडयूनियनों से आर्थिक एवं अन्य तरह की मदद पाने लगी। उस समय तक जो मात्र ऐच्छिक कार्य था अब उसे संस्थागत रूप देना था, ताकि कमेटी यूरोप और अमरीका में बने विभिन्न नये संगठनों की गतिविधियों में तालमेल स्थापित कर सके।

यूरोप से मेरे लौटने पर इस उम्मीद से निर्णय किए गए कि कमेटी को अपने काम के लिए पर्याप्त धन मिल जाएगा। इसी आशा से मैंने अपने दौरे में मिले सभी लोगों को आश्वासन दिया था कि लंदन की कमेटी उन सभी से लगातार संपर्क रखेगी और सूचना समाचार भेजती रहेगी। उस समय मेरी योजना यह थी कि भारत से लंदन की कमेटी को नियमित रूप से खबरें और सूचनाएं भेजी जाएंगी तथा भारतीय घटनाओं का विश्लेषण और टीका टिप्पणी भी उन्हें सुलभ कराई जाएगी। कमेटी को इन सबको एकत्र करके उन सबको भेजना था जिनकी सूची मैंने तैयार की थी ताकि वे उसका उपयोग कर सकें। लंदन में कमेटी की बैठक में मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि न केवल स्वराज्य के नियमित प्रकाशन के लिए बल्कि समन्वयात्मक कार्यों के लिए दफ्तर चलाने के लिए भी पैसों की कमी नहीं पड़ेगी।

लेकिन उस समय मेरी प्रत्याशाएं पूरी नहीं हुईं। डच सोशलिस्ट पार्टी और जर्मन रेलमजदूरों की यूनियन ने तो 5000 अमरीकी डालर का चंदा भेजा लेकिन अन्य किसी जगह से लगभग कुछ नहीं आया। अमरीका, कनाडा और जापान से भी मुझे जो आशा थी वह व्यर्थ रही। अतएव कमेटी को छोटे छोटे ऐच्छिक चंदों से, बहुत ही कम बजट पर अपना काम चलाना पड़ा।

यद्यपि वित्तीय सहायता कतई संतोषजनक नहीं थी पर मैंने जो संपर्कसूत्र बनाये थे वे और खुद मेरी यात्रा आशातीत ढंग से सफल रही। मेरे सफर के दौरान तथा उसके बाद यूरोप में सभी मुख्य अखबारों में लेखों और खबरों का एक तांता सा लग गया। उसके अलावा लंदन की कमेटी भी उदार जनमत को सक्रिय करने एवं श्रीमती गांधी के प्रचार अभियान का जवाब देने में काफी हद तक कामयाब हुई। मेरी यात्रा के दौरान तथा मेरे आने के बाद खबरों के अलावा मेरे साथ कई भेंटवार्ताएं भी प्रकाशित हुईं। मुझे निजी तौर पर जाननेवालों को छोड़कर किसी को मेरा असली परिचय मालूम नहीं था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि हमारे सारे दूतावास मेरा वास्तविक परिचय पाने की जी तोड़ कोशिश कर

रहे थे।

जापान तथा दक्षिणपूर्व एशिया को छोड विदेशो म अपनी पूरी यात्रा म मैं **कृष्ण राव** के नाम से घूम रहा था। सोशलिस्ट इटरनशनल म अन्य सगठनो राजनीतिक पार्टियो अखबारो और यहा तक कि प्रधानमत्रियो तक को मेरा यही नाम बताया जाता था। उनके लिए नाम का कोई विशेष महत्त्व था भी नही। मैं जार्ज फर्नांडीस का दूत था और सोशलिस्ट इटरनशनल ट्रेड यूनियनो और मेरे परिचित अखबारो के सपादको की सनद मेरे पास थी। एयरलाइन्स और आप्रवास अधिकारियो के यहा मेरा असली नाम ही दर्ज होता था क्योकि मैं अपने ही पासपोर्ट पर घूम रहा था।

होटलो म मुझे कोई दिक्कत नही होती थी क्योकि मेरे लिए प्राय मेरे मेजबान आरक्षण करा देते थे। लेकिन यूयार्क म मेरे एक मित्र ने शेरटन होटल म मेरा इतजाम कराया, जहा मुझे अपना पासपोर्ट दिखाना पडा अत अपने नाम से रहना पडा। इससे मेरा राज खुल गया हालाकि सौभाग्य से यह मित्रो तक ही सीमित रहा। मैंने इडियन्स फार डेमोक्रेसी' सगठन के मित्रो को शिकागो म अपना कार्यक्रम बताने के लिए फोन किया। शिकागो के निकट लासिंग म श्रीकुमार पोद्दार को भी मैंने शिकागो आकर मुझसे मिलने के लिए फोन किया। उन सभी को मैंने अपना नाम कृष्ण राव बताया था। लेकिन पोद्दार ने मुझे फोन कर दिया और पाया कि वहा कोई कृष्ण राव ठहरा हुआ नही है। उन्होंने हिकमत से काम लिया और आपरेटर से कहकर उस कमरे का नबर मिलाया जहा से उन्हें फोन किया गया था। बहरहाल उन्होंने शिकागो के दोस्तो को मेरा परिचय नही बताया। पर आनन्द कुमार जो कि शिकागो म मुझे मिले डाक्टर लोहिया के घनिष्ठ दोस्त रगनाथ का भतीजा है और उसने बचपन म मुझे देखा था तथा मुझे पहचान भी लिया।

मुझे मांट्रियल म **शतो लारिए** म ठहराया गया था जो शहर म सबसे बढिया होटल था और जहा अधिकाश राजनयज्ञ जमा होते थे। मेरे वहा पहुचने के बाद दूसरे दिन सुबह कनाडा की लेबर पार्टी के कुछ नेता मुझसे मिलने आए। उन्ही म मिस्टर लोविस प्रतिपक्ष के एक भूतपूर्व नेता भी थे। मांट्रियल जाते समय मुझे लग रहा था कि जैसे मुझे पहचान लिया जाएगा। **शतो लारिए** म एक बहुत लबी लाबी है जिसके एक ओर लिफ्ट लगी हुई है। ज्यो ही मैं आगतुको से मिलने लिफ्ट से उतरा लाबी की दूसरी ओर भारत के उच्चायुक्त उमाशकर वाजपेयी नजर आए। वह मुझे अच्छी तरह जानते थे। जरा देर बाद यदि उन्होंने मुझे उच्च पदस्थ ट्रेडयूनियन नेताओ तथा राजनीतिज्ञो के साथ देख लिया होता तो वह एक ही नतीजा निकालते। उससे भारत म मेरी गतिविधिया समाप्त हो जाती। सौभाग्य से वह मेरी दिशा म नही देख रहे थे और मुझे आगतुकों के साथ बैठक

के लिए जल्दी से नजदीक ही संसद भवन में जाने का समय मिल गया।

पेरिस में मुझे अपनी एक दोस्त से मिलने जाना था जो उसी भवन में रहते थे जहां भारतीय राजदूत भी रहते हैं। वे एक दूसरे को जानते थे तथा राजदूत को आपातस्थिति के बारे में मेरी मित्र की राय तथा भारत में प्रतिपक्ष के समर्थन में उनकी गतिविधियों का पता था। राजदूत और मैं एक ही लिफ्ट में थे। सौभाग्य से वह उस नमूने के भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्हें साथी भारतीयों पर नजर डालने की फुरसत नहीं होती और उनसे बात करने में उन्हें अपनी हेठी मालूम होती है? इससे मैं एक अटपटी स्थिति में झूठ बोलकर बचने के कष्ट से बच गया।

मैं कई बार इसी तरह बाल बाल बचा हालांकि उन सबका बखान दिलचस्प नहीं होगा। लेकिन एक घटना ऐसी थी जिसमें हास्यप्रद स्थिति के अलावा अकल्पनीय संयोग भी घटित हुआ। वाशिंगटन की एक सड़क के मोड़ पर मैं टैक्सी को बुलाने के लिए खड़ा था कि तभी आई पी आई के एशियाई कार्यक्रमों के भूतपूर्व निदेशक तथा विख्यात पत्रकार **टार्जी विटाची** के और मेरे एक दोस्त सामने पड़ गए। टार्जी और मैं जुड़वां भाई जैसे लगते है और ऐसे असंख्य अवसर आये हैं जब हममें से एक दूसरे को पहचानने में लोग भूल कर बैठते थे। वाशिंगटन के उस दोस्त ने मुझे टार्जी कहकर पुकारा पर जब मैंने *जवाब नहीं दिया* तो वे बोले कि तब फिर मैं रेड्डी हूं। मैंने कहा नहीं, तो वह चकरा गए और बोले, 'क्या एक से तीन लोग भी हो सकते है!' बाद में शायद उन्होंने सोचा होगा कि रेस्तरां में वह जो तीन पैग जिन पीकर *अभी-अभी निकले हैं* उसी का यह कमाल रहा होगा कि एक से तीन लोग नजर आ गए!

जापान में मैं रलवेमेन्स फेडरेशन के एक सदस्य **नम्बियार** के रूप में घूमा। मेरे साथ हुई भेटवार्ताओं तथा मेरी गतिविधियों की खबरों में मेरा नाम नम्बियार बताया जाता था। लेकिन **जापान टाइम्स** के संपादक ओगावा से प्रेस क्लब में मिलने के बारे में मुझे दुविधा हो रही थी। हमारे दूतावास का प्रेस सेक्रेटरी अधिकांश समय वहीं रहता है। सौभाग्य से ओगावा से तथा उनके जरिये जापानी अखबारों के साथ भारत पर मेरा बातचीत के समय वह क्लब में नहीं आया।

मैं यह नहीं कह सकता कि अपना भेद छिपाने के लिए मैंने हर तरह की सतर्कता बरती थी। विदेशों से मैं अछूता निकल आया इसका मुख्य कारण मुख्यतः हमारे विदेशी दूतावासों का निकम्मापन ही था।

उत्तरी अमरीका के दौरे में मैं न्यूयार्क, वाशिंगटन, शिकागो और ओटावा गया। काम का ढंग और उद्देश्य वहां भी वही थे जो यूरोप में थे। अखबारों के संपादक और स्तंभ-लेखक उदार मतों के नेता ट्रेड यूनियन और कुछ सरकारी विभागों के लोग मेरे मुख्य निशाने थे। मैं ऐसे अनेक लोगों से मिलने में सफल हुआ और वे सभी संवेदनशील तथा सहानुभूतिशील निकले। लेकिन ठोस समर्थन

और सहयोग के क्षेत्र म निराशा ही अधिक हाथ लगी—सिवा अखबारी सपादको और स्तभकारो के। मेरे दौरे और समाचारपत्रो से मेरे सपक के कारण न केवल वाशिंगटन म अपने दूतावास के जबदस्त और कारगर प्रचार अभियान का जवाब देने म मदद मिली बल्कि उन्हे श्रीमती गाधी के विरुद्ध तथा भारतीय प्रतिपक्ष के पक्ष मे स्पष्ट और सक्रिय रूप स सगठित करने म भी सफलता मिली। जो लोग स्पष्ट रूप से हमारे समथक नही बन सके व भी कम से कम श्रीमती गाधी की दलीलो को सन्देह की नजर से देखने लगे।

लेकिन अमरीकी विदेश विभाग तथा उदार सीनेटरो के रवये से मुझे बहुत निराशा हुई जबकि माना यह जाता है कि उन्हे मानव अधिकारो की चिंता है। एक उच्च विदेश विभागाधिकारी स मेरी मुलाकात तय हुई थी, पर उस एक निचले दर्जे के अधिकारी स मुलाकात म बदल दिया और मुलाकात के दिन मुझस कहा गया कि मैं किसी तीसरे व्यक्ति स जाकर मिलू। मैंने समझ लिया कि विदेश विभाग को मेरी यात्रा पर कोई प्रसन्नता नही है इसलिए मैं मिलने नही गया। सीनेटर कनेडी के साथ भी मेरी जो मुलाकात तय हुई थी वह आखिरी क्षण रद्द कर दी गई। जाहिर ही उन दिनो अमरीकी सरकार की सोच और दृष्टि बदल रही थी जिसकी पुष्टि इस बात से हो गई कि वे श्रीमती गाधी के नजदीक आने की कोशिश कर रहे थे और खुद अमरीकी प्रवक्ता जिस घटना को भारत म जनतात्रिक अधिकारो का खात्मा कह चुके थे उसके लिए बहाने ढूढ रहे थ।

अब यह स्पष्ट हो चुका था कि अमरीका की बहुराष्ट्रीय कपनियो को अपने कारोबार के लिए भारत म बहुत अनुकूल वातावरण नजर आ रहा था और वे विदेश विभाग को प्रभावित करने मे सफल हो गई थी। अमरीकी सरकार का विचार इसस भी बदला होगा कि श्रीमती गाधी की पकड दृढ और प्रभावशाली दिखाई देने लगी थी तथा उनका कोई पुरअसर विरोध नजर नही आ रहा था। अत अन्य सरकारो की तरह अमरीकी सरकार भी भारत की परिस्थितियो की तथाकथित वास्तविकता की उपेक्षा करने का खतरा नही उठा सकती थी।

पर मुझे तथाकथित पूर्वी उदारवादी प्रतिष्ठान के रवये पर बहुत आश्चय हुआ। इस समूह के अनेक नेता—चाहे वे प्राध्यापक किस्म के हो या लेखक या अन्य—भारतीय स्थिति पर विचार विमश तक करने को तैयार नही थ। इन दलो के वास्तविक मतव्यो का मुझे कोई सीधा ज्ञान नही है पर अमरीका म उदार राजनीतिक विचारको द्वारा तानाशाही स लडने वाले हम लोगो का समथन न मिलने के कई कारण सोचे जा सकते हैं—इनम अमरीकी अखबार जरूर अपवाद हैं। निक्सन की निकासी के बाद स इनकी आशनाई अमरीकी सरकार से बढ गई थी यह जाहिर है इसलिए शायद उसका यह प्रभाव रहा हो। मुझे ऐसा भी लगा कि अमरीकी प्रतिष्ठान बहुराष्ट्रीय कपनियो के असर म है। अमरीकी

उदारवादी किसी भी स्थिति का आकलन सतही ढग से करने के दोषी तो है ही। जिन लोगो को मैं बरसो से निजी तौर पर जानता हू वे सुनने तक को तैयार न हो यह मानना मुझे कठिन लग रहा था।

इसका एक उल्लेख्य उदाहरण 'पूर्वी उदार प्रतिष्ठान' के एक प्रमुख सदस्य मे मिला जिनके साथी प्रसिद्ध चेस्टर बौल्स और गालब्रेथ भी हैं। अपनी अमरीकी यात्रा के अतिम समय म मैं उनसे सपक कर पाया और वे भी मुझसे मिलने को काफी उत्सुक थे। पर वह हो नही सका। इसलिए उन्होन कहा कि वह जल्दी ही भारत आन वाले है जहा मुझसे मिलेंगे। लकिन जब जनवरी 1976 म मैंने उनसे मिलने की कोशिश की तो वह अनिच्छुक दीख और मुझे यह जतान लगे कि भारत क अदरूनी मामला म उलझना उनके लिए उचित नही होगा। उनकी बाता से आभास मिला कि भारत आने से पहले उनकी विद्वत मडली न सोच समझ कर यह रवैया अपनाना तय किया है। भारत मे तानाशाही के प्रति अमरीकी उदारवादियो के इस अप्रत्याशित रहस्यमय रवये के बारे म अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी और मैं पूरे तथ्यो से अवगत भी नही हू। निश्चय ही इस पर जल्दी ही कोई प्रकाश डालेगा।

पर उत्तरी अमरीका मे ट्रेडयूनियनों के साथ मेरा अनुभव काफी सतोषजनक रहा। यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि अमरीका और कनाडा दोना जगह सशक्त टेडयूनियना ने आपातस्थिति की घोषणा और ट्रेडयूनियन अधिकारो के रद्द किए जात ही श्रीमती गाधी के प्रति बहुत सख्त विरोध का रवया अपनाया था। उनका यह रवैया आपातस्थिति के अत तक जारी रहा। लकिन एकजुटता की उनकी इस भावना को मदद का ठोस रूप दिलाना कठिन था।

अमरीका और कनाडा म हालाकि मैं सहानुभूतिशील माने जानवाल समूहो और सस्थाओ से समयन एव सहयोग जुटाने म विफल रहा, पर मैं उन भारतीय दलो को सक्रिय करने में समथ हुआ जिन्होने पहले ही श्रीमती गाधी क विरुद्ध काफी सगठन कर लिया था। विदेशों म जितने भारतीय है उनमे सबसे सक्रिय सगठन शायद अमरीका म ही था। सारी आपातस्थिति के दौरान वे उस देश के जनमत को प्रभावित करते रहे और भारतीय दूतावास को अपना पक्ष पश करन मे लोहे के चने चबाने पडे। ये दल केवल अखबार निकालने और सभाए करने तक सीमित नही थे। श्रीमती गाधी का ज्यो ही कोई दूत किसी सभा म बोलन जाता ये दल वहा पहुच जाते, अमरीका मे भारत का एक भी मत्री या श्रीमती गाधी का दूत किसी बठक म अपने भाषण म सफल नही हो सका। हर एसी बैठक म ये दढसकल्प भारतीय उनसे असुविधाजनक सवाल पूछ बैठते और श्रीमती गाधी के प्रयत्नो का नतीजा उल्टा होता। य हालात देखकर बाद म मत्री तथा अन्य लोग रेस्तरा म छोटी छोटी समथको की बठको म बोलते थे और इन नगण्य

बठकों की समाचार क ज़रिय भारत म बडी तथा सफल बठकों के रूप म प्रचारित करात थे।

स्वदेश लौटते हुए मैंन जापान का सक्षिप्त दौरा किया। पर जितना समय मैंने वहा बिताया उसके अनुपात म नतीज़ा बहुत अच्छा मिला जितना कि शायद किसी और देश म नही। जापान की रेल मज़दूरो की यूनियन हमारे समथकों म सबसे आगे थी और श्रीमती गाधी से क्षुब्ध होन का उनका खास कारण था। आपातस्थिति स पहल रेल हडताल म जाज फर्नांडीस को उन्होंने काफी चदा दिया था जिस स श्रीमती गाधी ने उन लोगो को सी० आई० ए० का एजेंट कह दिया था। जापानी जनमत जिसम सरकारी मत भी शामिल है श्रीमती गाधी क विपरीत था तो खासकर इसीलिए कि उन्होंन जापानी रेल यूनियनो पर भारत म विरोधी दलो को सी० आई० ए० का पसा देन वाला मुख्य माध्यम होन का आराप लगाया था।

ऐस निराधार और निरथक आरोपो के कारण जापान का प्रमुख श्रम महासघ ट्रासपोट वकस फडरेशन जापान की दानो सोशलिस्ट पार्टिया और प्रभावशाली समाचार पत्र श्रीमती गाधी स नाराज़ थे। इस अत्यत अनुकूल वातावरण से लाभ उठाना आसान था। रल मज़दूरो की यूनियना और श्रम महासघा न उत्साहपूवक समाचारपत्रा तथा अन्य लोगो स मरा सपक कराया। उन्होन भारत की वास्तविक स्थिति समझाने और श्रीमती गाधी की नीयतो का पर्दाफाश करने म मदद की। पर लदन की कमेटी को जापान स वित्तीय मदद हमारी आशा स बहुत कम रही। मैंन सोचा था कि जापान स कम स कम 2500 अमरीकी डालर लन्दन कमटी को मिल जाएग। पर वहा 2000 डालर स अधिक नही पहुचे। इसकी क्षतिपूर्ति कुछ हद तक इस प्रकार हो गई कि उन्होंन लन्दन कमेटी की तरफ स प्रचार सामग्री प्रकाशित करने और वितरित करन का जिम्मा ल लिया। मरी पुस्तिका इदिराज इडिया एनटमी आफ ए डिक्टेटरशिप का जापानी म अनुवाद हुआ और इसका व्यापक प्रसार हुआ तथा सहानुभूति अर्जित हुई।

विदेश जाने स पहल जाज और मेरे बीच विदेशी वित्तीय सहायता की सभावना और स्वीकायता पर बातचीत हुई थी। हमने तय किया था कि यदि ऐसा प्रस्ताव आएगा तो उसे भी हम ठुकरा देंगे अत मागन का तो कोई सवाल ही नही था। उस समय हम अपने सीमित सगठन का खच चलाने म भी बहुत अधिक कठिनाई हो रही थी। कई बार जाज के लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदना मुश्किल हो जाता था। फिर भी किसी विदेशी गुप्तचर सवा से किसी भी प्रकार के सबध के खतरो स हम आगाह थे। खुद सी० आई० ए० ने हमारे जस आन्दोलनो को मदद देन क बरसो बाद जानबूझकर यह भेद खोलाथा जिसस उन

आदोलनों क नेताओ की स्थिति खराब हुई थी। हम ऐसी किसी प्रेत बाधा को नही आन देना चाहत थे। सी०आई०ए० या वैसी किसी अन्य एजेंसी से मदद मागना और पा लना काफी लुभावना था क्योकि हम जिस परेशानी म थ उसम हार कर सारी सतकता छोड दे सक्त थे। पर मुझे खुशी है कि अत तक हमन भारत म अपने आदोलन के लिए ऐसी मदद न तो मागी न स्वीकार की। लदन की कमेटी को भी जो थोडी बहुत मदद मिली वह ट्रेड यूनियनो जसी खुली सस्थाओ स, या फिर व्यक्तिगत चदा से।

मुझम कोई राजनीतिक महत्त्वाकाक्षा नही है, पर जाज फर्नांडीस अगर ऐसी कोई मदद ले लेत जो कि व एजेंसिया न केवल दे देती बल्कि खुशी खुशी देती तो हमेशा क लिए उनकी गदन पर तलवार लटक जाती। हमारी यह सोच तथा दृष्टि जो कि हमन व्यापक रूप से जाहिर कर दी थी, सी० आई० ए० तथा अन्य एजेंसिया के पास भी पहुच गई होगी। शायद यही कारण हो कि उनम स किसी ने मुझस आग्रहपूवक सपक करन या मदद का प्रस्ताव करने का साहस नही किया।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस न मुझे विदेशी समुदायो अखबारो सस्थाओ और व्यक्तियो स जाज फर्नांडीस क आदोलन क लिए प्रमुख सपकसूत्र बताया। भारत मे जितनी भी गुप्तचर सेवाए हैं—सी०बी०आई०, आई०बी० और रा वे हमारे आदोलन का आर्थिक रिश्ता सी०आई०ए० और अन्य विदेशी स्रोतो स जोडन की जी-तोड कोशिश करते रह। उनकी पूछताछ का एक मुख्य आधार हमारे आर्थिक स्रोत का पता लगाना था और उन्होंने मुझे जबदस्ती सी० आई० ए० से अपन सबध कबूल करान की कोशिश की। हकीकत यही थी कि विदेशी स्रोतो स भारत मे एक डालर भी नही पहुचा था। पर मुझ शक हुआ कि इटलिजेंस ब्यूरो न यह खबर फला दी है कि विदेशो स हमारे आर्थिक सबध थ। गुप्तचर सेवाए डिक्टेटर का मनचाहा राग अलापन को तयार थी। लेकिन इटलिजेंस ब्यूरो का तब और आज भी कई लोगो को आश्चय होता होगा कि हमारे भूमिगत आदोलन को प्रोत्साहन देने म किसी भी विदेशी एजेंसी की रुचि नही थी। इसम शक नहीं कि यदि मैं सकेत दता तो मेरी यात्रा क दौरान ऐस सपक बन सकत थे। और वस्तुत मुझ ऐसी एक घटना याद है जिसम मुझे फसान की एक कोशिश जरूर हुई थी—और मेरा अनुमान काल्पनिक नही है।

रिचडसन नामक एक व्यक्ति लेखक क रूप म मुझस न्यूयाक म आ टकराया और पूछा कि हम पसो का प्रबध कस करत हैं। जब मैंन उस बता दिया कि हम बहुत कष्ट म हैं तो उसन मुझे एक एस सगठन म मिलान का वादा किया जो हमार जसे आदोलनो की मदद करता है। दोस्तो ने मुझ आगाह कर दिया कि वह सगठन वस्तुत सी० आई० ए० का ही कोई मच है, और मैंन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया।

9
हमारे विदेशी मित्र

आपातस्थिति की घोषणा होते ही विदेशों में बसे अनेक भारतीय उठ खड़े हुए और उन्होंने विदेशों में प्रचार अभियान चलाने के लिए संगठन बना लिए। कुछ समय तक ऐसे देशों में हरेक में एक एक संगठन था, तथा कुछ में एक से अधिक भी। इनमें किसी तरह की ईर्ष्या नहीं थी पर समन्वय न होने के कारण एक ही काम कई जगह दोहराया जाता तथा संयुक्त प्रयास न हो पाते। अमरीका में इंडियन्स फार डिमाक्रेसी के गठन लंदन में फ्री जे० पी० कमिटी की सफलता के बाद ये दो संगठन विदेशों में सभी अन्य भारतीय संगठनों को एकजुट करने तथा तालमेल बठाने में कामयाब हो गए।

फ्री जे० पी० कमिटी का गठन 27 जून 1975 को हो गया जिसके नेता फिलिप नोएल-बेकर थे और उनके सहायक अनेक विख्यात राजनेता विद्वान कलाकार तथा सार्वजनिक कार्यकर्ता थे। कमेटी के मूलप्राण थे सारल हूगा, एस० के० सक्सेना और धर्मपाल। सोशलिस्ट इंटरनेशनल एमनस्टी इंटरनेशनल और ट्रेड्यूनियन संगठनों खासकर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्क्स फेडरेशन का उन्हें ठोस समर्थन प्राप्त था। कमेटी को अनेक विदेशी सरकारों का भी विश्वास प्राप्त था खासकर पश्चिम जर्मनी और आस्ट्रिया का। इसकी साख इतनी ऊंची थी कि इसकी रिपोर्टों पर ब्रिटिश तथा यूरोपीय अखबार पूरा भरोसा रखते थे। लंदन के टाइम्स, संडे टाइम्स और डेली एक्सप्रेस, जर्मनी के फ्राकफुर्टेर अलजेमीन, पेरिस के ल मोंद और हेलसिंकी के हेलसिंकिन सानोमात जैसे विश्वप्रसिद्ध समाचार पत्र इस कमेटी से सतत संपर्क रखते थे।

कमेटी सरकारों राजनीतिक दलों ट्रेड्यूनियनों उदारवादी विचारकों तथा अखबारों को समाचारों टिप्पणियों और श्रीमती गांधी के दूतों के बयानों के प्रत्युत्तर लगातार भेजती रहती थी। कमेटी को कुछ नेताओं से बयान तथा समुद्री तार दिलाने में सफलता मिली जो वे भारत में जनतांत्रिक आजादियों पर प्रहार करने वाली घटनाओं के होते ही भेजते थे। कम से कम दो बार पश्चिम जर्मनी के विली ब्राइट, आस्ट्रिया के ब्रूनो क्राइस्की और स्वीडन के ओलफ पाम ने श्रीमती गांधी के विरुद्ध स्पष्ट सार्वजनिक बयान दिए। सोशलिस्ट इंटरनेशनल एमनस्टी इंटरनेशनल और ट्रेड यूनियन संगठनों का फ्री जे० पी० कमिटी के साथ घनिष्ठ सहयोग था। इंग्लैंड तथा यूरोप के प्रेस को श्रीमती गांधी के फरेबों से बचाने और आपातस्थिति के अंत तक उनके विरुद्ध बनाए रखने का अगर किसी को श्रेय है तो लंदन कमेटी के सतत तथा अथक प्रयत्नों को ही। मुख्यतः इस

कमेटी की सतकता के कारण ही जॉर्ज फर्नांडीस का जीवन सुरक्षित रह सका तथा उनपर अदालत म कानूनसम्मत मुकदमा चलाए जाने का आश्वासन मिल सका।

फ्री जे० पी० कमिटी न स्वाधीनता दिवस तथा गणराज्य दिवस जसे अवसरो पर कई प्रदशन भी किए और जहा कही श्रीमती गाधी के दूत भाषण करन जाते कमेटी के सदस्य उनका प्रचार निरस्त करने पहुच जाते।

कमटी सतत सतक और सक्रिय रही जिससे कि श्रीमती गाधी अपनी हुकूमत को विधिसम्मत और विश्वसनीय बताने म सफल न हो सकें। उसकी कारवाइया अनगिनत है, फिर भी दो उपलब्धिया विशेष रूप से उल्लेख्य हैं पहली तो टाइम्स मे छह कॉलम का विज्ञापन। यह एक अपील थी जिस पर 700 प्रमुख विश्व नागरिको ने हस्ताक्षर करके भारत म राजनीतिक बदियो की रिहाई और राजनीतिक अधिकारो की पुन स्थापना की माग की थी, और विश्व-समुदाय की अतरात्मा स श्रीमती गाधी पर दबाव डालन की अपील की थी। विश्व के गण्य मान्य लोगो का श्रीमती गाधी के विरुद्ध समथन हासिल करने म इस अपील न नीव के पत्थर का काम किया। लदन कमेटी की दूसरी बडी उपलब्धि स्वराज का प्रकाशन था जिसका पहला अक जुलाई 1975 के आरम्भ म आ गया था। नि शुल्क त्यागभाव स प्रकाशित इस पत्रिका ने दो उद्देश्य पूरे किए। पहला तो यह कि यह सारे ससार म सभावित सहानुभूतिशील तथा भारत म रुचि लेने वाला के पास पहुचती थी और उन्हे समय समय पर भारत क बारे म खबरें प्रदान करती थी। दूसरे यह पत्रिका भारत म भी लगभग एक हजार पतो पर पहुचती थी और वहा विश्व जनमत तथा स्वय भारत की घटनाओ की जानकारी देने वाली प्रमुख स्रोत थी। स्वराज का आखिरी अक माच 1977 के आरभ म आया था।

अमरीका मे विभिन्न भागो म भारतीयो के कई सगठन बन गए जो आपात स्थिति के आरभ से ही सक्रिय हो गए थे। इन सबने मिलकर अगस्त 1975 म इडियन्स फार डिमॉक्रेसी' का गठन किया। तभी यह सस्था भारतीय प्रतिपक्ष की प्रवक्ता बन गई तथा एक सकल्पबद्ध सतक और अथक सगठन के रूप म काम करती रही। अमरीका म इसके 20 स अधिक सक्रिय दल थे जो अमरीका म श्रीमती गाधी के धुआधार प्रचार का सफल मुकाबला कर रहे थे। अमरीकी जनता को भारतीय घटनाओ तथा उनक महत्त्व स अवगत कराने के लिए य इडियन ओपीनियन प्रकाशित करत विश्वविद्यालयो तथा उदार सस्थाओ म सभाए करते, यही नही, निम्नलिखित कार्यों का श्रेय इडियन फॉर डिमाक्रसी को ही है मेडिसन से वाशिगटन तक मानव अधिकार पदयात्रा, सयुक्त राष्ट्र मानव-अधिकार आयोग क समक्ष आवेदन तथा उसक समक्ष साक्ष्य, मानव-अधिकारो के सबध म अमरीकी लोकसभा (काग्रेस) क समक्ष गवाहिया। इसीने यात्रा पर आए विपक्षी

नेताओ क दौरों का प्रबध किया। इडियन्स फार डिमॉक्रसी के लोगो के कारगर प्रयत्नो की विशषता का एक पमाना शायद यह हो सकता है कि इसके चारो सक्रिय सदस्यो—हिरेमठ श्री कुमार पोद्दार आनद कुमार और शिद के पारपत्र जब्त कर लिए गए तथा आनद कुमार की छात्रवृत्ति भी बद हो गई। इडियन्स फार डिमाक्रसी ने न्यूयार्क म 31 जनवरी 1976 को भारतीयो का एक विशाल सम्मेलन भी किया और भारत म जाज फर्नांडीस स मिलने के लिए एक विशेष दूत भेजा जिसन जाज का भाषण टेप करक सम्मेलन म सुनाया।

विदशो म जो भारतीय जनतन्त्र की लौ जलती रही इसका सारा श्रेय लदन की फ्री जे० पी० कमटी और अमरीका म इडियन्स फार डिमाक्रसी क अथक प्रयत्नो को ही है। ये दोनो सस्थाए देश के रचनात्मक एव दीघकालीन हितों का भी ध्यान म रखती थीं। अमरीका म इडियन डवलेंपमेट सोसायटी तथा ब्रिटेन म इडियन डेवलॅपमेट ग्रुप नामक सस्थाओ को इन्हीं न शुरू किया जो कि आपातस्थिति क दौरान भी देश की विकास सबधी जरूरतो के प्रचार प्रसार म लगी रही।

जे० पी० कमेटी और इफाडि स हमारा निरतर सपक रहा। दुतरफा सपक की अच्छी खासी प्रणाली बन गई थी जिससे हमे समय समय पर विश्व जनमत की जानकारी मिलती रहती थी। गिरफ्तारी के बाद भी मैंने लन्दन से तथा उनके जरिए शिकागो म इफाडि से सपक बनाए रखा। बडौदा मे हुई गिरफ्तारियो की तथा फिर मेरी और अन्य लोगो की गिरफ्तारी की खबर तत्काल लदन पहुच गई थी। उन हालात म हमारा यह डर सही था कि जाज को जान का खतरा है और पकडे जाने पर उनकी हत्या की जा सकती है। मैंने जब 10 जून 1976 को बी० बी० सी० रेडियो पर सुना कि उन्ह कलकत्ता म गिरफ्तार कर लिया गया है तो मैंन लन्दन म यह सदेश किसी तरह समुद्री तार से भिजवाया

ज्यार्ज गभीर बीमार अस्पताल मे।
दवा और डाक्टरी सलाह तत्काल भेजो।

इसक बाद मेरा पत्र पहुचा जिसम आशकाए व्यक्त की गई थी और लदन कमेटी को सलाह दी गई थी कि तत्काल एक सुरक्षा समिति बनाए और जाज से दुव्यवहार न हो सक तथा हम पर खुली अदालत म कानूनसम्मत मुकदमा चल इसक लिए कारवाई करें।

हमारी प्राथना पर तत्काल अमल करत हुए लदन कमेटी न जाज फर्नांडीस सुरक्षा समिति गठित की सोशलिस्ट इटरनेशनल से एक बयान जारी कराया और भारत सरकार को तार देकर आगाह किया कि जाज फर्नांडीस की सुरक्षा तथा जीवन क बारे म आशकाए हैं तथा उनकी रिहाई की माग की। सोशलिस्ट

इटरनेशनल के कहने पर विली ब्राडट, ब्रूनो क्राइस्की (आस्ट्रिया के प्रधानमत्री) और ओलफ पाम (स्वीडन के प्रधानमत्री) न श्रीमती गाधी को तार किया। बाद म जब जाज फर्नांडीस के साथ उनके अनुरूप व्यवहार नही किया जा रहा था, इण्टरनेशनल टासपोट वर्क्स फेडरेशन ने धमकी दी कि उनकी सभी यूनियनें भारतीय जहाजो और हवाई सवाओ का बहिष्कार कर देंगी। जाज फर्नांडीस और उनके सह अभियुक्तो क साथ अधिक बन्तर सलूक नही किया गया तथा खुली अदालत म कुछ न कुछ कानूनी औपचारिकता के साथ मुकदमा चलाया गया ता वह इसलिए कि लन्न कमटी ने तत्परता से जोरदार कदम उठाए थे। इडियन्स फॉर डिमाक्रसी न भी अमरीका म इसी तरह की कारवाई करके मदद पहुचाई।

10

'प्रियवर ओम

एक ही झटके म सारे नागरिक अधिकार छीनकर मानो श्रीमती गाधी ने लोगा की सोचने समझने की शक्ति भी छीन ली। देखने-समझन की ताकत मानसिक विभ्रम से समाप्त हुई या महज भय क कारण इस पर बहस बेमानी है शायद विभ्रम और भय का मिला जुला नतीजा था यह।

दिग्भ्रमित या भयभीत मस्तिष्क से सूझ-बूझ की आशा व्यथ होती है। देश क राजनीतिज्ञो और तथाकथित बुद्धिजीवियो क दिमाग को भय या किंकत्तव्य विमूढता ने कारण लकवा सा हो गया था। मनुष्यो को पशुआ की हालत म ला दिया गया था उन्हे सिफ पट भरने की छूट रह गई थी लकिन उसक बावजूद वे श्रीमती गाधी की सरकार को सीधी सादी तानाशाही कहने को तयार नही थे। माना व इतजार कर रहे थे कि श्रीमती गाधी कुछ लाख लोगों को समाप्त कर दें तब उन्ह डिक्टेटर कहेगे। देश के बाहर कुछ विचारशील लोग भी इसी सतही तथा दृष्टिशून्य मूल्याकन को मानत थे यह सच है तब भी देश क राजनीतिज्ञो और बुद्धिजीवियो की दृष्टिहीनता कसे क्षम्य है ?

26 जून 1975 को घटनाओं के अप्रत्याशित मोड स उद्विग्न लोग भी निरकुश तानाशाही स लडने की परपरागत रीति-नीतियो से परे जाने को तयार नही थे। जो थोड से लोग प्रतिरोध के लिए तयार थ वे भी महज आजमाए हुए सत्याग्रह के हथियार को अपनाने म सतुष्ट थे जो कि एक दु खद दश्य था। गाधी जी के युग म भी सत्याग्रह पूरी तरह कारगर नही साबित हुआ था क्योकि उसम भाग लने वाला से बहुत बडी मात्रा म अनुशासन तथा साहस की माग की जाती थी। इसक अलावा यदि अग्रज सरकार पर विश्व जनमत का या खुद इग्लड के उदार मत वाला का दबाव न होता तो गाधीजी क भी सफल होने म सदेह था। जब ऐसी सरकारो स मुकाबला हो जो विश्व जनमत के दबाव मे न आती हो न उनकी परवाह करती हो जसाकि अधिकाश तानाशाहिया करती हैं क्योंकि उन्ह अतिम नतीजे बहुत दूर तथा अविश्वासनीय लगने है तब शातिपूण विरोध का प्राय कोई प्रभाव नही पड सकता। और 2 अक्टूबर 1975 से मध्य जनवरी 1976 तक चल सत्याग्रह का यही हश्र भी हुआ। सत्याग्रह इस मानो म सफल था कि 30 हजार स अधिक लोगो ने सत्याग्रह करके गिरफ्तारी दी पर इतनी बडी सख्या का भी उस सरकार पर कोई असर नही हुआ जो निमम थी और जिस किसी चीज की परवाह ही न थी। जनता पर उसका प्रभाव नगण्य रहा क्योकि गिरफ्तारी की खबर कही नही छप पाती थी।

ऐसे हालात म सत्याग्रह के पक्षधर न केवल मूखता कर रहे थे बल्कि शायद खुद को धोखा दे रहे थे। यह बहुत सभव है कि सत्याग्रह के ऊचे सिद्धातो की आड म अनेक लोग खुद अपनी कायरता छिपा रहे थे। मेरा मतलब यह नही है कि सत्याग्रह म भाग लेने वाले सभी साहसहीन थे या कि उन्होने तकलीफ नही झेली। यह भी मेरा आशय नही कि अगर बहुत लबे समय बहुत ही अधिक सख्या म लोग जल म रहते तो इसका कोई असर नही पडता। लेकिन ऐसी कारवाई की तत्काल जरूरत थी जिसस लोगो के मन से भय निकल जाए तथा श्रीमती गाधी के गिरोह म भय छा जाए। इस दृष्टि से देखें तो 1975 के अत मे शुरू किया गया सत्याग्रह विफल रहा था।

राजनीतिनो और बुद्धिजीवियो का एक और समूह था जो इतना मूख और दृष्टिहीन था कि उस तानाशाह के साथ सुलह-समझौता करना सभव दीखता था। सुलह समझौता तभी हो सकता है जब आपकी स्थिति मजबूत हो या जब दूसरा पक्ष किसी न किसी रूप म यथापूव स्थिति कायम कराने का इच्छुक हो या उसके लिए बाध्यता महसूस करता हो। 26 जून 1975 से लेकर जब श्रीमती गाधी ने चुनाव करान का एलान किया, तब तक य दोनो ही शर्तें और परिस्थितिया सिरे से गायब थी। जरा सी भी प्रतिरोध क्षमता वाले को गिरफ्तार कर लिया गया था, अत प्रतिपक्ष कतई निबल था। श्रीमती गाधी के चेहरे पर शिकन तक न थी। कई बार वह एलान कर चुकी थी कि 25 जून 1975 की ओर लौटन का कोई सवाल ही पदा नही होता। अपने नियत भी उन्होने स्पष्ट कर दी जब उन्हाने कहा कि प्रतिपक्ष अभी दब गया है पर समाप्त नही हुआ है। इसलिए सुलहवाता का प्रयत्न नितात निरथक और निष्फल था बल्कि उससे देश म बचा खुचा प्रतिरोध का साहस भी क्षीण हो जाता।

लकिन समझौता कराने वाला की भरमार थी जो श्रीमती गाधी और उस हर व्यक्ति क बीच आने जान को तैयार थे जो उनकी राय सुन ले। चाहे व यह मानत हो कि सवनाश म कुछ न कुछ बचा लिया जाए, यानी यह मानते हो कि श्रीमती गाधी बुनियादी तौर पर लोकतत्रवादी हैं जिन्ह व्यक्तिगत आजादी मे निष्ठा है उन लोगो की समझ के बारे म बहुत उदार होकर कहा जाए तो यही कहा जा सकता है कि उनके विश्वास तथा दयनीय प्रयत्न न केवल भटक हुए थ बल्कि विशुद्ध कायरता की देन थे। सरकार जानबूझ कर ऐस प्रयत्नो को प्रचारित करती थी ताकि झूठी आशाए जगें और तानाशाही से लडन का सकल्प जिन्होने किया है वे कमजोर हो।

दुर्भाग्य स सुलह-वाताओ ने परोक्ष रूप स न केवल एक नष्टप्राय प्रतिपक्ष को अधिक कमजोर कर दिया बल्कि भयानक दिक्कता के बावजूद जो लड रह थ उनपर भी प्रहार किया। इसस कोई फक नही पडता कि यह काम वास्तविक

को तयार है इसलिए वह चुनाव मे आसानी से जीत जाएगी, और मुख्यत इसी धारणा ने उन्ह चुनाव कराने को प्रेरित किया होगा। पर उनकी अपनी प्रत्याशाए तहस-नहस करके उनपर मारक प्रहार करने वाली जो घटनाए तथा परिस्थितिया सामने आइ वे विपक्ष के लिए भी उतनी ही अप्रत्याशित थी जितनी कि स्वय श्रीमती गाधी के लिए।

भूमिगत आदोलन के लिए अथवा किसी भी रूप म तानाशाही के प्रतिरोध के लिए मैंने जो प्रयत्न किए उस अनुभव ने देश के राजनीतिक बौद्धिक तथा बुद्धिजीवी पेशे से सबद्ध अगुवा वग की मानसिक दशा और सकल्प की स्थिति स्पष्ट कर दी थी। सहसा विश्वास नही होता था कि देश का नेतत्वकारी तबका अपना सारा पौरुष खो चुका है तथा वह तानाशाही और आपातस्थिति म जीने को तैयार है।

यह सही है कि जनता के मन म भय जानबूझकर तथा बहुत गहराई से बठा दिया गया था। बेशुमार गिरफ्तारियो ने ही अरक्षा की भावना फैला दी थी। श्रीमती गाधी के ज्ञात विरोधियो या सभावित विरोधियो को पकडा जाता तब भी कोई बात थी। पर ऐसे लोगो को भी जेलो म ठूस दिया गया जिनका किसी भी राजनीतिक आदोलन से सबध नही था या जो शायद ही किसी प्रतिरोध की कारवाई मे भाग लेते। स्पष्टत जनता को आतकित करने और तानाशाही को पूरा समथन देने पर विवश करने की दष्टि से ऐसा किया गया था। पूरे आपात काल मे खासकर शुरू के महीनो मे जानबूझ कर सरकार की ओर से ऐसी अफवाह उडाई गइ जिससे लोगो को लगे कि गुप्तचर विभाग सवज्ञ और सवत्र विद्यमान है। बस, ट्रेन या क्यू म मामूली टीका टिप्पणी करने वालों को भी पकड लिया गया है ऐसी कहानिया चारों तरफ फैला दी गइ। जानबूझकर यह भावना फैलाई और बढाई गयी कि हर जगह कोई खुफिया आदमी नजर गडाए बैठा है और जरा सी टीका टिप्पणी करने पर फौरन सजा मिल जाती है।

कहा जाता है कि अब सरकारों को बदूक की जरूरत ही नही है। आतक फला देना ही पर्याप्त है। किसी की हत्या करने या जेल म डालने की भी जरूरत नही है।

लोगा की जिन्दगी और आजादी छिन जाने का भय व्यापक और कारगर तरीके मे फला देना ही काफी है। इस तरह के डर को हर तरह से बढावा दिया गया। जो लोग बुनियादी आजादियो के लिए प्रतिश्रुत थे और उनकी रक्षा चाहते थे वे भी इस भय से मुक्त नही हो पा रहे थे। 25 जून, 1975 तक जो राजनीतिक नेता जुझारू दीखते थे और श्रीमती गाधी स लडने के लिए कटिबद्ध दिखाई देत थे वे गिरफ्तारी की या अपना कुछ छिन जाने की सभावना मात्र स ढेर होने लगे—यह ददनाक दश्य था। हमशा विचार ही नही कम म भी अगुवा होने का

दावेदार बुद्धिजीवी अपना सिर छिपाने के लिए भागता नजर आ रहा था।

उनके इस शमनाक व्यवहार के लिए बहुत सारे बहाने पेश किए गए। सबसे अधिक प्रचलित बहाना यह था कि वे हिंसा म विश्वास नहीं रखते और यह कि सवधानिक तथा शातिपूण साधनों के पुनरुज्जीवन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक अय कामचलाऊ दलील यह थी कि प्रतिरोध करने पर श्रीमती गाधी भी दमनचक्र तेज कर देंगी तथा बड़े पमाने पर हत्या के लिए वाध्य हो जाएगी। अहिंसा सविधानवाद या जनकल्याण—कोई न कोई आड सुलभ थी। यह कोई स्वीकार नहीं करता था कि ये सारे बहाने महज़ कायरता या सकल्पहीनता की देन हैं।

यहा तक कि गुजरात और तमिलनाडु म जो विपक्षी सरकारें थी उनम भी राजनीतिक सकल्प का दुखद अभाव था।

गुजरात सरकार अहिंसा और सविधाननिष्ठा क नाम पर अपना बचाव करने लगी। श्रीमती गाधी उस सरकार को उलटकर या बर्खास्त कर अपने हाथ म सत्ता ल लगी यह अनिवाय दीखता था पर राज्य सरकार जनता का इसके प्रतिरोध के लिए शिक्षित और सगठित करने को तैयार ही नही थी। आम तौर पर माना जाता था कि भूमिगत कायकर्त्ताओं के लिए गुजरात सर्वोत्तम पनाहगाह है। आपातकाल लागू होने के आरभिक महीना म यह बात कुछ हद तक सच थी। पर ज्यो ज्यो समय बीता और श्रीमती गाधी ने दबी छिपी धमकिया देना शुरू किया गुजरात सरकार को वह मामूली भूमिगत गतिविधि भी अखरने लगी। वहा भूमिगत प्रचार-साहित्य छापना या बैठक करना भी कठिन होता गया। गुजरात के हाथ पर फूल गए थे और उसने प्रतिरोध के बजाय केंद्र से सहयोग करने म ही अपनी खर समझी।

तमिलनाडु की द्रमुक सरकार का वर्ताव इस अथ म भिन्न था कि द्रमुक तथा उसके नेता करुणानिधि श्रीमती गाधी के नहले पर दहला लगाने की आशा रखते थे। उन्हें शायद यह मूखतापूण विश्वास भी था कि इतने बड़े बहुमत के रहत श्रीमती गाधी उनकी सरकार को बरखास्त करने की हिमाकत नही करेंगी। उनका ख्याल था कि अगर श्रीमती गाधी ने ऐसा किया तो इस जनता दक्षिण पर उत्तर भारत के हावी होने की कुचेष्टा मानेगी और इसलिए तमिलनाडु की जनता इसका पुरज़ोर और व्यापक विरोध करेगी।

सत्ता म आने से पहले तक द्रमुक एक जुझारू पार्टी थी, पर अब वह जनता से कटी हुई कोरी चुनाव पार्टी रह गई थी। भ्रष्टाचार और भाइ भतीजावाद छाया हुआ था और पार्टी तथा उसकी चुनाव मशीन अब सत्ता म बदरबाट तथा लाइसेंस ठेकों के सौदो पर निभर थी। लगभग दस वष के निबध सत्ता भोग क दौरान द्रमुक का नेतत्व शायद यह मानने लगा था कि इसी तरीके से व हमेशा हमेशा सत्ता बनाए रख सकत है।

जन 1975 के अत से लेकर अपनी गिरफ्तारी तक मैं मद्रास म द्रमुक के नेतत्व से कम से कम महीने मे एक बार अवश्य मिलता रहा। जॉज फर्नांडीस स्वय करुणानिधि से दो बार मिले। इन मुलाकातो म हम उन्हे बताना चाहते थे कि श्रीमती गाधी तमिलनाडु मे द्रमुक की सरकार नही चलन द सकती, और किसी न किसी तरह वह इससे नजात पा लना चाहेगी। हमने उन्हें इसके लिए तयार होने का आग्रह किया। तैयार होने का एकमात्र तरीका जनता को प्रतिरोध के लिए शिक्षित और सगठित करना ही था। दुर्भाग्य से करुणानिधि ने कभी भी हमारा दष्टिकोण नही समझा और वह मानते रह कि विधान सभा म उनके विशाल बहुमत तथा हथकडबाजी म खुद उनका प्रमाणित एव सफल कौशल के सहारे वे श्रीमती गाधी की चाल नाकाम कर देंगे। उनके इस दृष्टिकोण के चलत हम न तो उन्हे भावी मुठभेड के लिए तयार करा सके, न ही अपने आदोलन के लिए मामूली स अधिक समथन प्राप्त कर सके।

द्रमुक नेतृत्व मे हमारी जसी सोच वाले व्यक्ति केवल एरा सेझियन थे। परिस्थिति की उनकी पकड गहरी थी और हमारी तरह वह भी मानते थे कि श्रीमती गाधी ने जो कुछ किया है वह विशुद्ध तानाशाही के अलावा कुछ नही है जिसका मुकाबला सकल्प और साहस से ही किया जा सकता है। द्रमुक नेतत्व म प्राय वह अकेल ही थे जिन्होने द्रमुक पर आसन्न खतरा पहचान लिया था। दुर्भाग्य से द्रमुक के उच्च नेतत्व म उनकी ज्यादा नही चलती थी और करुणानिधि की राय पर उनके विचारों का प्रभाव नही पड सका। इसके बावजूद वह हमारे लिए शक्ति के एक बडे स्रोत बने रहे।

सरकारी सूत्रो के जरिए लगभग पद्रह दिन पहले ही मुझे पता लग गया था कि द्रमुक सरकार बरखास्त होने वाली है। मध्य जनवरी म मैं द्रमुक को आगाह करने मद्रास गया। हालाकि उस खबर से वे विचलित हो गए पर उन्होने इस सूचना का उपयोग करके अपने हथियार पने नही किए। कयामत की रात से दो एक दिन पहले उन्होंने थोडे-बहुत हाथ-पर पटके पर वह भी पिनपिनाहट से अधिक साबित नही हुआ—तमिलनाडु की जनता के नाम विदाई सदेश मे करुणानिधि पिनपिना कर रह गए। द्रमुक मत्रिमडल की बर्खास्तगी से दो दिन पहले करुणानिधि के एक विश्वस्त सहयोगी जॉज फर्नांडीस से मिलने के लिए छटपटा रहे थे। काफी कठिनाई के बावजूद दिल्ली म उसका प्रबध किया गया। बहुत विलम्ब हो चुका था, फिर भी उस मुलाकात म तय किया गया कि द्रमुक नतृत्व को भूमिगत करने का तत्काल प्रबध किया जाय, और हम लोग भी अपने आदमी तथा साधनो के जरिए तमिलनाडु मे प्रतिरोध सगठित करने म मदद करेंगे। उस व्यक्ति को मद्रास लौटने से रोककर हैदराबाद या बगलौर म ठहरन की राय दी गई। एक फरवरी को मैं उनसे मद्रास से सपर्क करूगा यह तय हुआ।

इस बीच करुणानिधि से अपेक्षा की गयी कि व अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ राष्ट्रपति को सख्त विरोध का बयान भेजें तथा तमिलनाडु की जनता को केन्द्र की इस अन्यायपूर्ण कारवाइ के प्रतिरोध का आह्वान दें।

भारी कठिनाइयों के बावजूद हमने अपनी तरफ से पूरी तयारी कर ली। इस निर्णय म साझी करुणानिधि के वह प्रतिनिधि सचमुच बगलौर जाकर कारवाई के लिए स नद्ध हो गए। योजना के अनुसार एक फरवरी को मैं मद्रास पहुंच गया।

मुझे यह देखकर धक्का लगा कि करुणानिधि घुटने टेक चुके थे। पहले तो मैंने सोचा कि अखबारो म छपा उनका वक्तव्य सेंसरशिप के कारण ऐसा दीख रहा है लेकिन उनके पूरे बयान म वास्तव म मामूली सा धिक्कार भी नही था। इसके विपरीत उन्होंने तमिलनाडु की जनता से अपील की थी कि वह शात रहे तथा केन्द्र स सहयोग करे। सहयोग की इस भावना के प्रमाणस्वरूप उन्होंने बगलौर स अपने उस प्रतिनिधि को मद्रास आकर समर्पण करने पर विवश किया।

हालाकि ऐसे आत्मघाती व्यवहार के आगे कुछ भी नही किया जा सकता था, पर मैंने करुणानिधि को चेतावनी दी कि अपने हाथ स मौका खोने के बाद वह कभी प्रतिरोध सगठित नही कर सकेंगे और यही नहीं श्रीमती गाधी करुणानिधि की निजी तथा राजनीतिक हैसियत मटियामेट करने म कोई कसर नही छोडेंगी। उनके मुह स यह सुनकर हसी आती थी कि वह श्रीमती गाधी को एक महीने का वक्त और दे रहे हैं और अगर इतने समय मे उन्हे सतोषजनक उत्तर नही मिला तो वह भावी कारवाई के बारे म सोचेंगे।

जब दो राज्य सरकारो का यह हाल था तब राजनीतिक व्यक्तियो के व्यक्तिगत व्यवहार को समझना कठिन नहा है। राजनीति म रह चुके तथा जुझारू होने का दावा करने वाले लोगो म एसे बहुत ही कम थे जो भूमिगत के समर्थन का खतरा उठाने को तैयार हो। कुछेक तो चोरी छिपे भी कोई योगदान करने का तयार नही थे। गिरफ्तारी स बचे हुए प्रतिपक्षी पार्टियो के लोगो से समर्थन और सहयोग पाने की मेरी चेष्टाए अकल्पनीय मात्रा म निराशाजनक रही।

तथाकथित बुद्धिजीवियो के साथ भी कोइ भिन्न अनुभव नही हुआ। अगर 21 महीनो की आपातस्थिति का इतिहास लिखा जाएगा तो दृष्टिहीनता, कायरता और विशुद्ध बेईमानी के मामले म बुद्धिजीवी को सबसे पहला स्थान मिलेगा।

धूर्त लोग किस देश में नही ह ? लेकिन भारत म जितने सफल धूर्त हैं उतने कहीं नही मिलेंगे। भारतीय बुद्धिजीवी आलसी चपल और जिज्ञासावृत्ति से विहीन है। किसी चीज की अपने आप तहकीकात करने की बजाय वह दूसरा का उद्धरण देकर धन्य हो जाता है। इन तीस वर्षो म उसने दुम हिलाकर जीते रहने की शर्मनाक कला भी सीख ली है। समझौते करने और सत्ता का प्रिय राग

अलापने के लिए वह हमेशा प्रस्तुत रहता है।

अत इसम कोई आश्चय नही कि बुद्धिजीवी श्रीमती गाधी के कृत्य का अथ तथा प्रभाव को समझन म विफल रहा। जिन लोगो की समझ मे कुछ आया भी वे भी शमनाक हद तक कायर निकले। व अपनी जुबान खोलन को भी तैयार नही थे। उनम इतनी बेईमानी भरी थी कि वे समझत थ मानो उन्ह बडी भारी भूमिका अदा करनी है और तानाशाही स लडते हुए आत्मबलिदान कर देना अकलमदी का काम नही होगा । वे अपन आप को समझा चुके थ और दूसरा को समझाने की कोशिश कर रहे थ कि व भविष्य म जरूरत पडन पर देशसेवा के लिए खुद को बचाकर रख रहे ह। वे खुद मान चुक थ और दूसरो को मना रह थे कि वे खुद अपनी तथा अपनी सस्थाओ को भविष्य म अच्छा समय आन तक बचाकर रखें। उनका ख्याल था कि जुल्म-ओ सितम के खिलाफ लडाइ लडने और उसकी अगुवाई करन का फज उनका नही है। वह कोई क्रातिकारी बनन नही निकले है। हर क्राति म अगुवा बुद्धिजीवी रह हैं, पर इतिहास का यह सबक उनके किसी काम का नही है।

जहा राजनीतिनो और बुद्धिजीवियो ने इस शमनाक तरीके से देश स दगा किया वही यह देखकर खुशी भी हुई कि बिलकुल अप्रत्याशित लोगो से सहयोग और समथन हम मिल रहा था। ऐसे कई लोग थे जो हम तथा अन्य प्रतिरोध दस्तो को सहयाग देने के लिए तयार थे बल्कि दे रह थ। उनक नाम पते बताना कठिन था और सहयोग देन के इच्छुक लोगो से समथन की आशा म हमारी जरूरतो का व्यापक प्रचार करने म खतरा था। फिर भी हमारी जरूरत का सहयोग और आर्थिक मदद का बहुत बडा हिस्सा उन्ही लोगों से हासिल हुआ जो कभी राजनीति म नही रह, तथा जिन्ह बुद्धिजीवी होने का मुगालता नही था। ऐसे अनक लोगा ने खुद भी हमारी कारवाइयो म शिरकत की।

उन सैंकडा लोगो को मैं अपनी श्रद्धा अर्पित करना चाहता हू। किन्तु दुभाग्यवश अभी कम से कम कुछ समय तक उनके नाम पत बताना उचित नही जान पडता।

11
विश्वासघात और गिरफ्तारिया

बडौदा म 9 माच 1976 को जो गिरफ्तारिया हुइ तथा जिनके कारण अतत जाज फर्नांडीस के भूमिगत आदोलन के लगभग सभी प्रमुख व्यक्ति पकडे गए उसका श्रेय केन्द्रीय जाच ब्यूरो गुप्तचर ब्यूरो या रा (रिसच ऐंड एनलिसिस विग) की खोजबीन या खुफियागिरी म महारत को नही है। कुछ तो परिस्थितियो के सयोग से और कुछ शरद पटेल की भाग निकलने की व्याकुलता के कारण पुलिस को सुराग मिल गया।

शरद पटेल का जाज और बडौदा ग्रुप से परिचय भरत पटेल ने कराया था जो बाद मे मुकद्दमे मे मुखबिर बन गया। शरद एक व्यापारी था जिसपर लाइसेंसा के दुरुपयोग क कारण केन्द्रीय जाच ब्यूरो की निगाह थी और जिस पर कुछ मुकद्दम भी चल रहे थ। बडौदा ग्रुप ने जरा सी सावधानी बरती होती और तफ्शीश कर ली होती तो उन्हें पता लग जाता कि वह खतरनाक आदमी है। भूमिगत काय के लिए जरूरी है कि जिन लोगो को जिम्मदारी दी जाय वे न केवल साहसी और प्रतिबद्ध हो बल्कि सरकार के सभावित जोर दबाव से भी मुक्त हो। लेकिन फिर भी शरद को जाज की गतिविधियो और आवागमन की भी जानकारी दी जाती रही। उसे भरत से प्राप्त किए गए डायनामाइट का बहुत बडा भडार रखने का जिम्मा दे दिया गया। यह गभीर चूक इसलिए हुई कि बडौदा ग्रुप जल्दी से जल्दी काम शुरू करना चाहता था। सतकता का अथ होता विलब और विलब से बचने की गरज से सारी सावधानी ताक पर रख दी गई।

जनवरी 1976 मे गुजरात सरकार की स्थिति डावाडोल होने लगी थी। दल बदल शुरु हो गया था और लोगों को उसकी स्थिरता सदिग्ध दीखने लगी थी। इस सदेह के कारण आत्मविश्वास घटने लगा। श्रीमती गाधी का सितारा बुलदी पर था। जो लोग हमेशा भारी पलडे की तरफ रहना चाहते हैं और व्यापारी जो हमेशा सत्ताकेन्द्र क नजदीक बने रहना चाहते हैं समझ गए थे कि बाबूभाई पटेल की जगह जिस सरकार का आना निश्चितप्राय है उसके प्रति अपनी वफादारी का प्रदशन फौरन करना चाहिए। उस हालत म गुजरात को भूमिगत आदोलन के लिए सुरक्षित क्षेत्र मानना भूल होती। अतएव जाज ने जनवरी म बडौदा खबर भेजी कि डायनामाइट का सारा भडार वहा से हटा दिया जाय। उसम से कुछ बनारस और कुछ पटना भेजा जाना था। दुर्भाग्य से बडौदा ग्रुप ने उन निर्देशो का पालन नही किया और डायनामाइट का भडार माच के आरभ होने तक शरद पटेल के पास रखा रहा।

अब यह स्पष्ट हो चुका है कि शरद ने अपने काग्रेसी सूत्रो को डायनामाइट के भडार तथा उसके गुजरात स बाहर भेजे जाने की योजना बता दी थी। उन्होने दिल्ली सरकार को खबर कर दी तथा इस तरह गुप्तचर ब्यूरो को इसके पीछे लगा दिया गया। गुप्तचर ब्यूरो माल की निकासी करते हुए लोगो को तथा देश के अ य भागों म जिन्हें यह भेजा जा रहा था उन लोगो को पकडना चाहता था। गुप्तचर ब्यूरो को आशा थी कि बडौदा के लोगो पर नजर रखकर तथा गिरफ्तार करके वह देश के अन्य भागो मे मवद्ध लोगो को पूरे भूमिगत तत्र को और अतत खुद जाज को पकडने मे सफल हो जाएगा।

इसलिए जब डायनामाइट को वाराणसी भेजने के लिए एक ट्रासपोट कपनी के गोदाम मे लाया गया, तो पुलिस ने शरद पटेल को (महज दिखावे के लिए) तथा किरीट भट्ट और जसवत सिंह इत्यादि को गिरफ्तार कर लिया। विक्रम राव ने कुछ दिन बाद आत्मसमपण कर दिया, क्योकि उन दिनो वह बडौदा म नही थे। गोविन्द भाई सोलकी, मोतीलाल कनोजिया और प्रभुदास पटधारी को बाद मे अहमदाबाद म गिरफ्तार किया गया। शरद पटेल को दो महीने बाद छोड दिया गया। अन्य छहो लोगों पर षडयत्र तथा विस्फोटक अधिनियम के आरोपो म मुकद्दमा चला।

बडौदा के लोगो को दिल्ली के ग्रुप के बारे मे प्राय कोई जानकारी नही थी। मेरे बारे म विक्रम राव को छोडकर कोई नही जानता था, वह जाज से मिलने बगलौर तथा मद्रास आये थे तभी मुझसे मिले थे। भरत पटेल तब तक गिरफ्तार हो चुका था और उसने पुलिस को सहयोग का वचन दे दिया था। वह मुझे और दिल्ली म मेरा पता तथा फोन नबर जानता था। मैं ही जनवरी म उससे दिल्ली हवाई अड्डे पर मिला था तथा मैंने जॉज से उसकी मुलाकातों का प्रबध कराया था। गुप्तचर ब्यूरो, जोकि जॉज की तलाश म था, समझ गया कि मैं ही जाज का मुख्य सपकसूत्र हू तथा मेरा पीछा करते हुए वे जाज तक जा पहुचेंगे।

बडौदा म गिरफ्तारियो की खबर 10 माच के अखबारो म नही छपने दी गई। पर राज्यसभा में 10 को ही मनुभाई शाह ने बडौदा मे डायनामाइट तथा कुछ लोगों के पकडे जाने और इससे जॉज तथा उनके भूमिगत आदोलन के ताल्लुकात को लेकर एक सवाल पूछ लिया। हमे 10 तारीख के तीसरे पहर इन गिरफ्तारियों का पता चला जब वीरेन शाह ने राज्यसभा म हुए हगामे की खबर हमे दी। उस समय जॉज दिल्ली म थे और यह जरूरी था कि उन्ह वहा से बाहर भेज दिया जाय तथा बडौदा के लोगों या उनके जरिए जिन लोगों का पता लग सकता है उन सबसे उनके सबध काट दिए जाए। कोई स्पष्ट गतव्य स्थान नही था। जरूरी सिफ यह था कि वे तत्काल दिल्ली छोड दें और गतव्य का आखिरी फैसला बाद म किया जाय। सबसे सुगम हवाई उडान कलकत्ता की थी और वह

11

विश्वासघात और गिरफ्तारिया

बड़ौदा म 9 माच 1976 को जो गिरफ्तारिया हुइ तथा जिनके कारण अतत जाज फर्नांडीस के भूमिगत आदोलन के लगभग सभी प्रमुख व्यक्ति पकडे गए उसका श्रेय केन्द्रीय जाच ब्यूरो गुप्तचर ब्यूरो या रा (रिसच ऐंड एनलिसिस विंग) की खोजबीन या खुफियागिरी म महारत को नही है। कुछ तो परिस्थितियो के सयोग से और कुछ शरद पटेल की भाग निकलने की व्याकुलता के कारण पुलिस को सुराग मिल गया।

शरद पटेल का जाज और बडौदा ग्रुप से परिचय भरत पटेल ने कराया था जो बाद मे मुकद्दमे म मुखबिर बन गया। शरद एक व्यापारी था जिसपर लाइसेंसो के दुरुपयोग के कारण केन्द्रीय जाच ब्यूरो की निगाह थी और जिस पर कुछ मुकद्दम भी चल रहे थे। बडौदा ग्रुप ने ज़रा-सी सावधानी बरती होती और तफ्शीश कर ली होती तो उन्ह पता लग जाता कि वह खतरनाक आदमी है। भूमिगत काय के लिए ज़रूरी है कि जिन लोगो को जिम्मेदारी दी जाय वे न केवल साहसी और प्रतिबद्ध हो बल्कि सरकार के सभावित जोर दबाव से भी मुक्त हो। लेकिन फिर भी शरद को जाज की गतिविधियो और आवागमन की भी जानकारी दी जाती रही। उसे भरत से प्राप्त किए गए डायनामाइट का बहुत बडा भडार रखने का जिम्मा दे दिया गया। यह गभीर चूक इसलिए हुई कि बडौदा ग्रुप जल्दी से जल्दी काम शुरू करना चाहता था। सतकता का अथ होता विलब, और विलब से बचने की गरज से सारी सावधानी ताक पर रख दी गई।

जनवरी 1976 मे गुजरात सरकार की स्थिति डावाडोल होने लगी थी। दल बदल शुरू हो गया था और लोगो को उसकी स्थिरता सदिग्ध दीखने लगी थी। इस सदेह के कारण आत्मविश्वास घटने लगा। श्रीमती गाधी का सितारा बुलदी पर था। जो लोग हमेशा भारी पलडे की तरफ रहना चाहते हैं और व्यापारी जो हमेशा सत्ताकेन्द्र के नजदीक बने रहना चाहते हैं समझ गए थे कि बाबूभाई पटेल की जगह जिस सरकार का आना निश्चितप्राय है उसके प्रति अपनी वफादारी का प्रदशन फौरन करना चाहिए। उस हालत मे गुजरात को भूमिगत आदोलन के लिए सुरक्षित क्षेत्र मानना भूल होती। अतएव जाज ने जनवरी मे बडौदा खबर भेजी कि डायनामाइट का सारा भडार वहा से हटा दिया जाय। उसम से कुछ बनारस और कुछ पटना भेजा जाना था। दुर्भाग्य से बडौदा ग्रुप ने उन निर्देशो का पालन नही किया और डायनामाइट का भडार माच के आरभ होने तक शरद पटेल के पास रखा रहा।

अब यह स्पष्ट हो चुका है कि शरद ने अपने कांग्रेसी सूत्रों को डायनामाइट के भंडार तथा उसके गुजरात से बाहर भेजे जाने की योजना बता दी थी। उन्होंने दिल्ली सरकार को खबर कर दी तथा इस तरह गुप्तचर ब्यूरो को इसके पीछे लगा दिया गया। गुप्तचर ब्यूरो माल की निकासी करते हुए लोगों को तथा देश के अन्य भागों में जिन्हें यह भेजा जा रहा था उन लोगों को पकड़ना चाहता था। गुप्तचर ब्यूरो को आशा थी कि बड़ौदा के लोगों पर नजर रखकर तथा गिरफ्तार करके वह देश के अन्य भागों में संबद्ध लोगों को, पूरे भूमिगत तंत्र को और अंततः खुद जार्ज को पकड़ने में सफल हो जाएगा।

इसलिए जब डायनामाइट को वाराणसी भेजने के लिए एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में लाया गया तो पुलिस ने शरद पटेल को (महज दिखावे के लिए) तथा किरीट भट्ट और जसवंत सिंह इत्यादि को गिरफ्तार कर लिया। विक्रम राव ने कुछ दिन बाद आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उन दिनों वह बड़ौदा में नहीं थे। गोविन्द भाई सोलंकी, मोतीलाल कनोजिया और प्रभुदास पटवारी को बाद में अहमदाबाद में गिरफ्तार किया गया। शरद पटेल को दो महीने बाद छोड़ दिया गया। अन्य छहों लोगों पर षड्यंत्र तथा विस्फोटक अधिनियम के आरोपों में मुकद्दमा चला।

बड़ौदा के लोगों को दिल्ली के ग्रुप के बारे में प्रायः कोई जानकारी नहीं थी। मेरे बारे में विक्रम राव को छोड़कर कोई नहीं जानता था, वह जॉर्ज से मिलने बंगलौर तथा मद्रास आये थे तभी मुझसे मिले थे। भरत पटेल तब तक गिरफ्तार हो चुका था और उसने पुलिस को सहयोग का वचन दे दिया था। वह मुझे और दिल्ली में मेरा पता तथा फोन नंबर जानता था। मैं ही जनवरी में उससे दिल्ली हवाई अड्डे पर मिला था तथा मैंने जॉर्ज से उसकी मुलाकातों का प्रबंध कराया था। गुप्तचर ब्यूरो, जोकि जॉर्ज की तलाश में था, समझ गया कि मैं ही जॉर्ज का मुख्य संपर्कसूत्र हूं तथा मेरा पीछा करते हुए वे जार्ज तक जा पहुंचेंगे।

बड़ौदा में गिरफ्तारियों की खबर 10 मार्च के अखबारों में नहीं छपने दी गई। पर राज्यसभा में 10 को ही मनुभाई शाह ने बड़ौदा में डायनामाइट तथा कुछ लोगों के पकड़े जाने और इससे जॉर्ज तथा उनके भूमिगत आंदोलन के ताल्लुकात को लेकर एक सवाल पूछ लिया। हम 10 तारीख के तीसरे पहर इन गिरफ्तारियों का पता चला, जब वीरेन शाह ने राज्यसभा में हुए हंगामे की खबर हमें दी। उस समय जॉर्ज दिल्ली में थे और यह जरूरी था कि उन्हें वहां से बाहर भेज दिया जाय तथा बड़ौदा के लोगों या उनके जरिए जिन लोगों का पता लग सकता है उन सबसे उनके संबंध काट दिए जाएं। कोई स्पष्ट गंतव्य स्थान नहीं था। जरूरी सिर्फ यह था कि वे तत्काल दिल्ली छोड़ दें और गंतव्य का आखिरी फैसला बाद में किया जाय। सबसे सुगम हवाई उड़ान कलकत्ता की थी और वह

भूपेन्द्र सिंह नाम से सरदार के वेश मे वहीं के लिए रवाना हो गए। इतने कम समय मे उनके साथ किसी को भेजना असभव था, और उनकी गतिविधि गुप्त रखने की दृष्टि से यह वाछनीय भी नहीं था। मैंने उनकी टिकट खरीदी और उन्हे हवाई जहाज पर बठाया। मेरे अलावा सिर्फ ह्यूलगोल परिवार को उनके दिल्ली से पलायन के बारे म मालूम था।

जाज के रवाना होने से पहले मैंने उनसे कहा था कि वह कम से कम चार-छह हफ्ते खामोशी से रहें तथा मुझसे या दिल्ली म अन्य किसी भी व्यक्ति स सपक न करें। यह बहुत जरूरी था कि हम उनका अता-पता या कलकत्ता से बाहर जाने की योजनाए मालूम न रह। जाज ने यह सावधानी नहीं बरती। वह एक दिन के लिए भी सबसे कटकर रहने या निकम्मे बठने को तैयार न थे। अत म इन्ही असावधानियो क कारण वह पकडे गए। मेरे लिए यह हमेशा ही कुतूहल का विषय रहेगा कि पुलिस को जॉज का पता लगाने और गिरफ्तार करने म तीन महीने क्योंकर लग गए? अप्रल म ही तहकीकात के दौरान उसे पता लग चुका था कि जाज 10 माच को दिल्ली से कलकत्ता गए हैं। उस यह भी पता था कि पहले कुछ दिन वह कहा ठहरे हुए थे। इसके बावजूद पुलिस चक्कर म थी। या हो सकता है कि मैंने जो यह कह दिया था कि जॉज कलकत्ता मे दो दिन स ज्यादा नही ठहरगे उस बयान से पुलिस धोखे म आ गई हो। उन्होंने दक्षिण भारत म मेरे एक एक मित्र और सपक सूत्र को छान लिया, और अतत तीन महीने बाद उन्ह यह सुराग मिला कि वह कलकत्ता मे हैं तथा उन्हें गिरफ्तार किया गया।

अब मुझे अपने बारे मे तय करना था। भूमिगत आदोलन का यह सवस्वीकृत सिद्धात है कि अगर एक कडी पकडी जाए तो उससे जुडी बाकी सभी कडियो को गायब कर देना चाहिए। मैं अन्य लोगो से बहुत नही जुडा था, क्योंकि मैं जान बूझकर जाज के अधिकाश सपकसूत्रो के लिए अज्ञात या अपरिचित रहा आया था। जाज से मिलने आए कई लोगो को मैं ही गाडी मे बठाकर ले जाता था पर उनमे से कोई मेरा परिचय या नाम तक नही जानता था। फिर भी लोग यह जानते थे कि जाज से सीधे सपक के गिने चुने माध्यमो मे मैं भी हू। मेरे सामने सवाल था—क्या मैं गायब हो जाऊ? यह करना काफी आसान था। इस विशाल देश म कोई चाहे तो आजीवन भूमिगत रह सकता है। पर भूमिगत हो जाने के बाद मैं क्या कर पाऊगा? इन तमाम महीनो मे मुझे सबसे बडा लाभ यही था कि मैं किसी तरह का सदेह पदा किए बिना एक इज्जतदार लेकिन भ्रष्ट व्यक्ति के रूप म—जिसकी कि अपने पेशे और समाज म ऊची हैसियत है—कही भी आ जा सकता था। इस कारण सरकारी, राजनीतिक, व्यापारिक और बुद्धिजीवी पेशो वाले ऊचे हलको म मेरी पहुच थी। जॉज के भूमिगत आदोलन तथा विदेशी

मित्रों के बीच की मुख्य कडी भी मैं ही था। अगर मैं भूमिगत हो जाता तो य सारे फायदे खत्म हो जात। सबसे अहम बात यह थी कि जानबूझकर मैं जाज के देश-व्यापी भूमिगत कामकर्त्ताओं से कटा हुआ था, इसलिए भूमिगत होकर मैं कोई लाभ नही पहुचा सकता था। इसके अलावा मेरे गायब हो जाने स सदेह बढता। मेरे परिवार पर दबाव पडता और उसे बधक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। सब कुछ सोच विचार मैंने तय पाया कि यह मानकर चलना ही बेहतर होगा, मानो कुछ भी नही हुआ है और किस्मत पर यह भरोसा रखा जाय कि मेरी शिनाख्त नही होगी।

मैंने अपना काम जारी रखने और अपनी गुमनामी के सहार जो कुछ सभव हो करन का निश्चय किया। मुझे मुख्य रूप से फौरन जो काम करने थे वे थ जॉज के लिए दो-तीन सुरक्षित गुप्त अड्डे खोजना जहा वे तूफान थमने तक छिप सकें, बडौदा ग्रुप के कारण पकडे जा सकने वाले लोगा को आगाह करना, और जॉज के प्रमुख सपकसूत्रो तक निर्देश पहुचाना। 16 माच को मैं मद्रास के लिए रवाना हो गया यह दिखाते हुए माना मैं हिन्दू के काम से अपनी नियमित मासिक उडान पर जा रहा हू। वहा से मैं बगलौर गया जहा पुन दिखावे के लिए मुझे सयुक्त कर्नाटक क साथ दो दिन बिताने थे जिनका कि मैं सलाहकार था। बगलौर से बबई होत हुए 24 माच को मैं दिल्ली पहुचा। इन सभी स्थाना पर मैंने प्रमुख सपकसूत्रा को आगाह कर दिया—मद्रास मे एम० एस० अप्पाराव बगलौर म स्नहलता तथा पट्टाभिराम रेड्डी और बबई म बेस्ट यूनियन के नारायण फेनाय को।

हैदराबाद मद्रास और ऊटकमड मे मैंने जॉज के लिए सुरक्षित पनाहगाहें तय कर ली। हमने सारे देश म महानगरों म डाक और टेलीफोन तथा टेलीप्रिंटर पर सदेश भेजने की एक सुरक्षित प्रणाली बना ली थी। मैंने जाज को इसी प्रणाली के जरिए अपनी खोजी हुई सुरक्षित पनाहगाहों की सूचना दे दी तथा सलाह दी कि वह कलकत्ता छोड दें। काश उन्होंने मेरी सलाह मानी होती। अगर वह मान लत तो उनके पकडे जाने की सभावना बहुत कम रह जाती। किन्तु उन्होंने हमारी कारवाइयों के अधिक सक्रिय अड्डा के पास जो कि बिहार और उत्तरप्रदेश म थे, रहने का निश्चय कर लिया था।

25 माच को मैं चिमभर इडियन ऐंड ईस्टन न्यूजपपर सोसायटी की बैठकों म व्यस्त रहा। बैठका के बाद मैं अनौपचारिक विचार विमश म लगा रहा। चूकि देर अधिक हो रही थी मैंने यह कहने क लिए घर फोन किया कि मुझे देर हो जाएगी तथा मैं नौ बजे तक आ पाऊगा। तभी मेरी पत्नी ने बताया कि गुजरात के कोई सज्जन मुझे दिन भर फोन करते रह हैं तथा फौरन मिलना चाहते हैं। मैं समझ गया कि यह भरत पटेल होगा। वह अशोका होटल मे ठहरा था और उसन

कमरा नबर बता दिया था जहा वह शाह के नाम से टिका था। मुझे खटका हुआ कि वह सकट म पड गया है और मेरी सलाह चाहता है। तत्काल मैं होटल पहुच गया। वहा पहुचकर मानो मुझे अतमन ने कहा कि मैं लाबी से उसे फोन कर लू। शाह अपने कमरे म नही था और रिसेप्शन से मुझे पता लगा कि बगलवाला कमरा भी उठा हुआ है तथा दोनो ही देसाई के नाम पर हैं। फर्जी नाम से ठहरना तो समझ मे आता है पर दो कमरे क्या लिए हैं? शकाओ के बावजूद मैंने सोचा कि उससे मिल लेने म ही मेरी खैर है। चुनाचे मैंने देसाई को फोन किया अपना परिचय दिया और मिलने के लिए ऊपर चला गया।

भरत पटेल एक सद दिल रग रग से हिसाबी किताबी और बनतू आदमी है। उसके व्यक्तित्व के इन पहलुओ पर मेरा ध्यान ही नही गया था। वह जरा भी उद्विग्न या अनमना नही मालूम हुआ। वह उद्विग्नता का केवल ढोग कर रहा था। उसने बताया कि गिरफ्तारियो के वक्त यह बडौदा म ही था पर पुलिस को उसपर शक नही हुआ है शरद पटेल ने उसके भतीजे अतुल पटेल को फसा दिया है। उसने किसी तरह उसे दुबाई भेज दिया है पर खुद उसे अब राजनीतिक शरण की जरूरत है तथा जाज से मदद पाने के लिए मिलना जरूरी है। उसकी बात बहुत विचित्र लगी। यदि शरद ने अतुल को फसा दिया था, तो भरत पटेल को भी क्यो नहीं फसाया? पुलिस क्या इतनी मूख थी कि उसपर सन्देह भी न करती? उसकी स्थिति म कोई भी होता और भले ही पुलिस को उसपर सन्देह न होता तो जॉज से सम्पक करने की कोशिश न करता। मुझे फरेब का आभास हो गया इसलिए मैंने उससे ये सवाल नही पूछे। मैंने सिफ इतना कहा कि इस मौके पर जाज से मिलना या इसकी कोशिश करना अक्लमन्दी नही होगी। पर चूकि वह मदद चाहता है इसलिए मैं कोशिश करूगा और जाज का पता लगाऊगा तथा अतुल को ब्रिटेन म शरण दिलाने के लिए जाज से हैरल्ड विल्सन को खत भिजवाऊगा। मैंने उससे कहा कि अगर मैं तत्काल जाज से सम्पक नही कर पाया तब भी मैं विदेशमन्त्री कलेहन को खुद पत्र लिख दूगा जिनसे मैं मिल चुका हू। उसका जाज से मिलना या कोशिश करना खतरनाक है।

उसने मुझे बताया कि जाज से मिलने की उसकी इच्छा का एक अन्य कारण भी है। वह बोला कि दुबाई के पास एक द्वीप बिकाऊ है और वह उसे खरीदने के लिए सौदा कर रहा है ताकि हम वहा एक टासमीटर लगा सक। बडा अदभुत सुझाव था यह उन हालात म। पर मैंने समझदारी से काम लिया कि अपना आश्चय उसपर प्रकट नही किया। मेरा ख्याल है कि वह जितना बडा अभिनेता था मैं भी उससे कम नही था, और मैंने उसे प्रतीति करा दी कि उसका मिशन वास्तव म बहुत महत्त्वपूण है। चुनाचे मैंने उससे कहा कि अभी कल शाम ही मैं एक लम्बे दौरे से लौटा हू और सारे दिन बैठकों म व्यस्त रहा हू। ये ऐसे तथ्य थे

जिनकी पुष्टि उसके पुलिस वाले दोस्त बखूबी कर सकते थे। मैंने कहा कि जॉर्ज को बहुत तेजी से जगहें बदलनी पड रही होंगी तथा अपने पीछे के सुराग मिटाने पड रहे होंगे। लेकिन वह किसी स देशवाहक के माध्यम से मुझे थोडे थोडे दिनो मे खबर देत रहेंगे। शायद स देशवाहक दिल्ली मे ही है पर मुझसे सम्पक नहीं कर सका है। अगले दिन वह मुझसे जरूर मिलेगा तथा मैं भरत पटेल से अशोका के बार मे 26 की दोपहर म आकर मिलूगा। ऐसा लगा कि उसने तथा शायद गुप्तचर ब्यूरो ने भी मेरी गप्प मान ली क्योकि उस रात अशोका से मेरे घर तक किसीने मेरा पीछा नही किया।

अगले दिन दोपहर म भरत से मिलकर मैंने उसे यही बताया कि सम्पक नही हो सका, पर अगले दिन स देशवाहक का मेरे पास आना निश्चित है। मैंने उससे धीरज रखने को कहा और उसने मेरा विश्वास कर लिया।

उसके दूसरे दिन शनिवार था और मुझे उससे अकबर होटल म मिलना था जहा उसने दूसरे नाम से कमरा ले रखा था। इस बार उसे समझाने मे अधिक मेहनत पडी लेकिन मैंने उसे बताया कि दक्षिण से मेरे पास जॉज के लिए कई स देश आए पडे हैं तथा जाज खुद मुझे कुछ निर्देश देंगे। भूमिगत कारवाई म देर कभी कभी हो ही जाती है पर मुझसे सम्पक करना बहुत जरूरी है तथा दिन ढलन से पहले पहले मुझसे सम्पक हो जाना चाहिए। मैंने सुझाव दिया कि हम अगले दिन रविवार 28 माच को पुन मिलें। तय हुआ कि हम इम्पीरियल होटल मे मिलेंगे। भरत पटेल का ख्याल था कि वह बहुत चालाक है तथा अपने नाम और होटल बदल बदलकर वह सोच रहा था कि मैंने मान लिया है कि उसे पुलिस का डर है।

उसे या उसके आका गुप्तचर ब्यूरो को यह पता भी नही था कि न केवल जाज को बल्कि सारे देश म लोगो को स देश दिया जा चुका है कि तलाश बहुत सरगर्मी से हो रही है तथा मुझे जल्दी ही पकड लिया जाएगा, पर मैं उनकी आड बना हुआ था ताकि उन्हे तितर बितर होने का समय मिल जाए। गुप्तचर ब्यूरो को बाद मे इसका अहसास हुआ और पूछ ताछ के दौरान तथा जेल मे कुछ दिनो तक उन्होने मुझसे जो बर्ताव किया वह सजा के तौर पर था, क्योकि मैं तीन बहुत बहुमूल्य दिनो तक उन्हे झासा देता रहा था।

28 माच रविवार को मैं भरत पटेल से उसके कमरे म मिला। पहले दिन ही मुझे आशका हुई कि मेरी बातचीत को शायद रिकाड किया जा रहा है अत मैंने उससे लाबी म मिलने का आग्रह किया, तथा अपने भरसक यह प्रतीति कर ली कि उसके जेब म कोई टेप रेकाडर नही है। लेकिन रविवार की सुबह मैंने समझ लिया था कि खेल खत्म होने को है अत उसके कमरे म जाने को तयार हो गया।

जब मैंने उसे बताया कि जाज से सम्पक नही हो सका, तो वह आग बबूला हो गया। उसने कहा कि मैं उसे झासा दे रहा था, वह उन लोगो (ह्यूलगोल

परिवार) का पता और टेलीफोन नम्बर मांगने लगा, जिनसे घर मैंने जाज से उसकी मुलाकातें कराई थी। उसका खयाल था कि अगर मैं मदद नहीं करना चाहता तो वे करेंगे। जब मैंने कहा कि निर्दोष लोगों को मुसीबत में डालने को मैं तैयार नहीं हूं तो वह बोला कि वह वीरेन शाह से मदद लेगा। अब तो ढोंग बनाए रखने की जरूरत नहीं रह गई इसलिए मैंने उससे सीधा सवाल किया कि उसकी नीयत क्या है, क्या वह जाज को पकड़वाने में पुलिस की मदद कर रहा है? और वहीं हमारी मुलाकात खत्म हो गई।

पर वह लिफ्ट तक मेरे साथ आया और बोला कि मैं लिफ्ट से चलूं और वह सावधानी के तौर पर सीढ़ियां से आएगा—जाहिर था कि नीचे खड़ी पुलिस को वह खबर करना चाहता था। पर उस वक्त भी मैं पुलिस को थोड़ा-सा छकाना चाहता था साथ ही मैं अपना सम्भावित नियति के बारे में किसी को बता देना चाहता था। इसलिए लिफ्ट से नीचे उतरने के बजाय मैं ऊपर चला गया और बगलौर से आकर उसी होटल में ठहरे सन्तोष हगड़े के साथ आधा घंटे बातचीत करता रहा। सन्तोष को मैंने सारा माजरा बताया और उससे कहा कि वकील के नाते वह कोई तरीका सोचे ताकि मुझसे पुलिस तीसरे दर्जे का बर्ताव न करे। तय हुआ कि घंटे भर बाद वह मेरी पत्नी से फोन पर बात करेगा, और तब तक अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो वे समझ लें कि मुझे धर लिया गया है।

और हुआ भी यही। कुछ मिनट बाद मैं गिरफ्तार हो गया। बाद में मुझे पता लगा कि पुलिस में हड़कंप मच गया था और वे पूरी होटल की छानबीन करने वाले थे कि तभी मैं लाबी में नजर आ गया। उन्होंने मुझे मेरी कार में बैठ जाने दिया और जब मैं होटल से लगी हुई गली में आगे बढ़ा तो पीछे से एक कार आगे निकल गई और सामने रास्ता छेंक लिया एक दूसरी कार पीछे आ लगी। छह फुट छह जवानों ने मेरी कार घेर ली और उनमें से एक ने स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया तथा मुझसे हटने को कहा। अगर मुझे गिरफ्तारी का पूर्वाभास न होता तो शायद मैं सोचता कि डकैत मेरा अपहरण कर रहे हैं। यों यह अपहरण ही था क्योंकि मुझे पकड़ने वालों ने कोई कानूनी औपचारिकता नहीं बरती।

12
हमारी ये जजीरें *

बडौदा म 9 माच 1976 को पहली गिरफ्तारियो के बाद दिल्ली म 28 माच को मुझे तथा कैप्टेन ह्यूलगोल को 7 अप्रैल को कमलेश शुक्ल तथा पालीवाल को गिरफ्तार किया गया। स्नेहलता रेड्डी और एम० एस० अप्पाराव को मद्रास म एक मई को गिरफ्तार किया गया तथा बगलौर भेज दिया गया। उसी दिन जाज के भाई लारेंस तथा स्नेहा क पुत्र कोणाक को बगलौर म पकडा गया। बडौदा दिल्ली और बगलौर म ताजीरात हिन्द की दफा 120 वी तथा भारत सुरक्षा अधिनियम (डी० आइ० आर) की धारा 43 के तहत अलग-अलग मुकद्दमे दायर किए गए। उस समय सरकारी पक्ष शायद अपने मसूबे छिपाकर रखना चाहता था तथा हमारी गतिविधियो की व्याप्तिया के बारे म भी उसे ठीक से पता नही था। इसलिए उसने व्यापक षडयन्त्र का बडा सा मामला बनाकर पेश किया जिसके अन्तगत आगे चलकर वह हम पर खास खास अभियोग जोड देता ।

दिल्ली का मुकद्दमा था **राज्य बनाम सी० जी० के० रेड्डी एव अन्य,** पर मुझे पता था कि मुझे यह सर्वोपरि गौरव ज्यादा दिन तक नही मिलेगा। गुप्तचर ब्यूरो जॉज की जी तोड तलाश कर रहा था और अन्तत जब 10 जून को कलकत्ता म उन्हे पकडने म वह सफल हो गया तो उन्हे दिल्ली लाया गया तथा मुकद्दमे का शीषक बदलकर **राज्य बनाम जाज फर्नांडीस एव अन्य** कर दिया गया। हमारा यह अनुमान गुप्तचर ब्यूरो तथा केन्द्रीय जाच ब्यूरो के सूत्रो से पुष्ट हो गया था कि मुकद्दमा दिल्ली म ही चलेगा। सवाल यही था कि वह शुरू कब होगा। हम जानते थे कि एक सवधानिक सरकार को उलटने के लिए प्रतिपक्ष का अराजकता पदा करने और हिंसक उपायो का प्रयोग करन का मसूबा हमेशा से था यह आरोप मजबूत करने की गरज स श्रीमती गाधी हमारे मामले का इस्तेमाल जरूर करना चाहगी। उन्ह आशा थी कि इससे देश विदेश के भोले भाले लोग यह स्वीकार कर लेंगे कि आपातस्थिति लगाने एव जनतान्त्रिक अधिकारो को खत्म करने की उनकी कारवाई वाजिब ही थी। वह अपना हर काम बहुत ठीक समय पर करने क लिए मशहूर थी। अब वह आम प्रचार के उद्देश्य से मुकद्दमा तुरन्त शुरू करा देंगी या कि आम चुनाव के एन पहले ऐसा करने का इन्तजार करेंगी ? जोकि तब फरवरी 1977 म प्रस्तावित था। इस प्रसग म ससद के भीतर और बाहर मन्त्रियो के बयानो का कोई खास अथ नही था। हम जहा कहीं से सूचनाए मिल सकी उनके तथा श्रीमती गाधी की राजनीतिक जरूरतो क अपने मूल्याकन के आधार पर हमने सोचा था कि मुकद्दमा वष क अन्त तक शुरू किया जाएगा। इस

बीच पुलिस के जाच विभागों को मनगढत किस्सा गढने, गवाह जुटाने और हम सज़ा दिलाने का पूरा इन्तज़ाम करने के लिए अपार समय मिल जाएगा।

केन्द्रीय जाच ब्यूरो के भाग्य स उसे मुहमागी मुराद मिल गई। हमारी योजनाए विगड गई थी तथा आपसी समन्वय असभव हो गया था पर हमारे कई दस्त देश म जगह जगह अपने काम म लगे हुए थे। बिहार म एक हिम्मती दस्ता सक्रिय था जहा समय समय पर विस्फोट हो रहे थे। बम्बई म एक दस्ते ने आपातकाल की घोषणा की पहली बरसी पर ज़ोरदार 'आतिशबाज़ी का निश्चय किया। बम्बई महानगर म 26 जून 1976 को रेल लाइनो तथा पुलो पर अनेक विस्फोट हुए। बम्बई की सी० आई० डी० ने पूरे दल का पता लगा लिया। उसम से आठ लोग पकड लिए गए तथा बाद मे लक्षमण जाधव को भी उसम जोड दिया जो पहले ही मीसा म नज़रबन्द थे पर जिन्होंने पिछले दिसम्बर मे ऐसी वारदाता की योजना बनाने तथा उनपर अमल करने म योगदान किया था। बम्बई म ही उनके खिलाफ अभियोगपत्र तयार किया गया। इससे पहल जॉज के अनेक सहयोगियो मे जी० जी० पारीख तथा वीरेन शाह का नाम पुलिस जान गई थी। उन्हे भी षडयन्त्र क अभियुक्तो मे शामिल कर लिया गया।

हम सभी पर विभिन्न कदखानों म एक से आरोप थे। दिल्ली मे दो लोगो और बगलौर की एक अदालत म ऐसे ही आरोपो वाले एम० एस० अप्पाराव तथा स्नेहलता रेड्डी के विरुद्ध मुकद्दमा नही चलाने का निश्चय हुआ। लेकिन उन्ह मीसा म नज़रबन्द रखा गया। स्नेहा की नज़रबन्दी अन्तत मौत म परिणत हो गई, क्योंकि जेल म उनसे बहुत दुर्व्यवहार किया गया था तथा चिकित्सा की सुविधा से महरूम रखा गया।

जुलाई 1976 के अन्तिम दिनो म दिल्ली म जाज समेत हम छह लोग पटना म एक बडौदा म छह और बम्बई म 11 लोग षडयन्त्र के अभियुक्ता के रूप म कद थे। दिल्ली म हमारे दो सह अभियुक्तो पर स ये आरोप वापस ले लिए गए। पालीवाल क बारे म शायद यह सोचा गया कि वह खतरनाक या मुकद्दमे के लायक महत्वपूर्ण शायद नही हैं क्योकि उनकी भूमिका मुख्यत लोगो स सम्पक करन और उनके तथा जाज के बीच मुलाकातें कराने तक सीमित थी। दूसरे व्यक्ति कप्तेन ह्यूलगोल के खिलाफ आरोप शायद इसलिए वापस लिए गए कि उन्ह सरकारी पक्ष का सुरक्षित तथा विश्वस्त गवाह बनाया जा सकता था इसलिए उन्ह अभियुक्तो मे शरीक करना लाभदायक न होता। गवाहो की सूची मे ह्यूलगोल परिवार के दो और सदस्य थे—उनकी बटी डाक्टर गिरिजा ह्यूलगोल और बेटा चन्द्रकुमार। दूसरे अभियुक्त कप्तेन ह्यूलगोल के विरुद्ध आरोप भी वापस ले लिए गए शायद यह सोचकर कि इस्तगास की ओर से वह एक सुरक्षित और विश्वसनीय गवाह बन सकेंगे इसलिए उन्ह अभियुक्त के रूप म रखना बुद्धिमत्ता नहा होगी। इस्तगासे के

गवाहों की सूची मे ह्यूलगोल परिवार के दो अन्य सदस्य और थे—उनकी बेटी डा० गिरिजा ह्यूलगोल, तथा बेटा चद्रकुमार। जाज के घनिष्ठ सपक म होन के कारण ह्यूलगोल परिवार को काफी धमकिया और दबाव सहने पडे। अक्टूबर मे कप्टेन ह्यूलगोल को पैराल पर रिहा करके उन्ह एक तरह से रिश्वत भी दी गई। सभवत सरकारी पक्ष इस बात पर परम प्रसन्न था कि वह तीन महत्त्वपूण गवाह बनाने मे कामयाब हो गया है जिनपर दबाव डालकर जॉज की अनेक गतिविधियो और योजनाओ के बारे मे साक्ष्य दिलवाया जा सकता है। लेकिन गिरिजा ने अदालत म शपथ लेकर एक हलफनामा दाखिल कर दिया जिसम उसने बताया कि उस तथा परिवार को बयान तथा गवाही देने के लिए विवश किया गया है, और इस हलफनामे ने इस्तगासे के मसूबो पर पानी फेर दिया।

अब हम 22 लोग बचे जिनपर अलग अलग अदालतों म मुकद्दमे दज़ किये गए थे पर यह स्पष्ट था कि इन सभी पर दिल्ली म एक सामूहिक षडयन्त्र का मामला चलाया जाएगा। दिल्ली मे हम—कमलश और मैं—अक्तूबर म किसी भी समय कारवाई शुरु होने का अनुमान लगा रह थे। वास्तव म कारवाई कुछ हफ्त पहले शुरू हो गई। जाज जिन्हे हिसार म बिलकुल तनहा रखा गया था, 21 सितम्बर को दिल्ली के तिहाड जेल म लाए गए। कमलेश को और मुझे, जोकि उसी जेल म घुडसाल म पडे थ क्योकि हमने घमडी जेल सुपरिंटेंडेंट बतरा की हा म हा मिलाने से इन्कार कर दिया था जाज वाले वाड म पहुचा दिया गया। विजयनारायण सिंह भी जो तिहाड जेल म ही थे हमारे साथ आ गए। बडौदा के छह तथा बम्बई के सभी साथी 23 सितम्बर को तिहाड भेज दिए गए।

तभी हम समझ गए कि अदालती कारवाई चन्द दिनो म शुरू होन वाली है। अन्तत 24 सितम्बर को दिल्ली के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत म अभियोगपत्र* पेश हो गया। प्रमुख अभियाग थे—ताजीराते हिन्द की दफा 121 ए के तहत अवध ताकत इस्तेमाल कर कानूनसम्मत सरकार को उलटने की कोशिश, और दफा 120 बी के तहत अवध कार्यों के लिए षडयत्र।

अभियोग के अन्तगत निम्नलिखित विभिन्न विशेष आरोप लगाए गए थे

फर्ज़ी नाम और वेशभूषा म आना जाना,

सरकार के विरुद्ध प्रतिरोध का सगठन, भूमिगत साहित्य का प्रकाशन और वितरण विभिन्न समूहो को बगावत के लिए उकसाना

अपन प्रचार क लिए विदशो से रेडियो ट्रासमीटर आयात करने की कोशिश (विशेष रूप स मेरे बारे म),

तोड फोड तथा सावजनिक सपत्ति को नष्ट करने की योजना बनाने क लिए बैठको का आयाजन

*पूरा अभियोगपत्र परिशिष्ट म देखें

फारस की खाडी और दिएगो गार्शिया (!) म रेडियो ट्रासमीटर लगान की कोशिश और

विदेशी व्यक्तिया तथा एजसियो के साथ सपक और उसे बनाना ।

सरकारी पक्ष ने लगभग 500 दस्तावेज दाखिल किए तथा 575 गवाहो के नाम दिए जिनके सहारे वह आरोप सिद्ध करना चाहता था। जिस तरह मामला तयार किया गया था उससे सकेत मिलता था कि वे हम 20 साल की सजा कराने पर आमादा हैं । न्यायपालिका पहले ही निस्तेज हो चुकी थी, इसलिए हम स्पष्ट दीख रहा था कि सजाए जरूर हागी । हममे से जो लोग चालीस की उम्र पार कर चुके थे उनका जेल से जीवित निकलना प्राय नामुमकिन लगता था ।

इसके बावजूद हमारे मन म कुछ बहुत ही अहम सवाल उठ रहे थे । यदि सरकार सचमुच हम हिंसक तरीका का गुनाहगार साबित करना और हर कीमत पर सजा दिलाना चाहती थी तो उसने हमारे खिलाफ और भी अधिक सगीन और स्पष्ट जुर्मो का अभियोग क्या नही लगाया जबकि उसके पास पर्याप्त सबूत भी मौजूद थ । उन्होने स्नेहलता रेडडी और डाक्टर गिरिजा ह्यूलगोल को अभियुक्ता म शुमार क्यो नही किया, जबकि षडय त्र तथा खास कारवाइयो के आरोप उनक विरुद्ध अधिक आसानी स साबित हो सकते थे और जिनकी पूरे मामले म हमम से अनेक की अपेक्षा अधिक गम्भीर भूमिका थी ? बिहार म बबई स कही अधिक सख्या म और कारगर विस्फोट हुए थ । आरा टेलीफान एक्सचेंज पूरी तरह नष्ट हो गया था तथा बिहार की रेल व्यवस्था बारबार गम्भीर रूप स अस्त व्यस्त हुई थी । कर्नाटक म भी अधिक विस्फोट हुए थे । अकेले बगलौर नगर म रेल पटरिया पर पाच विस्फोट हो चुके थे । दक्षिण म स्नेहा ही हमारी मुख्य सपकसूत्र थी और साथ समर्पित तथा कटिबद्ध लोगो का पूरा दस्ता था जिसने बहुत सफलता से कारवाइया की थी। जाज क सम्पक म आनेवालो म गिरिजा अधिक लोगो को जानती थी और मुनास भी अधिक बठको म शामिल होती रही थी। फिर भी स्नहलता और गिरिजा पर मुकद्दमा नही चलाया गया तथा बिहार और कर्नाटक की असख्य घटनाओ का उल्लेख सिवाय एक साधारण जिक्र के नही किया गया ।

इनका ठीक ठीक उत्तर ता केन्द्रीय जाच ब्यूरो ही दे सकता है पर हम उनका अनुमान आसानी स कर सकत थे ।

अभियुक्ता म स्नेहलता और गिरिजा को शामिल करने से पूरे मामल को एक नया आयम मिल जाता । सरकारी पक्ष ने अपने आप और बिना सोचे समझे लगभग एक ही किस्म के औसत भारतीयो को जिनकी उम्र सामाजिक हैसियत पेशे और राजनीतिक मान्यताए मिलती जुलती थी अभियुक्त बनाया था जो कि उसक लिए यो ही बुरा था । अब शायद उन्होंने सोचा कि षडयत्र क आराप म दा

लडकियो को जोड देने से हमारे दल का रोब-दाब और आकषण बढ जाएगा, इसलिए उन्हें अलग रखना चाहिए। सरकारी पक्ष सिर्फ यह दिखाना चाहता था कि सारा प्रतिपक्ष बहुत ही अलोकतात्रिक तथा हिंसक लोगो से भरा हुआ है। शायद वह यह भी दिखाना चाहता था कि हम लोग निकम्मे और नौसिखुए मात्र थे जिनसे सरकार को कोई खास परशानी नहो है। वे जनता के सामने हमारी दिलेरी नहीं आने देना चाहते थे जोकि हमारे आदोलन का मुख्य उद्देश्य था। यही कारण था कि सरकार न उन वारदातों का आरोप हम पर नही लगाया जिनसे साबित होता था कि जनता ने तानाशाही न तो कबूल की है न करेगी तथा तानाशाही किसी भी सकल्पबद्ध प्रतिरोध पर रोक लगाने म असमथ है।

सरकार ने मूखतावश सोचा था कि वह मामले को महज एक फौजदारी मामला बना देगी जिसका कोई राजनीतिक महत्त्व नही होगा। उसको आशा थी कि वह हम अपने विचार दशन और गतिविधियों का राजनीतिक स्वरूप प्रकट करने का अवसर नही देगी तथा खूब प्रचारात्मक फायदा उठान मे सफल हो जाएगी। वह चाहती थी कि हम राजनीतिक सहानुभूति तथा समथन हासिल करन और प्रतिरोध की चिनगारी जगाये रखने हेतु जनता में इस मुकद्दमे के जरिये साहस भरने का मौका ही न मिले।

24 सितबर को अदालत म जो अभियोगपत्र पेश किया गया उसे देश के सभी अखबारो के मुखपृष्ठ पर विस्तार से छपवाया गया। आकाशवाणी की सभी बुलेटिनों म उसका उल्लख हुआ। बी०बी० सी० वायस आफ अमेरिका तथा अन्य विदेशी प्रचार माध्यमो म भी आरोपों का साराश प्रकाशित प्रसारित हुआ। हम सभी अभियुक्तो को जो अभी भी अपने लक्ष्य से प्रतिबद्ध थे तथा तानाशाही के विरुद्ध अडिग थे, इसस बहुत खुशी हुई। हालाकि अभियोगपत्र मे हमारे सारे कारनामे नही गिनाए गए थे पर वह रोमाटिक मालूम होता था और उससे स्पष्ट हो गया था कि एक सक्रिय दृढसकल्प भूमिगत आदोलन ने बहादुरी से लडाई लडी है और उसने भरसक जनता को जागत करने का काय किया है। इससे जहा हमारे अहम को सतोष मिला वही बचे खुचे प्रतिरोध दलो को भी बल मिला। हम जानते थे, और इसकी पुष्टि भी हुई, कि नौजवानों के हम वीरनायक बन गए हैं। कई नौजवाना को शिकायत थी कि हमने उनसे सपक करके उन्हे शामिल नही किया। मुकद्दमा रातों रात जगत विख्यात हो गया। जबदस्त पुलिस पहरे और जोखिम के बावजूद सैकडों लोग हमे कचहरी म छह महीनों की कारवाई के दौरान देखने के लिए आते थे।

हमारी तरह का काम करने के उत्सुक लोगों को सरकार शायद सबक सिखाना चाहती थी। जाहिर था कि वह अपने इस प्रचार के पक्ष में सबूत देना चाहती थी कि यदि उसने हजारो लोगो को जलो म डालकर और **बुनियादी**

आजादियो पर अकुश लगाकर—गोकि यह खेदजनक' था—कठोर कारवाई न की होती तो हम जसे गैर जिम्मेदार अलोकतान्त्रिक और हिंसक लोग अराजक्ता फला देते तथा देश का अकल्पनीय नुकसान कर बैठते। पर भावी घटनाओ ने साबित कर दिया कि यह उसकी भूल थी। मुकद्दमे ने वस्तुत हम सरकार के विरुद्ध अपना अभियान चलाने और जारी रखने का तथा श्रीमती गाधी एव उनके गिरोह का पर्दाफाश करने का मौका दे दिया। आगे चलकर मैं बताऊगा कि हमने अपने प्रतिरोध दशन की प्रस्थापना म तथा दुष्टता और जोर जुल्म के खिलाफ सघर्ष करने के अपने अधिकार का औचित्य निरूपित करने म किस प्रकार अवसर गढे और उनका उपयोग किया।

अभियोगपत्र अदालत म पेश करने और अखबारो म छपवाने के साथ ही साथ सरकार ने यह गूढ घोषणा भी कर दी कि यह मामला अन्य फौजदारी मामलो की तरह चलेगा। उसने यह भी जताया कि अदालत म सवाददाता तथा जनता आ सकती है। विदेशी सवाददाताओ से खास तौर से कहा गया कि वे चाहे तो अदालत जाकर उसकी कारवाई की खबरे दे सकते हैं। इस घोषणा से तथा प्रेस को आमत्रण देकर सरकार चाहती थी कि उसका पक्ष प्रचारित हो तथा हम जघन्य शत्रु के रूप म चित्रित किया जाए। भारतीय समाचार माध्यमो म एकतरफा किस्सा छपवाने के अपने उद्देश्य म वह सफल रही। अदालतो म हम जो विभिन्न बयान देते थे उनका भारतीय समाचारपत्रो म कोई उल्लेख नही हो पाता था। पर विदेशी सवाददाताओ को सरकार नियत्रित नही कर सकी जो शुरू शुरू म हर सुनवाई म उपस्थित रहते थ, तथा आगे जब कभी हम कोई विशेष बयान देना होता अथवा जिन दिनो हम अदालत के कमरे म कोई नाटकीय काय करने वाले होते उन्हे खबर भिजवा दी जाती। सेंसर इतना निकम्मा और अधा था कि उसे दिल्ली हाई कोट म दाखिल हमारी विभिन्न याचिकाओ और अपीलो म छिपी खबरें नजर नही आ पाती थी जबकि हम ये कारवाई वास्तविक राहत पाने की अपेक्षा मात्र प्रचारात्मक फायदे के लिए करते थे। हाई कोट म हमारी याचिकाए तथा उनपर कोट के आदेश प्रकाशित हो जाते थे तथा भारतीय पाठको को हाल हकीकत का तथा हमारे दृष्टिकोण का थोडा बहुत अदाजा लग ही जाता था।

हमारे मुकद्दमे को साधारण फौजदारी मामला की तरह चलाने की गूढ घोषणा का अथ हम समझ गए थ। न केवल हमारे मामले को राजनीतिक महत्ता से वचित किया जाने वाला था बल्कि हमारे साथ भी आम मुल्जिमो जसा सलूक किया जाने वाला था। ज्योही मौका मिलता सरकारी पक्ष हमारे कथित अपराधो के पहले जघन्य विशेषण जोड देता था मानो हम नतिक रूप से अधःपतित आम खतरनाक मुल्जिमो की श्रेणी म रखा गया है यह स्पष्ट हो जाए।

सरकारी पन की राय मे हम लोग हत्या या बलात्कार के अपराधियो से किसी भी माने म बेहतर नही थे। और हम कसा सलूक मिलेगा इसका आभास हम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करन से पहले ही मिन गया था। 26 सितबर को बडौदा से आए अभियुक्तों को एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जल मे उनकी हिरासत की औपचारिकता पूरी की जानी थी। उनके दोनो हाथो हथकडी लगाकर तथा जजीर से बाधकर पुलिस पहरे म अदालत म ले जाया गया। उनम म हरेक पर दो-दो सिपाही और एक एक हेड कास्टबिल तैनात था। उसके अलावा बदूकधारी सतरी अलग स थ। उन्हें अदालत म ले जाने और लाने म ही नही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते समय भी हथकडी-जजीर म रखा गया। हत्या के अभियुक्तो को भी यह सम्मान नही मिलता। और मजिस्ट्रेट उनकी अपील पर कान देन को भी तैयार नही था।

हम मालूम था कि चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने हम इसी तरह ले जाया जाएगा। हम क्या रवया अपनाए ? क्या हम इसका शारीरिक प्रतिरोध करके कहे कि हम आम मुल्जिमों की तरह कोट नही जाएगे तथा इसपर जबरन घसीटे या पीटे जान का जोखिम उठाए ?

कानून और कानूनी फैसले हमारे पन म थे। गहमत्रालय पुलिस को देश भर म बार बार निर्देश दे चुका था कि हिरासत म किसी भी व्यक्ति पर हथकडी जजीर इत्यादि लगाकर शारीरिक कष्ट न दिया जाए जब तक कि (क) कैदी हिंसक न हो या नियत्रण से छूटने का खतरा न हो या (ख) गारद को यकीन हो कि कदी भागने की कोशिश कर सकता है। हम सभी को और जाज को भी कई बार जगह-जगह तथा अदालतों म ले जाया जा चुका था। कभी भी हम हथकडी नही पहनाई गई। न हमने भागने की कोशिश की थी न ही हिंसक कारवाई का प्रयत्न किया था। यही नही राजनीतिक बन्दियों को हथकडी न लगाने की एक परपरा रही है। हम सभी मीसा बदी थे और हमम से 10 लोगो को अपन मुकद्दमे मे ज़मानत मिल चुकी थी हालांकि मीसा के कारण उस ज़मानत का कोई उपयोग नही था। इन कारणो से हमे हथकडी लगाना नाजायज़ था, और कचहरी म तो यह बिल्कुल नाजायज़ था। अगर पुलिस को अदेशा था कि निकल भागने की कोशिश हो सकती है तो वह आसानी से उस दरवाज़े पर पहरा रख सकती थी जो अदालत क कमरे का था और एक ही था। लेकिन इन कानूनी और ठोस दलीलों को कौन सुनता और हम कौन राहत देता ? अगर हम शारीरिक रूप से विरोध करते तथा इनकार करत तो हमारे साथ मार-पीट की जा सकती थी। हम इसके लिए भी तैयार थ, पर उससे मिलता क्या ? अदालत कोई सुनवाई करेगी इसकी उम्मीद नही थी और सेंसरशिप के कारण उसका कोई प्रचार भी नही हो सकता था।

अत हमने तय किया कि इस बात का लाभ उठाए और हम जलील करने की सरकारी नीयत को नाटकीय मोड दे दें। अदालत म पेश होन से एक दिन पहले जाज तथा मैंने अपनी प्रस्तावित कारवाई पर लबी बातचीत की। उपयुक्त कारणो से हमने तय किया कि हम हथकडी जजीर का विरोध नहीं करेंगे। इसके बजाय हमने मजिस्टेट के सामने एक बयान देकर अपने पक्ष म प्रचार कराने का निश्चय किया। उस बयान क जरिये हमे हथकडी का विरोध तो करना ही था, हम कानूनी मदद से वचित रखने तथा कचहरी मे दिन भर भूखे प्यासे रखने की सरकारी कारवाई का भी भडाफोड करना था।

25 सितबर को अखबारा म हमने ज्यो ही पढा कि अभियोगपत्र दाखिल कर दिया गया है जाज न और मैंने जेल के सुपरिटेंडेंट स अनुरोध किया कि हमारे खच पर पत्र और तार के जरिय अपने वकीलो से सपक करन की सुविधा द। 11 जून को दिल्ली की एक अदालत मे पेश होने के बाद से जब से जाज हिसार म थे उन्ह वकीला स नही मिलने दिया गया था। उनसे मुलाकात की प्राथना का या तो जवाब ही न आता, या रद्द कर दी जाती। अभियोगपत्र क दाखिले के बाद वकील से मिलने की हमारी प्राथना का भी वही हश्र हुआ।

बडौदा के साथियो से हमे मालूम हो गया था कि अदालत म जब जब उन्ह ले जाया गया, जलपान या चाय-काफी लेने तक की मनाही रही। शुरू-शुरू मे हमारे साथ भी यही सलूक किया गया। सुबह 10 बजे हम जल स ले जाया जाता, और शाम तक हम वापस लाया जाता। दिन भर जलपान तो क्या हम चाय पीन तक की मुमानियत थी। कचहरी के बाहर एक नल स सो भी बहुत ननुनच के बाद पानी की इजाजत हम अलबत्ता मिली हुई थी।

हम अपने बयान म इस तरह की अनावश्यक और जानबूझ कर हा रही जलालत का कानूनी सुविधाओ से महरूम रख जान का और अदालत मे पेशी के दिन खाने पीन तक के मामूली हक से वचित किए जाने का विरोध करना था। जो सुविधाए हम कदी के रूप म कानूनी तौर से मिल सकती थी उनसे भी हम वचित करने वाली सरकार की सख्त आलोचना करत हुए स्वय को हम भारत की समस्त अधिकारो से वचित जनता के प्रतीक के रूप मे पेश करना चाहते थे। मैंने बयान का मसविदा बनाया और उस देखकर मुझे खुद काफी खुशी हुई। पहल भी मुझे अपनी निष्ठा तथा गहरी भावना व्यक्त करन वाले बयान लिखने का अवसर मिला है। यह बयान उन्ही की तरह ऐसी परिस्थितियो में लिखे गए उत्कृष्टतम नमूना म गिना जाएगा। मुझे या जी० जी० पारीख या जाज को भी मसविदे म ज्यादा फेर-बदल की जरूरत नही पडी। बयान जाज को देना था और तय हुआ कि सरकारी वकील या मजिस्ट्रेट विराध कर तब भी बयान को पढकर सुना देना है। मैंन अपने हाथ स उस बयान की कई नकलें का ताकि विदशी सवाददाताओं

को वह दिया जा सके, जो भारी सख्या मे आएगे, यह तय सा था।

आशा के अनुरूप, जेल से निकालते समय हम सभी को हथकडी और जजीर पहनाई गई। गारद के इचाज सुपरिटेंडेंट क समक्ष विरोध करने का नाटक मैंने किया। पर जब मैं विरोध कर रहा था तब भी मुझे धुकधुकी हो रही थी कि अगर मैंने बहुत विरोध किया तो कही ये हथकडी लगाने का विचार न छोड दें! हम भारी गारद और तामझाम के साथ ले जाया गया। जॉज, जो कि सबसे खतरनाक थे एक विशेष गाडी म थे। उनके हाथा म हथकडी-जजीर थी, उसके अलावा स्टेनगन लिए हुए एक दजन सिपाही जिनके सिर पर एक इस्पेक्टर बठा था! जी०जी० पारीख तथा वीरेन शाह जो कि बीमार थे, जॉज के साथ ही थे। बाकी हम सब दो काली बद गाडियों मे थे—हरेक पर तीन तीन सिपाही, और सशस्त्र सतरी जो इन गाडिया म आम तौर पर रहते थे। जुलूस के आगे-आगे एक जीप मे इस काफिले का इचाज डी० एस० पी० और दो इस्पेक्टर बठे थे। उनके पीछे सशस्त्र पुलिस का पूरा एक ट्रक। उसके पीछे जाज की गाडी और उनके पीछे दोनो काली गाडिया। सबसे पीछे पुन एक ट्रक भर सशस्त्र सिपाही। क्या ही जोरदार जुलूस था!—मुझे तथा अधिकाश सहअभियुक्तो को इस पर काफी गव महसूस हुआ।

उस मनहूस दिन—26 जून 1975—को हम श्रीमती गाधी को भयभीत करने और उलटने के लिए निकल पडे थे। हम अपनी याजनाए पूरी कर पात उससे पहले ही हमारा अधिकाश सगठन नष्ट हो गया था।

हमने श्रीमती गाधी और उनकी तानाशाही को थोडा सा परेशान भर किया था और वे सचमुच भयभीत हुए हो ऐसा भी नही हो पाया था, लेकिन तब भी उ होंने हमारे सशस्त्र पहरेदारो की लम्बी चौडी गारद भेजकर हमारा सम्मान किया—जसाकि आज़ाद भारत म किसी भी अ य राजनीतिक ग्रुप को नही मिला था! हमे इतना खतरनाक समझा गया यह जानकर हमें खुशी हुई। जेल से मजिस्ट्रेट की अदालत तक के दस मील लम्बे रास्ते मे हम धारा प्रवाह नारे लगाते गए और ये नारे अदालती हवालात से अदालत के कमरे तक के छोटे-से रास्ते भर भी जारी रहे। नारे लगाने से वे हम नहा रोक सके, पर हवालात से अदालत के कमरे तक पैदल ले जाने का अवसर उ होने छीन लिया, क्योंकि इतनी भारी भरकम हथियारबद गारद के साथ बडौदा के विख्यात बारूदबाजो का जुलूस देखने लोग उमड पडते थे—और उनपर उसका असर होता ही था।

पहले दिन हम हवालात मे दो एक घण्टे हथकडी के बिना बद रखा गया। जब एक एक कर हमे बाहर निकाला गया तो यह देखकर मुझे गश आ गया (!) कि पहले वाले कुछेक लोगो को हथकडी नहीं पहनाई जा रही है। तो क्या हमे अपना वक्तव्य सुनाने और रेकाड पर लाने का अवसर भी नही मिलेगा? लेकिन, जब

हम सब बाहर निकाल लिए गए तब हवालात के सामने छोटे स चौकोर बरामदे मे हम हथकडिया पहना दी गइ। मैंने राहत की सास ली और सोचा कि चलो कम से कम हम दुनिया को यह तो बता सकेंगे कि इन हालात का सामना हम किस तरह कर रह है।

अदालत खचाखच भरी थी। बी० बी० सी० वायस ऑफ अमेरिका टाइम्स लन्दन फ्रैंकफुर्टेर एलजेमेन, ल मोद, न्यूयाक टाइम्स वगरह कई विदेशी अखबारों क सवाददाता मौजूद थे। प्रतिनिधि अनेक थे पर वक्तव्य की प्रतिलिपिया बहुत कम। अदालत म घुसत ही मैंने सारी प्रतिया फ्रैंकफुर्टेर एलजेमेन के सवाददाता वेनर ऐडम्स को सौंप दी और कहा कि इन्हें बाट लें। समाचार के सवाददाता पर एक प्रति बर्बाद हो गई क्योकि मैंने सोचा कि शायद समाचार उसे प्रसारित कर ही दे और भारतीय अखबारो म कुछ छप जाए।

ज्या ही कारवाई शुरू हुई जाज फर्नांडीस ने मजिस्ट्रेट से कहा कि मैं एक बयान देना चाहता हू और इसस पहले कि वह या सरकारी वकील रोक पाता, उन्होने बयान पढना शुरू कर दिया। मजिस्टेट ने कई बार टोका कि यह बयान किसलिए लेकिन उसपर कोई ध्यान नही दिया गया। स्थिर और गरजती आवाज म यह किरदार असरदार रहा। और जब उन्होने कहा कि हमारे हाथो म पडी य जजीरें सारे मुल्क की गुलामी की निशानी है तो हम सबने हाथ उठाकर जजीरें खडकाइ। वहा उपस्थित लोग काफी द्रवित हो गए और उस रात बी० बी० सी० क हिन्दी प्रसारण म उस पूरे नाटक का विवरण आया।

बयान इस प्रकार था

महोदय कारवाई को आगे बढाए उसस पहले मैं अपनी तथा अपने साथियो की ओर स एक बयान देना चाहूगा।

हमारे साथियो के दो जत्थे जो पिछले हफ्ते आपके बधु मजिस्ट्रेट क सामने पश किए गए थे तथा आज हम सबको न सिफ अदालत के अहाते म बल्कि अदालत के भीतर भी हथकडी पहनाई गई है। यह बेमिसाल है और परम्परा के खिलाफ है। राजनीतिक बदियो को कभी भी—मौजूदा तानाशाह सरकार के समय म भी—दिल्ली की अदालतो म हथकडी पहनाकर न तो ल जाया गया न अदालत म पेश किया गया। हममे से कुछ लोगों को पिछले छह महीनो म इसी मुकद्दमे के सिलसिले म कइ बार अदालत ले जाया गया है पर कभी भी हथकडी नहा डाली गई। अब अचानक यह कारवाई करने का कोई सुरक्षात्मक कारण भी नही हो सकता।

मैं आपका ध्यान गहमत्री के उस आश्वासन की ओर नही दिलाना चाहता जिसम उन्होने ससद-सदस्यो स कहा है कि पुलिस को राजनीतिक

बदिया को हथकडी लगाने से मना कर दिया गया है, क्योंकि मौजूदा सरकार की यो भी कोई साख नहा रह गई है। फिर भी रेकाड के वास्ते मैं यह कह रहा हू।

यह कारवाइ कोई छोटा मोटा पुलिस अफसर अपनी जिम्मेदारी पर नही कर सकता। हम हथकडी लगाने का फसला किसी बडे ओहदेदार ने किया होगा। जब सुरक्षा सम्बन्धी कारण न हो तब हथकडी लगाने का एकमात्र मकसद हम जलील करना ही है।

एक बार तो हमने सोचा कि इस भर्त्सनाही को रोकना हमारा फज है। पर फिर हमने सिफ विरोध प्रकट करने का निश्चय किया और हम खुशी तथा गव है कि हम **और ये जजीरें जो हम आपके सामने आज ढो रहे हैं, पूरे मुल्क की प्रतीक हैं जिसे हमारे देश में कायम हुई एक तानाशाह हुकूमत ने हथकडी और बेडी मे जकड दिया है।**

अब यह फसला आपको करना है कि आप हमारे ऊपर यह जलालत कितनी देर तक जारी रहने देना चाहते हैं।

आज जो लोग देश पर हुकूमत कर रहे है, जबकि एक आतकित अशक्त या उदासीन न्यायपालिका मूक गवाह बनी देख रही है उनकी नीयत सिफ हमे जलील कर देने की नही है।

वे हम अपने बचाव के लिए भौतिक और कानूनी सुविधाओ से भी वचित करने पर आमादा हैं। जल म हमारे साथ जो बर्ताव हुआ है और हो रहा है यह निहायत असतोषजनक है। हालाकि पिछले कुछ दिनों मे उसम सुधार हुआ है पर राजनीतिक बन्दियो को जैसा बताव मिलना चाहिए यह वसा नही है। चिकित्सा की सुविधा निहायत गैरजिम्मेदाराना और अपर्याप्त रही है। स्वास्थ्य की कोई गम्भीर गडबडी नही हुई (गोकि दो लोगो को दिल के दौरे पडे जिससे उन्ह अस्पताल ले जाना पडा) तो इसलिए नही कि चिकित्सा की सुविधाए थी, बल्कि इसलिए कि हम अपनी इच्छाशक्ति के बूते पर स्वस्थ हैं।

आपको पता होगा कि इस मुकद्दम के अधिकाश अभियुक्तो को जमानत मिल गई है पर सरकार ने अदालत के इस फैसले का तिरस्कार करते हुए उनम स कई को मीसा म नजरबद कर रखा है। मीसाबदियो को देश भर मे कही भी तालाबदी करके नही रखा जाता, यहा तक कि तिहाड जेल म भी नही, जहा हम लोग कई महीनो से रखे गए हैं लेकिन जेल अधिकारियो ने सरकार के आदेश पर हम 23 सितम्बर, 1976 स रात म तालाबद रखना शुरू कर दिया है।

जब स हम गिरफ्तार किया गया है और अदालतो म पश किया गया है,

हम पर लगाए गए अभियोग बदल तथा अधिकाधिक गभीर बनाए जाते रहे हैं लेकिन हम समुचित कानूनी सलाह और सहायता लेने से वचित रखा गया है। मुझे तो 10 जून, 1976 को गिरफ्तार करने के बाद से अब तक लगभग बिलकुल तनहा रखा गया है। ज्यों ही हमने यह एलान सुना कि हम आज आपके यहा पेश किया जाएगा, और यह कि 24 सितम्बर' 76 को हमारे खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप पेश किए जा चुके हैं तथा उसके दूसरे दिन हमने उन आरोपो का सक्षिप्त सार समाचारपत्रो म देखा तभी हम कुछ लोगा ने जेल के सुपरिंटेंडेंट से अनुरोध किया कि वह हमारे खर्च से हमारे वकीलो को या तो तार कर दे या फोन पर सूचना दे द कि उनसे कानूनी मशविरा चाहते हैं। न तो ये तार भेज गए हैं न हमारे वकीलो को सदेश मिला।

जाहिर है कि इस मामले म भी सरकारी पक्ष चाहता है कि हम कानूनी सहायता से वचित करके हम सज़ा दिला दे—और आप पुन एक मूक गवाह हैं।

मानो इसस भी उनका मन नही भरा, इसलिए यहा अदालत के भीतर हमसे क्रूर और बबर व्यवहार किया जा रहा है। जिस दिन हम अदालत लाया जाता है उस सारे दिन भूखे रहना पडता है। जेल से हम सुबह नौ बजे बाहर ले आया जाता है जबकि लगभग आठ बजे हम नाश्ता कर पाते हैं। फिर शाम को छ बज जेल वापस ले जाया जाता है। इस दस घण्टे के दरम्यान हम चाय या नाश्ते की भी इजाज़त नही दी जाती। हम गिरफ्तार रखने वाला का यह फ्ज है कि हमारे खान-पान का पूरा और समय पर बदोबस्त करें। जेल के तथा मीसा के नियमों के अतगत भी हमे अपने दोस्ता या रिश्तेदारो से या स्वय अपने खच से भोजन की कमी पूरी करने का अधिकार है। लेकिन हम इसस भी वचित किया जा रहा है और पिछले हफ्ते आपके बधु मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पर हमारी दरख्वास्त अनसुनी रह गई।

हम चाहते तो यह थे कि पुलिस तथा अन्य कई पुलिस अन्वेषण एजेंसियो ने हम सभी के साथ जिस तरह के बबर और घिनौने तरीके बरते है और जिस तरह की शारीरिक तथा मानसिक यातना दी है उसका पूरा ब्यौरा यहा देते, लेकिन हम जानते हैं कि उससे कोई लाभ नहीं होगा इसलिए हम उन ब्यौरो म नही जा रहे हैं। और फिर एक पुलिस राज मे अन्य कोई उम्मीद भी हम कसे करें?

देश म जो हालात हैं और नागरिक को जिस तरह उसकी आजादी तथा स्वय जीवन के अधिकार से घृणित ढग से निरन्तर वचित किया जा रहा है उससे हम यह भी उम्मीद नही है कि हमारे साथ यह अदालत न्याय करेगी,

या कि मुनासिब रवैया भी अपनाएगी। इसके बावजूद हमने आपको बताया है कि हमे किस कदर अपग बनाया गया है और अभी भी अपग बनाया जा रहा है, महज इस हल्की-सी उम्मीद से कि देश की राजधानी के मुख्य न्याय दडाधिकारी होने के नाते शायद आप हमारे वैधानिक अधिकारों का हनन पसन्द नही करेंगे।

आपको अभी भी ये हालात सुधारने और हमारे अधिकार वापस दिलाने का न्यायिक अधिकार है—बल्कि आपका सवधानिक वक्तव्य यही है। हमारा भी यह फर्ज है कि हम आपसे हमारी लाचारिया दूर करने और नीचे लिखे अधिकार दिलाने की माग करें

1 हथकडी न लगाने का हमारा अधिकार।

2 जेल की हिरासत में हमारे साथ सभ्य और समुचित व्यवहार पाने का हमारा अधिकार।

3 अपने वकीलों रिश्तेदारों और दोस्तो के साथ मुक्त और निबध विचार विनिमय करने का हमारा अधिकार—जब हम अदालत म लाए जाए तब, और जेल म भी।

4 सन्तोषजनक तथा निश्चित समय पर खाना पाने का हमारा हक तथा दोस्तो एव रिश्तेदारों से खाना मगाने का हमारा हक।

भारत और दुनिया की आखें आप पर लगी हुई हैं और हमारी विधान सम्मत मागों पर आपकी कारवाई के आधार पर इतिहास आपका मूल्याकन करेगा। यदि हमे जलील करने तथा हम हमारे कानूनी एव बुनियादी हकों से वचित करने मे आप सक्रिय उपकरण बन गए तो हमे सोचना पडेगा कि हम इस मुकद्दमे के स्वाग मे अपनी ओर से शामिल हो भी या नहीं।

हमारी ये जजीरें पूरी कौम की प्रतीक हैं जिसे बेडी और हथकडी मे जकड दिया गया है —इस बात को विदेशी समाचारपत्रो ने प्रमुखता देकर छापा। अदालत म पहले दिन के हर समाचार मे इस उद्वेलक वक्तव्य का स्थान प्रमुख रहा। भारत म यह बयान नही छपने दिया गया। यही उम्मीद थी। पर स्टेटसमन ने जिसने कि इण्डियन एक्सप्रेस की तरह उस दमघोटू सॅसरशिप के दिनों मे काफी साहस दिखाया था अपने साप्ताहिक स्तभ आन द रेकॉर्ड म यह पक्ति छाप दी— 'यूजवीक' से उदधत करके। दिसम्बर म पूरे वष के सबसे उल्लेख्य वक्तव्या मे उसने इसे पुन छापा।

13
कानूनी लडाई

4 अक्तूबर को जब हम पहली बार चीफ मेटोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया हमम से हरेक को कोई 'टन' भर कागज दिए गए। ये कागजात थे—अभियोगपत्र तथा दस्तावेज, गवाहो क बयान एव अ य सामा य कानूनी कागज पत्र। कुल मिलाकर कोई 3000 पृष्ठ। सचमुच ही हम कागज म डुबो दिया गया। हमम से जिनका मनोबल गिरने लगा था उ हे इसम सरकार की नीयत साफ नजर आई बदोबस्त हो गया है बल्कि जेल म कई वर्षों के लिए बदोबस्त हो चुका है।

1942 म यानी लगभग 35 वप पहल इससे भी अधिक सगीन षडय त्र के मामले म एक मुल्जिम मैं था। उस समय अभियोग था— सम्राट के खिलाफ युद्ध छेडने का, जिसकी सजा थी सजा ए मौत। हम सभी ऊचे आदर्शों से अभिप्रेरित थे और अग्रेजो का भारत से खदेड देने के लिए निकल थे। हम लोग दक्षिण पूव एशिया से पनडुब्बी से या बर्मा-सीमा पार करके पदल आए—यह यात्रा अपने आपम एक बडा जोखिम थी। लेकिन हमार हौसल बुल द थे 1942 के भूमिगत आदोलन से सम्पक साधने और देश के भीतर के आ दोलन के साथ सुभाप बोस की आजाद हि द फौज का तालमल बैठाने का हमारा सकल्प अडिग था। मगर जब हम गिरफ्तार हो गए और एक विशेष यायालय म पेश किए गए तथा हमपर दड सहिता की सबस गम्भीर धारा के तहत एक विशेष अध्यादेश के जरिए अभि याग लगाया गया तो बहादुर दीखने वाले हमम से कुछ लोग मिट्टी की तरह ढह गए।

दूर से देखें तो जेल कोई खास बुरी चीज नही दीखती। दूर दराज की किसी सभावना पर खासकर एसी सभावना पर जिसका कोई निजी अनुभव न हुआ हो नजर डालने के लिए बडे कलेजे की जरूरत नही पडती। पर जेल म च द घण्टो के भीतर सारा साहस और सकल्प हवा हो जाता है। पढकर या सुनकर कभी भी कदी के वास्तविक अनुभव का अहसास नही हो सकता। सवाल सिफ शारीरिक तकलीफ का नहा होता बल्कि दिल दिमाग पर जो असर होता है, वही मुख्य बात है। जब अनिश्चितता या कि कुछ वर्षों तक जेल म रहने की निश्चितता शारीरिक मानसिक एव आत्मिक आघात को और भी अधिक कठोर बनाती है उस समय कदखान म अपने भविष्य की कल्पना का सामना करने तथा अपने प्रियजनो पर आन वाली भौतिक परेशानियो तथा मानसिक यत्रणाओ का मुका बला करना—इसके लिए बहुत बडी इच्छाशक्ति और साहस की दरकार होती है।

हमम स कुछ लोग जेल से बखूबी परिचित थे। आज अनेक बार जेल आ-जा
के थे। प्रभुदास पटवारी को भी जेल का स्वाद याद था। मैं खुद भी 1942 म
तीन वष से अधिक तथा पुन मसूर म कुछ समय तक जेल म रह चुका था।
वाजपेयी, कमलेश और जसवत भी जल म अजनबी नही थे। पर कुछ ऐस भी थे
जो पहले कभी जल नही गए थे तथा जिनको स्वभावत खौफ मालूम हुआ। कभी
न खत्म होने वाली जल-यात्रा निश्चय ही उन्ह दहला गई होगी। लेकिन ऐसे सिफ
दो एक ही लोग थे अधिक नही, जो साहस खोकर दिन रात जल से निकलन की
धुन में लगे रहत थे।

एक दूसरे की तुलना करना उचित नही है। फिर भी हमम से कुछ लोग
अपने धीरज तथा हिम्मत के लिए शाबासी पाने के हकदार थे। वीरेन शाह
तिहाड जेल म आए उससे पहले तक मुझे चिन्ता थी कि वह इस कठिनाई का कसे
मुकाबला करेंगे जबकि मामूली सुविधाए भी मुहाल हैं। एक बडी कम्पनी के
अध्यक्ष के रूप म उन्ह लोगो को हुकुम दन तथा हर तरह का ऐशो-आराम
जरा-से इशारे पर पान की आदत पडी हुई थी। उन्होने जेल के तमाम कष्टो
और अनुशासन का भार उठाया और जब दिल का दौरा पडा तो वह भी
चुपचाप झेला। जी० जी० पारीख बहुत पुरान प्रतिपद्ध सोशलिस्ट थे अत
वह स्थिति को शान्तभाव स झेल सकत थे। लेकिन जेल म उन्हे जो दिल की
बीमारी लगी उससे बहुत दद और तकलीफ उठानी पडी, जिसे उन्होन तपस्वी
भाव से उठाया—सो भी तब जब उनकी पत्नी मगला भी जेल मे ही थी। बडौदा
मे इण्डियन एक्सप्रेस के सवाददाता किरीट भट्ट की राजनीतिक प्रतिबद्धता नही
थी, पर वह साहस और निर्भीकता के साथ प्रतिरोध म कूद पडे थे। उनकी नौकरी
गई तथा उनकी पत्नी और दो छोटे बच्चो को अकल्पनीय कष्ट उठाने पडे। पर
अपने परिवार की चिन्ता कठिनाइयो और निहायत अधेरे भविष्य की सभावना
के बावजूद उनके चेहरे पर शिकन नही आई। वह निहायत ही सरल और उदात्त
मनुष्य थे। बडौदा के यशवत चव्हाण पटना के महेन्द्र वाजपेयी बम्बई लेबर
यूनियन के एस० आर० राव तथा साथियो वाराणसी के विजयनारायण सिंह
तथा कमलेश के बारे म क्या कहना है! व सभी प्रौढ व्यक्ति थे और जेल उनक
लिए अजनबी जगह नही थी।

जॉर्ज का साथ देन का निश्चय करते समय कुछ लोगो को आजीवन
कारावास की, या कि गिरफ्तारी तक की आशका नही रही होगी। शायद यह
सम्भावना ही मूखतापूण और बचकानी लगी हो। मगर परम प्रौढ लोग भी हमेशा
अपने किए के अजामो पर विचार नही करते। षडयत्र जसे मामल म दो एक एसे
लोग ही सबको मुसीबत म डाल सकते हैं। सरकार इस मामले को एक साधारण
फौजदारी मामला बनाना चाहती थी, और हमारे बीच मनोबल रहित हो चुके

न्यवित भी यही चाहते थे। वे चाहते थे कि हम सिर्फ कानूनी ढग से बचाव करने की सोचें।

लेकिन जार्ज तथा अन्य लोग इसके राजनीतिक स्वरूप को भला कैसे भूल जाते! और राजनीतिक तो यह था ही। हम पर भले ही ताजीराते हिन्द की दफाए लगायी गयी हो लेकिन हमारे मन्तव्य प्रेरणास्रोत लक्ष्य और कार्य सबके सब राजनीतिक थे। और मुकद्दमा भी राजनीतिक ढग से ही लडना था। कानूनी पहलू सिर्फ प्रचार के उद्देश्य से उठाया जाएगा। चाहे बयान देना हो, या बहस म दलीलें पेश करनी हो उन सबका राजनीतिक आधार होना चाहिए। उन प्रश्नो को मानवीय स्वातन्त्र्य और बुनियादी अधिकारो के व्यापक सदर्भ म रखना चाहिए। लेकिन ये दलीलें और बयान तभी पेश हो सकते थे जब हम यह कबूल कर लें कि हम श्रीमती गाधी तथा उनकी सरकार को जिन्हे कि हम आततायी तथा अनिष्टकर मानते थे उलटने के प्रयत्न के अपराधी हैं। जोर देकर यह कहना जरूरी था कि अन्याय एव तानाशाही के विरुद्ध लडना हर नागरिक का फर्ज है, हर नागरिक का हक है। जिस सरकार ने सवधानिक धोखाधडी के जरिये सत्ता पर कब्जा किया हो तथा नागरिको के मौलिक अधिकार छीन लिये हो, उस सरकार को उलटने का हक हर नागरिक को है। राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध लोग, इसके अलावा कोई अन्य दृष्टिकोण अपना ही नहीं सकते थे। हम कोई बच्चे नही थे जिन्हे शरारत करते पकड लिया गया हो और अब माफी मागने लगें या वकील करके कानूनी दाव-पेंच से बच निकलने की कोशिश करें।

फिर भी उन लोगो की राय और हितों का ध्यान रखना था जो इस मुकद्दमे के विरुद्ध कानूनी तौर से लडना चाहते थे। बचाव पक्ष म एकता न रहे यह खतरनाक होता और असमजसकारी भी।

जार्ज तथा मैंने तय किया कि हम श्रीमती गाधी का तख्ता उलटने की कोशिश का आरोप कबूल करेंगे लेकिन हम अन्य विशेष आरोपो को स्वीकार नही करेंगे। ऐसे कई अभियोग थे जिनमे वस्तुत हमने कुछ भी नही किया था। सत्य से थोडी लुका छिपी करनी होगी पर मौजूदा हालात मे वह भी नाजायज या गलत नही कही जा सकती।

हम अतिम रवया जो भी अपनाते कानूनी तयारी तो करनी ही थी। यदि हर कदम का इस्तेमाल सिर्फ प्रचार के लिए ही करना हो तब भी उसके लिए अनुभवी और जानकार वकील चाहिए। हम पुलिस पद्धति का पर्दाफाश करना था गवाहो द्वारा जबरन दिलाये झूठे बयानों का राज खोलना था और इस्तगासे के हर कानूनी दाव पेंच से मुकाबला करना था। मुकद्दमे को कानून और राजनीति दोनों धरातलो पर लडना था, साथ ही प्रचार का कोई अवसर नही छोडना था। यह कोई मामूली बाजीगर का काम नही था। पर हम काफी सफल रहे।

के० के० लूथरा तथा ओ० पी० मालवीय, जो सोशलिस्ट हैं तथा जॉर्ज के
त व्यक्तिगत निष्ठा रखते हैं, जून मे जॉर्ज को अदालत मे पेश किए जाते समय
रवाई शुरू कर चुके थे। उन्हें जॉर्ज के वकील के रूप मे नियुक्त रखा गया।
नुभवी वकील तथा दिल्ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के० एल० शर्मा ने
फी त्याग करके हमारी वकील-मडली मे शामिल होने की स्वय इच्छा प्रकट
। उनकी तेज़-तर्रार प्रतिभा कुछ ही दिनों की अदालती कारवाई म स्पष्ट
मने आयी। वाराणसी के सागर सिंह भी मडली मे शामिल हुए। पूरी टीम के
ा और बचाव पक्ष को व्यापक निर्देश देने का काम बबई हाई कोर्ट के अवकाश
प्त न्यायाधीश वी० एम० तारकुडे ने सभाला—जोखिम उठाने वाले और त्याग
लिए तत्पर तारकुडे देश के उन गिने चुने प्रसिद्ध वकीलों मे से हैं जो राजनीतिक
दियो की मदद हमेशा करते है। मध्यप्रदेश के भूतपूर्व एडवोकेट जनरल धर्मा-
कारी ने सेशन कोर्ट म मुख्य वकील बनने तथा मजिस्ट्रेट के यहा पेशियो के
रान सलाह मशविरा देने की सहमति द दी। इन सज्जनों की मदद के लिए
वा वकीलों का एक उत्साही जत्था तैयार था, जिसका उद्देश्य इस ध्येय म मन्द
रना मात्र था। वस्तुत बचाव पक्ष को प्रतिभाशाली कानूनी सलाहकारों की
ोई कमी नही थी और उन्ह फीस वगैरह की भी चिंता नहीं थी। मद्रास क
डवोकेट जनरल गोविन्द स्वामीनाथन का मदद का प्रस्ताव मैं कभी नहीं भूल
कता जिन्होंने 1942 मे हमम से कुछ लोगो का 'सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने'
के अभियोग म बचाव किया था। ज्यो ही उन्ह अवसर मिला, वह मुझसे मिलने
अदालत म आए तथा मेरी ओर से वकालत करने को तुरत तैयार हो गए। उनकी
एकमात्र शर्त यह थी कि मैं फीस' शब्द का नाम भी न लू।

आचार्य कृपालानी की अध्यक्षता तथा तारकुडे के संयोजकत्व म एक बचाव
समिति बनाई गयी। जे० पी० ने इस हेतु दान के लिए अपील निकाली। समिति
का उद्देश्य वास्तव म पैसा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि प्रचार करना था। पर्याप्त
कानूनी सहायता सुलभ थी और हमारे दोस्त तथा सहयोगी खर्चा उठाने को तैयार
थीं। समिति अधिक से अधिक इस मामले का प्रचार करना चाहती थी जिसके
लिए चदे की अपील के अलावा एक समाचार बुलेटिन भी निकालना था। लन्दन म
भी एक समिति गठित हो गयी जिसमे हमारे परम मित्र हास यानिरतेव, एम०एस०
होडा और सुरेन्द्र सक्सेना मूल प्रेरक थे। उन्होंने विश्वों म इस मामले का प्रचार
करने का बीडा उठाया और यूरोपीय सरकारों ट्रेड यूनियनों तथा अन्य सगठनों
के जरिये यह दबाव डालना जारी रखा कि मुकद्दमा वाजिब ढग से हो और
जनता के लिए खुला रहे। जब सरकारी पक्ष ने देखा कि हम मुकद्दमे को अपने
प्रचार-साधन मे सफलता से इस्तेमाल करने लग हैं तो उन्होंने जेल के भीतर तथा
लगभग गुप्त मुकद्दमा चलाने का विचार किया। लेकिन इस पर विदेशी समाचार

पत्रो म सरकार को आडे हाथो लिया जाता इसलिए शायद यह विचार छोड दिया गया।

अध्यक्ष के रूप म आचाय कृपालानी क होने से समिति की प्रतिष्ठा बहुत थी। वी० एम० तारकुडे ने समिति को अपना अगाध कानूनी अनुभव प्रदान किया। श्रीमती गाधी की अवज्ञा करक अभियुक्त या नजरबन्द हुए लोगा के प्रति तारकुडे की सहानुभूति और चिंता वस्तुत स्वातत्र्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का फल थी। काम का भार सुरेन्द्र मोहन विनोदप्रसाद सिंह और रवि नायर के कधो पर था। सोशलिस्ट पार्टी के क्रमश महासचिव तथा सयुक्त सचिव होने के नाते सुरेन्द्र मोहन तथा विनोदप्रसाद सिंह समिति को पूरा समय तथा श्रम देने मे असमथ थ। इसलिए अधिकाश भार रवि नायर को उठाना पडा।

रवि एक प्रतिबद्ध युवक है— सिद्धान्तो म अडिग तथा कम म साहसी। नवबर 1975 से मध्य 1976 तक वह तिहाड जेल म नजरबन्द था। छूटने के बाद से उसने हर तरह से हमारी मन्द का जिम्मा उठा लिया। हमारे वकीलो के काम म तालमेल बठाना और कागजात देखना उसके जिम्मे था रोज वह अदालत म हाजिर रहता। हमारी चिटठी पत्री लेकर और हम 22 लोगो को जो कुछ भी छोटी मोटी जरूरत होती उस पूरा करता हमारे खाने पीने, दवा इत्यादि का अदालत म प्रबध करता। मुकद्दमे के प्रचार का काम उसने दक्षतापूवक सभाल लिया। खास कर विदेशी सवाददाताओं से उसके मधुर सबधो ने हम बहुत लाभ पहुचाया जाज के बयान छपवाना या साइक्लोस्टाइल कराना मुकद्दमे की दिलचस्प झलकिया छपवाना और अधिक से अधिक सख्या म वितरित कराना—य ऐसे काम थे जिनसे हम बहुत लाभ हुआ।

हम तरह तरह से मन्द पहुचाने वालो मे एक और व्यक्ति था—सोमदत्त—हजारो सोशलिस्टा का सोम जो बारहा बठको और सम्मेलनो म प्रतिनिधियो के आराम का ध्यान रखता रहा है। दस साल पहले जब डा० लोहिया विलिंग्डन अस्पताल मे मृत्युशया पर थे सोम दिन रात वहा फोन पर हाजिर रहता हर तरह की व्यग्र पूछताछ का उत्तर देता। सोम न हमारी और वकीलो की जरूरतो का ध्यान रखा। वह काफी कार आमद मालूम होता है तथा पुलिस से भी उसने बना रखी है चुनाचे जो हम निषिद्ध और नियम विरुद्ध सताया जाता वह काम भी सोम कर देता। सोम ने 12 अक्टूबर को अदालत म हमारा हथकडियो वाला फोटो खीचने का इतजाम कराया था जबकि पुलिस बदोबस्त अपने चरम रूप म था।

हमारे वकील बहुत अच्छे थ तथा मुझ विश्वास है कि मुकद्दमा चलता तो व डटकर लोहा लते लेकिन उनस यह अपेक्षा नही की जा सकती थी कि वे राजनीतिक सूझबूझ दिखाकर हर अवसर का लाभ उठात और उस राजनीतिक

कोण दे देत यो भी उन्ह सख्ती से कानूनी सीमाओ म रहना था। इसके अलावा, वकीलो की तरह ये भी सुस्त ता होत ही थे। कई बार हमने जब हाई कोट मे दरख्वास्त करने की सलाह दी, उन्होन उसम हफ्ते लगा दिये। उन्हे कानूनी नुक्ता का ध्यान रखकर याचिकाए बनानी थी, और इसी की उन्ह आदत भी थी जिसके लिए वे कई पोथी पतरो की जाच परख करते थे। ऐसे मामला मे उनसे जल्दबाजी नहा करायी जा सकती थी। इसलिए हमने तय किया कि मुझे कोई वकील नही रखना चाहिए तथा मुझे खुद अपनी परवी करना चाहिए।

यह निणय बहुत फायदेमद साबित हुआ। कई साल पहले, 1944 मे मैंने मद्रास हाई कोट के उच्च न्यायाधीश को जेल के भीतर से एक दरख्वास्त भेजी थी तथा उसपर तत्काल ध्यान दिया गया एव मुझे एक मामूली सी मामले म राहत मिल गयी। तभी से मैं अपने आपको शौकिया वकील मानता हू जिसपर न्यायाधीशो का ध्यान जाना लाजिमी है। पर मरे इस अह की तथा जो कुछ भी योग्यता थी उसकी कठोर परीक्षा हुई। कुछ हिचक के साथ ही मैं खुद अपना वकील बना था पर मैंने देखा कि मैं आशातीत ढग से और सफलता से इसके रोल को निभा लूगा। चीफ मेटोपोलिटन मजिस्ट्रेट श्री मोहम्मद शमीम ने, जो एक बहुत शाइस्ता और विनम्र व्यक्ति है बहुत उदार होकर मुझे बधाई दी। असली परीक्षा हाइ कोट मे होनी थी लेकिन वहा भी मुझे आश्चय मिश्रित हष हुआ कि मैं अधिकाश याचिकाओ मे परवी करके जीतता रहा। हमारे बचाव पक्ष के अधिकाश वरिष्ठ वकीलो न खुलकर मेरी तारीफ की, गोकि कुछ अन्य वकील बीच बीच मे मुझे टोक देते थ।

मेरी याचिकाओ और दलीलो का एकमात्र उद्देश्य था इस मामले का प्रचार तथा सरकार एव इस्तगासे की रीति-नीति का भडाफाड। वकील के रूप म अगर इस बीच मेरी कोई ख्याति हुई तो उस बाबत मैं ईमानदारी से कह सकता हू कि यह सयोगमात्र था।

मजिस्ट्रेट ने ज्यो ही निम्न आदेश देने से इनकार करके हमारी प्राथना रद्द की (क) हम हथकडी न लगायी जाए (ख) हमे अन्य अभियुक्तो की ही तरह गापनीयता के साथ कानूनी सलाह मशविरे का अवसर तथा कानूनी मदद की इजाजत मिल और (ग) हमे अदालत म पेश करने के दौरान चाय नाश्त की इजाजत रह —त्यो ही मैंने दिल्ली हाई कोट म दरख्वास्त लगा दी। हालाकि हाई कोट तक पौरुषहीन हो चुके थ फिर भी यह जानकर सतोष हुआ कि व कदियो की दरख्वास्तें सुनने को तयार थे तथा यह आग्रह नही करत थे कि दरख्वास्त बिलकुल कानूनी नुक्ता और तरीका के ही अनुसार हो। माननीय न्यायाधीश वी० डी० मिश्र के यहा मेरी प्राथना पर शीघ्र ही सुनवाई हुई और उन्हान मुझे इनम स हरेक मामल म राहत दी। हथकडी वाल मामले म इस

आधार पर राहत स्वीकार करने मे मुझे झिझक थी कि मैं इस मुकद्दमे मे जमानत पर हू पर अन्य वकीलों ने इसके लिए मुझ पर दबाव डाला। उनकी राय थी कि मेरे मामल म अदालत के फसल से उन्ह जॉज तथा अन्य लोगों की पैरवी मे मदद मिलेगी जो कि जमानत पर नही है। बहरहाल उनकी दरख्वास्तो मे इस कदर देर हुई तथा कानूनी प्रक्रिया का पालन इतना समय ले गया कि 22 माच 1977 तक, जबकि हम रिहा हो गए उन सबको कचहरी मे हथकडी तथा जजीर मे लाया जाता रहा। न्यायाधीश मिश्र ने यह भी आदेश किया कि मुझे अपने वकीलो से मिलने की तथा गोपनीय सलाह-मशविरे को पूरी छूट होनी चाहिए। अदालत मे पेशी के दिन नाश्ता चाय लेने की अनुमति देते हुए उन्होने कदियो के रख रखाव के लिए अदालत की चिंता व्यक्त की। इस पर उन्होने रोष जाहिर किया कि सुबह से शाम तक हम एक कप काफी पीने की भी इजाजत नही है। इन निर्देशो का फायदा मेरे सभी सह अभियुक्तो को भी हुआ।

मैंने गह राज्य मत्री ओम मेहता, सी०बी०आई० के डायरेक्टर और ब्लिटज़ के विरुद्ध मानहानि के मामले म उनके सामने जिरह की। इन्होने हम पर लाछन लगाए थे तथा प्रस्तुत अभियोग का अपराधी करार दिया था। अदालत ने उदारता के साथ मुझे दो घटे जिरह का वक्त दिया और अत मे मुझे बधाई भी दी।

मुझे एक अन्य सुखद अनुभव माननीय न्यायाधीश एफ० एस० गिल के सामने पेश होने म हुआ। उनके यहा मेरी यह दरख्वास्त लगी थी कि मजिस्ट्रेट के यहा जारी सारी कारवाई अवध करार दी जाय, क्योकि कुछ कानूनी अनियमिततायें बरती गयी हैं। उन्होने भी उदारता और सज्जनता क साथ मुझसे कहा कि मेरी परवी काफी दमदार और स्पष्ट रही। उन्होने मेरी प्राथना मजूर नही की परतु भरत पटेल को दुबारा बुलाकर जिरह करने की अनुमति दे दी।

लकिन ऐसा नही था कि देश की सारी अदालतें, सारे यायाधीश स्वतत्रता पूवक भय और दबाव से मुक्त हो कर काम कर रहे थे। यायाधीश भी आखिर इसान ही हैं और देश के वातावरण का प्रभाव उन पर पडना लाजिमी है। आपात काल मे श्रीमती गाधी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि कानून चाहे जो हो, चलेगा वही जो वह कहेंगी। जा न्यायाधीश स्वतत्रता दिखा रहे थे और श्रीमती गाधी के गरकानूनी काय को सही बताने से इनकार कर रहे थे उनकी नौकरी पक्की नही की गयी तथा कुछेक का दूर दराज स्थानो म तबादला कर दिया गया। हम स्थिति को समझ गये थे तथा उसको सहने के लिए तयार थे। फिर भी दिल्ली हाई कोट के एक न्यायाधीश, प्रकाश नारायण के बारे म मेरा अनुभव बहुत ही अजीब रहा। बेशक वह अपनी समझ से न्याय कर रहे होगे। उन्होंने एक भी राजबदी को किसी तरह की राहत मुहैया नहीं करायी। इस तथ्य का यह अथ नही है न लगाया जाना चाहिए कि वह सरकार को खुश करन के लिए कुछ

बडोदा डायनामाइट केस के अभियुक्त

(खडे हुए) जयराम मोर एम० आर० राव सुरेश वैद्य पदमनाभ शट्टी सोमनाथ दुबे मोतीलाल कनौजिया गोविन्द सोलंकी सुशील भटनागर

(बैठे हुए) कमलेश लाडली निगम सी० जी० के० रेड्डी जार्ज फर्नान्डीस वीरेन शाह लक्ष्मण जादव महेन्द्रनारायण वाजपेयी

आधार पर राहत स्वीकार करने म मुझे झिझक थी कि मैं इस मुकदमे मे जमानत पर हू पर अन्य वकीलों ने इसके लिए मुझ पर दबाव डाला। उनकी राय थी कि मेरे मामल म अदालत के फसले से उन्ह जाज तथा अन्य लोगो की पैरवी मे मदद मिलेगी जो कि जमानत पर नही हैं। बहरहाल उनकी दरख्वास्तो म इस कदर देर हुई तथा कानूनी प्रक्रिया का पालन इतना समय ले गया कि 22 माच 1977 तक, जबकि हम रिहा हो गए उन सबको कचहरी म हथकडी तथा जजीर म लाया जाता रहा। न्यायाधीश मिश्र ने यह भी आदेश किया कि मुझ अपने वकीलों से मिलने की तथा गोपनीय सलाह मशविरे को पूरी छूट होनी चाहिए। अदालत मे पेशी के दिन नाश्ता चाय लेन की अनुमति देते हुए उन्होने कदियो के रख रखाव क लिए अदालत की चिंता व्यक्त की। इस पर उन्होंने रोष जाहिर किया कि सुबह से शाम तक हम एक कप काफी पीने की भी इजाजत नही है। इन निर्देशो का फायदा मेरे सभी सह अभियुक्तो को भी हुआ।

मैंने गृह राज्य मत्री ओम मेहता, सी०बी०आई० के डायरेक्टर और ब्लिटज के विरुद्ध मानहानि क मामले म उनके सामने जिरह की। इन्होने हम पर लाछन लगाए थे तथा प्रस्तुत अभियोग का अपराधी करार दिया था। अदालत ने उदारता के साथ मुझे दो घटे जिरह का वक्त दिया और अत म मुझे बधाई भी दी।

मुझे एक अन्य सुखद अनुभव माननीय न्यायाधीश एफ० एस० गिल के सामने पेश होने म हुआ। उनके यहा मेरी यह दरख्वास्त लगी थी कि मजिस्ट्रेट के यहा जारी सारी कारवाई अवध करार दी जाय, क्योकि कुछ कानूनी अनियमिततायें बरती गयी हैं। उन्होंने भी उदारता और सज्जनता क साथ मुझसे कहा कि मेरी परवी काफी दमदार और स्पष्ट रही। उन्होने मेरी प्रायना मजूर नही की, परतु भरत पटेल को दुबारा बुलाकर जिरह करने की अनुमति दे दी।

लकिन ऐसा नही था कि देश की सारी अदालतें सारे न्यायाधीश स्वतत्रता पूवक भय और दबाव स मुक्त हो कर काम कर रहे थे। न्यायाधीश भी आखिर इसान ही हैं और देश के वातावरण का प्रभाव उन पर पडना लाजिमी है। आपात काल मे श्रीमती गाधी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि कानून चाहे जो हो, चलेगा वही जो वह कहेंगी। जो न्यायाधीश स्वतत्रता दिखा रहे थे और श्रीमती गाधी के गरकानूनी काय को सही बताने से इनकार कर रहे थे, उनकी नौकरी पक्की नही की गयी तथा कुछेक का दूर दराज स्थानो म तबादला कर दिया गया। हम स्थिति को समझ गये थे तथा उसको सहने के लिए तयार थे। फिर भी दिल्ली हाई कोट के एक न्यायाधीश प्रकाश नारायण के बारे मे मेरा अनुभव बहुत ही अजीब रहा। बेशक वह अपनी समझ से न्याय कर रहे होगे। उन्होने एक भी राजबदी को किसी तरह की राहत मुहैया नही करायी। इस तथ्य का यह अथ नही है न लगाया जाना चाहिए कि वह सरकार को खुश करने के लिए कुछ

बड़ौदा डायनामाइट केस के अभियुक्त
(खड़े हुए) जयराम मोर एस० आर राव सुरेश वैद्य पदमनाभ शेट्टी सोमनाथ दुबे मोतीलाल कनौजिया गोविन्द सोलंकी सुशील भटनागर
(बैठे हुए) कमलेश लाडली निगम सी० जी० के रेड्डी जार्ज फर्नांडीस वीरेन शाह लक्ष्मण जादव महेन्द्रनारायण वाजपेयी
(जमीन पर) देवेन्द्र गज्जर विश्वनाथ शेट्टी गोपाल शरीगर (ऊपर कोने में) विजयनारायण सिंह

स्नेहलता रेड्डी—
आन्दोलन की आहुति

स्नेहलता
पति के साथ

भी करने को तैयार थे। लेकिन उनका रवैया रूखा और सहानुभूतिहीन लगता था।

अन्य प्राथनाओ की सुनवाई के दौरान मैंने माननीय न्यायाधीश प्रकाश नारायण से शिकायत की कि मुझे हाईकोट म पेशी के दिन नाश्ता पानी नही करन दिया जाता। उन्होने टिप्पणी की कि हाई कोट कोई होटल नही चलाता तथा मुझे सरकारी वकील से यह बात कहनी चाहिए। एक न्यायाधीश के मुह से यह बात अप्रत्याशित और अशोभनीय थी। जब मैंने आग्रह किया कि यह काम अदालत का है न कि सरकारी वकील का, तो वह बोले कि लिखित दरख्वास्त दो, हालाकि परपरा यह है कि कोट मौखिक अनुरोध पर ध्यान देता है। पर जब मैंने लिखित प्राथना पत्र पश किया तो वह चाहते थे कि नाश्ते पानी का मेरा बुनियादी हक भी निश्चित वक्त पर कानूनी पेचीदगिया के साथ मुझे मिल। और इस मामूली सी बात के फैसले के लिए उन्होने कई पेशिया डाल दी ताकि सरकार एडीशनल सॉलीसीटर जनरल को, सो भी उसकी सुविधा के अनुसार पश कर सके। महीने भर से अधिक समय बीत गया तब मैंने निराश होकर अपनी दरख्वास्त वापस लेने की दरख्वास्त द दी। उसम मैंने कहा कि अदालत न सरकार को इस मामूली प्राथना पर भी जिरह के लिए इतना समय दे दिया है मानो यह बहुत बुनियादी तथा पेचीदा कानूनी मामला हो। वह कुपित हो गए और तत्काल आदेश दे दिया कि मुझे अदालत की मानहानि का नोटिस दे दिया जाय।

कई दोस्तो और वकीलों का विचार था कि यद्यपि अदालत ने अनुचित आपत्ति उठाई है, पर मुझे क्षमा मागकर मामले को रफा दफा करना चाहिए। मैं इसक लिए तैयार नही था। जब मुझे पेश किया गया तो मैंने बहस की कि अदालत स उम्मीद रखने का मुझे हक है उम्मीद अदालत के प्रति आदर भाव से ही उत्पन्न होती है। जितनी बडी प्रत्याशा होगी निराशा भी उतनी ही बडी होगी। और मुझे निराशा व्यक्त करने का भी हक है। मैंने जिस भाषा म यह व्यक्त किया है उसपर आपत्ति नही की जा सकती। बहस के लिए उठत ही मैं समझ गया था कि उन्हें नोटिस जारी करने म अपनी जल्दबाजी का अहसास हो गया है। और मैंने अदालत की इस मामल म असहिष्णुता तथा अविवेकसगत रवये का नक्शा उघाडने म कोताही नहीं की। अत मे उन्होंने नोटिस वापस ले लिया।

दिल्ली हाईकोट के सभी आदेश, मानहानि के नोटिस को रद्द करने का आदेश भी अखबारो म प्रकाशित हुए। सेंसर ने हमारी शिकायतो को छपन से रोक दिया था पर हाईकोट के आदशों म उनके प्रकाशन से वे नही रोक सके। तानाशाह के आधार-स्तम्भ अभिकरणा की नालायकी का यह हाल था। व जबरदस्ती और दबाव के तरीके अपनाना चाहते थ पर किसी नीति को कारगर ढग स अमली जामा नही पहना सकते थ। कारगर प्रशासन क लिए दक्षता काफी नहीं है समपण भाव भी जरूरी है। श्रीमती गाधी की हुकूमत म समपण भाव के दशन दुलभ थे।

14

विवेक का सवाल

दड प्रक्रिया सहिता म सशोधन करके दडाधिकारी के सभी विवेकाधिकार छीन लिए गए हैं। अब उन्हे सिर्फ अभियोगपत्र के साथ दिए गए दस्तावेजो की छानबीन और मुखबिरो स आरभिक पूछताछ करने का ही अधिकार है। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष आरभिक आपराधिक कारवाइया तीन महीने, और मुकदमा दो साल चलगा ऐसी आशा की जाती थी। सामान्यतौर पर ये कारवाई 1979 तक चल सकती हैं यह सहज दीखता था।

कारवाई शुरू करते समय सरकार बहुत जल्दी म थी। हमारी कोशिश थी कि उसे अधिक से अधिक लबा कराया जाय। उसे धीमा करन के लिए पर्याप्त कारण थे। हम देश के विभिन्न भागो से विभिन्न भाषा क्षत्रो स लाया गया था। कुछेक दस्तावेज अपने क्षेत्र की भाषाओ म लिखे हुए थ। कर्नाटक स पुलिस की रपट कन्नड म, महाराष्ट्र से मराठी म, गुजरात स गुजराती म, बिहार से हिन्दी म तथा दिल्ली स उर्दू म थी। हमने माग की कि उन सबका अनुवाद हमारी अपनी अपनी भाषाओ म कराया जाय। उसका अर्थ होता इन दस्तावजो का कम स कम पाच भाषाओ म अनुवाद। इस काम म कई हफ्ते लग जाते। इस्तगास ने दलील दी कि अदालत की मौजूदा कारवाई की भाषा—उर्दू—म ही दस्तावेज होने चाहिए पर यह हास्यास्पद दलील थी क्योकि इसक चलत कोई नागरिक देश म मुक्त रूप से घूम फिर भी नही सकता क्योकि कही भी उसके लिए अज्ञात स्थानीय भाषा म उसपर अदालती कारवाई हो ता वह अपना बचाव नही कर सकता। इस्तगास की बात मान लें तो केवल तमिल जाननवाले व्यक्ति को बगाल में सिर्फ बगला भाषा म दस्तावेज मिलेंगे। तब उस उन दस्तावजो म या कोरे कागज के पुलिदे म क्या फर्क नजर आएगा? मजिस्टट पसोपेश म पड गया तथा उसने केवल आशिक रूप से हमारी प्रार्थना मजूर की। अग्रेजी या उर्दू के अलावा अन्य भाषाओ क सभी दस्तावेजो का अग्रजी अनुवाद होगा यह आदेश दिया। मेरे मामले म मुखबिर रेवतीकात सिन्हा का आत्मस्वीकारोक्ति बयान जो कि हिन्दी म था अग्रेजी म देने का आदश हुआ। मुझे विश्वास है कि उच्चतर न्यायालयों म हमारी पूरी प्रार्थना मान ली जाती पर वसा करने का निश्चय करने से पूर्व ही कई घटनाओ तथा अन्य कारणो स यह कारवाई आवश्यक हो गइ।

किस अदालत म मुकदमा चले यह प्रश्न गुजरात हाईकोर्ट म पेश किया गया। गुजरात के अभियुक्तों की दलील थी कि उनपर बडौदा म केस दर्ज किया गया है अन्य कही नही। यह कोई पुख्ता दलील नही थी, और यह रद्द भी हो गई। पर

इस कारवाई स एक पखवाडे का समय मिल गया। हममे से कुछ का विचार था कि गुजरात मे, जहा हाईकोर्ट ने बहुत स्वतत्रता तथा साहस दिखाया है, हमपरमुकदमा चले तो फायदा रहेगा। अत कुछेक इस मामले को सुप्रीम कोर्ट म ले जाना पसद करते। बहरहाल हमने उ हे ऐसा न करने के लिए राजी कर लिया।

हम अधिकाश लोग सहमत थे कि इस मुकद्दमे को राजनीतिक पुट देकर ही लाभ उठाया जा सकता है। यदि हम सिफ फौजदारी अभियुक्ता की तरह रखा जाना था तो गुजरात म निश्चय ही लाभ होगा। पर हम यदि इसस राजनीतिक प्रचार तथा लाभ कमाना है तो दिल्ली ही आदश स्थान होगा। राजनीतिक गतिविधि जो भी थी, दिल्ली मे केन्द्रित थी। नवबर तक कई राजनीतिक नेता जेल से निकल चुके थे और बडौदा से उनस सपक रख पाना कठिन होता। इसके अलावा, समूचा विदेशी सवाद दल दिल्ली म था। यदि दिल्ली के बाहर कही मुकदमा चलता तो हम विदेशी पत्रो मे सुलभ प्रचार तथा सरकार पर विदेशी जनमत का बढता हुआ दबाव हासिल नही कर सकत थे।

यह भी पाया गया कि कारवाई म विलब या स्थगन होने से हमारे राजनीतिक सपक सूत्र टूट जाएगे। पुलिस सुरक्षा के बावजूद हम मित्रो और रिश्तेदारों के माध्यम से निरतर जीवत सपक कायम रखे हुए थे जो हमे खाने पीन की चीजें लाकर देते थे, और उस बहाने हम उनसे खुलकर बात कर लते थे। बचाव का सगठन करने की दलील देकर बचाव समिति के सदस्य जब तब हमसे मिलने आत थे और उनके माध्यम से हम विदेशो मे प्रचार की व्यवस्था कर लत थे। इन्ही सुविधाओं के कारण हम नवबर 1976 के अतिम दिनो से शुरू हुई राजनीतिक गतिविधियो म भी सक्रिय हिस्सा ले पा रहे थे। उदाहरणाथ, दिसबर के मध्य मे विरोधी दलो ने आत्मसपण के लिए जा बठक बुलाई थी उन्हे जॉज न जबदस्त हस्तक्षेप करके विफल करा दिया।

इन कारणो से मुकद्दमा न केवल दिल्ली मे चलना चाहिए था, बल्कि बिना रोक टोक के आगे बढना चाहिए था। यदि दिल्ली म मुकदमा न चलता तथा अदालत म निरतर कारवाई न होती तो आज लाकसभा के चुनाव म नामांकन पत्र भी न भर पाते। चुनाव अभियान म काई महत्त्वपूण भूमिका वह निश्चय ही अदा न कर पात।

22 दिसबर को हमने डा० गिरिजा हुलगोल से एक हलफनामा दाखिल कराने की व्यवस्था की। उसम सी० बी० आई० पर आरोप लगाया कि उसन गिरिजा तथा उनके पारिवारिक सदस्यो को धमकी देकर तथा दबाव डालकर हमारे खिलाफ गवाही के लिए तैयार किया है। हमने दिल्ली म विदेशी पत्रकारों को सतक कर दिया तथा उनमे से अधिकाश उस दिन अदालत म मौजूद

इस्तगासा और सी० बी० आइ० हक्के बक्के रह गए। विदेशी पत्रों ने सुर्खियां लगाकर उसका बयान छापा जिससे श्रीमती गांधी की सरकार की फजीहत हो गई। हमने सफलतापूर्वक जता दिया कि श्रीमती गांधी निरंकुश तानाशाह हैं तथा अपने विरोधियों को नष्ट करने में अवैध तरीके अपना सकती है।

पूरी कोशिश के बावजूद दस्तावेजों की जांच-पड़ताल करने तथा अभियोग पत्र में दर्ज सभी दस्तावेज़ हमें मिल गए हैं यह बताने में हम जनवरी के पहले हफ्ते से अधिक समय नहीं बचा सके। मध्य जनवरी 1977 में मुखबिर भरत पटेल की गवाही शुरू हुई।

मुखबिरों के प्रयोजन को समझना कठिन नहीं है। बहुत बहादुर लोग भी जो कि किसी षड्यन्त्र में भाग लेते हैं सजा का मौका देखते ही टूट जाते है। वे जितने सपन्न होते हैं उनकी जोखिम भी उतनी ही अधिक होती है। जब तक गहरी निष्ठा ध्येय के प्रति पूरी प्रतिबद्धता, और हर नतीजे का सामना करने का साहस न हो तब तक पक्ष बदलने और अपने भूतपूर्व साथियों के खिलाफ गवाही देकर छूट जाने का लालच दुर्निवार होता है। इसी कारण इस्तगासे को प्रायः मुखबिर मिल जाते है।

हमारे मुकद्दमे में दो मुखबिर थे—भरत पटेल तथा रेवतीकांत सिन्हा। भरत पटेल का राजनीति से कोई खास लेन देन नहीं था। उसने नवनिर्माण आन्दोलन को समर्थन दिया था तथा जनता मोर्चा को चुनाव में मदद की थी। अब प्रतीत होता है कि यह समर्थन भी खास प्रयोजन से दिया गया था। अधिकांश व्यापारी हवा का रुख देख लेते हैं। हवा तेज़ हो उससे पहले ही वे अपनी राह बदल लेते हैं और उसका पुरस्कार मांगते तथा पा लेते हैं। पटेल ने व्यापारी होने के नाते गुजरात में हवा का रुख पहचान लिया होगा और इसलिए खुलकर विरोध पक्ष के साथ आ गया होगा। जार्ज फर्नांडीस से संबंध जोड़ने के पीछे भी उसका प्रयोजन यही रहा होगा पर इस बार उसका हिसाब गलत हो गया।

अतएव जब बाबूभाई पटेल की सरकार गिरी तथा बड़ौदा षड्यन्त्र का राज खुल गया तो भरत पटेल को लगा होगा कि अब तो इन्दिरा गांधी हमेशा राज करती रहेगी। इसलिए हमारे खिलाफ गवाही की रजामंदी देकर न केवल वह अपनी चमड़ी बचा रहा था बल्कि अपना भविष्य भी सुरक्षित कर रहा था।

रेवतीकांत सिन्हा का मामला आश्चर्य और खेद का विषय था। वह राज्य सभा के सदस्य रह चुके थे बिहार की विधान परिषद के भी। कोई राजनीतिज्ञ कितना ही वर्तमान या दागी हो, उसकी कोई न कोई निष्ठा अवश्य होती है—विचारधारात्मक भी तथा अंजाम के खतरे व भय से उत्पन्न भी—जिसके कारण कोई भी जाना माना राजनीतिज्ञ सार्वजनिक तौर पर गद्दारी करने से हिचकेगा। अपने साथियों के खिलाफ, सो भी अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ सरकारी

गवाह बनने को तैयार हो जाना न सिर्फ निहायत शर्मनाक गद्दारी थी, बल्कि चरित्रहीनता की निशानी भी। रेवतीकांत सिन्हा ऐसे माटी के पुतले निकले जिनकी न कोई निष्ठा है न जिन्हें अपना दसियों वर्ष पुरानी पार्टी में काम करने तथा आगे बढ़ने, उसके कारण आजीविका, सम्मान और प्रतिष्ठा का पद पाने, के बावजूद दगा करने में संकोच नहीं होता। राजनीति के अन्य कई लोगों की तरह उन्होंने भी सोचा होगा कि इंदिरा राज सदैव कायम रहेगा—कम से कम इतना लंबा जरूर चलेगा कि उन्हें अपनी गद्दारी का जवाब नहीं देना पड़ेगा।

पटेल की गवाही जनवरी के मध्य से 10 फरवरी 1977 तक जारी रही। एक छोटी व्यापारी के नाते शायद कोमल भावनाओं का कोई महत्त्व उसकी निगाह में नहीं था, न ही कोई शर्म थी। फिर भी हमने सोचा था कि गवाही देते हुए उसे कुछ हिचक होगी। पहले दिन शायद वह काफी परेशान और दहशतजदा भी था। पर पहली पेशी के बाद उसे सुनते हुए ऐसा लगा मानो वह किसी के साथ विश्वासघात करके उसे लंबे समय के लिए जेल भिजवाने का काम नहीं कर रहा है बल्कि व्यापारिक सौदा कर रहा है। असमंजस का एकमात्र संकेत यह मिला कि वह हमसे आंख नहीं मिला पाया। क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी शायद अपने शिकार का सीधा सामना नहीं कर सकते। कसाई भी शायद छुरी चलाते वक्त बकरे की ओर देखने में झिझक जाता है।

मुखबिरों से प्रारंभिक चरण में जिरह नहीं की जाती क्योंकि बचाव पक्ष इस्तगासे को यह नहीं बतलाना चाहता कि बचाव की कौन सी दलील या रीति अपनाई जाने वाली है। शुरू में अपनी दलील को जाहिर कर देने से सरकारी पक्ष को हमारी कमजोरी से फायदा उठाने का मौका मिल जाता। पर भरत पटेल की गवाही के दौरान हमने लगातार प्रकट किया कि हम उससे जिरह करना चाहेंगे। यह इसलिए कि हमारी कठोर पूछताछ की संभावना से उसमें दहशत बनी रहे और वह संतुलित न हो पाए। पर पटेल को पुलिस ने ऐसी पट्टी पढ़ा रखी थी कि लगता था वह एक अक्षर भी इधर उधर नहीं बहक रहा है।

जब गवाही हो चुकी तो हमने अदालत को वह कारण बताने का निश्चय किया जिसके तहत हम भरत पटेल से जिरह नहीं करना चाहते थे और कारण बताने की प्रक्रिया में हम प्रचार करना चाहते थे। 10 फरवरी को जब भरत पटेल अदालत में जिरह के लिए लाया गया जार्ज ने एक बयान देकर बताया कि हम क्यों जिरह नहीं करना चाहते।

जार्ज ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए कहा कि आततायी सरकार से लड़ने के लिए हर नागरिक को किसी भी तरह के साधन का प्रयोग करने का अधिकार है। बयान पढ़ने में काफी समय लगा और मजिस्ट्रेट तथा इस्तगासे के एतराजों के बावजूद उन्होंने कुछ कानूनी तथा नैतिक नुक्तों पर प्रकाश डाला तथा

सरकार के हम पर मुकद्दमा चलाने के ढग एव हर सूरत म हम सज़ा दिलाने की कोशिश का पर्दाफाश किया। उन्होने लक्ष्य किया कि जाच अधिकारी ने भरत पटेल को क्षमा दिलाने की प्राथना करत समय मजिस्ट्रेट के सामन कबूल किया था कि भरत पटेल को अगर यह आश्वासन नही दिया गया और इस्तगास का गवाह नही बनने दिया गया, तो इस षडयत्र मे उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा सीधा सबूत नहा है।

हुआ यह कि भरत पटल ने इन्ही मोहम्मद शमीम की अदालत म इकबाली बयान दिया था जिसक आधार पर उस क्षमा प्रदान की गई थी। मजिस्ट्रेट द्वारा निरूपित निष्कर्षों क उद्धरण दे दे कर जाज न बताया कि मजिस्ट्रेट ने यह माना था कि हमारे खिलाफ गवाही देने को आनेवाला मुखबिर षडयत्र म भागीदार था तथा वह अभियुक्तो की विभिन्न गतिविधियो के बारे म एव प्रस्तुत अभियोगो के बारे मे गवाही देने की स्थिति म है। जिस मजिस्ट्रट के सामने इकबाली बयान दिया गया एव जो इस बाबत सतुष्ट था वही मजिस्ट्रेट मौजूदा प्रारभिक न्यायिक कारवाई का सचालन कर रहा था। जाज ने अपने बयान म लक्ष्य किया कि हम चीफ मेटापोलिटन मजिस्टेट से गवाही के मूल्याकन म निष्पक्षता को आशा शायद नही कर सकते क्योकि मजिस्ट्रेट पहल ही मुखबिर के सत्य-कथन की योग्यता के बारे म खुद आश्वस्त हा चुके हैं।

अपने बयान म जाज ने मजिस्ट्रेट का ध्यान डा० गिरिजा ह्यूलगोल द्वारा पश हलफनामे की आर खीचा तथा बताया कि उसे तथा उसके परिवार को हमारे खिलाफ बयान देने क लिए धमकी दी गई एव दबाव डाला गया था। उ होंने अपने भाई लारेंस फर्नांडीस को पुलिस द्वारा दी गई यातना के बारे म भी मजिस्ट्रट का ध्यान आकृष्ट किया। श्रीमती स्नेहलता रेड्डी की मौत तो लगभग पुलिस तथा जेल अधिकारिया के हाथो हुई थी क्याकि उन्ह उचित चिकित्सा नही दी गई। इस घटना का जिक्र करते हुए जाज ने मजिस्ट्रेट से कहा कि सरकार इस क्रूरता के साथ हम पर मामला चला रही है तथा हम सजा दिलाने पर आमादा है इस विषय पर वह गहराई से विचार करें। जाहिर है कि यह सारा प्रयत्न श्रीमती गाधी की तानाशाही के विरुद्ध हमारे अडिग विरोध की सज़ा देन के लिए हो रहा था।

सरकारी प्रचार तत्र तथा सेंसर बद प्रेस के माध्यम से जिस तरह का प्रचार चलाया जा रहा है उसके उदाहरण देत हुए जाज ने कहा कि श्रीमती गाधी दुनिया तथा देश की जनता से कह रही हैं कि भारतीय जनता ने उनकी तानाशाही स्वीकार कर ली है तथा वह इसम खुश है। सरकार मुकद्दमे की कारवाई की भी विकृत रपट छपवा रही है जिसके बारे म हम बार बार शिकायत कर चुके है।

अत म इन हालात म मजिस्ट्रट के सामने हम चाहे जो तर्क दें या अपने बचाव मे हम चाहे जो दस्तावज़ पेश करें अतिम फसला पहल ही हो चुका है।

इसीलिए हमने पहले मुखबिर से जिरह करने से मना किया है, और इस अधिकार का त्याग करने के जो भी नतीजे हों उनका सामना करने को हम तयार है।

जाज के बयान के तुरत बाद मैंने अपना यह बयान पढ सुनाया

आज श्री जाज फर्नांडीस ने आपके सामने बयान म जो कहा है उसके प्रत्येक विचार और लगभग प्रत्येक शब्द स मैं सहमत हू तथा उसे मानता हू। मुझसे पूछा गया है कि 25 वष तक सक्रिय राजनीति स अलग रहने के बाद अचानक अपने सक्रिय जीवन क अतिम दिनो म तानाशाह से लडने क्यों निकल पडा? वस्तुत मित्रों ने, और पुलिस अ वेषकों ने मुझस सवाल किया है कि म आराम तथा शांति की जिंदगी छोड कर लडाई म क्यो कूद पडा?

यह सही है कि गाधीजी के निधन के बाद से हमारी जनता के हिस्से म अन्याय और बुराई ही आई है पर 25 जून, 1975 को जो कुछ हुआ वह ऐसी खतरनाक विपदा है जिसकी कल्पना इस देश म किसी न नहीं की थी। न केवल अन्याय और बुराई बढ गई बल्कि हमारी जनता के तमाम अधिकार—आजादी खुशी जीवन जीने के अधिकार तक—एक यक्ति ने, उसके परिवार न, तथा उसके महल के गिरोह न छीन लिए। मुझे यह भी समझ म आ गया कि जो कुछ घटित हुआ है उसका विरोध केवल राजनीतिक लोग नहीं कर सकत। यह हरेक का, खास तौर स बुद्धिजीवी का फज है कि उस औरत को हटाने के लिए अपन भरसक हर प्रयत्न कर, जिसने कि सत्ता, सम्मान और पद के लोभ म हमारी जनता की हालत जानवरो-सी कर दी है जिन्ह पहले भी हक के नाम पर सिफ पेट भरने का हक हासिल था सो भी तब जब उन्ह कुछ खाने को नसीब हो जाए।

मेरी अतरात्मा और मेरा विवेक अपन देश और लोगो का यह बलात्कार बर्दाश्त नहीं कर सका। और मेरा विश्वास था तथा अभी मेरा विश्वास है कि देश तथा जनता क प्रति किए गए अन्याय को जबतक दूर नहीं किया जाता और इतिहास म अभूतपूव निरकुश अधिकारो वाली रानी की तरह जिसने खुद का स्थापित कर लिया है उस औरत को जब तक हटाया नहीं जाता, तब तक मेरा भविष्य मेरा आराम मेरा स्वास्थ्य, मेरा जीवन भी कोई मानी नहीं रखता। और मैंने स्वय को इसी कत्तव्य मे लगा दिया। इस काय मे यदि तानाशाह या उसके गुर्गे मुझे सजा देना या मेरी जान लेना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए भी तयार हू और इस मैं अपना सौभाग्य मानूगा, क्योकि मुझे विश्वास है कि मैं जिस ध्येय के लिए लड रहा हू वह है हमारी जनता की आजादी का ध्येय। यह मैं पहले भी कर चुका हू जब 35 वष पहले मैं नौजवान था। उस समय मुझ पर सम्राट् के विरुद्ध युद्ध छेडने का अभियोग

लगाया गया था, और मैंने उसके नतीजे भोगे। आज मैं महारानी के खिलाफ लडने को कृतसकल्प हू और अपना सवस्व अपना जीवन भी अपने देश की खातिर बलिदान करने म मुझे प्रसन्नता होगी।

इस काय म मुझे अपनी पत्नी से अपन परिवार से और दोस्तो से बल मिला है जो मरा सौभाग्य है जिन्होने कि स्वय मरी गतिविधिया म हिस्सा नही लिया पर मेरी आतरिक विवशता को समझा है जिसके कारण मैं जाज फर्नांडीस क पक्ष म अडिग रूप से आया हू—जिन्हाने 25 जून, 1975 से हमार देश म जारी घिनौनी तानाशाही के मुकाबल म बहादुरी तथा पक्के इराद के साथ लडाई की अगुवाई की है।

भरत पटेल की गवाही समाप्त होने के एक हफ्ते बाद दूसरे मुखबिर रेवती कात सिहा ने गवाही के कटघरे म पर रखा। रेवतीकात एक बिल्कुल अलग किस्म के व्यक्ति थे। प्रकट था कि उ ह अभियुक्त के रूप म नतीजे भोगने का साहस नही था अत मुखबिर बन गए थे। उन्हे पुरस्कार का लालच भी दिया गया होगा। एक विश्वसनीय सी अफवाह थी कि उन्ह 25 000 रुपय दिए जा चुके है गवाही के बाद 25 000 और दिए जाएगे तथा सशन कोट मे भूमिका निभा लेने के बाद 50 000 रुपये पुन दिए जाएगे। उन्होंने खुद कबूल किया कि उनकी आमदनी बहुत कम थी और परिवार बहुत बडा था। एक लाख रुपये न उनकी आत्मा का काटा निकाल ही दिया होगा जसा कि बहुता के साथ हो सकता है।

फिर भी कटघरे म वह दया के पात्र दीखे। पढाई गई पट्टी के अनुसार बयान देने म तो उन्ह अधिक कठिनाई नहा हुई पर उनकी मानसिक स्थिति बेचन नजर आती थी। पतिततम यक्ति भी अतरात्मा से कभी न कभी पीडित होता होगा। सिन्हा तक को अपनी पार्टी के अध्यक्ष जाज फर्नांडीस का—जिसने कि उनपर विश्वास किया था और जि हें वह अपनी गवाही से सजा दिलाने मे मदद करने जा रहे थ—सामना करना कठिन लगा होगा।

उन्होने अपना बयान सिफ पाच बठको म समाप्त कर दिया। उस समय लोक सभा के चुनाव की चरम सरगर्मी चल रही थी। स्वाभाविक था कि हम लोग उत्तजित थे तथा बाहरी दुनिया स निरतर सपक रखना चाहते थे। अतएव आवश्यक था कि जाज लोगो से मिल सक हालात पर विचार विनिमय कर सकें और जहा तक सभव हो चुनाव अभियान म निणय करने तथा दिशा निर्देश करने म हिस्सा ले सकें। जाज उम्मीदवारो के चयन म बयान जारी करने म विदेशी पत्रकारो को इटरव्यू देने म जनता पार्टी के नेताओ से मिलने म और चुनाव म आम तौर पर अपनी बात मनवान मे सफल रह इसका श्रेय कचहरी म कारवाई को निरतर जारी रखन म हम लोगो की पहल तथा सूझ बूझ को ही है।

अब अपनी सुविधा के लिए मुकद्दमे की कारवाई म विलब कराने और हर मौके का फायदा उठाने की प्राय सारी तरकीबें मैं जान गया हू। सबसे आसान और निश्चित तरकीब है बीमारी का बहाना। हम 22 लोग थे और सामान्य हालत म भी जेल म कोई भी महीन म एक बार तो बीमार पड ही सकता है। इस तरह पूरे एक महीन की देर कराई जा सकती थी। पर यह बहुत जाहिर युक्ति हो जाती, तथा मजिस्ट्रेट विशेष अधिकार क द्वारा हमारी इस निहायत हास्यास्पद चालबाजी को समझकर अभियुक्तो की गैरहाजिरी म भी कारवाई जारी रखवा सकता था। हमे ऐसी राह नही चलना पडा जिस कारण मजिस्ट्रेट हम अडगेबाज कहे। सौभाग्य से सिन्हा खुद ही मददगार हो गया—बीमारी के कारण या उसका बहाना करके। दो बार मैं बीमार हुआ, तथा चूकि मेरा कोई वकील नही था, इसलिए मेरी अनुपस्थिति को नजरअदाज नही किया जा सकता था। तीन मौको पर जाज को तथा मुझे हाइकोट म पेश होना था। हम कोई एक तरकीब कई बार नही अपनानी पडी जिससे कि मजिस्ट्रेट को भी पेशी बढाने से इनकार करने का मौका नही मिला।

इस्तगासे ने विरोध म बहुत शोर नही मचाया। एक कारण यह भी हो सकता है कि वकील का हर पेशी का पसा मिलता था इसलिए खुद उसके हित म यह नहीं था कि बहुत सख्त विरोध करे। जब मुझे पता लगा तो मैं गभीरता से सोचने लगा कि उससे कहू कि वह मेरी अनेक याचिकाओ के दौरान हाईकोट मे हाजिर होने की जो फीस पाता है, उसका आधा पैसा मुझे दे दे। मैं बहुत मेहनत करता था कभी-कभी वकीलो स भी ज्यादा ताकि मेरी दरख्वास्तें विचाराथ मजूर हो जाए तथा मेरी परवी काफी लबी होती थी जिसकी सुनवाई म एक दिन से अधिक समय लगता था—उस हालत म सरकारी वकील से उक्त सौदा क्या बुरा था।

कचहरी की प्रक्रियाओ से मुझे अहसास हो गया कि न्याय को टालना कितना आसान है। देरे आयद इसाफ इसाफ नही रह जाता। चालाक वकील चाहे तो कयामत के दिन तक टालमटोल कर सकता है तथा गरीब मुकद्दमेबाजो की फजीहत हो सकती है। हाईकोट म मैंने देखा कि मशहूर हो चुके, तथा न्यायाधीशों से सौहाद रखने वाले वकील आसानी स अपने मुवक्किलो के लिए स्थगन आदेश पा लते हैं। इस परपरा को रोकने के लिए क्या कुछ नही हो सकता?

हमारी तमाम तरकीबो के बावजूद सिन्हा ने अपनी गवाही माच के पहले हफ्त म खत्म कर दी। यदि हमने उनस जिरह करने का अधिकार छोड दिया होता तो आरभिक कारवाई समाप्त हो जाती। सेशन कोट म कई हफ्तो बाद मामला आता। इस बीच जनता की नजर स मुकद्दमा दूर हो जाता। निहायत जरूरी था कि कारवाई चलती रहे ताकि हम बाहर की दुनिया स सपक रख

लगाया गया था और मैंने उसके नतीजे भोगे। आज मैं महारानी के खिलाफ लड़ने को कृतसंकल्प हूं और अपना सर्वस्व अपना जीवन भी, अपने देश की खातिर बलिदान करने मे मुझे प्रसन्नता होगी।

इस काय मे मुझे अपनी पत्नी से, अपने परिवार से और दोस्तो से बल मिला है जो मेरा सौभाग्य है जिन्होंने कि स्वयं मेरी गतिविधियो म हिस्सा नही लिया पर मेरी आतरिक विवशता को समझा है जिसके कारण मैं जाज फर्नांडीस क पक्ष म अडिग रूप से आया हू—जिन्होन 25 जून, 1975 से हमार देश म जारी घिनौनी तानाशाही के मुकाबल म बहादुरी तथा पक्के इरादे के साथ लडाई की अगुवाई की है।

भरत पटेल की गवाही समाप्त होने के एक हफ्त बाद दूसरे मुखबिर रेवती कात सिन्हा ने गवाही के कटघर म पर रखा। रेवतीकात एक बिल्कुल अलग किस्म के व्यक्ति थे। प्रकट था कि उन्हें अभियुक्त के रूप म नतीजे भोगने का साहस नहा था अत मुखबिर बन गए थे। उन्हे पुरस्कार का लालच भी दिया गया होगा। एक विश्वसनीय सी अफवाह थी कि उन्हें 25 000 रुपय दिए जा चुके है गवाही के बाद 25 000 और दिए जाएगे तथा सशन कोट म भूमिका निभा लने के बाद 50 000 रुपये पुन दिए जाएगे। उन्हान खुद कबूल किया कि उनकी आमदनी बहुत कम थी, और परिवार बहुत बडा था। एक लाख रुपये ने उनकी आत्मा का काटा निकाल ही दिया होगा जसा कि बहुधा के साथ हो सकता है।

फिर भी कटघर म वह दया के पात्र दीखे। पढाई गई पट्टी के अनुसार बयान देने म तो उन्हें अधिक कठिनाई नही हुई पर उनकी मानसिक स्थिति बेचन नजर आती थी। पतिततम व्यक्ति भी अतरात्मा स कभी न कभी पीडित हाता होगा। सिन्हा तक का अपनी पार्टी के अध्यक्ष जाज फर्नांडीस का—जिसने कि उनपर विश्वास किया था और जिन्हें वह अपनी गवाही से सज़ा दिलाने मे मदद करने जा रहे थे—सामना करना कठिन लगा होगा।

उन्होंने अपना बयान सिफ पाच बठको म समाप्त कर दिया। उस समय लोक सभा के चुनाव की चरम सरगर्मी चल रही थी। स्वाभाविक था कि हम लोग उत्तजित थ तथा बाहरी दुनिया से निरतर सपक रखना चाहते थे। अतएव आवश्यक था कि जाज लोगो से मिल सक हालात पर विचार विनिमय कर सकें और जहा तक सभव हो चुनाव अभियान म निणय करने तथा दिशा निर्देश करन म हिस्सा ल सकें। जाज उम्मीदवारो के चयन म बयान जारी करने म विदेशी पत्रकारो को इटरव्यू दने म जनता पार्टी के नताओ से मिलने म और चुनाव म आम तौर पर अपनी बात मनवाने म सफल रह इसका श्रय कचहरी मे कारवाई को निरतर जारी रखने म हम लोगो की पहल तथा सूझ बूझ को ही है।

अब अपनी सुविधा के लिए मुकद्दमे की कारवाई म विलब कराने और हर मौके का फायदा उठाने की प्राय सारी तरकीबें मैं जान गया हू। सबस आसान और निश्चित तरकीब है बीमारी का बहाना। हम 22 लोग थे और सामा य हालत म भी जेल म कोई भी महीने म एक बार तो बीमार पड ही सकता है। इस तरह पूरे एक महीन की देर कराई जा सकती थी। पर यह बहुत जाहिर युक्ति हो जाती, तथा मजिस्ट्रेट विनेप अधिकार क द्वारा हमारी इस निहायत हास्यास्पद चालबाजी को समझकर अभियुक्तो की गरहाजिरी म भी कारवाई जारी रखवा सकता था। हमे ऐसी राह नही चलना पडा जिस कारण मजिस्ट्रेट हम अडगेबाज़ कहे। सौभाग्य से सि हा खुद ही मददगार हो गया—बीमारी के कारण या उसका बहाना करके। दा बार मैं बीमार हुआ, तथा चूकि मेरा कोई वकील नही था इसलिए मेरी अनुपस्थिति को नज़रअदाज नही किया जा सकता था। तीन मौका पर जाज को तथा मुझे हाइकोट म पेश होना था। हम कोई एक तरकीब कइ बार नही अपनानी पडी जिससे कि मजिस्ट्रेट को भी पेशी बढाने स इनकार करने का मौका नही मिला।

इस्तगासे ने विरोध म बहुत शोर नही मचाया। एक कारण यह भी हो सकता है कि वकील को हर पेशी का पसा मिलता था इसलिए खुद उसके हित म यह नही था कि बहुत सख्त विरोध करे। जब मुझे पता लगा तो मैं गभीरता स साचने लगा कि उसम कहू कि वह मेरी अनेक याचिकाआ के दौरान हाईकोट मे हाजिर होने की जो फीस पाता है, उसका आधा पसा मुझे दे दे। मैं बहुत मेहनत करता था कभी कभी वकीलो स भी ज्यादा ताकि मेरी दरख्वास्तें विचाराथ मजूर हो जाए तथा मेरी परवी काफी लबी होती थी जिसकी सुनवाई मे एक दिन से अधिक समय लगता था—उस हालत म सरकारी वकील से उक्त सौदा क्या बुरा था ?

कचहरी की प्रक्रियाआ से मुझे अहसास हो गया कि याय को टालना कितना आसान है। दरे आयद इसाफ इसाफ नही रह जाता। चालाक वकील चाहे तो कयामत के दिन तक टालमटोल कर सकता है तथा गरीब मुकद्दमेबाजो की फजीहत हो सकती है। हाईकोट म मैंने देखा कि मशहूर हो चुके, तथा यायाधीशों से सौहाद रखने वाले वकील आसानी से अपने मुवक्किलो क लिए स्थगन आदेश पा लेत हैं। इस परपरा को रोकने के लिए क्या कुछ नही हो सकता ?

हमारी तमाम तरकीबो के बावजूद सि हा ने अपनी गवाही माच के पहले हफ्ते म खत्म कर दी। यदि हमने उनस जिरह करने का अधिकार छोड दिया होता तो आरभिक कारवाई समाप्त हो जाती। सेशन कोट म कई हफ्तो बाद मामला आता। इस बीच जनता की नज़र से मुकद्दमा दूर हो जाता। निहायत ज़रूरी था कि कारवाई चलती रहे ताकि हम बाहर की दुनिया से सपक रख

सक । यह भी जरूरी था कि चुनाव अभियान के दौरान बड़ौदा षड़यंत्र लोगों को याद दिलाता रहे कि अभी तानाशाही बरकरार है और ऐसे लोग मौजूद हैं जो उसके खिलाफ सवस्व दाव पर लगा रहे हैं। हम चाहते थे कि इस मुकदमे का उपयोग हम जनता से वोट द्वारा तानाशाह को हटवाने में करें।

अतएव तय पाया गया कि सिंहा से जिरह की जाएगी। पर जिरह सामान्य रूप से नहीं हो सकती थी क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इस्तगासे को मुखबिर के बयान के वे कमजोर अंश मालूम हो जाएं जिनका उपयोग करके हम अभियोगों की धज्जियां उड़ाना चाहते थे। वह काम सेशन कोर्ट में ही होना चाहिए ताकि मुखबिर को सिखाने पढ़ाने या दस्तावेज गढ़ने का अवसर उन्हें न मिले। इसलिए जिरह ऐसी होनी चाहिए जो मुखबिर की मुख्य गवाही में आए साक्ष्य के इर्द गिर्द ही रहे। यह काम राजनीतिक आधार पर करना था तथा संभव हो तो सिन्हा का चरित्र खोखला साबित करना था। हम अपने राजनीतिक दर्शन की स्थापना करने तानाशाही के अत्याचार और असत से लड़ने में असंवैधानिक तरीकों के इस्तेमाल के अपने अधिकार को उचित ठहराने में भी इस मौके का लाभ उठाना था। तय पाया गया कि इस तरह की जिरह मैं ही ठीक तरह से कर सकूंगा।

पांच दिनों तक मैंने सिन्हा को गवाह के कटघरे में रखा। 22 मार्च को जब चुनाव के नतीजे आ गए और हमें जमानत पर रिहा कर दिया गया सिन्हा से जिरह पूरी नहीं हुई थी। कचहरी में खुशी से पागल भीड़ उमड़ पड़ी थी और उसके कारण सिन्हा पर शारीरिक खतरा तक आ सकता था पर वह भीड़ न होती तो मैं सिन्हा से सवाल कर करके उनकी हुलिया बिगाड़ देता।

मैं सिन्हा के चरित्र को नेस्तनाबूद करने में, तथा गवाह के रूप में उनकी साख कम करने में सफल रहा। उनसे मैंने कहलवा लिया कि वह शर्मिन्दा हैं कि वह डरपोक हैं कि उन्होंने अपने पार्टी अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडीस के साथ विश्वास घात किया है। स्वाभाविक था कि उन्होंने इससे इनकार किया कि उन्हें रिश्वत दी गई है तथा इनाम का वादा किया गया है पर उन्होंने सत्य कथन की शपथ के साथ कहा कि वह अपने साथ 1500 रुपए दिल्ली लाए थे जबकि उनकी वार्षिक आमदनी केवल 2000 रुपए है तथा परिवार में एक दर्जन से अधिक आश्रित सदस्य हैं। इस असामान्य तथ्य की सफाई में उन्होंने कहा कि जब कभी मुझे आर्थिक कष्ट होता है भगवान मेरी मदद करता है। गांधी जी और जे० पी० के प्रति श्रद्धा तथा आदर से वह मुकर नहीं सके पर बोले कि उनकी देशनिष्ठा तथा देशभक्ति के बारे में किंचित संदेह है। उनके माध्यम से मैं गांधीजी के प्रसिद्ध गाकि प्रायः विस्मृत परामर्श को सामने ले आया जिसमें गांधीजी ने भारतवासियों को सलाह दी थी कि कायरता और हिंसा में से अगर एक चीज चुननी हो तो जनता हिंसा को चुने। सिन्हा एक चालाक तथा सतर्क गवाह थे पर आततायी

के विरुद्ध हर नागरिक का किसी भी साधन के ज़रिए बगावत करने का अधिकार है इस प्रस्थापना का परोक्ष रूप से वैध ठहराने की दृष्टि से मैंने उनसे जो सवाल जवाब किए उसके आगे वह ठहर नहीं सके।

जिरह का मुख्य उद्देश्य अपने तथा अपने ध्येय के लिए प्रचार का अवसर जुटाना था। लेकिन समाचार जो कि अभी तक सरकार की मुट्ठी में था, इन कारवाइयों की खबर नहीं देना चाहता था। सिर्फ अंतिम पेशी 18 मार्च को थोड़ी-बहुत खबरें छपी। पर यह कमी हमने जिरह की कारवाई साइक्लोस्टाइल करके और उसे बटवा कर पूरी की। अदालत की कारवाई का पक्षपातपूर्ण ब्यौरा देना अदालत की मानहानि करना है, पर हम जानते थे कि इस्तगासे की गवाही का पूरा ब्यौरा देने वाले तथा बचाव पक्ष द्वारा जिरह होने पर उसे खबर को दबा देने वाले समाचार पर मुकद्दमा चलाकर हम कोई लाभ उस समय नहीं होगा। आगे चलकर हम इस बारे में कुछ कर सकते थे। उस समय हमारा उद्देश्य मुख्यतः वक्त हासिल करना जिरह को जारी रखवाना और मुकद्दमे को जनता की नज़र से न हटने देना ही था।

22 मार्च को ज़मानत पर रिहा होने और 26 मार्च को मुकद्दमा वापस ले लिए जाने से सिंहा को आजीवन सार्वजनिक श्रम और धिक्कार से अगर पूरी मुक्ति नहीं तो कुछ राहत अवश्य मिल गई। यहां उस नाटक का भी अंत हो गया जिसमें मेरी छोटी सी भूमिका थी। जार्ज फर्नांडीस के भूमिगत आंदोलन में शरीक हुए सैकड़ों लोगों को भारत के करोड़ों लोगों की तरह आज़ादी और आत्मसम्मान का जीवन उपलब्ध हो गया।

15

विद्रोह का अधिकार

25 माच 1977 को आधी रात म सी० बी० आई० के सुपरिंटेंडेंट रामिन्द्र सिंह ने मुझे फोन करक अनुरोध किया कि मैं अगली सुबह 9 30 बजे चीफ मेटोपालिटन मजिस्टेट की अदालत म हाजिर रहू। सरकार हमारे खिलाफ मामला वापस लने की दरख्वास्त दे सके इसलिए मैं वहा मौजूद रहू इसकी उसे बहुत व्यग्रता थी। 22 को जमानत पर अपनी रिहाई के बाद से ही मैं एस सदेश की उम्मीद कर रहा था सरकार इस अपरिहाय काय के लिए व्यग्र थी यह मैं समझ रहा था क्योकि जाज फर्नांडीस को 26 की सुबह केंद्रीय मत्रिमडल के सदस्य के रूप मे शपथ दिलाई जाने वाली थी।

मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई के दौरान पहल मैं एक बार कह चुका था कि इस मामले को वापस लन की इस्तगास की कोशिश का मैं विरोध करूगा। उन्होने सोचा था कि मैं मजाक कर रहा हू। पर मैं बहुत गभीर था। मेरा विश्वास था कि इस मामले म *निहित बुनियादी प्रश्नो पर पूरी बहस होनी चाहिए तथा उनपर* फसला किया जाना चाहिए।

बहरहाल जब 26 माच को सरकार ने मजिस्ट्रेट के सामने इस मामले को *उठाने की दरख्वास्त दी तो मैंने इसका विरोध नही किया, क्योकि उस दरख्वास्त* पर मर विरोध से जनता सरकार बहुत असमजस म पड जाती। पर बाद म सोचने पर मुझे पश्चात्ताप होता है कि मैंने मामले का आगे बढ़ाने का आग्रह क्यो नही किया। उस दशा म वह विवाद न उठता जो अब उठाया जा रहा है।

मामला वापस होने के कुछ दिन बाद सारे देश के अखबारो म पत्रा तथा बयानों की झडी लग गई। मद्रास के दनिक हिन्दू म सबसे अधिक ऐसे पत्र और बयान छपे जो यदि दक्षिण के लोगो के विचार प्रतिबिंबित न भी करते हो तो हिन्दू के विचार जरूर स्पष्ट करते हैं।

मुझे दो चरणो म इन पत्रों का जवाब देना पडा। अपने पहल पत्र म मैंने बताया कि जाज फर्नांडीस ने तथा मैंने अदालत म कबूल किया था कि हम श्रीमती गाधी की हुकूमत का उलटने के प्रयत्न के अपराधी हैं तथा एक दुष्ट और आततायी सरकार का उलटने म हर तरह के सुलभ साधनों का प्रयोग करना हर नागरिक का अधिकार है, अतएव पूरे मुकद्दमे की प्रक्रिया स गुजरने का कोई अथ न होता। उसी पत्र म मैंने लक्ष्य किया कि भारत की जनता न अपने विराट मत निणय क द्वारा हमारे दष्टिकोण के कारणा तथा आधार का अनुमोदन कर दिया है। इस पत्र के जवाब म हिन्दू म पत्रों की दूसरी बाढ आई जिसम कहा गया कि

कानून क राज तथा न्यायपालिका की स्वाधीनता को नजर म रखते हुए सरकार द्वारा मुकद्दमा वापस लना अनुचित था। मैंने एक दूसरा पत्र लिखा जिसम इन दलीलो के परखचे उडाए।

मामला वापस लेने का औचित्य तथा सरकार को उसका अधिकार है इसकी विवेचना हिन्दू मे छपे मेरे पत्रो म स्पष्ट रूप से की गई है। उन्ह यहा पुनमुद्रित किया जा रहा है।

मेरा 5 अप्रैल का पहला पत्र इस प्रकार था

बडौदा डायनामाइट केस

उपयुक्त शीषक स दो पत्रो म (30 माच) पाठको ने राय जाहिर की है कि अभियुक्तो की निर्दोषिता अथवा अनिर्दोषिता स्थापित हाने देने के बजाय सरकार द्वारा मुकद्दमा वापस ले लेना अनुचित है। निस्सदेह दोनो सज्जनो के मन मे कानून के राज' को कायम रखने का वडा मोह है हालाकि उनम से किसी ने या अन्य किसी ने भी जो कानून के राज म यकीन करत हैं 21 महीनो के जगली राज के दौरान कुछ लिखने या कहने का विचार नही किया जबकि वधानिकता या वधता का ढकोसला तक खत्म हो चुका था और सत्ता का नग्नतम दुरुपयोग सबके सामने हो रहा था।

एक मुख्य अभियुक्त के नाते मुझे आप यह कहन की इजाजत दें कि वास्तव म दोष या निर्दोषिता स्थापित करने की कोई जरूरत ही नही रह गई थी। श्री जाज फर्नाडीस ने तथा मैंन सरकार को उलटन क प्रयत्न के अपराध को कबूल कर लिया था। मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान म मैंने कह दिया था मेरी अतरात्मा तथा विवक अपने देश और लोगो का बलात्कार बर्दाश्त नही कर सका। और मेरा विश्वास था तथा मैं आज मानता हू कि हमारे देश तथा जनता के साथ जो अन्याय हुआ है उस जब तक दूर नही किया जाता तथा इतिहास म बेमिसाल निरकुश अधिकारो के साथ जो औरत रानी बन बठी है उस नहीं हटाया जाता, तब तक मेरे भविष्य मेरे आराम मेरे स्वास्थ्य और मेरे जीवन का भी कोई अथ नहीं है। मैं इसी कत्तव्य म लग गया। यदि तानाशाह तथा उसके गुर्गे इसक लिए मुझे दड देना चाहत हैं या मेरी जान लना चाहत हैं तो मैं तयार हू और इस में अपना सौभाग्य मानूगा कि जनता की आजादी के लिए लडते हुए मैंने कष्ट सह।'

शायद इन पत्र लखको को मालूम नही है कि 22 माच को जमानत पर हमारी रिहाई एक न्यायास्त के आधार पर हुई थी, जिसम कहा गया था

अभियुक्त प्रार्थियों पर सरकार को उलटन क षडयत्र का आरोप लगाया गया है। उन्होंने दलील दी है तथा अभी भी दावा करत हैं कि दुष्ट

तथा आततायी सरकार का उलटने का हर नागरिक को अधिकार है। श्रीमती गाधी ने कानूनी छल करके खुद को तानाशाह के रूप म कायम कर लिया था और प्रधानमत्री पद पर उनकी वधता तथा साख खत्म हो चुकी थी। जनता भी यही सोचती है इसका प्रबल प्रमाण उसने श्रीमती गाधी उनके अधिकाश मत्रिमडलीय सदस्यो तथा उनके छोटे से गिरोह को तथा उनकी पार्टी को इतिहास के कूड़े मे डालकर दे दिया है। अतएव श्रीमती गाधी तथा उनकी सरकार को उलटने का उनका सकल्प, जिनके लिए उन पर दड सहिता तथा अन्य अधिनियमो के तहत विभिन्न आरोप लगाए गए है भारत की जनता ने अनुमोदित कर दिया है। जनता से बढकर कोई अदालत नही हा सकती। प्रार्थियो को आशा थी कि श्रीमती गाधी तथा उनकी सरकार को जनता ने जिस जबदस्त ढग से तिरस्कृत किया है, उस मद्देनज़र रखकर यह बदनाम प्रधानमत्री तथा उनकी सरकार जिन्हे अभी भा सत्ता मे रहने दिया गया है उनके खिलाफ मुकद्दमा वापस ल लेगी। सभवत अध पतित तानाशाह औचित्य तथा शिष्टता भी नही बरत सकती इसी कारण प्रार्थियो को अभी भी हथकडियों म कचहरा लाया जाता है। यदि तिरस्कृत तथा सत्ताच्युत सरकार कुछ नही करना चाहती तो इस अदालत का कत्तव्य है कि वह जनता के निणय का सम्मान करे।

जाहिर है कि जमानत देने समय अदालत ने और हमारे विरुद्ध मुकद्दमा वापस लेते समय नई सरकार न जनता के निणय का मम्मान मात्र किया है। जनतत्र कोई अमूत्त कानूनी राज नही है बल्कि जनता की इच्छा का जीवत आलेख है। बडौदा डायनामाइट केस के अभियुक्तो क सौभाग्य से—और *मेरी राय म इस देश के सौभाग्य से—जनता का फसला जबदस्त ढग से* हमारे विश्वासो के अनुरूप रहा।

16 अप्रैल को मेर दूमरे पत्र मे मैंन लिखा

आपने इस मामले म पत्र यवहार बन्द कर दिया है, पर मैं आपके समाचारपत्र के स्तम्भो क माध्यम से कुछ नय और बुनियादी प्रश्नों का जवाब देने की अनुमति चाहता हू जो कि आपके पत्रलेखको न उठाए हैं क्योकि मैं इस मामल म प्रत्यक्ष रूप से जुडा हू।

एक लोकतत्रवादी क नात मैं आपके पाठको के 5 1 के निणय क आगे सिर झुकाता हू पर पुन एक लोकतात्रिक के ही नात मैं यह अधिकार चाहता हू कि अपने विरुद्ध मत वाला को अपन मत के पक्ष मे लान का प्रयत्न करू। यह करत समय मुझे यह खुशी जरूर है कि मुझे वापस जेल भेजन की न तो उनके पास शक्ति है न ही शायद उनकी यह इच्छा है। आपके अधिकाश

पत्रलखक जिस सतही और सस्त ढग से कानून राज की धारणा को समझते है उसे ठीक करन का प्रयत्न मैं नही करूगा। जो लोग आजादी से गहरी प्रतिबद्धता रखते है और अपनी जान की बाजी लगाकर भी उसके लिए लडने को तयार है केवल वही कानून तथा न्याय प्रक्रिया को ऐसे धरातल पर उठा सकत है जहा उनम सार और अथ आ जाए।

पत्रलेखक जिस हिंसा की धारणा से विचलित है उसपर कुछ कहने का मुझे अवसर द। क्या उन्हाने पिछल 21 महीना म आपातकाल क दौरान जनता पर की गई हिंसा के प्रति अपनी घणा व्यक्त की थी या कि अब करते है? श्रीमती गाधी क राजनीतिक विरोधियो पर जानबूझकर बबर व्यवहार के बार म उनकी क्या राय है? हजारो हजार लोग जिस मानसिक तथा शारीरिक घावो को आजीवन ढोते रहगे उनके प्रति सवेदना उनके मन म जागती है या नही? या कि वे यह सोचत है कि सरकारी हिंसा तो जायज है इसलिए क्षम्य है पर दुष्टता तथा अत्याचार के खिलाफ हिंसक प्रतिक्रिया को कानून की सामान्य प्रक्रिया से गुजरना ही चाहिए? गाधी जी की शिक्षा समझे या मान बगैर उनका उद्धरण देना फशनेबल है। पर क्या इन पत्रलेखको को गाधी जी की यह सलाह मालूम है कि अगर हम हिंसा और कायरता म से एक चीज चुननी हा तो हम हिंसा चुनें—जो उन अधेरे महीनो म हमारे सामन एकमात्र विकल्प थी और उसे हमन चुना? शायद उन्ह पता नही है या भूल रहे हैं कि गाधी जी न भी जे० पी० और लाहिया द्वारा अग्रेजा के खिलाफ हिंसक भूमिगत आन्दोलन चलाए जान का परोक्ष समथन किया था। और हम हत्या रहित आघात रहित' हिंसा के हामी थ। सरकारी पक्ष कितनी ही कोशिशा के बावजूद हम पर एक भी शारीरिक आघात या हत्या का आरोप नही लगा सका।

आपके पत्र लखका ने यह भी कहा है कि सरकार म कोई भी तबदीली सवधानिक तरीकों से ही होनी चाहिए। क्या उन्होने क्षण भर यह भी सोचा कि जब जनता के सवधानिक अधिकार ही न रह तब किस तरह एक सरकार को सवधानिक तरीके से बदलेंगे? जब कोई व्यक्ति या समूह सवधानिक छल करक सारी सत्ता हथिया ल और फिर सविधान को बदल द ताकि सवधानिक रूप से उस उलटा ही न जा सके तब कोई क्या करे? याद रहे कि हिटलर भी सविधान की मदद स सत्तारूढ हुआ था और फिर उसन इतिहास की क्रूरतम तानाशाही कायम कर दी थी। 12 जून 1975 का जब उनका चुनाव अवध करार दिया गया था श्रीमती गाधी के पास क्या वधता रह गई थी? उन्होंने कानून का पिछली तारीखा स बदलकर अपने गुनाहा की माफी पा ली जबकि वह निर्वाचित पद क अयोग्य थी और इस तरह

वैधता' हासिल की। उन्होंने संविधान को इतना बदल दिया कि पहचान में ही न आए और संसद की आयु 5 से बढ़ाकर 6 और फिर 7 वर्ष कर दी। वह चाहती तो रबड़ संसद तथा खुद का शासनकाल हमेशा चलाए रखती। उन्हें चुनाव कराने की जरूरत नहीं थी जो ऐसी भूल है जिसके लिए वह आजीवन पछताएंगी। उन हालात में जनता को कौन-सा संवैधानिक साधन उपलब्ध था, जिनमें गांधी जी ने दुष्टता तथा अत्याचार को डरकर स्वीकार करने की बजाए हिंसा अपनाने की सिफारिश की है?

मुझे खुशी है कि मैंने संविधानेतर तरीके अपनाए, बजाए इसके कि 'संविधानसम्मत उपचार' की प्रतीक्षा करता रहता और यह करके मैंने श्रीमती गांधी तथा उनके गुर्गों तक के जीने के अधिकार का सम्मान किया, जबकि उन्होंने भारत की जनता को इस अधिकार से वंचित कर दिया था—सुप्रीम कोर्ट ने इसपर संविधान की मुहर लगा दी थी। हम यह न भूलें कि आपातकाल में अगर अवैध ढंग से मेरी जान ले ली गई होती तो मेरे परिवार के सामने इसके अलावा कोई चारा न होता कि आपातकाल खत्म होने का इंतजार करें और दीवानी मुकद्दमा चलाकर क्षतिपूर्ति का दावा करें! जनता को इस किस्म के संवैधानिक और कानूनी अधिकार हासिल थे इन 21 महीनों में! यदि अहिंसा और संविधान के नाम पर मैं उस स्थिति में चुपचाप बैठा रहता तो इससे बढ़कर कायरता नहीं हो सकती थी।

अखबारों में यह विवाद उठने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में दो दरख्वास्तों के जरिए हमारे खिलाफ मुकद्दमा वापस लेने की सरकारी कारवाई की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट इन प्रार्थनाओं पर क्या फैसला करेगा उसका कयास लगाना न तो जरूरी है न उचित। मामले को दुबारा शुरू किया जाए या नहीं पर जरूरी है कि इस बारे में सार्वजनिक रूप से खुलकर पूरी बहस हो।

सफल क्रांतियां खुद अपने तक, खुद अपने कानून बनाती हैं। गैरकानूनी और आपराधिक समझे गए क्रांतिकारी कार्यों को वे वैध करार देती हैं। हम पर मुख्य आरोप यह था कि हमने श्रीमती गांधी की कानूनी ढंग से गठित सरकार को उलटने की कोशिश की थी। चूंकि हम जिस सरकार को उलटने की कोशिश में थे वह अपने-आप उलट गई इसलिए यदि हमारे कार्य अगर पवित्र न भी माने जाएं तो क्षम्य हो ही गए।

सारे इतिहास में राजसत्ता के विरुद्ध अपराध के अभियुक्त क्रांतिकारियों को क्रांति के बाद आरोपों से मुक्त करके सम्मानित किया गया है। हमारे अपने देश में 1946 में सैकड़ों लोग जेलों में हिरासत में थे या सजा काट रहे थे—ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कारवाई के कारण। देश की स्वाधीनता निकट देखते ही

ब्रिटिश लोगो ने खुद उन सभी देशभक्तो को रिहा कर दिया। जिन सनिको ने आजाद हिन्द फौज म शिरकत करके अग्रेजो के खिलाफ लडाई लडी थी, उनकी सजा थी मौत। पर उन्ह भी छोड दिया गया। यदि कोई कानून की दुहाई देकर कहता कि उन सब पर मुकद्दमा चला कर सजा दो तो इसस बीभत्स कोई बात न होती। श्रीमती गाधी तथा उनकी सरकार स्वदेशी थी इससे कोई फक नही पडता। वस्तुत स्थानीय तानाशाह स्थानीय आततायी विदेशी आततायी से भी अधिक दुष्ट होता है। अग्रेजो ने भी श्रीमती गाधी की तरह निममता से नागरिक अधिकार नष्ट नही किए थे।

ऐतिहासिक उदाहरणो की कमी नही है पर हमारे आपराधिक' कार्यों को सराहना न सही उन्ह क्षमा करने मे भी जो हिचक है वह आहत वकीलो तथा कानूनी राज के पडितो तक सीमित नही है। खुद जनता सरकार पसोपेश मे दिखाई देती है—ऐसा पसोपश जिसम यह भय है कि हमारे अपराधो' को साफ-साफ माफ कर देने से उन्ह नक्सलवादियो तथा दूसरे लोगो के भी इसी प्रकार के कथित कार्यों को माफ करना पडेगा। हील हुज्जत की यही वजह है, इसीलिए वे जताना चाहते हैं कि यह सारा मामला हम पर झूठ मूठ आरोपित था। इस तरह हीले हवाले का राजनीतिक औचित्य नही हो सकता। सरकार को सीधे सीधे इस सवाल का सामना करना पडेगा दुष्टता और अत्याचार को समाप्त करने हतु किसी भी उपलब्ध साधन का उपयोग करनेवाले हम तथा हमारे जसे अन्य लोग सही थे या गलत ?

डाक्टर लोहिया ने एक बार कहा था कि क्राति के इतिहास म ऐसा कभी नही हुआ था कि उत्तराधिकारी क्राति के गभ को ही लात मारें जैसा कि नेहरू तथा उनके साथियो ने सिविल नाफरमानी को सामाजिक परिवतन का कारगर तथा वध उपकरण मानने से इनकार करके किया। पर उन्हें भी जे० पी० डाक्टर लोहिया अच्युत पटवधन अरुणा आशफअली की उनके हिंसक उपायों के लिए भत्सना करन का साहस नही हुआ। 1942 के भूमिगत आन्दोलन के इन नेताओ तथा नेताजी सुभाष बोस की बहादुर आजाद हिन्द फौज की मुक्त कण्ठ से सराहना हुई थी। यदि जनता सरकार हम पर लगाए गए अभियोगो के कार्यों को उचित ठहराने म हिचकती है तो बहुत शमनाक बात होगी।

कानून का मुख्य उद्देश्य व्यवस्था बनाए रखना है। कानून और व्यवस्था स्पष्टत निहित स्वार्थों और यथास्थिति के पक्ष म रहती हैं। कानूनी राज की कठोर व्याख्या और उसपर अमल का नतीजा केवल यथास्थिति बनाए रखने मे होगा। कानून की दीवारों के बाहर यदि जनता की इच्छा व्यक्त नही हुई तो कोई प्रगति नही हो सकती और इतिहास म तमाम क्रातियों न यही किया है—उन्होंने आततायी सरकारो को उलटकर मनुष्य का भाग्य बदला है। खुद कानूनई जोदि

मनुष्य की ही सष्टि है, इसी प्रकार लगातार परिवतन प्रक्रिया से गुजरता रहा है। मानवजाति के महान नेता तथा चिंतक मानवजाति के सम्मान आजादी और जीवन की रक्षा के लिए ही क्रातियो का प्रचार और नेतत्व करते रह हैं। उन्होने यदि कानून की चहारदीवारी म काम करना चाहा होता या सविधानेतर कानूनतर तरीके अपनाने म आनाकानी की होती तो इतिहास म कभी किसी आतताई का तख्ता न उलटता न किसी कौम या देश को कभी आजादी मिलती।

सक्षेप म यही हमारा दशन था। क्राति के सामान्य हिस्सेदारो की भाति ही हम भी कानून के राज को भग करने के नतीजे भोगने को तयार थ। हम कोई पश्चात्ताप नहा है। इसके विपरीत हम उचित ही गव है कि हमने एक ऐसी ताना शाही के खिलाफ लडाई लडी जो निहायत दुष्ट और आतताई थी। हम अपने काय का फैसला कानूनी अदालत पर छोडने को तयार थ। बल्कि हम चाहग कि सर्वोच्च अदालत भारत की जनता इसपर फैसला दे।

परिशिष्ट-1
अभियुक्त

अनजाने ही श्रीमती गाधी ने बडौदा डायनामाइट षडयंत्र मे ऐसे अभियुक्तो की सूची बनाई जो भारत के विभिन्न वर्गो और क्षेत्रो के प्रतिनिधि थे।

अभियुक्त बिहार उत्तरप्रदेश दिल्ली मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट, कर्नाटक केरल और आध्रप्रदेश के निवासी थे। उनकी आयु भी अलग-अलग थी। सबसे छोटे पद्मनाभ शेट्टी 21 वष के थे जबकि सबसे बुजुग प्रभुदास पटवारी 68 वष के। उनके सामाजिक वग भी विभिन्न थे मिल मजदूर (मोतीलाल कनोजिया), पत्रकार (विक्रमराव किरीट भट्ट विजयनारायण कमलेश शुक्ल), वकील (प्रभुदास पटवारी), एक बडी उद्योग कम्पनी के अध्यक्ष (वीरेन शाह), छात्र (पद्मनाभ शेट्टी) उनकी राजनीतिक पार्टिया भी अलग-अलग थी, और प्राय सभी पार्टियो के लोग उसम थे कुछ व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी म नही थे।

अभियोग पत्र म दी गई क्रमवार सूची के अनुसार अभियुक्त इस प्रकार थे

1 जाज फर्नांडीस—सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तथा आल इडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के अध्यक्ष।

2 के० विक्रम राव—1960 70 म उत्तरप्रदेश मे युवजन तथा छात्र नेता तथा टाइम्स ऑफ इडिया के बडौदा स्थित सवाददाता।

3 किरीट भट्ट—इडियन एक्सप्रेस के बडौदा स्थित सवाददाता।

4 प्रभुदास पटवारी—काग्रेस (सगठन) के प्रमुख नेता महात्मा गाधी के साबरमती आश्रम एव अन्य सस्थाओ के प्रबधक न्यासी (मनजिंग ट्रस्टी)।

5 डॉ० जी० जी० पारीख— जनता' साप्ताहिक के भूतपूव सपादक तथा बबई की सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष।

6 जसवतसिह चौहान—प्रमुख समाजवादी युवजन नेता, बडौदा नगर पालिका के सदस्य।

7 गोविंदभाई सोलकी—बडौदा के सोशलिस्ट कायकर्त्ता।

8 मोतीलाल कनोजिया—बडौदा के सोशलिस्ट कायकर्त्ता।

9 महेन्द्रनारायण वाजपयी—ईस्टन रलवेमेन्स यूनियन, पटना के शाखा सचिव।

10 विजयनारायण सिंह—भूतपूव पत्रकार उत्तरप्रदेश सोशलिस्ट पार्टी व सयुक्त सचिव।

11 सी० जी० के० रेड्डी—मसूर राज्य सोशलिस्ट पार्टी के भूतपूव अध्यक्ष, राज्यसभा के भूतपूव सदस्य, तथा दनिक 'हिंदू' क प्रबधक।

12 कमलश शुक्ल—कवि तथा पत्रकार सोशलिस्ट पार्टी क भूतपूव सयुक्त सचिव, 'प्रतिपक्ष' साप्ताहिक के सपादक।

13 सुशीलचद्र भटनागर—आल इडिया रेलवमेन फडरेशन के प्रमुख कायकर्ता।

14 वीरेन ज० शाह—मुकद आयरन ऐंड स्टील वक्स लि० के चेयरमन एव मनेजिंग डायरेक्टर, तथा राज्यसभा के सदस्य।

15 एस० आर० राव—बम्बई लेबर-यूनियन के उपाध्यक्ष।

16 लक्ष्मण जाधव—बम्बई लबर यूनियन के उपाध्यक्ष।

17 सोमनाथ दुबे—बम्बई लेबर यूनियन के उपाध्यक्ष।

18 गोपाल शेरिगर—छात्र तथा बम्बई लेबर-यूनियन कायालय के कमचारी।

19 पद्मनाभ शेट्टी—छात्र, तथा बम्बई लेबर यूनियन कार्यालय के कमचारी।

20 विश्वनाथ शेट्टी सन्ट्रल रेलव एम्पलाइज को-आपरेटिव सोसायटी के कार्यालय के कमचारी।

21 जयराम मोरे—मध्य रेलवे के इलेक्ट्रीशियन।

22 देवेन्द्र मोहन गूजर—बम्बई नगरपालिका क जूनियर ऑडीटर।

23 सुरेश वैद्य—लिपिक, नासिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय।

24 लाडली मोहन निगम—य मध्यप्रदेश के हैं। पर अपने सतत कार्यों तथा ज़िम्मेदारियों के लिहाज स यह सार देश के हैं देश म सोशलिस्ट पार्टी का शायद ही कोई आदोलन है जिसम लाडली न हिस्सा न लिया हो। लाडली की आदतें मसलन सुवह तैयार होन म लगनवाला समय उनक साथियो का चिढा भले ही दती हो और पार्टी म उसे लेकर कई चुटकुले भ[illegible] लेकिन उनकी निष्ठा, सहभाव [illegible] । के बारे म[illegible] न विरोधी तक शका नहीं क[illegible] ाटों म वह उन जिन्होंने डा[illegible] हैं।

लाडली [illegible] शुरू करते ह तभी से ला[illegible] उनके और [illegible] । म वह बहुत [illegible] भूमिगत [illegible] होती थी, [illegible]

इतनी प्रगाढ़ और व्यापक है कि उन डरावने दिनो मे जब पुराने सोशलिस्ट भी फरार लोगो को शरण देते डरते थे, लाडली का हर घर म स्वागत होता था। इसलिए हमारे खिलाफ मुकद्दमा हटाए जाने के दिन तक फरार रहने म उन्हे खास कठिनाई नही हुई।

25 अतुल पटेल (फरार)—बडौदा के एक व्यापारी तथा मुखबिर भरत पटेल के भतीजे। उनका नाम भरत पटेल की मुखबिरी को विश्वसनीय बनाने के लिए शामिल किया गया। वह आराम से दुबाई म बैठे थे और अपने व्यापार को चला रहे थे। उनके परिवार को उनके पास जाने की इजाज़त दे दी गई थी। वह नाम मात्र के लिए 'फरार' थे।

परिशिष्ट 2

अभियोग पत्र

थाना केन्द्रीय अन्वषण ब्यूरो (ए)
जिला के स्प/के अव्यू
अभियोग पत्र मख्या दिनाक
नाम पता और पेशा
शिकायत कर्त्ता या सूचनादाता श्री एम० जी० रिजसिघानी पुलिस इस्पेक्टर थाना रावपुरा बडौदा।
प्रथम सूचना रपट स० आर० सी० 2/76 सी० आइ० यू० (ए)
दिनाक 23 8 1976
अभियुक्तो के नाम और पते
मुकद्दमे के लिए भेजे गए व्यक्ति सूची सलग्न है
हिरासत म जमानत या मुचलके पर सूची सलग्न है
अभियुक्तो के नाम और पते
वे व्यक्ति जिन पर मुकद्दमा नही चलाया गया सूची सलग्न है
गिरफ्तार या न गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
जिनम फरार शामिल है सूची सलग्न है
सपत्ति (हथियार सहित) जो बरामद की गई
कहा कब और किसके द्वारा
तथा क्या उस मजिस्ट्रट क पास भेजा गया सूची सलग्न है
गवाहो के नाम और पत सूची सलग्न है

अपराध के नामो तथा उससे सबद्ध परिस्थितियो और अभियोग कानून की किस धारा के तहत लगाया गया है इसके बारे म अभियोग या सूचना सक्षेप म

8 9/3/1976 की रात म बडौदा नगर म पुलिस को जब यह विश्वसनीय सूचना मिली कि राज्य क बाहर भेजे जाने के उद्देश्य से कुछ विस्फोटक पदाथ मेसस रोड लिक आफ इडिया की बडौदा स्थित गोदाम म रखा हुआ है तो उसने उक्त परिवहन कपनी के कार्यालय की तलाशी ली जिसम इडियन एक्सप्लोसिन्ज लिमिटेड गोमिया म निर्मित टाच मार्का एस० जी० 80 की 836 नाइटोग्लिसरीन छडों से भरी लकडी की सात पटिया तथा फ्यूज वायर के 85 गोले बरामद हुए। तलाशी के बाद थाना रावपुरा म एक मामला दज किया गया तथा आगे चलकर 23 3 76 को इसकी तहकीकात का जिम्मा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने

गुजरात की राज्य सरकार क अनुरोध पर ले लिया और नई दिल्ली के स्पेशल पुलिस सस्थान की सी० आई० यू० (ए) शाखा म एक मामला (आर सी 2/76) दज किया गया। जब केन्द्रीय अन्वषण ब्यूरो की तहकीकात जारी थी उसी दौरान दिल्ली पुलिस न भी दो मामले दज किए।

इनम मे एक मामले का सबध 37 डायनामाइट छडो, 49 डिटोनेटर और सफ्टी फ्यज वायर के 8 गोला की बरामदगी से था। यह पाया गया कि दिल्ली पुलिस द्वारा अन्वेषित दोना मामलो का बडौदा म बरामद की गई डायनामाइट छडा स सबद्ध मामले से सबध है अतएव इन दो मामलो की तहकीकात का काय भी दिल्ली प्रशासन के अनुरोध पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया।

(2) 26 6 76 को बबइ मे क्रिग्ज सर्किल रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे पुल पर विस्फोट होने के बाद डी० सी० बी० सी० आई० डी० बम्बई ने एक मामला सख्या 281/76 दज किया तथा कुछ अभियुक्तो को गिरफ्तार किया। इन अभियुक्तो स पूछताछ से प्रकट हुआ कि अभियुक्तो ने ये डायनामाइट छडें और अन्य विस्फोटक सहायक सामग्री बडौदा से उपलब्ध की थी। यह सूचना पाते ही केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का अन्वेषण दल आगे तहकीकात के लिए बम्बई पहुचा और उसने पाया कि बम्बई वाले मामले के अन्वेषणाधीन तथ्य बडौदा मे डायनामाइट की बरामदगी के मामले स बहुत अधिक सबद्ध हैं अतएव इन तीनो मामलो, अर्थात बम्बई का उक्त 281/76 रेलवे पुलिस थाना बाद्रा का 3457/75, और रेलवे पुलिस थाना बम्बइ सेंट्रल का 3376/75 को भी महाराष्ट्र सरकार की सहमति से भारत सरकार ने केन्द्रीय अन्वषण ब्यूरो को सौंप दिए और स्पेशल पुलिस सस्थान की ई० आइ० यू० (ए) शाखा मे तीन मामले (आर सी 6/76 से 8/76) दज किए गए। हालाकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा चार मामले दज किए गए थे पर तहकीकात से पता लगा कि चारो मामलो की सकेतित घटनाए तथा, अपराध उसी षडयत्र को आग बढाने म अभियुक्तो द्वारा किए गए अवैध कार्यों से सबद्ध हैं जिसकी तहकीकात आर० सी० 2/76 सी० आइ० यू० (ए) वाले मामले म हो रही थी, अतएव चारा मामलो का एक सयुक्त अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

(1) अभियुक्त जाज मथ्यू फर्नांडीस (आग जाज फर्नांडीस अ० 1 के नाम स अभिहित) भारत की सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष है तथा आल इडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन का भी अध्यक्ष है।

(2) अभियुक्त के० विक्रम राव और अभियुक्त किरीट भट्ट (आग क्रमश अ 2 और अ 3 क नाम स अभिहित) बडौदा क दो पत्रकार हैं। अ २ बडौदा म टाइम्स आफ इडिया का स्टाफ सवाददाता तथा आल इडिया फेडरेशन आफ

वकिंग जनलिस्टस का उपाध्यक्ष था। अ० 3 अहमदाबाद के इंडियन एक्सप्रेस का बडौदा स्थित संवाददाता तथा यूनियन आफ बडौदा जनलिस्टस का अध्यक्ष था।

(3) अभियुक्त प्रभुदास पटवारी (आगे अ 4) गुजरात म काग्रेस (सगठन) का प्रमुख समथक था और खुद को समाज सेवक कहता है।

(4) अभियुक्त जी० जी० पारीख (आगे अ 5) बम्बई की नगर सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष है।

(5) अभियुक्त जसवतसिंह चौहान (आगे अ 6) बडौदा सोशलिस्ट पार्टी का सयुक्त सचिव है तथा नगर पाषद भी है और जनता मोर्चे के समथन स निर्वाचित हुआ है।

(6) अभियुक्त गोविन्द भाई सोलकी तथा अभियुक्त मोतीलाल कनोजिया (आगे अ 7 और अ-8) सोशलिस्ट पार्टी की बडौदा शाखा के सक्रिय कायकर्त्ता हैं।

(7) अभियुक्त महेन्द्रनारायण वाजपेयी (आगे अ 9) उत्तरप्रदेश सोशलिस्ट पार्टी का सयुक्त सचिव है।

(8) अभियुक्त विजयनारायण सिंह (आगे अ 10) उत्तरप्रदेश सोशलिस्ट पार्टी का सयुक्त सचिव है।

(9) अभियुक्त सी० जी० के० रेड्डी (आगे अ 11) हिन्दू का प्रबध सलाहकार है और जाज फर्नांडीस (अ 1) का घनिष्ठ सहयोगी। 1952 म मैसूर राज्य के वह सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुआ था।

(10) अभियुक्त कमलेश शुक्ल (आगे अ 12) अखिल भारतीय सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का एक भूतपूव सयुक्त सचिव है। वह जाज फर्नांडीस अ 1 के हिन्दी साप्ताहिक प्रतिपक्ष का सपादन कर रहा था।

(11) अभियुक्त सुशीलचद्र भटनागर (अ 13) उत्तर रेलवे के स्पेशल टिकट एक्जामिनस का एक सीनियर ग्रुप इस्पेक्टर है।

(12) अभियुक्त वीरेन जे० शाह (आगे अ 14) मुकन्द आयरन ऐंड स्टील वक्स लिमिटेड के निदेशक मडल का अध्यक्ष है। अगस्त 1975 म जनता मोर्चा के समथन से वह गुजरात से राज्य सभा क लिए निर्वाचित हुआ था।

(13) अभियुक्त एस० आर० राव, अभियुक्त सोमनाथ दुबे और अभियुक्त लक्ष्मण मुरारि जाधव (आगे अ 15, अ 16 अ 17) बम्बई लेबर यूनियन के उपाध्यक्ष है जिसका नियत्रण जाज फर्नांडीस अ 1 अध्यक्ष के रूप म करता है।

(14) अभियुक्त गोपाल शेरीगर और पद्मनाभ शेट्टी (आगे अ-18 और अ 19)

बम्बई लेबर यूनियन के कमचारी है।

(15) अभियुक्त विश्वनाथ शट्टी (आग अ 20) जो बम्बई लेबर यूनियन के परेल कार्यालय मे रहता रहा है, परेल म सेंट्रल रेलवे एम्प्लाईज को आपरटिव कज्यूमस सोसायटी कैंटीन म एक कटीन वेंडर है।

(16) अभियुक्त जयराम नाना मोरे (आग अ 21) मध्य रेलव के ट्रेन लाइटिंग डिपाटमट मे इलक्ट्रीशियन है और बम्बई वी० टी० के लोको शेड म नियुक्त है।

(17) अभियुक्त देवेन्द्र मोहन गूजर (आगे अ 22) बम्बई नगरपालिका मे जूनियर ऑडीटर है।

(18) अभियुक्त सुरेश वद्य (आग ए 23) नासिक म पुलिस अधीक्षक कार्यालय म जूनियर क्लक है।

(19) अभियुक्त लाडली मोहन निगम (आगे अ 24) इदौर म सोशलिस्ट पार्टी का एक प्रमुख और सक्रिय कायकर्त्ता है।

(20) अभियुक्त अतुल पटेल (आग अ-25) भरत सी० पटेल का भतीजा है जो बडौदा का एक प्रमुख उद्योगपति है। बडौदा के निकट हलोल म हिन्दुस्तान क्वरी वक्स हलोल के नाम से उसके पिता की एक पत्थर की खदान है।

अ 24 और अ 25 अभी तक फरार है।

(3) तहकीकात स मालूम हुआ कि 25 6 75 को देश म आपातकाल की घोषणा हाने पर जाज फर्नांडीस अ 1 भूमिगत हो गया और इसके खिलाफ प्रतिरोध जागत करने तथा अवध शक्ति क इस्तेमाल तथा प्रदशन के जरिये सरकार को आतकित करने का निश्चय कर लिया। जुलाई 1975 के शुरू म वह पटना पहुचा और रेवतीकात सिन्हा एम० एल० सी० (सोशलिस्ट) के घर पर अभियुक्त 9 समेत अपन अनक चुनिदा अभियगिया के साथ गुप्त बठकें की और उनसे कहा कि मुझे ऐसे विश्वस्त तथा प्रतिबद्ध कायकर्त्ताओ की तलाश है जो केन्द्र की निरकुश सत्ता को समाप्त करने की मेरी योजनाओ को कायरूप देने को तैयार हो। इसी तलाश मे जॉज फर्नांडीस अ 1 जुलाई 1975 के मध्य के दिनो मे अहमदाबाद पहुचा और अ 5 तथा अ 24 के साथ डा० देवेन्द्र महासुखराम सूरी के घर गुप्त सभाए की। जाज फनाडीस अ 1 उसक बाद बडौदा पहुचा जहा अ 2 और अ 3 न उपयुक्त भरत सी० पटेल के घर उसके रहन का इतजाम कराया, जिसे कि अब क्षमा प्रदान की जा चुकी है। भरत सी० पटेल क यहा निवाम के दौरान जाज फर्नांडीस अ 1 ने उसको अ 2 को और अ 3 को अवध शक्ति का प्रदशन करके तथा तोडफोड की कारवाई करके केन्द्र सरकार को आतकित करने क उद्देश्य से अवध षडयत्र म शामिल होने क लिए राजी करा लिया और गैरकानूनी काय करन के लिए सहमत करा लिया। योजना बनाई गई कि भरत सी० पटेल के माध्यम से डायनामाइट छडें और डिटोनेटर तथा फ्यूज

वायर जसी सहायक विस्फोट सामग्री हासिल की जाए। विस्फोटको को हासिल करने स पहल भरत सी० पटेल न विस्फोटको की प्रयोग विधि का प्रदशन आयोजित किया और उसके कहने पर उसक भतीजे अतुल पटेल अ _5 जाज फर्नांडीस अ 1 विक्रम राव अ 2 किरीट भट्ट अ 3 और बडौदा के एक अय पत्रकार श्री सतीश पाठक को हलोल म पत्थर की खान म उस प्रदशन को दिखाने ले गया। विस्फोटको की विनाशक क्षमता देखन क बाद जाज फर्नांडीस अ 1 ने सतोषपूवक कहा कि उस वह चीज मिल गई जिसकी उस तलाश थी। तय किया गया कि पुलो और महत्त्वपूण रल पटरिया तथा सडको को विस्फाट से उडाकर भय तथा अराजकता पदा की जाए जिसका अतिम लक्ष्य, केद्र की स्थापित सरकार को उलटना है।

(4) बडौदा म निवास के समय जाज फनाडीस अ 1 ने भरत सी० पटेल को विदेशो म एक प्रसारण रेडियो स्टेशन कायम करने की योजना पर काम करन का भार सौंपा उसने मदद तथा समथन की माग वाले अपने (जाज फर्नांडीस अ 1) पत्र कुछ विदेशी महत्त्वपूण व्यक्तियो तथा सस्थाओ यथा सोशलिस्ट इटरनशनल, को पहुचान के वास्त गुप्त रूप से अपन साथ विदेश ल जाने का भी काम सौंपा। इनम स एक पत्र म उसने उन लोगो से अपन दूत (भरत सी० पटल) को एक सशक्त प्रसारण इकाई कायम करने म मदद की माग की जो कि पूरे देश म प्रसारण कर सके। उसने बी० बी० सी० विश्व बक और अय स वही रुख अपनाने की दरख्वास्त की जो वे दक्षिण अफ्रीका रोडशिया और अया के प्रति अपनाते है।

(5) इस सहमत योजना क अनुसार भरत सी० पटेल और उसके रिश्तदारो की टिम्बा रोड स्टोन क्वरी से 10 बोरी डायनामाइट छडें और 200 डिटोनटर तथा 8 गोले फ्यूज वायर मेसस वासुदेव ऐंड कपनी हलोल स मसस हिदुस्तान क्वरी वक्स हलोल क खात म प्राप्त की जो कि अ 25 क पिता की कपनी है, अ 2 और अ 3 21 7 1975 को माही गेस्ट हाउस टिम्बा रोड क्वरी स 2 मोटर-कारो म इस ल आए और प्रभुदास पटवारी अ 4 क घर अहमदाबाद म पहुचा दिया। जाज फर्नांडीस अ 1 ने पहल ही अ 4 से मिलकर विस्फाटको को रखन का इतजाम तय कर लिया था और अ 4 न अपन गराज से लगे एक कमर म डायनामाइट की छडें रखवा दी।

(6) इस प्रकार डायनामाइट की छडें हासिल करन के बाद जाज फर्नांडीस अ 1 और उसके कुछ विश्वस्त सहायको ने जो इस मुकदमे म सह-अभियुक्त है रलव प्रणाली तथा सरकारी भवनो म बडे पमाने पर तोड फोड क जरिये दश व्यापी अराजकता पदा करने के षडयत्र पर अमल करना शुरू कर दिया। उ होने पक्के अभिपगियो को चुना विस्फोटक के प्रयोग की विधि समझाने के लिए गुप्त

सभाए तथा प्रदशन किए डायनामाइट की छडो का गुप्त रूप से हासिल करने या विस्फोट क लिए उन्ह विभिन्न राज्यो म चुने हुए स्थाना पर भेजन की व्यवस्था की गई। खच के लिए वित्त की व्यवस्था की गई। इन तथा अन्य अनेक अवध कार्यों के लिए जिनका उद्देश्य षडयन्त्र का आम लक्ष्य हासिल करना था षडयन्त्र के सभी ज्ञात (अ 1 स अ 25) और अज्ञात सस्था न सक्रिय रूप स हिस्सा लिया। अतत उनके सयुक्त प्रयासो के फलस्वरूप कुछ ही समय म एक के बाद अनेक विस्फोटो की घटना बिहार महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यो म उनक आम लक्ष्य की पूर्ति के लिए हुई।

(7) जुलाई 1975 के चौथे हफ्ते म डाडली माहन निगम अ 24 रेवती कात सिन्हा एम० एल० सी० के पास आया और उस जाज फर्नांडीस अ 1 की बडे पैमाने पर ताड फोड क जरिये अराजकता पदा करने की योजना बताई। उसने रेवती कात सिन्हा का यह भी बताया कि शीघ्र ही विस्फोटक सामग्री उपरोक्त हेतु से पटना पहुचेगा। रेवती कात सिन्हा उपयुक्त योजना के क्रिया वयन मे शरीक हाने पर राजी हो गया। रेवती कात सिन्हा को अब क्षमा प्रदान कर दी गई है।

4 8 1975 को जसवतसिंह चौहान अ 6 गोविंद भाई सोनकी अ 7 और मोतीलाल कनोजिया अ 8 ने जाज फर्नांडीस अ 1 विक्रम राव अ 2 और डा० जी० जी० पारीख अ 5 क साथ अहमदाबाद म मुलाकात की। अ 6, अ 7 और अ 8, 5 8 1975 को तीन सूटकसो और एक कपडे क बारे मे विस्फाटक सामग्री लकर पटना पहुचे तथा रेवती कात सिन्हा को यह सामग्री सौंप दी। जसवतसिंह चौहान ने तदुपरात एक रुपये का नोट लिया उसे बीचा बीच फाडकर दो टुकडे किए उस नोट का नबर वाला आधा हिस्सा अपने पास रखा और बाकी आधे भाग पर नाट का नबर लिखकर रेवती कात सिन्हा का दिया तथा उससे कहा कि जो व्यक्ति इस नबर वाला नोट का आधा हिस्सा लाकर दे उस वह विस्फोटक सामग्री द दे। 10 8 1975 को महेन्द्रनारायण वाजपेयी अ 9, रवती कात सिन्हा के घर उस नाट क नबर वाल हिस्स को लकर पहुचा और विस्फोटको का कुछ भाग बिहार म इस्तमाल के लिए उसस ल लिया। उपयुक्त तीनो सूटकेस, 42 डिटानटर तथा फ्यूज वायर के कुछ टुकडे 16 5 1976 तथा 19 5 1976 को बरामद किए गए। डायनामाइट की 50 पूरी छडें तथा उसके 76 टुकडे रेवती कात सिन्हा के बताए गए स्थानो स बरामद किए गए।

(8) जाज फर्नांडीस अ 1 न षडयत्र का लक्ष्य पूरा करने क उद्देश्य स छद्मवेश म देश के विभिन्न भागों का दौरा किया। 16 8 1975 को वह अहमदाबाद स रवाना हुए और रात म बडौदा म एक उद्योगपति श्री शरद पटल क साथ रहे। 17 8 1975 को वह अ 2 और अ 5 क साथ बडौदा स शरद पटेल की कार म रवाना

हुए। सीमा के पार महाराष्ट्र म उस पूव योजना के अनुमार फिएट कार न० डी० एल० वी० 7337 म एक अन्य दल ने बैठा लिया जिसम एक स्त्री भी थी। बडौदा वापस आने स पूव अ 2 और अ 3 रात म श्री प्रद्युम्न पटेल से सूरत म एक रेस्ट हाउस म मिले जो इस मुकद्दम मे एक गवाह है। पटेल अ 2 क बुलाने पर बम्बई स आया था और उसी रात अ 2 को 5000 रुपये देकर लौट गया।

जाज फर्नांडीस अ 1 औरगाबाद तथा हैदराबाद होत हुए उपयुक्त फिएट कार से बगलौर पहुचा। बगलौर म एक अ य महिला तथा उसके पति ने जाज फर्नांडीस अ 1 की खातिरदारी की और जब वह मद्रास तथा बगलौर गए तब वही महिला उसके साथ थी। विक्रम राव अ 2, सी० जी० क० रेड्डी अ 11 वीरेन जे० शाह अ 14 एस० आर० राव अ 15 तथा सोमनाथ दुबे अ 16 उससे मिलने वहा पहुचे।

एस० आर० राव अ 15 तथा सोमनाथ दुबे अ 16 जाज फर्नांडीस अ 1 स विक्रम राव अ 2 के लिए निर्देश लेकर बम्बई लौटे जिसके आधार पर सोमनाथ दुबे अ 16 और गोपाल शेरीगर अ 18 ने विक्रम राव अ 2 और किरीट भट्ट अ 3 स विस्फोटक लिए जो कि उन चीजो को इसीलिए अहमदाबाद लाए थे। विस्फोटक पदाथ सूटकेस और एक एयर बग म बडौदा लाए गए जो कि उसके बाद अ 16 और अ 18 द्वारा बम्बई ले जाए गए। एस० आर० राव अ 15 और गोपाल शेरीगर अ 18 के बताने पर वह सूटकेस और एयर बग बरामद किए जा चुके हैं। बरामद किए गए एयर बैग म नाइट्रोग्लिसरीन पदाथ रखा गया था एसा संदेह पदा करनेवाल निशान मिले ह। जिस तालाबन्द घर से सूटकेस बरामद हुआ उसकी चाबी अभियुक्त देवे द्र मोहन गूजर अ 22 ने दी थी। सूटकेस म 33 डायनामाइट छड़ें 16 डिटोनेटर और 10 गाले फ्यूज़ वायर थ। कुछ विस्फोटक पदाथ सोमनाथ दुबे अ 16 (33 डाइनामाइट छड़ें 20 डिटोनेटर 10 गोले फ्यूज वायर) और सुरेश वद्य अ 23 के बताने पर (8 डायनामाइट छडें और जला हुआ फ्यूज़ वायर) उनके बताने पर निर्दिष्ट स्थानो से बरामद किए गए।

जब एस० आर० राव अ 15 और सोमनाथ दुबे अ 16 जाज फर्नांडीस अ 1 से मिलकर बम्बई लौटे एस० आर० राव अ 15 ने जाज फर्नांडीस अ 1 के कुछ विश्वस्त अनुयायियो की सभा बुलाई और उन्ह चीफ (जाज फर्नांडीस अ 1) की परिवहन तथा सचार अस्त-व्यस्त करन की योजना बताई। उन्ह बताया कि जल्दी ही कुछ विस्फोटक सामग्री का प्रबध किया जाएगा। बाद म जब सामग्री प्राप्त हुई सोमनाथ दुबे अ 16 ने उसके प्रयोग का तरीका समझाया। मलाड (बम्बई) क निकट माढ द्वीप नामक एकात स्थान म विस्फोटक के प्रयोग का व्यावहारिक प्रदशन भी प्रस्तावित था पर वास्तव म विस्फोट नही हो सका

क्योंकि कुछ लोग उस स्थान के पास से आ-जा रहे थे। तहकीकात स मालूम हुआ है कि अ 15 अ-16 और अ 18 के अलावा लक्ष्मण मुरारि जाधव अ 17, पद्मनाभ शेट्टी अ 19 विश्वनाथ शेट्टी अ-20 और जयराम मोरे अ 21 न विभिन्न बैठका म सक्रिय भाग लिया था और उनके बाद बम्बई सेंट्रल रेलवे स्टेशन बान्द्रा रेलव स्टेशन के पास पश्चिमी रेलव के एक्सप्रेस हाईवे ओवरब्रिज किंग्ज सर्किल रेलवे स्टेशन के पास के पुल तथा ब्लिटज साप्ताहिक बम्बई के दफ्तर पर विस्फोट हुए थे। नासिक सब जेल म विस्फोट करने की कोशिश की भी खबर मिली है।

बम्बई म हुए उपयुक्त विस्फोटो के अलावा 23 अक्टूबर और 30 दिसबर 1975 क बीच कर्नाटक तथा बिहार म विभिन्न स्थाना पर रेलव पुला तथा रेल की पटरियो पर कई विस्फोट किए गए।

(9) तहकीकात से मालूम हुआ है कि जाज फर्नांडीस अ 1 न दिल्ली को अपनी गर कानूनी गतिविधियो का एक महत्त्वपूण अड्डा बनाया था जहा अवध षडयत्र की पूर्ति हेतु उसके कुछ अभियुक्तो ने अपराधात्मक कई प्रकट काय किए। जाज फर्नांडीस अ 1 दिल्ली म अपने सह अभियुक्ता की षडयत्री गतिविधियो का सचालन वसत विहार, नई दिल्ली म कप्तन आर० पी० ह्यु लगोल के घर ठहरकर करता था। विजयनारायण सिंह अ 10 के साथ उसकी मुलाकात जिसने कि बडौदा से वाराणसी भेजे जानेवाल विस्फोटक पासल को छुडान का इतजाम किया कमलश शुक्ल अ 12 वीरन जे० शाह अ 14 और अन्य लागा के साथ उसकी मुलाकात का गुप्त इतजाम दिल्ली म डाक्टर (कुमारी) गिरिजा ह्यूलगोल जो कि कप्तन आर० पी० ह्यूलगोल की बेटी है और सी० जी० के० रेड्डी अ 11 किया करते थ। इन समाओ म दिल्ली म तोडफोड की गतिविधि क सभावित लक्ष्यो पर बहस की जाती थी। कमलेश अ 12 को इस बीच डायनामाइट छडों से भरा एक सूटकेस मिल चुका था। विस्फोटकों से भरा सूटकेस (37 डायनामाइट छडें 49 डिटानटर और 8 गाले फ्यूज वायर) जा दिल्ली लाया गया था कमलश शुक्ल अ 12 क बताने पर उसके घर स तथा उसको चाबिया सुशीलचद्र भटनागर अ 13 के पास से बरामद की जा चुकी है।

नवबर 1975 और माच 1976 के बीच जाज फर्नांडीस अ 1 हिन्दू के व्यापार प्रतिनिधि श्री चद्रचूडन के घर जोरबाग नई दिल्ली मे भी थोडे थोडे समय के लिए ठहरा। उसके ठहरन का इतजाम सी० जी० क० रेड्डी अ 11 न किया जिस पर कि एक बाहरी दश स 1000 वायरलस सट प्राप्त करने का भार था। मध्य जनवरी 1976 के आसपास उसन जॉज फर्नांडीस अ 1 के साथ न्यूजवीक के यूरोपीय सपादक की गुप्त मुलाकात का भी प्रबध किया। इस मुलाकात म जाज फर्नांडीस अ 1 न अपने भेंटकर्त्ता को बताया कि वह प्रधानमत्री को पदच्युत करने के लिए हिंसा का प्रयाग करन म विश्वास रखता है।

रेस्ट हाउस म मिले, जो इस मुकद्दमे म एक गवाह हैं। पटल अ 2 के बुलाने प
बम्बई से आया था और उसी रात अ 2 को 5000 रुपये देकर लौट गया।

जाज फर्नान्डीस अ 1 औरगाबाद तथा हैदराबाद होते हुए उपयुक्त फिए
कार स बगलौर पहुचा। बगलौर म एक अ य महिला तथा उसके पति
जाज फर्नांडीस अ 1 की खातिरदारी की और जब वह मद्रास तथा बगलौर ग
तब वही महिला उसके साथ थी। विक्रम राव अ 2 सी० जी० के० रड्डी अ 1
वीरेन जे० शाह अ 14 एस० आर० राव अ 15 तथा सोमनाथ दुबे अ 16 उस
मिलन वहा पहुचे।

एस० आर० राव अ 15 तथा सोमनाथ दुबे अ 16 जाज फर्नांडीस अ
स विक्रम राव अ 2 के लिए निर्देश लेकर बम्बई लौटे जिसके आधार प
सोमनाथ दुबे अ 16 और गोपाल शेरीगर अ 18 न विक्रम राव अ 2 औ
किरीट भट्ट अ 3 स विस्फोटक लिए जो कि उन चीजों को इसीलिए अहमदाबा
लाए थे। विस्फोटक पदार्थ सूटकेस और एक एयर बग म बडौदा लाए गए जा वि
उसके बाद अ 16 और अ 18 द्वारा बम्बई ले जाए गए। एस० आर० रा
अ 15 और गोपाल शेरीगर अ 18 के बताने पर वह सूटकेस और एयर ब
बरामद किए जा चुके हैं। बरामद किए गए एयर बग म नाइट्रोग्लिसरीन पदा
रखा गया था ऐसा सदेह पदा करनेवाले निशान मिल ह। जिस तालाब द घर
सूटकेस बरामद हुआ उसकी चाबी अभियुक्त देवेन्द्र माहन गूजर अ 22 ने दी थी
सूटकेस म 33 डायनामाइट छडें 16 डिटोनेटर और 10 गोले फ्यूज़ वायर थ। कु
विस्फोटक पदाथ सामनाथ दुबे अ 16 (33 डाइनामाइट छडें, 20 डिटोनेट
10 गोले फ्यूज वायर) और सुरेश वैद्य अ 23 के बताने पर (8 डायनामाइट छ
और जला हुआ फ्यूज वायर) उनके बताने पर निर्दिष्ट स्थानो से बराम
किए गए।

जब एस० आर० राव अ 15 और सोमनाथ दुबे अ 16 जाज फर्नांडीस अ
से मिलकर बम्बई लौटे एस० आर० राव अ 15 ने जाज फर्नांडीस अ 1 के कु
विश्वस्त अनुयायियो की सभा बुलाई और उन्हें चीफ (जाज फर्नांडीस अ 1)
की परिवहन तथा सचार अस्त व्यस्त करने की योजना बताई। उन्हें बताया कि
जल्दी ही कुछ विस्फोटक सामग्री का प्रबध किया जाएगा। बाद म जब सामग्री
प्राप्त हुइ सोमनाथ दुबे अ-16 ने उसके प्रयोग का तरीका समझाया। मला
(बम्बई) के निकट माढ द्वीप नामक एकात स्थान म विस्फोटक के प्रयोग क
व्यावहारिक प्रदशन भी प्रस्तावित था पर वास्तव म विस्फोट नही हो सक

क्योंकि कुछ लोग उस स्थान के पास से आ जा रहे थे। तहकीकात से मालूम हुआ है कि अ 15, अ 16 और अ 18 के अलावा, लक्ष्मण मुरारि जाधव अ 17, पद्मनाभ शेट्टी अ 19, विश्वनाथ शेट्टी अ 20 और जयराम मोरे अ 21 ने विभिन्न बैठकों में सक्रिय भाग लिया था, और उनके बाद बम्बई सेंट्रल रेलवे स्टेशन बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास पश्चिमी रेलवे के एक्सप्रेस हाईवे ओवरब्रिज किंग्ज़ सर्किल रेलवे स्टेशन के पास के पुल तथा ब्लिट्ज साप्ताहिक बम्बई के दफ्तर पर विस्फोट हुए थे। नासिक सब-जेल में विस्फोट करने की कोशिश की भी खबर मिली है।

बम्बई में हुए उपर्युक्त विस्फोटों के अलावा 23 अक्टूबर और 30 नवम्बर 1975 के बीच कर्नाटक तथा बिहार में विभिन्न स्थानों पर रेलवे पुलों तथा रेल की पटरियों पर कई विस्फोट किए गए।

(9) तहकीकात से मालूम हुआ है कि जार्ज फर्नांडीस अ 1 ने दिल्ली को अपनी गैर कानूनी गतिविधियों का एक महत्त्वपूर्ण अड्डा बनाया था जहां अवैध षडयंत्र की पूर्ति हेतु उसके कुछ अभियुक्तों ने अपराधात्मक कई प्रकट कार्य किए। जार्ज फर्नांडीस अ 1 दिल्ली में अपने सह अभियुक्तों की षडयंत्री गतिविधियों का संचालन वसंत विहार, नई दिल्ली में कैप्टन आर० पी० ह्यूलगोल के घर ठहरकर करता था। विजयनारायण सिंह अ 10 के साथ उसकी मुलाकात जिसने कि बड़ौदा से वाराणसी भेजे जानेवाले विस्फोटक पार्सल को छुड़ाने का इंतज़ाम किया कमलेश शुक्ल अ 12 वीरेन ज० शाह अ 14 और अन्य लोगों के साथ उसकी मुलाकात का गुप्त इंतज़ाम दिल्ली में डाक्टर (कुमारी) गिरिजा ह्यूलगोल जो कि कैप्टन आर० पी० ह्यूलगोल की बेटी है और सी० जी० के० रेड्डी अ 11 किया करते थे। इन सभाओं में दिल्ली में तोड़फोड़ की गतिविधि के संभावित लक्ष्यों पर बहस की जाती थी। कमलेश अ 12 को इस बीच डायनामाइट छड़ों से भरा एक सूटकेस मिल चुका था। विस्फोटकों से भरा सूटकेस (37 डायनामाइट छड़ें 49 डिटोनेटर और 8 गोल फ्यूज वायर) जो दिल्ली लाया गया था कमलेश शुक्ल अ 12 के बताने पर उसके घर से तथा उसकी चाबियां सुशीलचंद्र भटनागर अ 13 के पास से बरामद की जा चुकी है।

नवंबर 1975 और मार्च 1976 के बीच जार्ज फर्नांडीस अ 1 हिंदू के व्यापार प्रतिनिधि श्री चंद्रचूडन के घर जोरबाग नई दिल्ली में भी थोड़े थोड़े समय के लिए ठहरा। उसके ठहरने का इंतज़ाम सी० जी० के० रेड्डी अ 11 ने किया जिस पर कि एक बाहरी देश से 1000 वायरलेस सेट प्राप्त करने का भार था। मध्य जनवरी 1976 के आसपास उसने जार्ज फर्नांडीस अ 1 के साथ न्यूज़वीक के यूरोपीय संपादक की गुप्त मुलाकात का भी प्रबंध किया। इस मुलाकात में जार्ज फर्नांडीस अ 1 ने अपने भेंटकर्त्ता को बताया कि वह प्रधानमंत्री को पदच्युत करने के लिए हिंसा का प्रयोग करने में विश्वास रखता है।

(10) वीरन जे० शाह अ 14 जो जॉज फर्नांडीस अ 1 की योजना का समय समय पर खच उठा रहा था उक्त भेंटवार्ता म मौजूद था। इससे पूव नवबर 1975 म उसने भरत सी० पटल को प्रद्युम्न पटेल के हाथो गुप्त भाषा म एक सन्देश भेजा था कि जाज फर्नांडीस अ 1 उससे मिलने को उत्सुक है। दिसम्बर 1975 म जाज फर्नांडीस अ 1 वीरेन जे० शाह अ 14 और एस० आर० राव अ 15 से गुप्त मुलाकात के लिए हवाई जहाज स बम्बई गया। इस मुलाकात के बाद बान्द्रा रेलवे स्टेशन के पास एक्सप्रेस हाइवे ब्रिज पर एक विस्फोट हुआ।

(11) जाज फर्नांडीस अ 1 24 दिसबर 1975 को बम्बई स बडौदा पहुचा और शरद पटल क घर पर ठहरा। उक्त पडाव के दौरान श्री शरद पटेल ने जाज फर्नांडीस अ 1 का तोडफोड क लिए विस्फोटको के इस्तेमाल के बारे म बात करते सुना। उसने अधिकारियो का खबर देन की दृष्टि स ताकि उसे रोका जा सके जाज फर्नांडीस अ 1 की विध्वसक योजनाओ की पूरी जानकारी हासिल करने का निश्चय किया। शरद पटल ने जाज फर्नांडीस अ 1 का विश्वास जीतने क बाद अपने निर्माणाधीन मकान म विस्फोटको को रखन का प्रस्ताव किया ताकि उस आगे निर्धारित स्थाना पर भेजा जा सके। तदुपरात उस (शरद पटेल) ने अ 2 और अ 3 के साथ अहमदाबाद की यात्रा अपनी कार म की तथा प्रभुदास पटवारा अ 4 और सरदार छात्रालय अहमदाबाद स विस्फोटक सामान ले आया। वडौदा लौटकर उसने वह सामान अपने उक्त घर म रख दिया। कुछ समय बीतने क बाद लाडली मोहन निगम अ 2 उनस मिलने गया और डायनामाइट देखा तथा चूकि कुछ छडें पसीजन लगी थी इसलिए छडो को उसने धूप म सुखाया और पुन ठीक तरह स पक कराया। बाद म जब विस्फोटको को मेसस रोड लिंक आफ इडिया क माफत वडौदा स वाराणसी भेजन का कायक्रम पक्का हो गया तो उसने सबद्ध अधिकारियो को सूचना दे दी जिसके द्वारा अतत विस्फोटक (836 डायनामाइट छडें और 85 गोल फ्यूज वायर) सामग्री उक्त परिवहन कपनी के कार्यालय स उपयुक्त तरीके म बरामद किए गए। उपयुक्त बरामदगी की खबर पात ही वीरेन शाह अ 14 ने वह खबर जाज फर्नांडीस अ 1 को पहुचाने का प्रबध किया। उसक बाद सी० जी० के० रेड्डी तथा अन्य लोगो ने जाज फर्नांडीस अ 1 के कलकत्ता भागन का इन्तजाम किया।

(12) इस मामल का यह एक उल्लेखनीय गुण है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने गरकानूनी काय करत समय शिनाख्त छिपाने की विस्तत व्यवस्था की और सतकताए बरती थी। न कवल सदश गुप्त भाषा म लिए दिए जात थ और बठको या प्रशिक्षणो के लिए एकात स्थान चुने जाते थे बल्कि फर्जी नाम अपनाए या दिए जाते थे और पराचर पहचान क लिए सकत बनाए गए थे। जाज फर्नांडीस अ 1 सिख या बाबा के वेष म घूमता था और खुद को विभिन्न मौका पर एम० एम०

दुग्गल, भूपेन्द्र सिंह बी० पी० सिंह बताता था। उसके कुछ अनुयायी उसे 'चीफ' कहकर पुकारते थे। भरत पटेल तथा खुद के बीच संपर्क के लिए उसने 'विदशिया' गुप्त नाम रख लिया था। विजयनारायण सिंह अ 10 को आशासिंह कहा जाता था क्योंकि आशा उसकी पत्नी का नाम था। वीरेन जे० शाह अ 14 ने अपना नाम प्रकाश महरा रख लिया था। लाडली मोहन निगम अ 24 को 'अरुण' नाम दिया गया था। एम० आर० राव अ 15, सोमनाथ दुबे अ 10 और गोपाल शेरीगर अ 18 ने क्रमश राघवन सपत पटेल और श्रीकृष्ण नाम रख लिए थे। विस्फोटकों को 'साहित्य' कहा जाता था। डॉक्टर गिरिजा हुनगोल और जॉर्ज फर्नांडीस को अगस्त 1975 में जिस कार में दक्षिण ले जाया गया उसके ड्राइवर तक को क्रमश गीता मनजीत कौर और गणपत पांडुरंग जैसे फर्जी नाम दे दिए गए थे।

(13) इस मामले के तथ्य तथा परिस्थितियां और मौखिक तथा दस्तावेजी प्रमाण जो तहकीकात के दौरान एकत्र हुए उनसे प्रकट होता है कि अभियुक्त 1 से 25 तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने मिलकर एक सुनियोजित तथा गहरा अवैध षडयंत्र रचा था जिसकी व्यापक शाखा प्रशाखाएं थीं और जिसका उद्देश्य अपराधात्मक शक्ति के प्रदर्शन और या अपराधात्मक शक्ति के प्रयोग के जरिए केन्द्र सरकार को आतंकित करना तथा विभिन्न अपराध करना था। अभियुक्त अ 1 से अ 25 द्वारा किए गए उपर्युक्त कृत अकृत कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 121 (ए), 120 बी सलग्न विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4 5 और 6 तथा भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 की धारा (3) (बी) और 12 एवं यथेष्ट अपराधों के तहत अपराध हैं। उक्त-अवैध षडयंत्र के तहत अभियुक्त अ 2 अ 3 अ 4 अ 6 अ 7 अ 8, अ 9 अ 12 अ 13 अ 15 अ 16, अ 18 अ 22 और अ 23 ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत धारा 5 के यथेष्ट अपराध किए हैं, अ 2, अ 3 अ 6 अ 7 अ 8 अ 16 और अ 18 ने भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 (3) (बी) के तहत अपराध किए हैं। भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 12 के तहत यथेष्ट अपराध जॉर्ज फर्नांडीस अ 1 ने किए हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा दंडविधान प्रक्रिया 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 196 (1) (ए) के तहत और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 7 के तहत अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक अनुमति की मूल प्रति सलग्न है।

अतएव यह प्रार्थना की जाती है कि उक्त अभियुक्त अ 1 से अ 25 के विरुद्ध कानून सम्मत कारवाई कृपया की जाए। अभियुक्त सुशीलचंद्र भटनागर

अ 13 जमानत पर है। अ 24 और अ-25 के अलावा अन्य सभी अभियुक्त हिरासत म हैं क्याकि मीसा म नजरबद हैं। अभियुक्त अ 1 से अ 25 तक सभी का इस माननीय अदालत म पेश होने की आज्ञप्तियाए कृपया जारी की जाए। दोना मुखबिर जमानत पर हैं।

(हस्ताक्षर)
अवनाश चदर
डिप्टी सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस
स्पे सी० बी० आई० सी० आई० यू० (ए) नई दिल्ली
24 सितम्बर 1976

परिशिष्ट-3

जॉर्ज फर्नांडीस का वक्तव्य

चीफ मट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली के सामने
10 फरवरी 1977 को
जाज फर्नांडीस द्वारा दिया गया बयान

महोदय,

मैं तथा मरे साथी भारतीय दडसहिता की धारा 121 (ए) 120 बी सलग्न विस्फोटक पदाथ अधिनियम 1908 की धारा 4 5 और 6 तथा भारतीय विस्फोटक पदाथ अधिनियम 1884 की धारा 6 (3) (बी) और 12 की तहत विभिन्न अपराधो क अभियोग मे आपके सामने लाए गए हैं। अभियोग-पत्र का अनुच्छेद 13 कहता है कि हम पच्चीस अभियुक्त और अय अज्ञात व्यक्तियो ने अपराधात्मक शक्ति के ज़रिये और या अपराधात्मक शक्ति का प्रदशन करके केंद्र सरकार को उलटने तथा विभिन्न अपराध करने के लिए एक सुनियोजित तथा गहरा षडयत्र रचा था जिसकी व्यापक शाखा प्रशाखाए थी ?

सरकार ने लगभग 600 व्यक्तियों की सूची पश की है जिनसे वह हमारे खिलाफ गवाही मामला साबित करने के लिए लेना चाहती है। हमे लगभग 600 दस्तावेज भी मिले हैं जिनके आधार पर केंद्र सरकार को आतंकित करने की कथित एक सुनियोजित तथा गहरी साजिश थी यह साबित करना चाहती है। इन गवाहा और इन दस्तावेजो के बारे म हम उचित समय पर कहगे।

हमारे खिलाफ अभियोग पत्र आपके समक्ष 24 सितबर 1976 को पश किया गया था। और सरकार को अपन परम विश्वस्त गवाह मुखबिर भरत सी० पटेल का पूरा बयान लेन म पूरे साढे चार महीने लग गए।

सरकार के अनुसार मेरे तथा मेरे साथियो के विरुद्ध उसका पूरा दावा इस मुखबिर ने आपके सामने जो कहा है उस पर निभर है। इस्तगासे ने न सिफ इस आशय की घोषणा बलपूवक की है बल्कि उसका यह बयान भी दज है कि इस मुखबिर से कहलवाए गए साक्ष्य के अलावा अय कोई प्रत्यक्ष प्रमाण शायद ही मिलेगा जिसस इस सजिश का अस्तित्व, साबित हो ?

मुझे इस मुकद्दम क विशालकाय दस्तावेज मे से एक का हवाला देने की इजाजत दें। डी 195 नबर के इस दस्तावेज पर इस षडयत्र के अन्वेषक अधिकारी श्री अबनाश चदर के दस्तखत हैं तथा यह इस माननीय अदालत म अभियोग-पत्र दाखिल करन स तीन माह-पूव दी गई एक दरख्वास्त है।

इस दस्तावज म अन्वषक अधिकारी ने अ य बाता के अलावा यह कहा है

(2) कि तहकीयात के दौरान एक अभियुक्त, श्री भरत सी० पटेल पुत्र छोटालाल बी० पटेल निवासी शिराली अलकापुरी, बडोदा, ने श्री भारतभूषण, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने 8 6 76 को एक इकबाली बयान दिया था जो इस माननीय अदालत के रेकाड म है।

(3) कि तहकीकात के दौरान यह साबित हुआ है कि सरकार को आतंकित करने की गरज से षडयत्र पूरा करने के दौरान दिल्ली समेत भारत के विभिन्न स्थानो पर कारवाइया हुई है।

(4) कि इकबाली बयान जो भरत सी० पटेल ने दिया है उससे न केवल षडयत्र की तफसील मालूम हुई बल्कि उसके तथा इस षडयत्र के अन्य सह अभियुक्तो के द्वारा दिल्ली म तथा अन्यत्र किए गए प्रकट काय तथा षडयत्र का लक्ष्य किस प्रकार पूरा होता इसकी तफसील भी सामने आई है।

(5) कि चूकि यह मामला विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 और भारतीय दड सहिता की धारा 121 ए के तहत अपराध करने के गहरे षडयत्र का मामला है और इसकी शाखा प्रशाखाए व्यापक है जिनम अनेक अन्य अभियुक्त लगे हुए थे इसलिए उसका तथा अन्य अपराधो का अस्तित्व साबित करनेवाला कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होना सभव नही मालूम होता जिसम कि सह-अभियुक्तो समेत श्री भरत सी० पटेल ने हिस्सा लिया है। पुन षडयत्र की पूर्ति हेतु सह अभियुक्तो समेत श्री भरत सी० पटेल ने जो भूमिका अदा की है तथा जो विभिन्न अपराध किए हैं उनके तथा षडयत्र और विभिन्न अपराधो के अस्तित्व को साबित करनेवाला कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होना सभव नही मालूम होता।

(6) कि तहकीकात के दौरान यह साक्ष्य मिला था जिससे साबित हो कि अपराधात्मक षडयत्र की जिलेटिन छड उसके सहायक उपकरण तथा विध्वसक साहित्य बरामद हुए है और दिल्ली म एक सह अभियुक्त के यहा से बरामद हुए है तथा दिल्ली के बाहर भी बरामदगिया की गई है।

(7) कि तहकीकात के दौरान यह भी उद्घाटित हुआ है कि इस षडयत्र का मुख्य आविष्कर्त्ता जाज फर्नांडीस था और उसीने खुद अपराध करने के अलावा इस मामले के अन्य सह अभियुक्तो को उस षडयत्र की पूर्ति हेतु खुली कारवाइया का भार सौंपा था।

(8) कि जैसाकि पहले कहा गया है यह साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नही मिल सका कि जाज फर्नांडीस ही इस षडयत्र का मुख्य आविष्कर्त्ता है तथा उसीके कहने पर जिलेटिन छड इत्यादि देश के विभिन्न भागो म सावजनिक सपत्ति नष्ट करने की गरज से हासिल की गई थी। पुन कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नही मिल सका जिसस साबित हो कि जाज फर्नांडीस ही इस षडयत्र का मुख्य आविष्कर्त्ता है और यह कि उसी के कहने पर जिलेटिन छड इत्यादि देश के विभिन्न

भागो म सावजनिक सपत्ति नष्ट करने की गरज से हासिल की गई थी।

(9) कि अपराधात्मक षडयत्र के पूरे मामले का उदघाटन करने, जाज फर्नांडीस तथा अन्य सह अभियुक्तो को इस षडयत्र म भागीदारी तथा उक्त षडयत्र की पूर्ति हेतु विभिन्न अपराधो के किए जाने म उनकी भागीदारी साबित करने म, एक मुखबिर के बिना साक्ष्य की टूटी हुई कडिया जोडना मुश्किल हो सकता है।

(10) कि श्री भरत सी० पटेल ने स्वच्छा से जो इकबाली बयान दिया है उससे यह बात रिकाड म आ गई है कि उसने न केवल एक दोषमोचक बयान दिया है बल्कि अन्य अभियुक्ता का दोष दिखाया है तथा उनकी भागीदारी का उदघाटित किया है और उसके समथन म ऐसे कुछ दस्तावेज रेकार्ड पर लाया है जिनसे न केवल उसका बल्कि अन्य सह अभियुक्ता की भागीदारी भी प्रकट होती है।

(11) कि यह न्याय के हित म तथा इस मामले म सह अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध हो आरोप साबित करने के लिए उक्त श्री भरत सी० पटल को जिसने कि अपनी जानकारी की सभी बातें साफ-साफ बता दी हैं इस माननीय अदालत द्वारा जो उचित तथा विधि सम्मत न्याय कदम हैं व पूरे करके उसको सरकारी गवाह बनने दिया जाए ताकि वह इस मामले के अपराधों के किए जाने से पहले और बाद की पूरी इस्तगासा कहानी उदघाटित करने की स्थिति मे हो सके।

इस प्रकार खुद सरकारी पक्ष के शब्दों म यह मुखबिर जो आपके सामने खडा है एक तथा एकमात्र एसा व्यक्ति है जिस पर यह सरकार समूची इस्तगासा कहानी उद्घाटित करने के लिए वह जो भी है निभर है।

महोदय, अब आप मुझे एक अन्य दस्तावेज डी 196/5 का हवाला देन की इजाजत दें। इस दस्तावेज पर आपके दस्तख्त हैं। यह अन्वेषक अधिकारी की उक्त दरख्वास्त पर दिया गया आदेश है तथा इस पर भी 25 जून, 1976 की तारीख पडी है। आपने अपने आदेश म कहा है जिसे मैं उद्धत करता हू

इस मामले के अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभियुक्त भरत सी० पटल को क्षमा दिलाने की दरख्वास्त म अन्य बातो के अलावा कहा गया है कि अपराधात्मक षडयत्र के अस्तित्व को साबित करने तथा उसकी पूर्ति म अलग अलग षडयत्रकारी को सौंपी गई भूमिका साबित करने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नही है। आगे यह भी कहा गया है कि यह साबित करने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नही दिया कि इस मामले का मुख्य अभियुक्त जॉर्ज फर्नांडीस ही अवैध शक्ति प्रयोग के जरिये सरकार को आतकित करने का षडयत्र रचने म प्रमुख व्यक्ति था और यह कि इस तथ्य को साबित करने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नही है। पुन इस तथ्य को साबित करने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नही है।

आगे आपने कहा है

भरत सी० पटेल के इकबाली बयान को गौर से पढ़कर मैं सतुष्ट हू कि उसने न सिर्फ अपनी भूमिका का बयान किया है षडयन्त्र की पूर्ति म खुद क अपराधो का बयान किया है बल्कि उक्त अपराधात्मक षडयन्त्र की पूर्ति म अन्य सह-अभियुक्तों की भूमिकाओ खुली कारवाइयो का भी बयान किया है।

अन्वेषक अधिकारी की दरख्वास्त मजूर करते समय मेरे सामने मुख्य मुद्दा यह है कि क्या यह न्याय के हित म होगा कि भरत सी० पटेल को क्षमा दी जाए और उससे मुखबिर के तौर पर पूछताछ की जाए ताकि वह अपनी जानकारी से पूरे इस्तगासे का पक्ष पेश कर सके और अपने तथा अन्य सह-अभियुक्तो के अवैध कार्यों का ब्यौरा दे सके और यह कि उसके बयान स साक्ष्य की व टूटी हुई कडिया जुड जाएगी जिन्हें कि अन्वेषक सस्था प्राप्त नही कर सकी है। इस मामल म आम न्याय सिद्धात यह है कि किसी बडे अपराधी को क्षमा देकर छोटे अपराधियो को दडित नही किया जाना चाहिए। आगे भरत सी० पटेल के इकबाली बयान को तथा अन्वेषक अधिकारी की दरख्वास्त को पढकर मेरी यह मान्यता बनती है कि भरत सी० पटेल की भूमिका जाज फर्नांडीस विक्रम राव और किदीर भट्ट— इस मामले के अन्य अभियुक्त—की अपेक्षा छोटी थी।

एक और मुद्दा जिसके कारण मैं अन्वेषक अधिकारी की दरख्वास्त मानने की मन स्थिति म हू वह यह है कि दिल्ली म तथा अन्य स्थानो पर जो गुप्त बठक हुइ उनमे वास्तव म कौन सी योजनाओ पर विस्तार स बातचीत की गई थी तथा विभिन्न अभियुक्तों का षडयन्त्र के लक्ष्य की पूर्ति हेतु इस मामले के प्रमुख अभियुक्त ने क्या-क्या भूमिका सौंपी थी इस बारे म कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रमाण नहीं है।

केस डायरी पढने क बाद मुझे यह मानने का और भी कारण दिखा है कि कोई ऐसा प्रमाण नही है जिससे इस बाबत कोई निर्विकल्प नतीजा निकाला जा सके। पुन कोई भी ऐसा प्रमाण नही है जिससे इस बाबत कोई निर्विकल्प नतीजा निकाला जा सके।

उसके बाद, महोदय, आप कहते है

मैंने मामले के सभी तथ्यो और परिस्थितियो पर सावधानी से विचार किया है और भरत सी० पटेल स कुछ सवाल करने के बाद जो कि मेरे सामने मौजूद है मैं समझता हू कि कथित भरत सी० पटेल का इस शर्त पर कि वह अपराधो के किए जाने क बारे म और उन अपराधो स सबद्ध प्रत्येक
बारे म परिस्थितियो का

करेगा, क्षमा देना उचित है।

महोदय सीधे सादे शब्दों मे कहूं तो आपने सरकार की तरफ से इस गवाह के बयानों की सत्यता को पहले ही मान लिया है, और यह करने के बाद आप हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उससे जिरह करें। इसका कतई कोई अर्थ नही है। यदि है भी तो निहायत हास्यास्पद, जैसा कि वास्तव मे यह मुकद्दमा खुद है।

अन्यथा कैसे यह तथ्य समझाया जा सकता है कि जबकि श्रीमती गांधी से लेकर तमाम मंत्री, राजदूत अधिकारी और अन्य सरकारी प्रवक्ता रूपी दुनिया को आश्वासन दे रहे हैं कि मुझ पर न्यायसगत मुकद्दमा चल जाएगा लेकिन मुझे 28 जनवरी, 1977 तक—अर्थात मेरी गिरफ्तारी के समय से 7 माह बाद तक और अभियोग पत्र के दाखिले के चार माह बाद तक—अपने वकीलो से एक बार भी नही मिलने दिया गया? 29 जनवरी 1977 को जब दिल्ली हाई कोर्ट मे मुक्त तथा निर्बाध कानूनी सलाह की मेरी दरख्वास्त पेश हुई, उस दिन सरकारी वकील ने खडे होकर कहा कि अब सरकार मुझे मेरे वकीलो से मिलने दिया करेगी।

सरकार तथा उसका दमनतंत्र किस प्रकार मेरे तथा मेरे साथियों के खिलाफ सबूत गढ़ने मे लगा रहा इसका भडाफोड आपके समक्ष डाक्टर (कुमारी) गिरिजा हुलगोल के उस हलफनामे से हो चुका है जो 23 दिसबर, 1977 को पेश किया था। अपने दायित्वपूर्ण और गभीर हलफनामे म डाक्टर हुलगोल ने, जिसे कि सरकारी गवाह के रूप मे पेश किया जानेवाला था, कहा है

'मुझे 30 मार्च 1976 को धुलिया म गिरफ्तार किया गया और तभी से मुझसे लगातार पूछताछ होती रही तथा हो रही है। इन अंतहीन तहकीकातो के दौरान मुझसे कहा गया कि मुझे मीसा मे नज़रबद कर दिया जाएगा और मेरी मा तथा भाई को भी पकड लिया जाएगा और हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया जाएगा कि मुझे इस तथाकथित षडयत्र मे अभियुक्त बना दिया जाएगा और मुझे सारी जिन्दगी जेल म काटनी होगी। दूसरी ओर मुझसे कहा गया कि यदि मैं जॉर्ज फर्नांडीस तथा उसके दोस्तो और साथियो के खिलाफ गवाही दे दू तो मेरे पिता रिहा कर दिए जाएगे मेरे पिता पर से मुकद्दमा हटा लिया जाएगा और मुझे काफी मदद दी जाएगी।

इस वक्त भी मुझ पर लगातार धमकी और आतक बरता जा रहा है। मुझसे अभी भी कहा जा रहा है कि मेरे पिता की आज़ादी इस पर निर्भर है कि मैं जार्ज फर्नांडीस तथा उनके मित्रो और साथियों के खिलाफ गवाही देकर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सहयोग' करती हू या नही। मुझसे कहा गया है कि मेरी अपनी आज़ादी तथा मेरी मा और भाई की आज़ादी भी इस पर निर्भर है कि मैं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कथानुसार कहू या कार्य करू।

मेरे छोटे भाई लारेंस फर्नांडीस को 1 मई, 1976 को बगलौर मे गिरफ्तार

किया गया। पन्द्रह दिनो तक उस बबर यातना दी गई, उसकी हड्डिया टूट गईं दात उखड गए। उसे भूखा रखा गया पीने का पानी तक न दिया गया, और शारीरिक तथा मानसिक कंकाल बना दिया गया। अभी भी वह जेल म है। उसका एकमात्र अपराध यह है कि उसने तानाशाह की पुलिस को मेरा अता पता बतान से मना कर दिया था। मेरा अन्य युवा भाई माइकल मीसा के तहत जेल म 13 माह से नजरब द है। मेरी पत्नी और तीन साल का बच्चा निर्वासित हैं, गोकि लड रहे हैं।

श्रीमती स्नहलता रेडडी—सोशलिस्ट कलाकार और अनोखी प्रतिभा वाली महिला—जो 1 मई 1976 को मद्रास म गिरफ्तार की गई थी, श्रीमती गाधी की तानाशाही के खिलाफ भूमिगत प्रतिरोध आदोलन की गतिविधियो के बारे म उनसे लगातार सवाल जवाब किए जाते रहे। उन्ह बगलौर जेल की एक छोटी सी तनहा कोठरी म जहा हवा भी ठीक से नही मिलती बद रखा गया जिसस उनका स्वास्थ्य चौपट हो गया। जब अधिकारियो को होश आया कि वह अब जिंदा नही बचेंगी उन्ह जनवरी 1977 के शुरू म परोल पर रिहा किया गया। चंद दिनो म उनकी मृत्यु हो गई—श्रीमती गाधी की तानाशाही की बबरता म होम हो गई।

सरकार मेरे तथा मेरे साथियो क विरुद्ध इस तरह की क्रूर कारवाई म क्या लगी हुई है? इसका एकमात्र कारण यह है कि श्रीमती गाधी की तानाशाही का विरोध करन म हम किसी तरह का समझौता नही करेंगे। सरकार नियत्रित रेडियो तथा सेंसरग्रस्त प्रेस जहा दुनिया का यह बताने म लगे थे कि श्रीमती गाधी की तानाशाही और सल्तनत को भारत की जनता ने मजूर कर लिया है मैं उनके फासिस्ट राज के खिलाफ प्रतिरोध सगठित करने म लगा हुआ था। मेरे साथ इस काम म शामिल होनेवाले पुरुष और महिलाए स्वतत्रता और स्वाधीनता के आदर्शों स अनुप्राणित थे वे तानाशाही से कोई भी समझौता नही करना चाहत थे वे मानव अधिकारो क लिए सवस्व बलिदान करने को तयार थे, वे अपनी मान्यताओ की कीमत चुकाने को तयार थे।

श्रीमती गाधी तथा उनका प्रतिष्ठान अपनी निरकुश सत्ता का ऐसा अडिग विरोध बर्दाश्त नही कर सके। वह न केवल इस विरोध का गला घाट देना चाहती है बल्कि इस अदालत का ताम झाम खडा करके वह हरएक को जता देना चाहती है कि जो भी उनकी मुखालफत करेगा उसका यही नियति होगी।

महोदय आपन दखा होगा कि किस प्रकार राज्य नियत्रित समाचार सस्था **समाचार** इस अदालत मे हुए मुखबिर क बयानो को तोड मरोड कर पश करती रही है। राजकीय रेडियो को भी अदालती कारवाई की बिलकुल विकृत तस्वीर देश के सामने रखने म लगा दिया गया है।

अब हम आपके सामने जो भी बयान दे, पर जहा तक आपका सबध है, आपने मुझे तथा मेरे साथियो को पहले ही अपराधी घोषित कर दिया है। 26 जून, 1976 को भरत पटेल का क्षमादान करते हुए आपने जो आदेश दिया है वह इस मुद्दे पर बिलकुल स्पष्ट है। इन हालात म इस अदालत म इस मुखबिर से जिरह करके हम मुकद्दमे की हास्यास्पदता म इजाफा नही करना चाहते।

उस विनाशक 26 जून, 1975 के दिन उडिसा के एक सुदूर मछुआरे गाव गोपालपुर-आन सी म जब मैंने सुना कि एक और आपातकाल की घोषणा कर दी गई है तब मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि श्रीमती गाधी ने हिटलर का लबादा ओढ लिया है। और तत्क्षण मैंने निणय किया कि इस तानाशाही को उलटने के लिए मैं सब कुछ, हर चीज, अपनी जान भी, लगा दूगा। मेरे कई दोस्तो और साथियों को मेरे इस निणय पर एतराज हुआ। पर मैं श्रीमती गाधी का धन्यवाद करूगा कि उन्होने 22 जुलाई 1975 को लोक सभा म यह कह सभी के मन की शका दूर कर दी कि जब मैं तानाशाह नही थी तब आप मुझे तानाशाह कहते थे। तो लीजिए अब मैं हू ? समाचार ने यह बयान जारी किया। सेंसर न इसे रुकवा दिया।

श्रीमती गाधी की तानाशाही स इस दश को क्या भुगतना पड रहा है मैं इसका बयान नही करूगा। न्यायपालिका पर लगाम है, प्रेस का मुह बद है जनता निर्वीय है, लाखो निर्दोष नागरिक जेलो म है जेलों म तथा बाहर बबर यातना हत्याए गोलीबारी, जयप्रकाश नारायण तथा दूसरे लोगो के विरुद्ध झूठ और लाछन का अभियान, इजारेदारो को सहूलियतें, मजदूरो के अधिकार निरस्त, आपातकाल की कथित उपलब्धियो के झूठे दावे—19 महीनो की इस तानाशाही के दौरान हमने यह सब और बहुत कुछ दखा है।

1 जुलाई 1975 का मैंने भूमिगत केन्द्र स देश के नाम सदेश इन शब्दो से शुरू किया था हमारे देश पर फासिस्ट तानाशाही थोप दी गई है, इस भूमिगत आह्वान म हमारे प्रतिरोध आदोलन के लक्ष्य उदघोषित हुए थे। मैंने कहा था

हमारा सघष (1) जनतत्र (2) मौलिक अधिकारो (3) कानून सम्मत राज्य के लिए (4) फासिस्ट तानाशाही के खिलाफ, (5) भारतीय मामलो म रूसी हस्तक्षेप के खिलाफ (6) भ्रष्टाचार के खिलाफ, (7) महगाई के खिलाफ और (8) बेरोजगारी के खिलाफ सघष है।

महोदय आपने गौर किया होगा कि इन्ही मुद्दो पर देश का आगामी आम चुनाव लडा जाएगा। इन्ही प्रश्नो पर श्री जगजीवन राम ने केन्द्रीय मत्रिमडल से इस्तीफा दिया है और श्रीमती गाधी के लाखो भूतपूर्व अनुयायियो के साथ काग्रेस फार डेमोक्रेसी की स्थापना की है। मैं और मेर साथी जेल म हैं तथा इस अदालत मे हथकडी और जजीरो म पेश किए जाते हैं ता कोई बात नही। भूमिगत रहकर

हम जिन चीजों के लिए लड़े थे वे ठीक वही प्रश्न है जो हमारे करोड़ो देशवासियो के हृदय का मथ रहे हैं।

1 जुलाई 1975 का वह भूमिगत दस्तावेज जो देश तथा विदेशो म व्यापक रूप से प्रसारित हुआ, हमारे खिलाफ मुकद्दमे की आपकी फाइल म डी 390 के रूप म प्रस्तुत है। उस दस्तावेज की आखिरी पक्तिया हैं

महात्मा गाधी के तरीके हमे अपने सघष में माग दिखाएग। देश को फासिस्ट अत्याचार से मुक्त करने के हमारे आदोलन के अदृष्ट नायक महात्मा गाधी होंगे। यह सघष होगा श्रीमती-नेहरू गाधी बनाम महात्मा गाधी।

अपन सकल्प के अनुरूप मैंने तानाशाह के खिलाफ लडाई लडी जो कि सवधानिक चोगा पहनकर देश पर शासन करने की कोशिश म थी। मैं यहा इस समय पुन ऐलान करता हू कि उसके खिलाफ या देश म सिर उठानेवाली किसी भी तानाशाही के खिलाफ मेरी लडाई जारी रहेगी।

मुझे विश्वास है कि देश के प्रत्येक नागरिक का कत्तव्य है कि वह ऐसा करे। और यही वजह है कि मैं तथा मेरे साथी लगभग एक वष तक हर तरह के कष्ट और यातना झेलते हुए तानाशाह तथा उसके बेटे के खिलाफ जिस कि वह अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी जनता को जागत और सगठित करते रहे।

मुझे विश्वास था और अभी भी है कि तानाशाही या अन्य किसी भी दुष्टता या अन्याय के खिलाफ लडाई का पहला कदम है भय से मुक्ति। मेरा प्राथमिक उद्देश्य यही था—भूमिगत आदोलन के इन दिनों मे मैं जनता के मन से आतक का राज हटाना चाहता था—खुद अपने और अपने उन सकडो साथियो का उदाहरण सामने रखकर जिन्होंने दढ सकल्प से तथा सभी जोखिम उठाकर मेरे कधे से कधा भिडाकर बहादुरी स लडाई की है।

हम तभी पता था, आज भी मालूम है कि हमारे कार्यों और तानाशाही के खिलाफ हमारे अडिग विरोध के कुछ नतीजे निकलेंगे। हम प्रसन्नता और गव के साथ सब कुछ सहन को तब भी तयार थे आज भी तैयार हैं। महापुरुषो ने युग युगो स यही सिखाया है और गाधीजी ने इसी तरह हमारी जनता म दद पदा किए थे उसी जनता म जिस आज की सरकार धमकी, रिश्वत, भ्रष्टाचार के जरिये, उन तमाम तरीको के जरिए जो आज शासक गुट की जीवन शली के अग बन गए हैं नष्ट कर देना चाहती थी। देश स प्रेम रखनेवालो इस देश का स्त्री पुरुषों के लिए आजादी आत्मसम्मान और सुख से जीने लायक देश बनाना चाहनेवालो का कत्तव्य है कि वे अन्याय अत्याचार और निरकुशता का—उसक हर रूप का—जहा कहीं वह हो जब कभी कहा हो विरोध करने को तत्पर रह।

अभी जो चुनावों का एलान हुआ है, अन्याय से लडने का एक वह और

मौका है लेकिन यह कई राहा म से एक राह है और बहुत सीमित राह जो कि कुछ वर्षों म सिर्फ एक बार खुलता है। जो इस ही एकमात्र रास्ता मानत है व भारी भूल करेंगे और हमारी जनता की आजादी तथा खुशहाली को दाव पर लगा रहे होगे। अन्याय के खिलाफ सघर्ष अनवरत चलना चाहिए जिसस लोग अपने अधिकारो के बारे म सजग हा उन खतरो म आगाह हो जो सदैव मौजूद रहत हैं। केवल तभी हमारा देश आजाद रह सकेगा और उसे किसी अकेले व्यक्ति तथा उसके खानदान की निजी मिल्कियत बन जान से बचाया जा सकेगा।

तानाशाही मनुष्य की आत्मा पर चोट करती है। वह न कानूनी होती है, न सवधानिक, न नतिक। वह मनुष्य के सामने कोई कानूनी या सवैधानिक लडाई का माग नही रहने देती। और उसके बावजूद लडना मनुष्य का ज मजात अधिकार है उन सभी का अधिकार जो मनुष्य की पवित्रता आत्मसम्मान और आजादी मे निष्ठा रखते हैं।

गाधीजी ने कहा था कि यदि उन्ह अन्याय के मुकाबले म कायरता और हिंसा मे अगर एक चीज चुननी हो तो वह हिंसा को चुनने तथा जनता को हिंसा के चयन का सुझाव देने म नही हिचकेंगे। जोकि अहिंसा म मेरा दृढ विश्वास है जो कि मुझे एक महानतम विचारक और मानववादी डाक्टर राम मनोहर लोहिया से प्राप्त हुआ है मैं भी गाधीजी की तरह विश्वास करता हू जो कि निस्सदेह लोहिया का भी विश्वास होता कि जहा कही अन्याय और दुष्टता सिर उठाए वही उसका प्रतिकार करना चाहिए। तानाशाही के खिलाफ लडाई का मेरा सकल्प इन्ही आस्थाओ मे उत्पन्न हुआ है उसम हत्या का या कि सरकारी पक्ष जिसे अपराधात्मक शक्ति कहता है उसका कोई स्थान नही है।

इस मुकद्दम म मेरे खिलाफ जो भी साक्ष्य गढ गए हैं तथा पेश किए गए हैं उनम इस्तगास की भरपूर कोशिश के बावजूद वह कही भी यह आरोप तक नही लगा सका है कि मेरे तथा मेरे आन्दोलन के कारण हिंसा तो क्या किसी एक की मृत्यु भी हुई हो।

कोई पच्चीस वप पहले डॉ० लोहिया ने लिखा था,

जब हिटलर सत्तारूढ हुआ तो आसानी से समझ म आ गया कि सोशलिस्ट तथा कम्युनिस्ट पार्टियो के तमाम बहादुर और हिम्मतवर और विचारशील यूरोपीय अपना पौरुष किस प्रकार खो चुके थ और यद्यपि इस शब्द के प्रयोग पर मुझे खेद है पर वे लगभग चूहो की तरह हिटलर से पनाह पाने के लिए इधर से उधर भागते रहे।

महोदय मुझे सचमुच गव है कि जब श्रीमती गाधी तानाशाह बनी उस समय मैंने तथा मेरे साथियो ने मर्दो की तरह व्यवहार किया।

10 फरवरी 1977

—जाज फर्नांडीस

परिशिष्ट 4

आधार-पत्र विचारार्थ विषय

प्रतिपक्ष की कायप्रणाली

1 सावजनिक प्रश्न है नीतिगत मतभेद प्रशासनिक भ्रष्टाचार तथा अत्याचार की ओर सरकार का ध्यान िलाकर उन्ह ठीक कराने तथा जनता का प्रबुद्ध करने क उद्देश्य स वधानिक राजनीतिक कारवाई करने का अधिकार प्रतिपक्ष को मिलना चाहिए जिसम जरूरी होने पर सत्याग्रह जैसी शातिपूण कारवाई भी शामिल हो। लेकिन य कारवाई घेराव इत्यादि क जरिए किसी भी हालत म प्रशासन या व्यक्तियो के सामान्य कारोबार म बाधक नही होनी चाहिए।

2 ससद और विधान मडलो मे

(क) उपयुक्त प्रश्नो पर विचार तथा बहस करने का प्रतिपक्ष को उचित अवसर मिलना चाहिए। प्रतिपक्ष क प्रति न्याय होन के लिए सरकार को चाहिए कि इस हेतु प्रतिपक्ष को पर्याप्त समय प्रदान करने का सहयोग करे।

(ख) देश म मानहानि से सबधित कानून बहुत कठोर दड लगाकर इतने सख्त बना देने चाहिए कि चरित्र हनन की खिलवाड करने की कोई हिमाकत न करे। यह बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि ससद क भीतर या बाहर किसी भी सरकारी या गर-सरकारी व्यक्ति पर आरोप लगान पर उसकी सारी जिम्मेदारी आरोपकत्ता पर होगी। किसी सरकारी कारवाई को ऐसे नाजायज ढग से खबर लिखना भी इसीके तहत दडनीय हो, जिससे कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आच आ सकती हो।

ससद भवन म ससद सदस्य जो कुछ कहते है उसके लिए उन्ह सरक्षण प्राप्त है। बुनियादी रूप स यह एक अच्छा सिद्धान्त है। लेकिन जब इस विशेषाधिकार का दुरुपयोग किसी अनुपस्थित व्यक्ति को बदनाम करने म हो, जो कि अपना बचाव भी न कर सके (इस तरह के काय पर निषेधक नियमो म बहुत ढील दी गई है) तो उस दशा म सबद्ध सदस्य को मानहानि के प्रश्न पर विशेषाधिकार स वचित कर दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार समाचारपत्रो को इस प्रकार की कारवाइ की खबर छापने म जो सरक्षण मिला हुआ है वह समाप्त हो जाना चाहिए।

(ग) सदन के भीतर सदस्यो का आचरण मौखिक प्रतिरोध की बजाय जानबूझकर शारीरिक प्रतिरोध के ज़रिये शारीरिक प्रहार या कारवाई म गतिरोध पदा करनेवाले किसी भी सदस्य को कठोर दड मिलना चाहिए।

3 राष्ट्रीय अनुशासन

(क) जनतान्त्रिक प्रतिपक्ष की राय है कि राष्ट्रीय क्रियाकलाप एव सावजनिक जीवन के सभी क्षेत्रो म अनुशासन के बिना न तो राष्ट न ही जनतन्त्र कोई स्वस्थ प्रगति कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिपक्ष मानता है कि विभिन्न स्तरो पर व्यक्ति बलिदान की अनिवार्यता वाले इस अनुशासन को स्थायी मूल्यवत्ता तभी मिलेगी जब यह अनुशासन आत्मसयम तथा स्वेच्छा से उदभूत हो न कि धमकी या डर से। इस उद्देश्य से भारत के हर नागरिक के मन म राष्ट्रीय गौरव का भाव जगाना होगा तथा यह काय गावो स महानगरो तक जनमत को जाग्रत तथा शिक्षित करने की एक स्थायी एव धयशील प्रणाली के जरिए ही सभव है इस विराट दायित्व की पूर्ति तभी होगी जब सरकार तथा प्रतिपक्ष घनिष्ट सहयोग से काय करें, तथा एतदथ स्पष्ट एव अनिवाय आचरण सहिता स्थापित हो।

(ख) जनतान्त्रिक प्रतिपक्ष की स्पष्ट मान्यता है कि तस्कर जमाखोर काला बाजारिये, कर प्रवचक इत्यादि आर्थिक अपराधियो को, तथा साप्रदायिक विद्वेष के प्रचारक और प्रवतक या हिंसा भडकाने वाले व्यक्तियों तथा समुदायो को किसी प्रकार की छूट नही मिलनी चाहिए। फिर भी इस किस्म के अपराधियो से निबटने के लिए जो असाधारण अधिकार जरूरी है उनका प्रयोग राजनीतिक विरोधियो अथवा सरकार के विचारो के विरुद्ध विचार रखने या व्यक्त करने वालो के खिलाफ कभी नही होना चाहिए।

चूकि किसी भी जनतत्र मे कायपालिका इस्तगासा और जज दोनो की भूमिका निबाहे यह नितात अशोभन है इसलिए प्रतिपक्ष की राय है कि उपयुक्त किस्म के अपराधियो को भी प्रमुख नागरिको की ट्रिब्यूनल म पेश किया जाना चाहिए जो यह फैसला करेंगे कि उन अपराधियो को पुलिस की रपट, गुप्तचर रपट, या प्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पर बिना मुकद्दमे के नजरबद रखना उचित है अथवा नही।

4 राष्ट्र विरोधी गतिविधियां

सरकार को चाहिए कि राष्ट्र विरोधी शब्द का दुरुपयोग न होने दे। राष्ट्र विरोधी गतिविधियो का आरोप सिफ उन गतिविधियो तक सीमित रहना चाहिए जो राष्ट्र से अलग होने की माग करें या देश की प्रादेशिक अखडता को खतरे म डालें तथा जो राजकीय गोपनीयता भग करें और विदेशी शक्तियो को वर्गीकृत गोपनीय सामग्री दें।

5 नागरिक स्वातत्र्य

उपयुक्त प्रतिबधों के तहत मौलिक अधिकार नागरिक स्वतत्रताए और

न्यायिक सुनवाई के अधिकार जनता को वापस करने तथा आपातकाल म अखबारो पर लगी पाबदिया हटाने म सरकार को कोई सकोच नही होना चाहिए।

सरकार को चाहिए कि वह देश म व्याप्त आतक तथा भय का वातावरण समाप्त करने हेतु तत्काल कदम उठाए।

सहमति के वतमान क्षेत्रा को दढ किया जा सक और शेष मामल हल किए जा सकें। आपक शीघ्र उत्तर स मुझे प्रसन्नता होगी।
अभिवादन सहित

आपका विश्वस्त,
(दस्तखत)
बीजू पटनायक

श्री ओम मेहता
गृह मत्रालय क राज्य मत्री
भारत सरकार
नयी दिल्ली।

•••

मुद्रक मॉडर्न प्रिन्टर्स नवीन शाहदरा दिल्ली 110032

का आवश्यकता और औचित्य के बारे म प्रशासन के अनुभवी लोगो ने गभीर शका व्यक्त की थी तथा यह भी कहा था कि ससद म अपार बहुमत रखने वाली सरकार क्या अपने राजनीतिक सकल्प के जरिए आर्थिक उपलब्धिया नही कर सकती थी ? इन मसलो पर सार्थक विचार विनिमय सभव है इसी प्रकार जहा हमने आधार पत्र' मे स्वीकार किया है कि चरित्र हनन की खिलवाड बद करने के लिए कुछ कठोर कदम उठने चाहिए (जोकि प्रधानमत्री के पत्र म भी है) वही इस पर विचार करना है कि इस उद्देश्य से किस प्रकार की कार्यप्रणाली तथा सगठन बनें। यदि सरकार उच्च राजनीतिक पदाधिकारियो के खिलाफ लगाए जानेवाले भ्रष्टाचार के आरोप समुचित तथा विश्वसनीय न्यायिक अधिकारियो के समक्ष सरकार पेश कर दिया करे तो विधायिका विशेषाधिकार दुरुपयोग के मामले शीघ्रतापूर्वक कम किए जा सकते हैं। उन्होने यह भी कहा कि इस सदर्भ म सथानम कमेटी की रपट तथा लोकपाल की रचना उपयोगी होगी।

प्रतिपक्ष ने बारबार साम्प्रदायिक एव अलगाववादी नीतिया तथा हिंसा एव असवैधानिक कारवाई के विरुद्ध अपनी राय जाहिर की है मेरी समझ से किसी भी ससदीय जनतत्र म जनतात्रिक प्रतिपक्ष के लिए यह पहली शर्त है और इसका पालन सभी पक्षो को करना चाहिए इसलिए एच० एम० पटेल ने 16 17 दिसबर की बैठक (जिसका उल्लेख प्रधानमत्री ने अपने पत्र मे किया है) के बाद प्रतिपक्ष की ओर से जो जारी किया है वह इस बारे म असन्दिग्ध तथा स्पष्ट है।

इतने सारे कानून बना दिए गए है कि एक भूलभुलैया खडी हो गई है और यह जान पाना कठिन हो गया है कि इतने सारे कानूनो के चलते कोई जनतात्रिक प्रतिपक्ष शाति तथा सामान्य ढग से काम कर भी सकता है या नही। प्रधानमत्री की इस पुनर्घोषणा के अनुरूप कि भारत ससदीय जनतत्र के लिए आदर्श तथा व्यवहार दोनो दृष्टियो स प्रतिबद्ध है इनमे से कुछ कानूनो पर पुन विचार करना आवश्यक है।

हम जानते है कि भारत का प्रधानमत्री एक अत्यत व्यस्त व्यक्ति होता है तथा मुमकिन है उन्हे इतना वक्त न हो कि सामान्यता का अहसास कायम करे तथा भय को उन्मूलित करने के लिए तथा साथ ही राष्ट्रीय अनुशासन को दृढ करने के लिए (जिसका कुछ ब्यौरा आधार-पत्र म है) विस्तारपूर्वक इन तथा अन्य मामलो पर विचार करने का समय उन्हे न हो।

इसलिए मैं सुझाव दूगा कि यदि प्रधानमत्री अनुमोदन करें तो शायद आप स्वय तथा प्रधानमत्री की राय म उपयुक्त अन्य कोई भी व्यक्ति इन मामलो पर हमारे साथ बातचीत आगे बढा सकते है ताकि सरकार एव प्रतिपक्ष के बीच

सहमति के वतमान क्षेत्रा को दढ किया जा सक और शेप मामल हल किए जा सकें। आपक शीघ्र उत्तर स मुझे प्रसन्नता होगी।
अभिवान्न सहित,

आपका विश्वस्त,
(दस्तखत)
बीजू पटनायक

श्री ओम मेहता
गृह मत्रालय र्क राज्य मत्री
भारत सरकार
नयी न्लिली ।

मन्क मॉडर्न प्रिन्म नवीन शाहन्रा न्ल्ली 110037

का आवश्यकता और औचित्य के बारे मे प्रशासन के अनुभवी लोगो ने गभीर शका व्यक्त की थी तथा यह भी कहा था कि ससद म अपार बहुमत रखने वाली सरकार क्या अपने राजनीतिक सकल्प क जरिए आर्थिक उपलब्धिया नही कर सकती थी ? इन मसलो पर सार्थक विचार विनिमय सभव है इसी प्रकार जहा हमने आधार पत्र म स्वीकार किया है कि चरित्र हनन की खिलवाड बद करने क लिए कुछ कठोर कदम उठने चाहिए (जोकि प्रधानमत्री के पत्र म भी है) वही इस पर विचार करना है कि इस उद्देश्य स किस प्रकार की कायप्रणाली तथा सगठन बनें। यदि सरकार उच्च राजनीतिक पदाधिकारियो के खिलाफ *लगाए जानेवाले भ्रष्टाचार के आरोप समुचित तथा विश्वसनीय न्यायिक* अधिकारियो के समक्ष सरकार पश कर दिया करे तो विधायिका विशेषाधिकार दुरुपयोग के मामले शीघ्रतापूवक कम किए जा सकत हैं। उन्होने यह भी कहा कि इस सदभ म सथानम कमेटी की रपट तथा लोकपाल की रचना उपयोगी होगी।

प्रतिपक्ष न बारबार साप्रदायिक एव अलगाववादी नीतियो तथा हिंसा एव असवधानिक कारवाई क विरुद्ध अपनी राय जाहिर की है मेरी समझ से किसी भी ससदीय जनतत्र म जनतात्रिक प्रतिपक्ष क लिए यह पहली शत है और इसका पालन सभी पक्षो को करना चाहिए इसलिए एच० एम० पटेल ने 16 17 दिसबर की बठक (जिसका उल्लेख प्रधानमत्री न अपने पत्र म किया है) के बाद प्रतिपक्ष की ओर स जो जारी किया है वह इस बारे म असदिग्ध तथा स्पष्ट है।

इतने सारे कानून बना दिए गए है कि एक भूलभुलैया खडी हो गई है और यह जान पाना कठिन हो गया है कि इतन सारे कानूनो के चलते कोई जनतात्रिक प्रतिपक्ष शाति तथा सामान्य ढग से काय कर भी सकता है या नही। प्रधानमत्री की इस पुनर्घोषणा के अनुरूप कि भारत ससदीय जनतत्र के लिए आदश तथा व्यवहार, दोनो दष्टियो स प्रतिबद्ध है इनमे से कुछ कानूनो पर पुन विचार करना आवश्यक है।

हम जानते है कि भारत का प्रधानमत्री एक अत्यत व्यस्त व्यक्ति होता है तथा मुमकिन है उन्ह इतना वक्त न हो कि सामान्यता का अहसास कायम करे तथा भय को उन्मूलित करन क लिए तथा साथ ही राष्ट्रीय अनुशासन को दढ करने क लिए (जिसका कुछ ब्योरा आधार-पत्र म है) विस्तारपूर्वक इन तथा अन्य मामलो पर विचार करने का समय उन्हे न हो।

इसलिए मैं सुझाव दूगा कि यदि प्रधानमत्री अनुमोदन कर तो शायद आप स्वय तथा प्रधानमत्री की राय म उपयुक्त अन्य कोई भी व्यक्ति इन मामलो पर हमारे साथ बातचीत आग बढा सकत हैं ताकि सरकार एव प्रतिपक्ष क बीच

सहमति के वतमान क्षेत्रा को दढ किया जा सके और शेप मामल हल किए जा सकें। आपके शीघ्र उत्तर स मुझे प्रसन्नता होगी।
अभिवादन सहित

आपका विश्वस्त
(दस्तखत)
बीजू पटनायक

श्री ओम मेहता
गृह मत्रालय के राज्य मत्री
भारत सरकार
नयी दिल्ली ।

मुद्रक मॉडर्न प्रिन्टर्स नवीन शाहदरा दिल्ली 110032